ncrtc

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार एवं प्रतिभागी
राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार एवं प्रतिभागी राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम)

गति से प्रगति

लक्ष्य

जन–मानस के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु साम्यिक, तीव्र, विश्वस्नीय, सुरक्षित, सुखद, दक्ष एवं सतत गतिशीलता समाधान प्रदान कर राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आर्थिक विकास को गति देना।

वार्षिक रिपोर्ट
2023 - 24

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स श्याम सुंदर सिंघल एंड कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

सचिवीय लेखाकार

मैसर्स शिफ़ा बद्री एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिवीय, नई दिल्ली

आंतरिक लेखाकार

मैसर्स जी.के. केडिया एंड कंपनी
चार्टड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

श्री विजय कुमार

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक लिमिटेड
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड
यस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालय:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली–110023
फोन: +91 11 24666700, फैक्स: +91 11 24666723
CIN No. U60200DL2013GOI256716
ईमेल: contactus@ncrtc.in

गति से प्रगति

अनुक्रमणिका

1.	निदेशक मंडल	4
2.	सभापति का भाषण	5
3.	बोर्ड की रिपोर्ट	7
4.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	34
5.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	47
6.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	58
7.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	126
8.	समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	130
9.	समेकित वित्तीय विवरण	137
10.	समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	207
11.	सहायक कंपनी- एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	209

निदेशक मंडल

(31 अगस्त, 2024 तक)

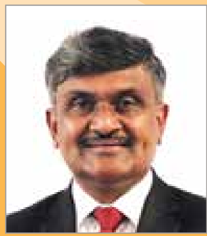

श्री श्रीनिवास कटिकिथला, आईएएस
अध्यक्ष
सचिव (एचयूए),
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
डीआईएन: 00414340
(20.08.2024 से)

श्री शलभ गोयल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08064525
(02.07.2024 से)

सुश्री अर्चना अग्रवाल, आईएएस
नामांकित निदेशक
सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी
डीआईएन: 02105906

श्री नितिन रमेश गोकर्ण, आईएएस
नामांकित निदेशक
अपर मुख्य सचिव,
आवासन एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार
डीआईएन: 07619691

श्री अरुण कुमार गुप्ता, आईएएस
नामांकित निदेशक
अपर मुख्य सचिव
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और
शहरी संपदा विभाग, हरियाणा सरकार
डीआईएन: 05265538

श्री प्रशांत गोयल, आईएएस
नामांकित निदेशक
प्रधान सचिव सह
आयुक्त (परिवहन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
डीआईएन: 08123752

श्री अजिताभ शर्मा, आईएएस
नामांकित निदेशक
प्रमुख सचिव
उद्योग एवं डीएमआईसी
राजस्थान सरकार
डीआईएन: 02758682

श्री कुलदीप नारायण, आईएएस
नामांकित निदेशक
संयुक्त सचिव (एचएफए),
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
डीआईएन: 03276525

श्री दिनेश कुमार
नामांकित निदेशक
अतिरिक्त सदस्य,
भूमि एवं सुविधाएं (एल एंड ए)
(रेलवे बोर्ड), रेल मंत्रालय
डीआईएन: 07660325

श्री अनिल कुमार श्रंगार्या
निदेशक/परियोजनाएँ
डीआईएन: 08507367

श्री महेंद्र कुमार
निदेशक/ई एंड आरएस
डीआईएन: 07093637

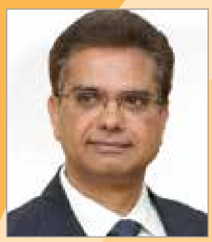

श्री नवनीत कौशिक
निदेशक/सिस्टम एवं संचालन
डीआईएन: 08624052

सुश्री नमिता मेहरोत्रा
निदेशक/वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन: 07916304

अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड ("निगम") के निदेशक मंडल की ओर से मुझे, आपके निगम की 11वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन के अवसर पर, आप सभी का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभारी हूं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडएलोन एवं समेकित) और साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इनके संबंध में की गई टिप्पणियां, आपको पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं तथा मुझे आशा है, और मैं यह मानकर आगे बढ़ रहा हूं कि आप सभी ने इन्हें पढ़ लिया होगा।

i. विचाराधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 82 किलोमीटर की लम्बाई वाले दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के चरण-I (साहिबाबाद से दुहाई डिपो) तथा चरण-II (दुहाई से मोदीनगर उत्तर) के खंडों के परिचालन एवं अनुरक्षण की शुरुआत के साथ बेमिसाल प्रगति हासिल की है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता प्राप्त खंड (साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक) में नमो भारत ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया गया था। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बीईएल की भागीदारी से एनसीआरटीसी की एक पहल के रूप में स्वदेशी रूप से विकसित प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (पीएसडी) सिस्टम का भी उद्घाटन किया गया था। इन्हें दुहाई डिपो स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है। प्राथमिकता प्राप्त खंड 21 अक्टूबर 2023 से राजस्व सेवाओं के लिए खोल दिया गया है।

ii. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पुनः दिनांक 6 मार्च 2024 को दुहाई तथा मोदीनगर उत्तर के आरआरटीएस स्टेशन के बीच के अतिरिक्त 17 किलोमीटर की लम्बाई वाले खंड का भी उद्घाटन किया गया था। इस विस्तार में मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण और मोदीनगर उत्तर नामक तीन एलिवेटेड आरआरटीएस स्टेशन शामिल हैं।

iii. 18 अगस्त, 2024 से मोदीनगर उत्तर से मेरठ दक्षिण आरआरटीएस स्टेशन तक 8 किलोमीटर का विस्तार सार्वजनिक और राजस्व परिचालनों के लिए प्रारम्भ कर दिया गया है तथा वर्तमान में, इस कॉरिडोर के 42 किमी (कुल कॉरिडोर लंबाई का लगभग 51%) भाग में 'नमो भारत' सेवाएं निर्बाध उपलब्ध हैं तथा इसमें साहिबाबाद से मेरठ दक्षिण तक के नौ स्टेशन कवर किए गए हैं। अगस्त 2024 तक 3 मिलियन से अधिक यात्रियों ने नमो भारत ट्रेनों में यात्रा की है।

iv. डीबीआरआरटीएस ऑपरेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने परिचालन एवं अनुरक्षण अनुबंध के तत्वाधान में यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य सफलतापूर्वक प्रारम्भ कर दिए हैं। इसके अलावा, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नियुक्त आपके निगम के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (नेत्रा) द्वारा समग्र सुपरवीजन करने तथा प्रमुख निष्पादन सूचकों (केपीआई) के मापन के माध्यम से डीबीआरआरटीएस के निष्पादन की मॉनीटरिंग प्रारम्भ की गई है। मॉनीटरिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत नेत्रा द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण अनुबंध के आधार पर केपीआई निष्पादन एवं डीबीआरआरटीएस के कार्यों का सत्यापन किया जाता है।

v. माननीय प्रधान मंत्री जी के विजन का अनुसरण करके क्षेत्रीय परिवहन के उत्कृष्ट समाधान के रूप में विश्व श्रेणी की बेहतरीन परिवहन अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से क्षेत्रों के मध्य परिवहन के कायाकल्प के लिए देश में पहली बार आरआरटीएस (क्षेत्रिय रेपिड परिवहन प्रणाली) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इससे देश में नगरों के मध्य यात्रा के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आधुनिक समाधान प्राप्त होगा। प्रधान मंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना के अनुरूप ही आरआरटीएस नेटवर्क के साथ रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों एवं बस सेवाओं आदि के लिए व्यापक मल्टी-मॉडल-इंटीग्रेशन होगा। क्षेत्रीय यात्रा के इस कायाकल्प रूपी समाधानों से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा; रोजगार के अवसरों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी; तथा यह वाहनों की भीड़ और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाने में सहायक होगी।

vi. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा भारत के आरआरटीएस खंड के शुभारंभ के उद्घाटन अवसर पर नमो भारत ट्रेन की उन्नत सुविधाओं तथा इसकी तीव्र गति की सराहना की है, जो एक 'नए भारत' के भविष्य के प्रक्षेपपथ का प्रमाण चिह्न हैं। उन्होंने बल देते हुए यह कहा कि वर्तमान दशक भारत में रेल-आधारित गतिशीलता के विकास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता, सुविधाओं, दक्षता, उत्तरदेयता एवं क्षमता के वैश्विक मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि हमें दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत ट्रेनों की त्रिमूर्ति आधुनिक रेलवे का प्रतीक बन जाएगी।

vii. आपका निगम दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को अनुसूचित समय सीमा में चालू करने एवं यात्रियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने का सुनिश्चय करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए सभी टीम सदस्य पूर्ण निष्ठा के साथ अथक परिश्रम कर रहे हैं।

viii. विचाराधीन वर्ष के दौरान आपके निगम को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए हैं:

क. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (सीआईडीसी) विश्वकर्मा अवार्ड 2024 के आयोजन अवसर पर तीन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की प्राप्ति। एनसीआरटीसी को दिल्ली गाजियाबाद-मेरठ- आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए 'बैस्ट प्रोफेशनली मैनेज्ड कम्पनी', 'बैस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स' तथा 'क्रियेटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पेक्ट' के अंतर्गत एचिवमेंट अवार्ड प्रदान किए गए हैं।

ख. बिल्ड इंडिया इन्फ्रा अवार्ड्स' 2024 के आयोजन अवसर पर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच भारत की प्रथम आरआरटीएस के कार्यान्वयन के लिए 'बैस्ट प्रोजेक्ट'' पुरस्कार की प्राप्ति।

ग. रेल एनालिसिस इनोवेशन एंड एक्सीलेंस समिट, 2024 के आयोजन अवसर पर 'एक्सीलेंस इन एडाप्शन ऑफ टैक्नोलॉजी इन अर्बन ट्रांजिट सिस्टम्स' अवार्ड की प्राप्ति।

घ. ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस, 2023 के आयोजन अवसर पर गाजियाबाद तथा साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर स्थापित 220 केवी रिसिविंग सबस्टेशन (आरएसएस) के लिए प्रतिष्ठित 'आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट अवार्ड' की प्राप्ति।

ङ. 'स्पेशल कोमेन्डेशन फार इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट' के आयोजन अवसर पर सीएनबीसी-आवाज के रियल एस्टेट अवार्ड (उत्तरी जोन) की प्राप्ति।

च. टनलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2023 को आयोजित टीएआई टनलिंग अवार्ड्स 2023 के चौथे संस्करण में 'एनवार्यनमेंट इनिशियेटव्स आफ टनलिंग'' वर्ग के अंतर्गत अवार्ड की प्राप्ति।

छ. एनर्जी एंड एनवार्यनमेंट फाउंडेशन द्वारा 3 अगस्त, 2024 को ग्लोबल सस्टेनिबिल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया।

आपके निगम के निदेशक मंडल की ओर से, मैं आप सभी को, हमारे मूल्यवान शेयरधारकों, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, रा.रा.क्षे.दिल्ली राज्य सरकारों से अनवरत एवं सदैव प्राप्त सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इससे हमें अपने प्रयासों एवं राष्ट्र के लिए पूर्ण लगन के साथ मूल्यों का निर्माण करने का प्रोत्साहन मिला है।

मैं, वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार के अन्य विभागों और एजेंसियों तथा अन्य विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों से आपके निगम के हितों में संवर्धन एवं विकास के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त आवश्यक इनपुट के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

इस परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिए गए समर्थन को भी रिकॉर्डबद्ध करना चाहता हूं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, वित्तीय संस्थानों, परामर्शदाताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, मूल्य संवर्धन सेवा भागीदारों, बैंकरों एवं सभी व्यावसायिक सहयोगियों से निरंतर प्राप्त सहायता एवं सहयोग की मैं यहां स्वीकृति देने के साथ साथ आभारोक्ति भी करना चाहता हूं।

मैं यहां एनसीआरटीसी के सभी कर्मचारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ढेरों चुनौतियों के बावजूद भी, पूर्ण साहस एवं प्रतिबद्धता के साथ इस महान दायित्व को निभाने के लिए कार्य की गति को कभी धीमा नहीं होने दिया है।

धन्यवाद।

हस्ता/-

(श्रीनिवास कटिकिथला, भारतीय प्रशासनिक सेवा)
अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक:13.09.2024

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड,
नई दिल्ली

प्रिय महोदय/महोदया,

हम निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (स्टैंडएलोन तथा समेकित) एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ निगम की (11वीं) वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति कर रहे हैं।

1. वित्तीय विशेषताएं:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष से संबंधित वित्तीय परिणाम (स्टैंडएलोन एवं समेकित) निम्नलिखित हैं: (रुपये लाख में)

विवरण	स्टैंडएलोन		समेकित	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
परिचालनों से राजस्व				
अन्य आय	23,918.41	13,953.72	23,925.23	13,957.20
योग आय	**23,918.41**	**13,953.72**	**23,925.23**	**13,957.20**
व्यय	**5,285.72**	**3,124.31**	**5,722.12**	**3,127.48**
कर्मचारी हितलाभ व्यय	1,795.23	1,073.37	2,137.57	1,073.37
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	539.04	471.38	539.12	471.38
अन्य व्यय	2,951.45	1,579.56	3,045.43	1,582.73
कर पूर्व लाभ	**18,632.69**	**10,829.41**	**18,203.11**	**10,829.72**
कर व्यय	4,750.09	2,838.81	4,759.55	2,829.48
कर पश्चात लाभ	13,882.60	7,990.60	13,443.56	8,000.24
वर्ष के अंत में निवल सम्पत	**9,45,954.91**	**6,92,793.80**	**9,45,522.47**	**6,92,800.40**

2. पूंजी संरचना:

विचाराधीन अवधि के दौरान, कम्पनी की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी एवं चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा यह 100.00 करोड़ रुपये है। समग्र चुकता शेयर पूंजी का धारण निम्नानुसार भारत सरकार एवं प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा किया गया है:

क्र.सं.	शेयरधारकों के नाम	राशि लाख ₹ में	प्रतिशत
1	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	22,50.00	22.50
2	रेल मंत्रालय	22,50.00	22.50
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5,00.00	5.00
4	दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार	12,50.00	12.50
5	हरियाणा सरकार	12,50.00	12.50
6	राजस्थान सरकार	12,50.00	12.50
7	उत्तर प्रदेश सरकार	12,50.00	12.50
	योग	**1,00,00.00**	**100**

3. परिचालन एवं अनुरक्षण:

i. विचाराधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 82.17 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के चरण-I (साहिबाबाद से दुहाई डिपो) तथा चरण-II (दुहाई से मोदीनगर उत्तर) खंडों के परिचालन एवं अनुरक्षण के कार्य प्रारंभ करके अभूतपूर्व प्रगति की है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को 17 किलोमीटर की दूरी के पांच स्टेशनों वाले प्राथमिकता वाले खंड (साहिबाबाद से दुहाई डिपो स्टेशनों तक) में नमो भारत ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया गया था। प्राथमिकता प्राप्त यह खंड दिनांक 21 अक्टूबर 2023 से राजस्व सेवाओं के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को बीईएल के सहयोग से की गई एनसीआरटीसी की एक पहल के रूप में स्वदेशी रूप से विकसित आधी ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (पीएसडी) प्रणाली का भी उद्घाटन किया गया था। इन्हें दुहाई डिपो स्टेशन के एक प्लेटफार्म पर स्थापित किया गया है।

ii. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 6 मार्च 2024 को दुहाई और मोदीनगर उत्तर आरआरटीएस स्टेशन के बीच के अतिरिक्त 17 किलोमीटर दूरी के खंड का उद्घाटन किया गया था। इस विस्तार में तीन एलिवेटेड आरआरटीएस स्टेशन यथा मुराद नगर, मोदीनगर दक्षिण तथा मोदीनगर उत्तर शामिल हैं। दिनांक 8 मार्च 2024 से, साहिबाबाद से मोदीनगर उत्तर आरआरटीएस स्टेशन तक आठ स्टेशनों वाले दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के 34 किमी (कुल कॉरीडोर लंबाई का लगभग 41%) में 'नमो भारत' सेवाएं प्रारम्भ हो गई हैं।

iii. डीबीआरआरटीएस ऑपरेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) अनुबंध के अंतर्गत परिचालन एवं अनुरक्षण के कार्य सफलतापूर्वक प्रारम्भ कर दिए गए हैं। इसके अलावा, आपके निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (नेत्रा) को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया है तथा इस सहायक कम्पनी द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षण एवं प्रमुख निष्पादन सूचकों (केपीआई) के मापन के पश्चात डीबीआरआरटीएस के निष्पादन की निगरानी से संबंधित कार्य प्रारम्भ कर दिए गए है। दैनिक कार्यों की पूर्ति के लिए 21 अधिकारियों को पूर्णकालिक और 5 अधिकारियों को अंशकालिक रूप से नेत्रा में तैनात किया गया है। निगरानी की प्रक्रिया में नेत्रा द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण अनुबंध के अनुसार केपीआई निष्पादन तथा डिलीवरेबल्स के आधार पर डीबीआरआरटीएस के कार्यों का सत्यापन किया जा रहा है।

iv. चरण-II खंड के प्रारम्भ होने के पश्चात राजस्व और यात्रियों दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, चरण II के मेरठ दक्षिण स्टेशन और साथ साथ ही आगे के खंडों की कमीशनिंग होने से मेरठ को दिल्ली से जोड़ा जा सकेगा, जिसके पश्चात भविष्य में यात्रियों और राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रगति के इस उन्नत रूझान से संगठन की वित्तीय स्थिरता में योगदान प्राप्त होने की

20 अक्टूबर 2023 | माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 कि.मी. लंबे प्राथमिकता खंड का उद्घाटन

संभावना है। सीओडी के पश्चात का औसत दैनिक राजस्व और यात्रियों का रूझान नीचे दर्शाया गया है:

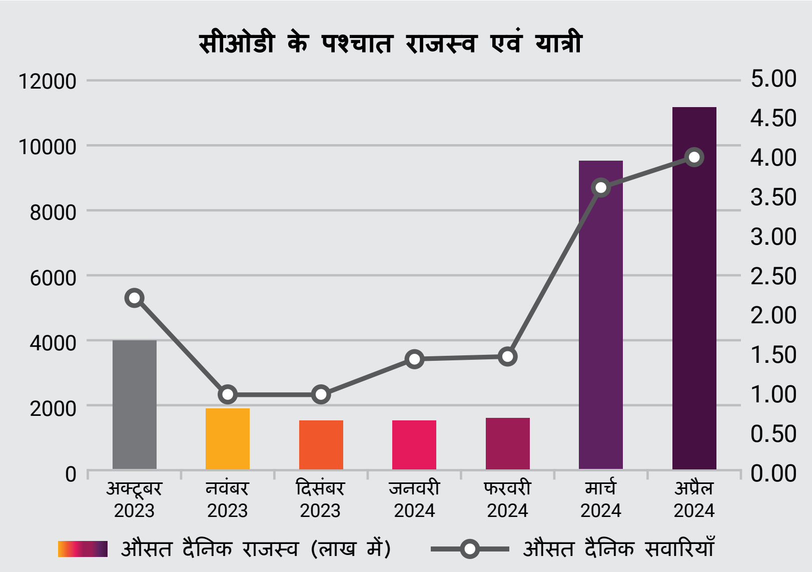

4. भविष्य से प्रत्याशाएं एवं परियोजना की स्थिति:

विश्व श्रेणी की नई परिवहन अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय क्नेक्टिविटी का कायाकल्प करने के प्रधान मंत्री के विजन का अनुसरण करके देश में आरआरटीएस (क्षेत्रीय रेपिड परिवहन प्रणाली) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो एक अत्याधुनिक क्षेत्रीय गतिशीलता समाधान (रिजनल मोबिलिटी सॉल्युशन) है तथा यह विश्व के किसी भी सर्वश्रेष्ठ समाधान के अनुरूप है। इससे देश में आवाजाही के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक इंटरसिटी समाधान प्राप्त होता है। प्रधान मंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना के साथ संरेखित आरआरटीएस नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, बस सेवाओं आदि के साथ व्यापक मल्टी-मॉडल-एकीकरण स्थापित होगा तथा यह क्षेत्रीय गतिशीलता समाधान परिवर्तनकारी होगा जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा; रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा तक लोगों की पहुंच बेहतर हो सकेगी; तथा वाहनों की भीड़ और वायु प्रदूषण को कम करने में काफी ज्यादा मदद प्राप्त हो सकेगी।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा भी भारत की उन्नत सुविधाओं एवं तीव्र गति के गुणों से सम्पन्न सर्वप्रथम आरआरटीएस, नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर यह कहा गया था कि इनसे नवीन भारत के भविष्य के प्रक्षेप पथ की प्रमाणिकता हो सकेगी। उन्होंने आगे बल देते हुए यह कहा कि भारत में वर्तमान दशक रेल आधारित गतिशीलता के विकास का दशक है जिसमें संरक्षा, स्वच्छता, सुख सुविधाओं, कार्यकौशल, जवाबदेही एवं क्षमता के वैश्विक मानकों की अनुरूपता को प्राप्त करने की

6 मार्च 2024 | माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के अन्य 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन

दिशा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। उन्होंने आगे यह कहा कि इस दशक के अंत तक अमृत भारत, वंदे भारत एवं नमो भारत का त्रित्व ट्रिन्टी आधुनिक रेलवे का प्रतीक बनेगा।

आरआरटीएस का कार्यान्वयन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही इसकी भावी संभावनाएं अनेक महत्वपूर्ण तत्वों से प्रभावित होंगी। पूर्ण वर्ष के दौरान, कड़े सुरक्षा उपायों के उपयोग से एक शीर्ष-स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

आपका निगम समर्पित है, और हमारी टीम के सदस्य जून 2025 में निर्धारित कमीशनिंग की तिथि से पहले दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर को पूरा करने की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं।

आरआरटीएस परियोजना में शामिल दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर तथा दिल्ली से पानीपत, का पहला चरण जब परिचालनात्मक हो जाएगा तो इससे यात्रियों का यात्रा समय को काफी कम होगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास तेज होगा और ऐसा होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं पड़ोसी राज्यों के अन्य भागों में आरआरटीएस नेटवर्क के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। क्षेत्र में इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रियों को यात्रा के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। इससे हरित परिवहन के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी एवं क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा।

आपके निगम का दृढ़ विश्वास है कि इस आरआरटीएस पहल से क्षेत्र में परिवहन क्षेत्र को नया आकार प्राप्त होगा और इस सहायता से समग्र रूप से राष्ट्र की प्रगति पर भी प्रभाव पड़ेगा।

इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर ऋण की ब्याज दर की ऊपर की ओर बढ़ती गति और साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्यह्रास का प्रभाव निगम के लिए चिंता का विषय रहा है, क्योंकि आरआरटीएस के लिए परियोजना वित्त पोषण का एक बड़ा भाग बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) से प्राप्त ऋण है। वित्तीय संवहनीयता के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम का विवेकपूर्ण प्रबंधन और एकल मुद्रा जोखिम से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करना महत्वपूर्ण है। आपका निगम इस संबंध में विभिन्न विकल्प तलाश कर रहा है और इस दिशा में प्रथम पहल के तौर पर आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से एडीबी ऋण के अगले अंश में येन ऋण के रूप में कम ब्याज दर वाली जापानी मुद्रा येन के ऋण का लाभ उठाने का प्रस्ताव दिया गया है। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा एमबीडी के साथ अमेरिकी डॉलर में ऋण प्राप्त करने की विद्यमान नीति से हटकर 250 मिलियन डालर के अगले अंश का ऋण जापानी मुद्रा येन में प्राप्त करने के संबंध में मोलभाव कर लिया गया है। ऐसा होने से न केवल ऋणों पर हमारे ब्याज के भार में कमी आएगी अपितु विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम को समाप्त करने के लिए हमारे ऋण पोर्टफोलियो में विविधता भी आएगी। जापानी मुद्रा येन में 37.74 बिलियन जापानी मुद्रा येन (अमेरिकी डालर 250 मिलियन के समतुल्य) के 3 ऋण अंश के लिए 15 दिसम्बर, 2023 को हस्ताक्षर भी कर लिए गए हैं तथा ये 13 फरवरी, 2024 से प्रभावी घोषित किए गए हैं।

क. वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त उपलब्धियां तथा परियोजना की स्थिति:

विचाराधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने आरआरटीएस परियोजना का कार्यान्वयन समय पर होने का सुनिश्चय करने के

लिए अनेकों प्रयास किए हैं तथा इस दिशा में प्राप्त कुछ प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क. दिल्ली खंड के लिए सुरंग बनाने की प्रक्रिया 17 जून 2023 को तथा उसके पश्चात मेरठ खंड के लिए 25 जुलाई 2023 को और गाजियाबाद खंड के लिए 29 अगस्त 2023 को पूरी हो गई है। गाजियाबाद खंड के कार्य पूरे होने के पश्चात समग्र कॉरीडोर का सुरंग बनाने का कार्य पूरा हो गया है।

ख. नमो भारत ट्रेन सेवाओं का परिचालन सोमवार से शनिवार तक सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक और रविवार को सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक 15 मिनट के अंतराल के साथ हो रहा है।

ग. आरआरटीएस सेवाओं के लिए टिकट की सुविधा एनसीएमसी कार्ड (नेशल कॉमन मोबिलिटी कार्ड), मोबाइल एप्प (आरआरटीएस क्नेक्ट), तथा क्यूआर कोड पेपर टिकट के माध्यम से उपलब्ध है।

घ. दिनांक 08 जुलाई, 2023 को आरआरटीएस दुहाई डिपो, तथा साहिबाबाद (729 किलोवाट) एवं दुहाई आरआरटीएस स्टेशन (108 किलोवाट) पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 को अत्याधुनिक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था।

ङ. मेरठ मेट्रो के लिए प्रथम ट्रेन का आगमन दुहाई में स्थित एनसीआरटीसी डिपो में दिनांक 28 फरवरी, 2024 को हुआ था। भारत में निर्मित ये ट्रेनसैट आधुनिक डिजाइन, ऊर्जा कुशल, कम भार वाले निर्माण एवं रिजनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली से सुसज्जित हैं।

च. एक वैश्विक पहल के रूप में आपके निगम द्वारा इस कॉरीडोर के चरण-1 एवं चरण-2 के खंड में एलटीई बैकबॉन पर ईटीसीएस सिग्नलिंग प्रणाली के साथ प्लेटफार्म स्क्रीन डोर (पीएसडी) का एकीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

छ. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2024 को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए मंत्रिमंडल अनुमोदन प्रदान कर दिया है तथा त्रैपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

ज. उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) को चालू किए गए 34 किलोमीटर खंड में आरआरटीएस के लिए व्यापक सुरक्षा प्रणाली के लिए सुरक्षा एजेंसी के रूप में सौंपा गया है।

झ. विचाराधीन वर्ष के दौरान आपके निगम को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए हैं:

<table>
<tr><td colspan="2">15वीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (सीआईडीसी) विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में तीन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की प्राप्ति। एनसीआरटीसी को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए 'बेस्ट प्रोफेशनिली मैनेजड कंपनी', 'बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स' और 'क्रिएटिंग सोशल डेवलपमें एंड इम्पेक्ट' के लिए उपलब्धि पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।</td><td>दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के लिए भारत की प्रथम आरआरटीएस के कार्यान्वयन के लिए 'बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवार्ड्स' 2024 में ''बेस्ट प्रोजेक्ट' पुरस्कार की प्राप्ति हुई है।</td></tr>
<tr><td>रेल एनालिसिस इनोवेशन एंड एक्सीलेंस सम्मिट 2024 में 'एक्सीलेंस इन एडोप्शन ऑफ टैक्नोलॉजी इन अर्बन ट्रांजिट सिस्टम्स' पुरस्कार की प्राप्ति ।</td><td>ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 के दौरान गाजियाबाद और साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर स्थापित 220 केवी रिसीविंग सबस्टेशन (आरएसएस) के लिए प्रतिष्ठित 'आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट अवार्ड' प्राप्त हुआ है।</td><td>सीएनबीसी-आवाज़ रियल एस्टेट अवार्ड्स 2023 (उत्तरी क्षेत्र) में 'स्पेशन कोमेंडेशन फार इनोवेशन एंड एक्सीलेंस अर्बन ट्रांसपोर्ट' से सम्मानित।</td></tr>
</table>

ञ. आयोजित कार्यक्रम:

i) अप्रैल 2023 में, आपके निगम ने भारतीय रेलवे के सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों (निर्माण) के लिए 'कुशल परियोजना प्रबंधन' के विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की है।

ii) मई 2023 में, 'परियोजना कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी की प्रभाव क्षमता' शीर्षक से एक ज्ञान-सहभाजन सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें विविध विषयों के प्रोफेशनल्स, विचारकों और उद्योग विशेषज्ञों को एक मंच पर एक साथ लाया गया।

iii) जुलाई 2023 में, आपके निगम ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) पर एक अंतरराष्ट्रीय दो दिवसीय कार्यशाला की मेजबानी की है, जो नगरीय योजना कार्य पद्धतियोंमें क्रांति लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। संवहनीय, समावेशी एवं आवास योग्य नगरों के निर्माण में ज्ञान-साझाकरण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक और एडीबी (एशियाई विकास बैंक) द्वारा समर्थित कार्यशाला में देश भर के विभिन्न शहरी परिवहन निगमों के प्रमुखों सहित विश्व भर के प्रतिष्ठित वक्ताओं, पैनलिस्टों और प्रतिभागियों की वैश्विक भागीदारी देखी गई।

iv) विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, आपके निगम ने 7 अप्रैल, 2023 को एक खेल सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें अनेक गतिविधियाँ की गई थी।

ट. आपके निगम द्वारा 06 से 10 नवंबर 2023 के दौरान विश्व गुणवत्ता सप्ताह का आयोजन किया गया था जिसका थीम था ''गुणवत्ता : अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमताओं का संज्ञान'' । गुणवत्ता नियंत्रण कार्य पद्धतियों के मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन से जुड़े सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को अंगीकार करने तथा गुणवत्ता पूर्ण डिलीवरी के प्रति जागरूकता की उत्पत्ति के विषयों पर संबंधित उद्योग विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किए गए विभिन्न आकर्षक सत्र आयोजित किए गए।

ठ. दिनांक 17 नवंबर, 2023 को जापान सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के प्राथमिकता प्राप्त खंड का दौरा किया गया था। प्रतिनिधिमंडल में अन्यों के साथ साथ जापानी वित्त मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए उप-वित्त मंत्री श्री दाईहो फुजी, जापान के कार्यकारी निदेशक श्री शिगेओ शिमिजु, जापानी वित्त मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में बहुपक्षीय विकास बैंक प्रभाग के उप-निदेशक श्री नानामी शिग्यो, तथा एशियाई विकास बैंक के भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर श्री टेकेओ कोनिशी उपस्थित थे।

ख. आरआरटीएस चरण-I के प्राथमिकता प्राप्त तीन कॉरीडोर की कार्यान्वयन स्थिति का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

I. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर:

- कॉरीडोर की शेष ~40 किलोमीटर की कॉरीडोर लम्बाई के क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्ण प्रवाह के साथ किए जा रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत की जा रही कार्रवाईयों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।
- मेरठ खंड वायाडक्ट स्थापित करने का कार्य जारी है। अन्य खंडों के लिए सुपरस्ट्रक्चर स्थापना के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। समग्र कॉरीडोर के लिए सुरंग से संबंधित कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं।

तीव्र गति से चल रहा भारत के प्रथम आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कार्य

- 8 किलोमीटर के अगले भाग में मेरठ दक्षिण स्टेशन पर सीएमआरएस ट्रॉयल के कार्य मोदीनगर उत्तर स्टेशन से मेरठ दक्षिण स्टेशन के लिए किए जा रहे हैं तथा इनकी परिचालनात्मक स्थिति प्रतीक्षित है।
- शेष खंड के संबंध में सिविल निर्माण कार्य, आर्किटैक्चरल फिनिशिंग कार्य तथा ट्रैक स्थापना के लिए निर्धारित अनुसूची के अनुसार प्रगति पर हैं।
- दिल्ली तथा मेरठ खंड में ओएचई मॉस्ट की स्थापना तथा केटेनरी स्ट्रिंगिंग का कार्य प्रगति पर है।
- गाजियाबाद तथा मुराद ननगर में दो रिसिविंग सब-स्टेशन परिचालनात्मक हैं तथा अन्य के कार्य प्रगति पर हैं।
- 18 नमो भारत ट्रेन तथा 2 एमआरटीएस ट्रेनसेट प्राप्त हो गए हैं। राजस्व परिचालनों के लिए 12 नमो भारत ट्रेन निजी परिचालक को सौंप दी गई हैं तथा शेष नमो भारत ट्रेन के संबंध में वर्तमान में परीक्षण एवं कमीशनिंग के कार्य प्रगति पर हैं।
- आरईएससीओ मॉडल के अंतर्गत 2.21 मेगावाट क्षमता वाले सोलर रूफ पैनल कार्यात्मक हैं।

II. एसकेके - एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर:

क) दिल्ली-एसएनबी कॉरीडोर (दिल्ली-अलवर आरआरटीएस कॉरीडोर का चरण-1):

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अनुमोदन एनसीआरटीसी के निदेशक मंडल द्वारा दिसम्बर 2018 में प्रदान किया गया है। सभी स्टेकधारक राज्य सरकारों यथा हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इनके संबंध में अपना अनुमोदन क्रमशः फरवरी, 2019, जून 2019 में दिया गया है। अब तक सभी स्रोतों (हरियाणा सरकार – 242.50 करोड़ रुपये, राजस्थान सरकार – 5 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – 100 करोड़ रुपये) से 347.50 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 'दिल्ली-गुरूग्राम-एसएनबी' आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए 7 मार्च, 2024 को अपना अनुमोदन दिया गया है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड को इसकी सूचना दिनांक 22 मार्च, 2024 के पत्र के माध्यम से भेजी गई है। वर्तमान में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में विचाराधीन है।

आपके निगम द्वारा दिल्ली तथा हरियाणा में सुरंगों/अंडरग्राउंड स्टेशनों के निर्माण के लिए विभिन्न स्टेकधारकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र/सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया गया है। संशोधित संरेखण के अनुसार निर्माण पूर्व कार्य/समर्थित कार्य अग्रिम चरण में हैं तथा यह परियोजना भारत सरकार से कॉरीडोर की स्वीकृति प्राप्त होने के तत्काल पश्चात निर्माण कार्यों के लिए तैयार है।

ख) एसएनबी - सोतानाला आरआरटीएस कॉरीडोर (दिल्ली-अलवर आरआरटीएस कॉरीडोर का चरण-2) :

राजस्थान सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

III. दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस कॉरीडोर:

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति संबंधित राज्य सरकारों (हरियाणा सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) को अप्रैल 2020 में तथा आवासन एवं शहरी कार्य

मंत्रालय को जून, 2020 में प्रस्तुत की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 2020 में अनुमोदित की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली-पानीपत' आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए विस्तृत परियोजना का अनुमोदन मार्च, 2024 में प्रदान किया गया था तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को पत्र के माध्यम से इसकी सूचना 22 मार्च, 2024 को दी गई थी। हरियाणा सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से 50.00 करोड़ रुपये की राशि इस कॉरीडोर के लिए जारी की गई है।

5. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी:

आपके निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी 'एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (एनईटीआरए) है। आपके निगम की कोई सम्बद्ध कम्पनी अथवा संयुक्त उद्यम कम्पनियां नहीं हैं।

6. समेकित वित्तीय विवरण:

कम्पनी तथा इसकी सहायक कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा लागू भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं सम्बद्ध दस्तावेजों से अनुरूपता के साथ किया गया है तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इसका अभिन्न भाग है। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों में इसकी सहायक कम्पनी के वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013, इसके अध्याधीन निर्मित नियमों एवं लागू लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसरण में निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण किया है जिसमें निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी यथा एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (एनईटीआरए) के वित्तीय विवरण भी शामिल हैं जिनकी प्रस्तुति भी कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के साथ कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में की जाएगी। समेकित वित्तीय विवरण एवं निगम की सहायक कम्पनी के लेखापरीक्षित लेखे कम्पनी की वेबसाइट www.ncrtc.in और साथ ही निगम के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध हैं जिनकी जांच सभी शेयरधारक कार्यालय समय के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा, ये दस्तावेज किसी भी सदस्य द्वारा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जांच के लिए भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। निगम के किसी सदस्य से इनकी ईमेल से प्राप्ति का अनुरोध प्राप्त होने पर निगम इनकी एक प्रति उपलब्ध करवा सकता है।

7. सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत 'सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं' से संबंधित सूचना के विवरण कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों के साथ **फार्म एओसी-1** में संलग्न हैं।

8. लाभांश:

विचाराधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई है।

9. सामान्य रिजर्व का विनियोजन:

कर पश्चात निवल को धारित आय माना गया है तथा विचाराधीन वर्ष के लिए सामान्य रिजर्व में अंतरण हेतु किसी राशि की अनुशंसा नहीं की गई है।

10. जमा:

विचाराधीन वर्ष के दौरान आपके निगम द्वारा किसी प्रकार के जमा न तो स्वीकार किए गए हैं तथा न ही इनकी प्राप्ति की गई है।

11. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण:

कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना को विचार में लेते हुए कम्पनी (प्रबंधक कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

12. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा अपने स्वयं एवं अपनी समितियों एवं वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित विवरण:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एक सरकारी कम्पनी है जिसके विचार से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) एवं लागू नियमावली के प्रावधान लागू नहीं हैं।

13. सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार:

सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार के विवरणों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए फार्म **एओसी-2** में अपेक्षित प्रकटीकरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-I** में प्रस्तुत है।

14. ऋणों, गारंटियों एवं निवेशों के विवरण:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसरण में निगम द्वारा न तो कोई निवेश किया गया है अथवा किसी व्यक्ति अथवा निकाय निगम कोई ऋण अथवा किसी प्रकार की गारंटी प्रदान की गई है अथवा किसी अन्य निकाय निगम अथवा व्यक्ति के किसी ऋण के संबंध में कोई प्रतिभूति प्रदान की गई है।

मेरठ में पड़ने वाले प्रथम आरआरटीएस स्टेशन- मेरठ साउथ पर आरंभ हुआ ट्रेनों का परिचालन

15. अधीनस्थ ऋण:

भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से 31 मार्च 2024 तक दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए 7,60,600.00 लाख रुपये का अप्रतिभूत ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ है।

16. सामग्रीगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं:

वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष के अंत एवं इस रिपोर्ट की तिथि के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई किसी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हैं।

17. लागत रिकार्ड का अनुरक्षण:

केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत की गई निर्दिष्टि के अनुसार कम्पनी से लागत रिकार्डों का अनुरक्षण किए जाने की अपेक्षा नहीं है।

18. लेखा परीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मैसर्स श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। सांविधिक लेखापरीक्षक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखों (स्टैंडएलोन एवं समेकित) से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किसी प्रकार की अर्हता अथवा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई है।

19. वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट:

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडएलोन एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए उक्त स्टैंडएलोन एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए.जी) की टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उनके संबंध में प्रबंधन के उत्तर, यदि कोई हों, को अलग से इसमें परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाएगा।

20. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए मैसर्स शिफा बद्री एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव की सेवाएं प्राप्त की हैं। 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-**II** में प्रस्तुत है ।

कंपनी के सदस्यों को संबोधित सचिवीय लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सदस्यों के विचारार्थ एवं सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है। रिपोर्ट और इसकी सामग्री स्व-व्याख्यात्मक है और इसमें किसी प्रकार की

कोई ऐसी अर्हता/प्रेक्षण नहीं है तथा इस विचार से, प्रबंधन द्वारा इनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

i. कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों का अनुसरण करते हुए विचाराधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के निवल के 2% औसत यथा 151.43 लाख रुपये की राशि का सीएसआर बजट नई जारी की गई परियोजनाओं यथा ''दुहाई, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में आधुनिक कृषि कार्य पद्धतियोंको सिद्ध करने के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास'' के लिए निर्धारित किया गया है। व्यय न की गई यह राशि दिनांक 04.03.2024 को एक अलग बैंक खाते में जमा करवाई गई है।

ii. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आपके निगम द्वारा विचाराधीन अवधि के दौरान 165.75 लाख रुपये का व्यय किया गया है:-

क) आधुनिक कृषि कार्य पद्धतियोंके लिए कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख) कक्षाओं का निर्माण

ग) सार्वजनिक शौचालय का निर्माण

घ) सीएसआर की अव्ययित राशि का अंशदान निम्नानुसार किया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	राशि रुपये में
1	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	10,00,000/-
2	स्वच्छता के प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष	10,58,040/-

iii) सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक III** में प्रस्तुत है। निगम की सीएसआर नीति निगम की वेबसाइट : www.ncrtc.in. पर देखी जा सकती है।

22. निदेशक उत्तरदेयता विवरण:

आपका निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि निम्नानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के प्रावधानों के अनुसरण में किया गया है:

क. वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा सामग्रीगत विचलन, यदि कोई है, तो उनके संबंध में यथोचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और अवधि से संबंधित कंपनी के लाभ और हानि की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति के लिए औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत हैं;

ग. निदेशकों ने निगम की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव करने एवं उन्हें ज्ञात करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के प्रति उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की है;

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार के सुनिश्चय के लिए किया है; तथा

ङ. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां विकसित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से कार्यशील थीं।

23. निदेशक मंडल और इसकी बैठकें

क) 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल निम्नानुसार था:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री अनुराग जैन	अध्यक्ष	04.03.2024
2.	श्री कुलदीप नारायण	प्रबंध निदेशक	01.04.2024*
3.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा नामित	07.05.2019
4.	श्री दिनेश कुमार	रेल मंत्रालय से नामित	21.07.2023
5.	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	उत्तर प्रदेश द्वारा नामित	01.05.2022
6.	श्री प्रशांत गोयल	रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा नामित	16.03.2024
7.	श्री अरूण कुमार गुप्ता	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	03.08.2022
8.	श्री अजिताभ शर्मा	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	21.03.2024
9.	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्यी	निदेशक/परियोजनाएं	15.07.2019
10.	श्री महेंद्र कुमार	निदेशक/ई एंड आरएस	15.07.2019
11.	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक / प्रणाली एवं परिचालन	15.07.2019
12.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक / वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	20.09.2019

*श्री कुलदीप नारायण, आई.ए.एस, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के नामिति निदेशक के रूप में नियुक्ति दिनांक 28.12.2022 को हुई थी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01.04.2024 के आदेश के माध्यम से श्री कुलदीप नारायण, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक (एचएफए), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक का दायित्व सौंपा गया था।

ख) वर्ष के दौरान/पिछली वार्षिक आम सभा की तिथि से अब तक निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के पद पर निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1	श्री दिनेश कुमार	रेल मंत्रालय से नामित	21.07.2023
2	श्री अनुराग जैन	अध्यक्ष	04.03.2024
3	श्री प्रशांत गोयल	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नामित	16.03.2024
4	श्री अजिताभ शर्मा	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	21.03.2024

ग) वर्ष के दौरान/पिछले वार्षिक आम सभा की तिथि से निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक नहीं हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1	श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष	29.12.2021	04.03.2024
2	श्री बृजेश कुमार	रेल मंत्रालय से नामित	08.06.2022	31.05.2023
3	श्री आशिष कुन्द्रा	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नामित	17.08.2021	29.01.2024
4	श्रीमती वीणू गुप्ता	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	06.05.2022	05.12.2023
5	श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक	04.08.2016	27.03.2024

घ) **स्वतंत्र निदेशक:**

आपका निदेशक मंडल आगे यह पुष्टि करता है कि दिनांक 5 जुलाई 2017 की कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) संशोधन नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की अपेक्षा नहीं है।

ङ) **निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति:**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपके निदेशक मंडल की पाँच (05) बैठकें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है ।

35वीं	36वीं	37वीं	38वीं	39वीं
16.06.2023	30.06.2023	18.09.2023	30.12.2023	28.03.2024

24. निदेशक मंडल की समितियां:

निगम में अनेक समितियां स्थापित हैं जिनकी स्थापना उत्तम कॉर्पोरेट शासन कार्य पद्धतियों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के सम्बद्ध प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुपालन में की गई है।

निगम में निदेशक मंडल स्तर की निम्नलिखित तीन (03) समितियां हैं:

क) लेखा परीक्षा समिति

ख) निवेश समिति

ग) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

उपरोक्त समितियों के गठन, बैठकें और उपस्थिति का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट' में दिया गया है।

25. कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट:

आपका निगम प्रत्येक स्तर पर स्टेकधारकों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता के सुनिश्चय के लिए कॉर्पोरेट शासन के मानकों के अनुरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट **अनुलग्नक IV** में प्रस्तुत है तथा यह वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

26. विनियामकों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सामग्रीगत आदेश:

प्राधिकरणों द्वारा ऐसे कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किए गए हैं जिनसे भविष्य में कंपनी की गोइंग कंसर्न स्थिति और निगम के प्रचालन प्रभावित हो सकें।

27. वार्षिक रिपोर्ट:

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में निगम की वार्षिक रिपोर्ट https://www.ncrtc.in/reports पर प्रस्तुत की गई है।

28. निगम की ओर से यह पुष्टि की जाती है कि:

क) अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार कोई भी निदेशक नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं है।

ख) ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, स्वेट इक्विटी शेयर और ईएसओपी के साथ कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किए हैं।

ग) के दौरान किसी भी सांविधिक तथा सचिवीय लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

घ) के किसी भी संबंधी को लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था।

ङ) अधिनियम 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल कोई जमा नहीं हैं।

च) की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

छ) द्वारा वित्तीय विवरणों का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार किया गया है तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ये वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

ज) के पास ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

झ) ने आईसीएसआई द्वारा एसएस-1 और एसएस-2 सहित जारी लागू सचिवीय मानक का क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकें' और 'आम सभा' के संबंध में विधिवत पालन किया गया है।

ञ) लेखा परीक्षक की स्टैंडएलोन और समेकित वित्तीय विवरणों तथा सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार धारा 143(12) के अंतर्गत जालसाजी की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हो।

ट) (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(xi) के अंतर्गत प्रकटीकरण: वर्ष के दौरान दिवालियापन एवं ऋणशोधन संहिता 2016 के अंतर्गत कोई आवेदन अथवा कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। इसके अलावा, निगम द्वारा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से प्राप्त किसी ऋण का एकमुश्त नहीं किया गया है तथा तदनुसार एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य के अंतर एवं उससे संबंधित कारणों का विवरण लागू नहीं होता है।

ठ) (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(xii) के अंतर्गत प्रकटीकरण: बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया गया है।

29. शेयरधारकों के लिए सूचना:

निगम के वित्तीय विवरण और संबंधित विस्तृत सूचना निगम के शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है। कोई भी शेयरधारक किसी भी समय निगम के पंजीकृत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में व्यावसायिक घंटों के दौरान संबंधित जांच कर सकता है।

यात्री सुविधा के लिए आरआरटीएस स्टेशनों का अन्य परिवहन साधनों के साथ निर्बाध एकीकरण

30. कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(Viii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क्यू) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित सूचना:

आपके निगम में कम्पनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र व्यवस्था और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित है। आंतरिक लेखा परीक्षक अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म है। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है, अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

31. कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंधन:

क. कर्मचारी कल्याण एवं विशिष्ट पहल:

i. विचाराधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने संगठन की अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न नीतियों का निर्माण/संशोधन किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर केक निर्माण, कविता लेखन, आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सुरक्षा जागरूकता सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह जैसे विभिन्न आयोजन किए गए थे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उचित पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इसके अलावा निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे:-

- दंत चिकित्सा शिविर – 28.04.2023
- खेल दिवस – 07.04.2023
- दिनांक 14.07.2023 को डायबिटीज एवं किडनी स्वास्थ्य के संबंध में ऑनलाइन स्वास्थ्य चर्चा
- दिनांक 03.08.2023 को अंगदान महोत्सव/भारतीय अंगदान दिवस का आयोजन
- वार्षिक दिवस समारोह – 19.08.2023
- दूसरे चरण का उद्घाटन समारोह - 06.03.2023
- सम्मान समारोह (दूसरे चरण का उद्घाटन) 20.03.2024
- होली उत्सव – 23.03.2023

उपर्युक्त सभी कार्यक्रम कर्मचारियों की सुख सुविधाओं के लिए क्योंकि इससे उनमें परियोजना के प्रति उत्साह एवं प्रतिबद्धता प्रबल होती है।

ii. आपकी निगम ने एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल के माध्यम से अधिवार्षित सम्बद्ध परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में योगदान जारी रखे हैं जो कर्मचारियों के लिए स्वस्थकर सेवानिवृति निधि के निर्माण में सहायक हुआ है। निगम द्वारा समूह वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी का नवीकरण वर्ष के

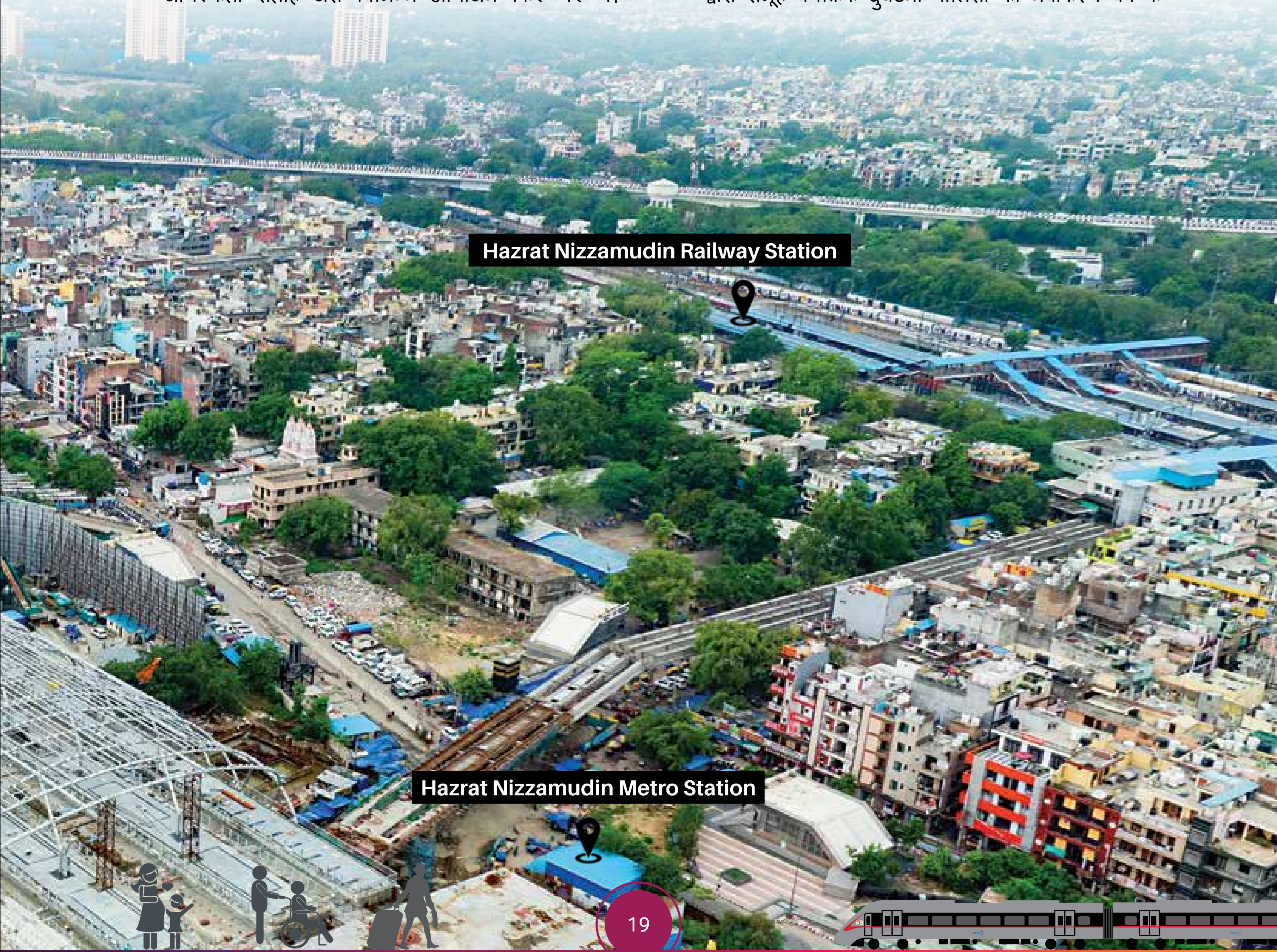

दौरान करवा लिया था जिसमें कार्य के निर्वाह के दौरान घटित होने वाली दुर्घटना से मृत्यु होने अथवा घायल होने की स्थितियों को कवर किया गया है।

ख. औद्योगिक संबंध:

विचाराधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन ने श्रम घंटों के नष्ट न होने का सुनिश्चय किया है तथा कर्मचारियों ने व्यवसाय अपेक्षाओं की पूर्ति संगठन की इष्टतम अपेक्षाओं के अनुसार की है। एनसीआरटीसी की सभी यूनिटों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण एवं समन्वय पूर्ण रहे हैं।

ग. जनशक्ति एवं रोजगार:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की नियमित वेतनसूची के अनुसार जनशक्ति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पदों का स्तर	जनशक्ति बल (संख्या में)	
		31.03.2024 को स्थिति	31.03.2023 को स्थिति
1	विभाग प्रमुख (ई9 – ई8)	10	10
2	उप विभाग प्रमुख (ई7 से ई4)	91	93
3	कार्यकारी (ई3 से ई0)	205	209
4	गैर-कार्यकारी	81	84
	योग	387	396

घ. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अंतर्गत जनशक्ति:

निगम द्वारा अनुसूचित जातियों (अ.जा.)/अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) की भर्ती एवं पदोन्नति योजनाओं के संबंध में केन्द्र सरकार की नीतियों एवं दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लगभग 132 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं।

ङ कम्पनी में महिला कर्मचारियों की सांख्यिकी:

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कम्पनी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 38 थी।

च. प्रशिक्षण एवं विकास:

i. किसी संगठन के लिए व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा वाले आज के गतिशील वातावरण की अनुरूपता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण एवं विकास को अपनाना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। कर्मचारी कौशल और ज्ञान में निवेश से कर्मचारियों का निष्पादन, उत्पादकता एवं सेवा संतुष्टि में बढ़ोतरी होती है। लक्षित प्रशिक्षण कार्यकमों से कर्मचारी अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं, जिससे संगठन में बेहतर दक्षता और नवाचार होता है। इसके अतिरिक्त, विकास एवं करियर के अवसरों से कर्मचारियों की प्रतिबद्धता बढ़ती है, सत्यनिष्ठा का भाव बढ़ता है एवं टर्नओवर में कमी आती है। इसके अलावा भी, पूर्ण प्रशिक्षित कार्यबल औद्योगिक परिवर्तनों, प्रौद्योगिकी विकास एवं बाजार रूझानों एवं दीर्घकालिक सफलता के लिए संगठन की स्थिति को बेहतर ढंग से मार्गनिर्देशन करने में सक्ष्म होता है। संक्षेप सार यह कि प्रशिक्षण और विकास पहल से न केवल कर्मचारियों को वैयक्तिक लाभ प्राप्त होते हैं अपितु इससे संगठन की समग्र शक्ति और लचीलेपन में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। इसे ध्यान में रखते हुए, एनसीआरटीसी का प्रशिक्षण एवं विकास की विचारधारा कर्मचारी ज्ञानवर्धन, ज्ञान अंतरण एवं प्रत्येक के लिए ज्ञान के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रित है।

ii. विचाराधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने ज्ञान पर ध्यान केन्द्रित करके 1076 कार्य दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया था। कर्मचारियों के सीखने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें प्रशिक्षण कार्य दिवसों की संख्या 1076 थी। वर्ष के दौरान आयोजित 136 प्रशिक्षणों में से 129 प्रशिक्षण तकनीकी डोमेन में आयोजित किए गए, 06 प्रशिक्षण व्यवहारिक पहलुओं पर केंद्रित थे और 01 प्रशिक्षण नेतृत्व के क्षेत्र में आयोजित किया गया था। कर्मचारी ऑन-बोर्डिंग और इंडक्शन के संबंध में, वर्ष में 02 इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें 26 नए कर्मचारी शामिल हुए। बाहरी प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षणों के अलावा, आंतरिक क्षमता निर्माण के लिए आंतरिक संकायों द्वारा ज्ञान अंतरण सत्र आयोजित किए गए। कर्मचारियों के पारस्परिक कौशल और प्रबंधकीय प्रभावशीलता के निर्माण के लिए संघर्ष प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, संचार और प्रस्तुति कौशल जैसे विषयों पर अनेक कार्यशालाएं आयोजित की गईं थी । एनसीआरटीसी द्वारा 'संचार / रणनीतिक नेतृत्व संचार' पर अनुकूलित इन-हाउस पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ भी सहकार्यता की है। व्यावसायिकता, सांस्कृतिक जागरूकता और विविध व्यावसायिक वातावरण में काम करने के लिए आवश्यक व्यवहारिक मानदंडों को विकसित करने के लिए, अधिकारियों के लिए 'व्यावसायिक शिष्टाचार' के विषय पर कुछ कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं हैं। टीमों के भीतर और उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए, वर्ष के दौरान 'टीम निर्माण और सहयोग' पर केंद्रित कई आउटबाउंड प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए। उपरोक्त हस्तक्षेपों में सभी कार्यों और परियोजना कार्यालयों कर्मचारियों द्वारा भारी समर्थन और भागीदारी देखी गई।

छ. कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

आपके निगम में कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(i) के उपबंधों के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की

जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। निदेशक (वित्त) आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी हैं। अन्य सदस्यों में एनजीओ से एक महिला सदस्य तथा एनसीआरटीसी से 2 कर्मचारी (1 महिला एवं 1 पुरूष) इसके सदस्य हैं। आंतरिक शिकायत समिति के सम्मुख लैंगिक उत्पीड़न का कोई मामला प्रस्तुत नहीं हुआ है तथा वर्तमान तिथि के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के सम्मुख कोई मामला लंबित नहीं है।

32. सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण एवं गुणवत्ता

(i) आपका निगम सम्पूर्ण संगठन के अपने सभी क्रियाकलापों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता से न केवल हमारे अपने कर्मचारी अपितु परियोजना के लिए कार्यरत सभी कामगार भी सम्बद्ध हैं। परियोजना स्थल (स्थलों) पर कार्यान्वित/सुनिश्चित किए गए कुछ प्रमुख कार्यों/उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क) आपके निगम द्वारा सुरक्षा प्रोटोकल तैयार किए गए हैं जिनका कार्यान्वयन ठेकेदार को परियोजना निष्पादन के दौरान करना होता है। एनसीआरटीसी द्वारा यह सुनिश्चय किया जाता है कि प्रत्येक ठेकेदार महत्वकांक्षी हो वह अपने संबंधित कार्यों के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करे और उनका अनुपालन भी करे। हमारे सभी ठेकेदार आईएसओ 45001 प्रमाणित हैं।

ख) आपके निगम द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस तथा 04 से 10 मार्च, 2024 के दौरान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया था जिसमें व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा शपथ ग्रहण, सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, सुरक्षा स्लोगन प्रतियोगिता, सुरक्षा पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। एनसीआरटीसी के अलावा, स्थल पर कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए ठेकेदारों द्वारा भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

ग) स्थल पर कार्मिकों के लिए प्रभावी एवं आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण आयोजित करके सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कारकों के संबंध में कर्मचारियों के निरंतर ज्ञान अर्जन एवं कौशल विकास का सुनिश्चय किया जाता है।

घ) स्थल पर क्रियाशील प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संगठन की उच्चतर स्तर पर सुरक्षा प्रणाली की स्थापना के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई देती है तथा विख्यात संस्थानों (ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, विश्व सुरक्षा संगठन, इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स, कंफीग्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) ने इसे पुरस्कृत किया है। एनसीआरटीसी द्वारा सेवा में लिए गए ठेकेदार को वर्ष 2023 के दौरान विख्यात संस्थानों से इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड, 5 गोल्ड स्टार रेटिंग, गोल्ड 4 स्टार रेटिंग, आरओएसपीए सिल्वर अवार्ड, प्रशंसा पत्र, स्वार्ड ऑफ ऑनर, विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। व्यवसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, तथा पर्यावरण प्रणाली में सुधार के लिए अपनी पहचान को बनाए रखने, नवोपाय करने एवं उत्तम कार्य पद्धतियोंको अंगीकार करने के लिए एनसीआरटीसी निरंतर क्रियाशील है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एनसीआरटीसी का समर्पित प्रयास – रीप्लांटेशन

(ii) आपका निगम गुणवत्ता में उत्कृटता की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को न केवल हमारे कर्मचारियों ने भी अंगीकार किया है अपितु हमारे सभी परियोजना स्टेकधारक भी इससे जुड़े हुए हैं। वर्ष के दौरान, परियोजना स्थल पर कार्यान्वित/सुनिश्चित की गई कुछ प्रमुख पहल/उपाय नीचे सूचीबद्ध हैं:

एनसीआरटीसी द्वारा नियोजित ठेकेदार आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित हैं। एनसीआरटीसी द्वारा दिल्ली-मेरठ आरआरटीसी कॉरीडोर की निगरानी सहित गुणवत्ता से संबंधित डेटा को प्राप्त करने एवं मॉनीटरिंग करने के उद्देश्य से ''क्वालिटि डैशबोर्ड'' एवं हमारे आंतरिक स्पीड पोर्टल पर ''क्यूसी एप्प'' जैसे वेब प्लेटफार्म तैयार किए गए हैं।

क) निरंतर अध्ययन और सहयोग के हमारे मूल्यों को सुनिश्चित के लिए एनसीआरटीसी द्वारा इस वर्ष 06 से 10 नवंबर 2023 के दौरान 'गुणवत्ता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन किया गया था। सप्ताह के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के वरिष्ठ उद्योग विशेषज्ञों द्वारा हमारे सभी कर्मचारियों एवं स्टेकधारकों के लिए ज्ञान सहभाजन की विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। कार्यशालाओं के अलावा, जागरूकता की उत्पत्ति के लिए स्लोगन लेखन, पोस्टर निर्माण जैसी अनेक प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताएं एवं गुणवत्ता प्रश्नोत्तर प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था। एनसीआरटीसी के अलावा, हमारे दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के सभी ठेकेदारों/स्टेकधारकों द्वारा भी गुणवत्ता जागरूकता एवं सर्व जागरूकता के लिए प्रोत्साहक गतिविधियां आयोजित की गई थीं।

ख) आपके निगम की यह मान्यता है कि स्थल पर उत्तम कार्य कार्य पद्धतियाँएवं उत्तम श्रेणी की उत्पाद डिलीवरी एवं इनके कार्यान्वयन के लिए निरंतर अध्ययन एवं सहकार्यता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है; हमारे सभी ठेकेदारों/स्टेकधारकों द्वारा आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) के अनुरूप प्रभावी एवं आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रणाली को अंगीकार किया गया है।

ग) आपके निगम को वर्ष 2023 के लिए इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट (आईसीआई) द्वारा दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के अपने वाया-डक्ट और पांच स्टेशनों के लिए अवसंरचना श्रेणी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में "उत्कृष्ट कंक्रीट संरचना" का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

घ) आपका निगम हमारी परियोजना पर उत्पादों और कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों की पहचान करने, नवाचार करने और उन्हें अंगीकार करने के निरंतर प्रयास कर रहा है। इस प्रक्रिया में, उद्योग में सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषी कार्य पद्धतियों के साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय उद्योग विशेषज्ञ परियोजना के सभी हितधारकों को नवोन्मेषी और सर्वश्रेष्ठ कार्य पद्धतियों को अपनाने और तैयार उत्पादों की डिलीवरी में निरंतर सुधार करने में सहायता कर रहे हैं।

33. पर्यावरण, समाज एवं शासन (ईएसजी) तथा ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा अनुसंधान एवं विकास व्यय:

33.1 पर्यावरण, समाज एवं शासन (ईएसजी):

आपका निगम पर्यावरणीय संवहनीयता, सामाजिक दायित्वों एवं सुदृढ़ शासन सिद्धांतों का अनुपालन अपने समग्र परिचालनों में लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप करने के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

क) ऊर्जा के कार्यकुशल उपयोग के सुनिश्चय के लिए परियोजना के डिजाइन चरण के दौरान आपके निगम ने अग्र विचार युक्त ऊर्जा बचत उपायों का समावेश किया है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए लगभग 11 मेगावाट पावर की रूफ-माउंटेड सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 250 मिलियन यूनिट मिश्रित अक्षय ऊर्जा क्रय करने की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन पहलों से सीओ2 उत्सर्जन में काफी कमी आने का अनुमान है, जिससे पर्यावरणीय संवहनीयता में योगदान संभव होगा।

ख) सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए आपके निगम ने अनेक नवप्रयास किए हैं। इनमें दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर पर यात्री सुरक्षा एवं सुविधा के सुनिश्चय के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग, यात्रियों को छूए बिना तलाशी लिए जाने तथा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों (सीएसआर) का कार्यान्वयन किया जाना शामिल है। आपके निगम को एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्मार्ट शहरी मास रैपिड ट्रांजिट को सुदृढ़ बनाने तथा जलवायु परिवर्तन को लोचक बनाने के लिए अनुदान भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, आपका निगम दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें किसानों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने में सहायता देने, खुदरा विक्रेताओं को नए व्यावसायिक स्थान खोजने में सहायता करने और वैकल्पिक वेंडिंग स्थान की तलाश में विक्रेताओं के लिए सहयोग शामिल है। आपका निगम अवसंरचना सुधार, कौशल विकास कार्यक्रम एवं मनोंरजन सुविधाओं जैसे सामुदायिक विकास कार्यों में भी निवेश कर रहा है जिसका लाभ कॉरीडोर के साथ साथ निकटवर्ती क्षेत्रों को भी प्राप्त होगा।

ग) इसके अलावा, आपके निगम ने सीएसआर निधि के उपयोग से किसानों आधुनिक कृषि पद्धतियों का कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों के साथ भागीदारी की है। सीएसआर निधि के उपयोग से आपके निगम ने गाजियाबाद में कक्षाओं और दिल्ली में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी करवाया गया है तथा एडीबी के माध्यम से प्राप्त जापान की पावर्टी रिडक्शन निधि (पीएफपीआर) के उपयोग से अनेक अन्य स्थलों पर भी शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। सीएसआर कार्यों पर किए जाने वाले व्यय का ब्यौरा इस वार्षिक रिपोर्ट सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। महिला सशक्तीकरण के लिए निगम ने गाजियाबाद में महिला गृहणियों को ड्राइविंग प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया है तथा 900 लड़कियों को आत्मरक्षा का

प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 500 महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तथा अन्य 400 महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रगति पर है। ये पहल परिवहन और आर्थिक सशक्तीकरण के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण का समर्थन करने के लिए निगम के चल रहे प्रयासों के अंतर्गत है। सामाजिक दायित्वों के प्रति आपके निगम की प्रतिबद्धता भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) की प्लेटिनम रेटिंग से और अधिक प्रबल हुई है, इस रेटिंग में आपके निगम की पर्यावरण मित्र अवसंरचना एवं संवहनीय पद्धतियों की सराहना हुई है। संक्षेप सार यह है कि आपके निगम की पहल सामाजिक दायित्वों के प्रति अपनी सुदृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है, जिसका लक्ष्य अपने द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों पर सकारात्मक एवं संवहनीय प्रभाव उत्पन्न करना है।

घ) आपका निगम शासन से संबंधित अपने दायित्वों का निर्वाह अपने सभी परिचालनों में पारदर्शिता, उत्तरदेयता एवं नैतिक आचरण का सुनिश्चय करके विनियामक रूपरेखा का अनुपालन कर रहा है। यह प्रतिबद्धता स्टेकधारकों के विश्वास के पोषण के लिए शासन पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने एवं संगठनात्मक प्रभाव्यता संवर्धित करने के लिए है।

33.2 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा अनुसंधान एवं विकास व्यय:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार विचाराधीन वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित सूचना निम्नलिखित है:

1. ऊर्जा संरक्षण:

क) किए गए उपाय अथवा ऊर्जा संरक्षण का प्रभाव:

आपके निगम ने ऊर्जा के इष्टतम उपयोग के सुनिश्चय के उद्देश्य से विभिन्न प्रणालियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करने के साथ डिजाइन चरण में ही विभिन्न संरक्षण उपायों का समावेश किया है। तदनुसार, ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट फिक्स्चर्स, एयर कंडीशनिंग की आउटडोर और इनडोर यूनिटों को विभिन्न स्थानों यथा स्टेशनों, यार्डों, रिसीविंग सबस्टेशन, सहायक सबस्टेशन, डिपो आदि पर व्यवस्थापन किया जाता है। फुल हाइट पीएसडी, हाई सीओपी चिलर्स, चिलर्स में वीएफडी, एक्सियल पंखें एवं पम्प उपलब्ध करवाए गए हैं; वीएसीसी प्रणाली का कार्यान्वयन अंडरग्राउंड स्टेशनों के लिए किया जा रहा है। ऊर्जा की बचत के लिए रोलिंग स्टॉक, एस्केलेटरों और लिफ्टों को पुनर्निवेशी ब्रेकिंग सुविधा से सुसज्जित किया जा रहा है।

ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए किए गए उपाय:

i. **दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर में इन-हाउस सौर प्रणाली की स्थापना**: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा आरआरटीएस/एमआरटीएस स्टेशनों, डिपो एवं अन्य पूरक भवनों की छतों के विशालतम क्षेत्र को ध्यान में रखकर छत पर स्थापित किए जाने वाले लगभग 11 मेगावाट पावर वाले सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें से 6.1 मेगावाट पावर के लिए कार्य आदेश जारी किया जा चुका है। 11 मेगावाट पावर के सौर संयंत्र से प्रतिवर्ष 10 मिलियन यूनिट की सौर ऊर्जा की उत्पति होगी जिससे सीओ2 उत्सर्जन स्तर में प्रतिवर्ष लगभग 9,250 टन

सभी आरआरटीएस स्टेशनों व डिपो को 'कार्बन न्यूट्रल' बनाने के लिए सौर ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग

की कमी आएगी। गाजियाबाद रिसिविंग सब-स्टेशन (आरएसएस), दुहाई स्टेशन भवन / स्टेशन, साहिबाबाद, गुलधर, तथा मुराद नगर आरएसएस को कार्यात्मक किया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 1 करोड़ रूपए की बचत तथा 2400 टन सीओ2 की कमी लाई जा सकी है।

ii. **मिश्रित अक्षय ऊर्जा का प्रापण:** आपका निगम दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए मिश्रित अक्षय ऊर्जा की 250 मिलियन यूनिट के क्रय की योजना बना रहा है। इससे सीओ2 के उत्सर्जन में लगभग 230,000 टन की वार्षिक कमी लाई जा सकेगी। इसके लिए विभिन्न स्रोतों से हरित ऊर्जा प्राप्ति के विकल्पों का अंवेषण किया जा रहा है।

ग) ऊर्जा संरक्षण उपकरण में पूंजी निवेश:

कोई महत्वपूर्ण निवेश नहीं किया गया है।

2. प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवोपाय:

क) प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए निम्नलिखित पहल की गई है:-

i. आपका निगम असंतुलित बिजली आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस), रिजिड ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम (आरओसीएस), स्प्रिंग टाइप ऑटो टेंशनिंग डिवाइस (एटीडी), मॉड्यूलर कैंटिलीवर असेंबली, एक्टिव पावर फिल्टर तथा यात्रियों की सुविधा के लिए विंड स्पीड सेंसरों, भूकंप सेंसरों, शीतल संयंत्र प्रबंधन के प्रावधान करने, रिमोट मॉनिटरिंग प्रणाली इत्यादि जैसी उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है।

ii. आपके निगम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्मार्ट शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं जलवायु परिवर्तन को लोचक बनाने में सक्षम प्रौद्योगिकी मध्यवर्तन के अंवेषण के लिए एडीबी से अनुदान की प्राप्ति हुई है। तदनुसार, आपके निगम ने भवन सूचना प्रबंधन प्रयोगशाला के विकास से संबंधित परियोजनाएं प्रारंभ की हैं जो परियोजना का बेहतर खाका और योजना निर्माण, सिस्टम में दोष के संभावित स्थलों की पहचान के लिए वितरित ध्वनिक सेंसिंग सिस्टम के कार्यान्वयन और वायाडक्ट के निष्पादन के मूल्यांकन के संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के लिए सहायक हैं। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, आपकी कंपनी ने डिपो में सोलर डेलाइट ट्यूबों का कार्यान्वयन किया है तथा कम्प्यूटर सुरक्षा में सुधार के लिए सम्पर्क मुक्त यात्री फ्रिस्किंग से संबंधित समाधान ज्ञात किए जा रहे हैं।

iii. दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर की प्रक्रियाएं भवन सूचना मॉडलिंग (बीआईएम) के अनुसार की जा रही हैं, जिससे समन्वय में लगने वाला समय कम हुआ है तथा बेहतर इंटरफेस और विज़ुअलाइज़ेशन के माध्यम से ड्राइंग की गुणवत्ता में सुधार आया है। बेहतर समन्वित डिजाइन से स्थल पर कार्यों का दोहराव समाप्त हो जाता है जिससे अप्रत्यक्ष बचत होती है। बीआईएम की सभी प्रस्तुतियां कॉमन डेटा एनवायरनमेंट (सीडीई) प्लेटफॉर्म पर की जाती हैं जो एक पेपरलेस प्रक्रिया है तथा इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है।

iv. दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर की सभी परिसम्पतियां बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (बीआईएम मॉडल) में की जा रही हैं तथा बीआईएम मॉडल से तैयार की गई समंवित ड्राइंग उपलब्ध हैं। इन ड्राइंगों के अनुसार आनगोइंग आधार पर निर्माण किए जा रहे हैं। इन मॉडलों का एकीकरण ओ एंड एम परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए परिसम्पति प्रबंधन प्रणाली के साथ किया जाएगा।

v. आपके निगम को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) से गाजियाबाद आरएसएस, साहिबाबाद, गुलधर, तथा दुहाई एलिवेटिड आरआरटीएस स्टेशनों के लिए प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है।

ख) उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास एवं आयात प्रतिस्थापन आदि से प्राप्त लाभ : इन प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन से प्रणाली गुणवत्ता एवं सुरक्षा में संवर्धन हुआ है तथा बीआईएम एवं सीडीई से ऊर्जा, समय एवं लागत की की आई है।

ग. आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले 3 वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना:

- देश में पहली बार 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड बालास्ट मुक्त ट्रैक निर्मित किया जा रहा है। उच्चतर गति वाले बालास्ट मुक्त ट्रैक की स्थापना का सफल अनुभव न तो भारतीय रेलवे और न ही मेट्रो को ही प्राप्त है। आपकी कंपनी ने आरआरटीएस के लिए **"ऑस्ट्रियन स्लैब ट्रैक सिस्टम"** का निर्धारण किया है, जो उच्च प्रीकास्टिड घटकों के साथ उच्च गति पर इसकी प्रमाणिकता पर आधारित है।

क.	आयातित प्रौद्योगिकी	एक (01)
ख.	आयात का वर्ष	2020
ग.	क्या प्रौद्योगिकी का पूर्ण आमेलन किया गया है	प्रक्रियाधीन
घ.	यदि पूर्ण आमेलन नहीं किया है तो उन क्षेत्रों का उल्लेख तथा ऐसा न किए जाने के कारण तथा भावी कार्रवाई योजना के बारे में बताएं जहां ऐसा नहीं किया गया।	ट्रैक कार्य प्रगति पर है

घ. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय: विचाराधीन वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय	राशि लाख रुपये में	
	2024 को समाप्त वर्ष के लिए	2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
विनिमय दर उतार चढ़ाव लाभ	1,633.68	478.17
निम्नलिखित पर कुल व्यय		
परामर्श शुल्क	1,427.55	5,635.63
कार्य	68,096.52	69,878.34
अन्य	-	-
विनिमय दर उतार चढ़ाव हानि (निवल)	12,204.71	34,319.44
योग व्यय	**81,728.78**	**1,09,833.41**

34. जोखिम प्रबंधन:

1. जोखिम प्रबंधन एनसीआरटीसी में नीति निर्माण और निर्णय निर्धारण एक अभिन्न अंग है। आपका निगम परियोजना (परियोजनाओं) के कार्यान्वयन से सम्बद्ध जोखिमों/चुनौतियों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर रहा है और इन जोखिमों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों की पहचान करने और उन्हें न्यून करने के लिए संगठन में विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को अंगीकार किया गया है। जोखिम प्रबंधन के लिए संरचनात्मक और अनुशासित अभिमुखता के लिए, एक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) की रूपरेखा विकसित की गई है तथा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

2. उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ईआरएम की रूपरेखा का विकास आईएसओ 31000 - (जोखिम प्रबंधन सिद्धांत और दिशानिर्देश) की अपेक्षाओं और ट्रेडवे कमीशन (सीओएसओ) के प्रायोजक संगठनों की समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया है। यह सभी स्टेकधारकों के लिए लागू है और इसमें उनके ज्ञान और विचारों का सहभाजन करने की व्यवस्था है जिससे आपके निगम की निर्णय निर्धारण प्रक्रिया की गुणवत्ता में और सुधार आएगा।

3. ईआरएम की रूपरेखा में कंपनी जोखिमों को संज्ञान में लेने, विश्लेषण करने, कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन करने, निगरानी करने, समीक्षा करने, जोखिमों को समाप्त करने तथा कम्पनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार किए जाने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। जोखिम समन्वय कर्ताओं/जोखिम स्वामियों के साथ समन्वय एवं जोखिमों के मूल्यांकन तथा उनकी शमन योजनाओं के विश्लेषण तथा कम्पनी प्रबंधन को महत्वपूर्ण सूचना प्रसारित करने के लिए एक विभाग प्रमुख स्तर के अधिकारी को जोखिम प्रबंधन अधिकारी (सीआरओ) को नामित किया गया है। इसके अलावा, कार्यात्मक निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन जोखिमों की समीक्षा करने तथा जोखिमों के निवारण की योजनाओं के प्रभाव आंकने के लिए किया गया है।

4. जोखिम समन्वयकों की सुविधा के लिए एक जोखिम प्रबंधन माड्यूल है जिसमें जोखिम पहचान, रेटिंग, शमन योजना आदि शामिल है जिसे विभाग प्रमुख (एचओडी) एवं मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को समय पर अपडेट करने एवं समीक्षा के लिए सिस्टेमेटिक प्रोग्राम इवेल्युएशन फार एफिशियेंट डिलीवरी (स्पीड) पोर्टल पर उपयोग में लाया जा रहा है।

5. आपके निगम द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन भी किया गया है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव तथा ब्याज दरों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करते हैं। समिति द्वारा तिमाही आधार पर जोखिम की समीक्षा एवं शमन योजना पर विचार विमर्श किया जाता है।

35. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर अपीलीय प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम सहित आवश्यक अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई है।

ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कार्रवाई के लिए कम्पनी में एक परिभाषित तंत्रव्यवस्था स्थापित है। सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए विभाग प्रमुख स्तर के अधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), विभाग के उप प्रमुख स्तर के अधिकारियों को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नामित किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 56 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनके उत्तर देकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में निपटान कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख 06 अपील प्रस्तुत की गई थी जिनका निपटान निर्धारित समय काल में कर दिया गया था।

36. राजभाषा:

विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा राजभाषा (ओएल) नीति, इससे संबंधित नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और रोजमर्रा के कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक करते हैं। इन बैठकों में कंपनी के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:

क. निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक माह हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। वर्ष के दौरान आयोजित इन कार्यशालाओं में लगभग 156 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

ख. कॉर्पोरेट कार्यालय नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रवेश कार्यक्रमों में राजभाषा नीति और

नियमों/विनियमों और राजभाषा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी।

ग. वर्ष 2023-24 के दौरान 33,000 रुपये मूल्य की हिंदी पुस्तकों का क्रय किया गया है। इन पुस्तकों का वितरण वर्ष के दौरान राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/कार्यक्रमों में पुरस्कृत अधिकारियों/कर्मचारियों को किया गया है।

घ. वर्ष के दौरान कंपनी के 16 कर्मियों को 7 फरवरी, 2024 से कॉर्पोरेट कार्यालय में ही आयोजित पारंगत हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था।

ङ. कंपनी में 14 सितंबर 2023 से 28 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। 14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस के आयोजन अवसर पर प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यालय के कामकाज में हिंदी का उपयोग करने की अपील की गई थी। हिन्दी पखवाड़े की अवधि के दौरान कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी, निबंध और हिंदी अनुवाद आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनमें बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की थी। दिनांक 3 अक्तूबर, 2023 को □हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह'' आयोजित किया गया था तथा प्रबंध निदेशक द्वारा विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। इस अवसर पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात हिन्दी कवि डा. अनिल अग्रवंशी, डा. अर्जुन सिसोदिया, डा. कीर्ति काले, डा. गौरव चौहान तथा श्री विश्वमोहन ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की थीं।

च. एनसीआरटीसी द्वारा निगम में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान, □प्रबंध निदेशक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना'' लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत निगम के हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन के अवसर पर हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच कर्मियों को प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमाण पत्र एवं 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

छ. रोजमर्रा के कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान 'प्रबंध निदेशक राजभाषा शील्ड पुरस्कार योजना का शुभारंभ भी किया गया था, जिसके अंतर्गत एक शील्ड विभागों में से सबसे अधिक कार्य हिन्दी में करने वाले विभाग को शील्ड प्रदान की जाती है तथा अन्य शील्ड परियोजना कार्यालयों में उत्तम करने वाले परियोजना कार्यालयों को प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक द्वारा यह पुरस्कार 3 अक्तूबर, 2023 को आयोजित हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन अवसर पर प्रदान किया गया था।

ज. एनसीआरटीसी के परियोजना कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन का सुनिश्चय किया गया है। परियोजना कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष से कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा परियोजना कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया है। इस अवधि के दौरान मुख्य परियोजना प्रबंधक -मेरठ, मुख्य परियोजना प्रबंधक – दिल्ली-एसएनबी, मुख्य परियोजना प्रबंधक – दिल्ली एसएनबी, मुख्य परियोजना प्रबंधक – गुड़गांव तथा मुख्य परियोजना प्रबंधक – गाजियाबाद के कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई थी जिनमें लगभग 78 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की थी।

झ. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा वर्ष के दौरान मुख्य परियोजना प्रबंधक – दिल्ली-एसएनबी एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक – मेरठ तथा मुख्य परियोजना प्रबंधक – गाजियाबाद के कार्यालय का निरीक्षण किया गया था। समिति ने मुख्य परियोजना प्रबंधक, दिल्ली एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक – मेरठ के कार्यालय द्वारा किए गए राजभाषा कार्य के प्रति संतुष्टि व्यक्त की थी। संसदीय राजभाषा समिति से प्राप्त आश्वासनों का कार्यान्वयन किया गया था तथा आश्वासन रिपोर्ट संसदीय राजभाषा समिति/आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को निर्धारित समय में भेज दी गई थी।

ञ. दिनांक 14.09.2023 को निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहककार समिति के सदस्य डा. एम.सी. गुप्ता इस आयोजन के मुख्य वक्ता थे। कार्यशाला के अंत में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और 10 विजेताओं को हिंदी पुस्तकें प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की गई थी।

37 सतर्कता:

क. वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम/गतिविधियाँ भी आयोजित की गई थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार रा.रा.क्षे.प.नि. द्वारा दिनांक **30 अक्तूबर, से 5 नवम्बर, 2023** के दौरान निम्नलिखित थीम के साथ सतर्कता जागरूता सप्ताह का आयोजन किया गया था:

"भ्रष्टाचार का विरोध करें ; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"

"Say no to Corruption; commit to the Nation."

ख. सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2023 का शुभारम्भ दिनांक 30 अक्तूबर, 2023 को प्रबंध निदेशक द्वारा एनसीआरटीसी टीम के सदस्यों के साथ ग्रहण की गई सत्यनिष्ठा शपथ के साथ हुआ था।

ग. सप्ताह के दौरान जागरूकता के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस अवसर पर एक विशेषज्ञ वक्ता को आरआरटीएस जैसी विशाल अवसंरचना परियोजना जैसी परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान सामना की गई स्थितियों के संबंध में अपने पूर्वानुभव के आधार पर अपना दृष्टिकोण एवं ज्ञान को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

घ. थीम के आधार पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें सभी फील्ड कार्यालयों एवं कॉर्पोरेट कार्यालय से कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। विजेताओं को उचित पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

38. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक प्राप्ण नीति:

क) जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस)

i. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्राप्त होती है। जीईएम का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह सरकारी उपयोगकर्ताओं अपने धन का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा देने के लिए ई-बोली, रिवर्स ई-नीलामी एवं मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है।

ii. तदनुसार, एनसीआरटीसी द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय जीईएम पोर्टल के माध्यम से करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय की मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी), सामान्य नियम और शर्तें (जीटीसी) तथा सेवा अनुबंध पत्र (एसएलए) जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

iii. एनसीआरटीसी के प्राप्ण कक्ष के प्रमुख जीईएम पोर्टल पर प्राथमिक उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं। एनसीआरटीसी कॉर्पोरेट और परियोजना कार्यालय के सभी विभाग जीईएम पोर्टल पर अपनी भूमिकाओं (यथा क्रेता, परेषक आदि) के साथ सैकेंडरी उपयोक्ता के रूप में पंजीकृत किए गए हैं। वैश्विक बोलियों के अलावा जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं का प्राप्ण जीईएम पोर्टल के माध्यम से ही किया जा रहा है। एनसीआरटीसी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19.3 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 (मार्च, 2024 तक) 50.15 करोड़ रुपये का क्रय करके जीईएम प्राप्ण में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 259.84% की वृद्धि हासिल की है।

ख) मेक इन इंडिया पहल:

i. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए एक आदेश यथा सार्वजनिक प्राप्ण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 (पीपीपी-एमआईआई आदेश संख्या पी-45021/2/2017-बीई-II दिनांक 15.06.2017) जारी किया गया है। "मेक इन इंडिया" पहल में स्टार्ट-अप/एमएसई के लिए मानदंडों में रियायत दी गई है। इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी और संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करके स्थानीय विनिर्माण, आय और रोजगार को बढ़ावा देना है।

ii. आपके निगम ने भी घरेलू बोलियों के अपने बोली दस्तावेजों के संबंध में इस नीति एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों का कार्यान्वयन किया है तथा यह जीईएम पोर्टल एवं सीपीपी पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। घरेलू बोलियों के लिए अपने बोली दस्तावेजों में इस नीति और उसके बाद के संशोधनों को लागू किया है, जो GeM और CPP पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं।

ग) स्टार्ट-अप एवं सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए मानदंडों में रियायत: वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की प्राप्ण नीति डिवीजन द्वारा अपने दिनांक 25.07.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-20/2/2014-पीपीडी (पीटी) के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के सार्वजनिक प्राप्ण में स्टार्ट-अप एवं सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए रियायत दी गई है। निगम द्वारा इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन अपने बोली दस्तावेजों में किया जा रहा है।

39. स्वच्छ भारत अभियान:

आपका निगम स्वच्छ भारत अभियान के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इसके द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय परिसरों, स्थल कार्यालयों

गतिस्पर्धा : एनसीआरटीसी का वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम, टीम बिल्डिंग की दिशा में प्रभावी पहल

एवं परिचालनात्मक आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में श्रमदान, डस्टबिनों की स्थापना, पौधा रोपण आदि के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान आपके निगम द्वारा स्थल कार्यालयों में 1,000,000 पौधों (छोटे वृक्षों/ सजावटी वृक्षों एवं वृक्षों सहित) का रोपण किया गया है।

40. सूचना प्रौद्योगिकी:

i. **ईआरपी** – ईआरपी का कार्यान्वयन इंटीग्रेटिड एंड रियलटाइम एंटरप्राइज एस्सेट मैनेजमें सिस्टम (आईडीआरईएएमएस) के एकीकृत डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, एकीकरण, कमीशनिंग एवं सहयोग के लिए किया जा रहा है जबकि एनसीआरटीसी में प्रापण, भुगतान एवं मानव संसाधन योजना एवं अध्ययन प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए वित्त मानव संसाधन, प्रॉकर-टू-पे का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस प्रणाली से पूर्ण ऑडिट ट्रेल एवं प्राधिकरण सहित विश्वसनीय एवं पता लगाए जाने वाले प्रक्रियाएं ज्ञात हो सकेंगी।

ii. **परिसम्पति प्रबंधन प्रणाली (एएमएस)** – परिसम्पति प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन इंटीग्रेटिड डिजाइन, सप्लाई, इंस्टालेशन, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, कमीशनिंग एवं इंटीग्रेटिड एंड रियलटाइम एंटरप्राइज एस्सेट मैनेजमें सिस्टम (आईडीआरईएएमएस) के समर्थन के लिए किया जा रहा है जिसके माध्यम से ऐसी कार्यात्मकता उपलब्ध होगी जो ओ एंड परिचालक एवं विभाग को अपनी मालसूची एवं एहतियाती/ निवारक अनुरक्षण, ऑनलाइन पीटीडब्ल्यू जारी करने एवं परिसम्पति प्रबंधन से संबंधित अन्य कार्यों सहित अपनी मालसूची की शीघ्र पहचान जैसे मामलों में सहायक होगी।

iii. **इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस (ई-ऑफिस)** – एनआईसी ई-ऑफिस का कार्यान्वयन फाइलों के भौतिक मूवमेंट एवं अनुमोदन प्रणाली के कार्यान्वयन को डिजीटाइज करके कर्मचारी दक्षता में सुधार एवं निगम की कागज खपत में कमी लाने के लिए किया गया है। यह मानक प्रणाली पहले से ही विभिन्न मंत्रालयों / विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संतोषजनक रूप से उपयोग में लाई जा रही है तथा यह पारम्परिक फाइल प्रणाली की तुलना में कार्यकुशल एवं विश्वसनीय प्रमाणित हुई है।

iv. **हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचआरआईडीसी) को स्पीड (एसपीईईडी) परियोजना प्रणाली पट्टे पर देना** - एचआरआईडीसी को उनके परियोजना प्रबंधन एवं कर्मचारी कल्याण आवश्यकताओं के लिए स्पीड परियोजना निगरानी प्रणाली प्रदान की गई है।

v. **ईस्ट कोस्ट रेलवे (भारतीय रेल) को स्पीड परियोजना प्रणाली पट्टे पर देना** - ईस्ट कोस्ट रेलवे (भारतीय रेल) को उनकी परियोजना प्रबंधन आवश्यकताओं के लिए क्यूसी एप्पलीकेशन सहित एनसीआरटीसी में आंतरिक रूप से निर्मित परियोजना मॉनीटरिंग सिस्टम उपलब्ध करवाया गया है।

vi. **कम्प्यूटर एप्पलीकेशन** – कम्प्यूटर टिकट बुकिंग को निर्बाध बनाने के लिए एक कम्प्यूटर एप्पलीकेशन को परिचालनात्मक बनाया गया है।

vii. **कम्प्यूटर एप्पलीकेशन केपीआई डैशबोर्ड** – आंतरिक रूप से निर्मित बीआई डैशबोर्ड का विकास कम्प्यूटर एप्पलीकेशन के माध्यम से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मैट्रिक्स को मॉनीटर करने के लिए ओपन सोर्स प्रौद्योगिकी के उपयोग से किया गया है। इस डैशबोर्ड से बुकिंग, असफलता एवं राजस्व से संबंधित कम्प्यूटर एप्पलीकेशन सांख्यिकी का बर्ड व्यू (संक्षिप्त विवरण) प्राप्त हो सकेगा।

viii. **ईआरपी** – स्पीड एकीकरण – स्पीड आंतरिक रूप से निर्मित उत्पाद है जो अनेक लोचकताओं से युक्त है तथा इससे रेपिड एप्पलीकेशन विकास प्राप्त होता है तथा यह स्पीड प्रणाली को ईआरपी प्रणाली के साथ एकीकरण के माध्यम से कुशल डेटा प्रवाह के उद्देश्य से प्रस्तावित था जिससे कि स्पीड ईआरपी में डेटा के लिए एंटरी प्वांइट के कार्य कर सके। बिलिंग उद्देश्यों से मापन शीट के एकीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

ix. **अंतिम छोर सुरक्षा (एंडप्वांइट सिक्योरिटी)** – इंजन एंडप्वांइट प्रबंधन एवं एंडप्वांइट सुरक्षा उत्पादों को उपयोगी बनाने के लिए निगम की किसी प्रकार के मालवेयर तथा इरादतन/ गैर इरादतन डिजीटल हमलों की सुरक्षा के उद्देश्य से सभी डिजीटल परिसम्पतियों पर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, एनसीआरटीसी के सिस्टमों एवं डेटा की सुरक्षा से भिज्ञ करवाने के लिए कर्मचारियों एवं निगम में कार्य कर रहे कर्मियों को नियमित रूप से साइबर सुरक्षा जागरूकता मेलर्स/प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

41 कॉर्पोरेट संचार / जनसंपर्क:

1) आपका निगम नियमित रूप से निगम की वेबसाइट www.ncrtc.in और लिंकेडिन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवं ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से परियोजना, महत्वपूर्ण गतिविधियों, उपलब्धियों, लक्ष्यों आदि से संबंधित जानकारी का प्रसार करती है। कंपनी के सोशल मीडिया पेज निम्नलिखित पर क्रमश: उपलब्ध हैं:

- https://www.linkedin.com/Corporation/ncrtc/;
- https://www.youtube.com/ncrtc;
- https://www.instagram.com/ncrtc_official/;
- National Capital Region Transport Corporation Limited | Facebook;
- National Capital Region Transport Corporation Ltd. (@officialncrtc)/Twitter.

2) आपके निगम के लिंकेडइन पर 48,000 से अधिक ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 26,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं तथा फेसबुक पर 18,000 फॉलोअर्स हैं। वर्ष के दौरान, निगम ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर परियोजना के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए कई वीडियो पोस्ट किए हैं। परियोजना को नियमित रूप से अनेकों लोकप्रिय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्लागर्स द्वारा सोशल मीडिया पर कवर किया जाता है।

3) अक्तूबर 2023 में साहिबाबाद से दुहाई डिपो के लिए प्राथमिकता प्राप्त खंड के परिचालनात्मक होने के पश्चात से नमो भारत ट्रेन सेवाओं के लिए ट्वीटर, फेसबुक एवं

इंस्टाग्राम पर नए सोशल मीडिया हैंड्ल्स प्रारंभ हुए हैं। इन हैंडल्स का विशिष्ट उपयोग यात्रियों को परिचालनों से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए किया जा रहा है। नमो भारत सोशल मीडिया हैंडल्स तक निम्नलिखित के माध्यम से पहुंच बनाई जा सकती है:

- (5) Namo Bharat Delhi Meerut (@NamoBharatDelMT) / X (twitter.com)
- https://www.facebook.com/NamoBharatDelMT
- Namo Bharat Delhi Meerut (@namobharatdelmt) • Instagram photos and videos

4) इसके अलावा, परिचालनों के प्रारम्भ होने के पश्चात यात्रियों की सुविधा के लिए ''आरआरटीएस क्नेक्ट''' मोबाइल एप्पलीकेशन एवं कम्प्यूटर वेबसाइट का शुभारम्भ किया गया है। इन नए प्लेटफार्मों के माध्यम परिचालनों एवं टिकट बुकिंग सुविधाओं से संबंधित जानकारी यात्रियों को उपलब्ध करवाई जा रही है। कम्प्यूटर वेबसाइट https://www.rrts.co.in/web/dashboard/home के माध्यम से पहुंच के लिए उपलब्ध है।

5) निगम द्वारा ऑनगोइंग आधार पर प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस नोट एवं वैयक्तिक संवाद के माध्यम से मीडिया के साथ परियोजना से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का सहभाजन किया गया है। इस वर्ष परियोजना की प्रगति की प्रस्तुति करने वाले विचार मंच/साक्षात्कारों की प्रस्तुति हुई है, परियोजना के लिए नवयुग की प्रौद्योगिकियों को अंगीकार किया गया है तथा आरआरटीएस के यात्रियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में नियमित रूप से कवरेज दी गई है। इनमें इंटरनेशनल रेलवे जनरल, इकॉनोमिक टाइम्स, टाइम्स प्राइम, बिजनेस वर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा, परियोजना के लिए डीडी न्यूज, संसद टीवी, एनडीटीवी, ईटी नॉव, रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज पर भी कवरेज दी गई है।

6) आपके निगम के प्रबंधन वर्ग एवं कर्मचारियों द्वारा अनेक ऐसी प्रदर्शनियों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों में भाग लिया गया है जिससे अनेक वरिष्ठ विख्यात जनों द्वारा भी भाग लिया गया था। इनमें मैड्रिड, स्पेन में आयोजित रेल लाइव 2023 सम्मेलन; नई दिल्ली में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कांफ्रेंस एवं एक्सपो; नई दिल्ली में आयोजित ट्रैफिक इंफ्रा टैक एक्जीबिशन एंड एक्सपो; नई दिल्ली में आयोजित इंडिया क्लीन ट्रांसपोर्टेशन सम्मिट 2023; बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित यूआईटीपी ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सम्मिट शामिल हैं। इसके अलावा, निगम द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'लिवरेज टैक्नोलॉजी इन प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन' का आयोजन तथा भारतीय रेल के सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों (निर्माण) के लिए 'एफिशियेंट प्रोजेक्ट मैनेजमें' के विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इन अवसरों का उपयोग आरआरटीसी परियोजना के लिए अपेक्षित दृश्यता एवं जन-जागरूकता के लिए किया गया था।

7) दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के टीओडी (ट्रांजिट ओरियेंटिड डेवलपमेंट) का चित्रण गाजियाबाद एवं मेरठ की मास्टर योजनाओं (2031) में किया गया है। मेरठ मास्टर योजना ककी अधिसूचना 9 फरवरी, 2024 से प्रभावी हुई है तथा गाजियाबाद मास्टर योजना के लिए जीडीए बोर्ड द्वारा नवम्बर, 2023 में अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली अधिसूचना प्रतीक्षित है। आपके निगम ने जंगपुरा, सराय कालेखान/निजामुद्दीन एवं आनन्द विहार/कड़कड़डुमा बिंदुओं पर 3 बिंदुओं के लिए दिल्ली टीओडी नीति 2021 के अंतर्गत प्रभाव जोन योजनाओं (आईजेडपी) के अंतर्गत तैयारी प्रारम्भ कर दी गई है।

8) आपके निगम द्वारा दिल्ली-मेरठ कॉरीडोर के साथ साथ विभिन्न स्थलों पर सामुदायिक संवाद कार्यक्रम (सीआईपी) के आयोजन किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी ने मेरठ, गाजियाबाद, मुरादनगर एवं मोदीनगर में आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास संरचित सीआईपी और

जागरूकता के लिए विभिन्न क्षेत्रों, स्कूलों व कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन

नुक्कड़ नाटकों के आयोजन किए हैं। सीआईपी और नुक्कड़ नाटकों के आयोजनों के दौरान निवासियों, व्यापारियों और व्यावसायिक इकाईयों, कालेज एवं स्कूल विद्यार्थियों जैसे स्टेकधारकों को परियोजना की प्रमुख विशेषताओं, इसके लाभों और चल रहे विकास से अवगत कराया गया, और साथ ही उन्हें सुधार के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा, समाज के विभिन्न अंगों जैसे महिला, ट्रांसजेंडर्स एवं विशेष सक्षम जनों के लिए आरआरटीएस जैसे नवयुग के आवाजाही समाधानों एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप किए गए प्रावधानों के बारे में विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं।

9) आपका निगम परियोजना अपडेट्स, उपलब्धियों, उत्तम व्यवहारों एवं वैश्विक विकास से संबंधित आंतरिक संचार एवं सूचना सहभाजन को सुदृढ़ करने के लिए त्रैमासिक न्यूज़लैटर 'एनसीआरटीसी क्नेक्ट' का प्रकाशन कर रहा है। वर्ष 2023-24 में 'एनसीआरटीसी कनेक्ट' न्यूज़लेटर के चार संस्करण जारी किए गए थे।

10) वर्ष के दौरान आपके निगम द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार/सम्मान प्राप्त किए गए हैं :

- टनलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ख्यातिप्राप्त टीएआई टनलिंग अवार्ड्स 2023 के चौथे संस्करण का अवार्ड प्रदान किया गया है। एनसीआरटीसी टीम को "एनवार्यरमेंटल इनिशियेटिव्य ऑफ टनलिंग" वर्ग के अंतर्गत यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ये सम्मान भारत की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी भूमिगत परियोजनाओं के साथ-साथ सुरंग निर्माण में नवीनतम नवाचारों, तकनीकों एवं विधियों के उपयोग के लिए प्रदान किया गया है।
- गाजियाबाद और साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर स्थापित 220 केवी रिसीविंग सबस्टेशन (आरएसएस) के लिए प्रतिष्ठित 'आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट अवार्ड'

आरआरटीएसः एनसीआर के परिवहन परदृश्य में ला रहा प्रभावशाली बदलाव

प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार चेन्नई में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा आयोजित ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 के अवसर पर दिया गया है।

- दिल्ली में आयोजित सीएनबीसी-आवाज़ रियल एस्टेट अवार्ड्स 2023 (उत्तरी क्षेत्र) में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से **'शहरी परिवहन में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विशेष प्रशंसा'** पुरस्कार जारी किया गया है।
- रेल विश्लेषण नवाचार और उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन 2024 में **"एक्सीलेंस इन एडॉप्शन ऑफ टैक्नोलॉजी इन अर्बन ट्रांजिट सिस्टम्स"** पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

42. आभार अभिव्यक्तिः

(a) आपका निदेशक मंडल आवासन एव शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग, नीति आयोग, भारत सरकार की एजेंसियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों से मूल्यवान सहयोग, परामर्श एवं सहायता के प्रति आभार की अभिव्यक्ति करता है।

(b) आपका निदेशक मंडल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, परामर्शदाताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, मूल्य संवर्धन सेवा साझेदारों, बैंकों एवं अन्य सभी व्यवसाय सहयोग के प्रति भी प्राप्त प्रोत्साहन एवं उनसे प्राप्त सहायता एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता है।

(c) निदेशक मंडल एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का कंपनी में उनके विश्वास और परियोजना की दीर्घकालिक संवहनीयता के लिए

निधियन और वित्त एवं घटक प्रदान करने के संबंध में प्राप्त निरंतर समर्थन, उनके योगदान की सराहना एवं धन्यवाद प्रस्तुत करता है।

(d) आपका निदेशक मंडल दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के साहिबाबाद-मोदीनगर उत्तरी खंड के निर्बाध परिचालनों के लिए हमारे भागीदार, मैसर्स डीबी आरआरटीएस आपरेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स एल्सटॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त सहयोग का अत्यंत आभारी है।

(e) आपका निदेशक इस अवसर पर निगम के कर्मचारियों से प्राप्त सहयोग का उल्लेख भी करना चाहता है तथा परियोजना की प्रगति और निष्पादन की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों के योगदान के लिए उनकी सराहना करता है ।

43. अनुलग्नक

विवरण	अनुलग्नक
फॉर्म एओसी-2	I
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	II
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट	III
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	IV
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इंडएएस वित्तीय विवरण (स्टैंडएलोन और समेकित)	-
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	-

कृते एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-

नमिता मेहरोत्रा
निदेशक/वित्त
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-

कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03276525

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2024

फार्म संख्या एओसी–2

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 134 की उपधारा(3) के खंड-वाक्य (एच) के अनुसरण में)

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तृतीय पक्षकार के परंतुक के अंतर्गत कतिपय आर्म-लैंथ संव्यवहारों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के उप-खंड (1) में संदर्भित सम्बद्ध पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा की गई संविदाओं / व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु फार्म

संविदाओ अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण जो आर्म-लैंथ आधार पर नहीं है:

विचाराधीन अवधि के दौरान किसी भी सम्बद्ध पक्षकार के साथ निगम द्वारा ऐसे कोई अनुबंध अथवा व्यवस्थाएं अथवा संव्यवहार नहीं किए हैं जो आर्म-लैंथ पर आधारित न हों।

आर्म लैंथ आधार पर किए गए सामग्रीगत अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण:

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)
सम्बद्ध पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति	संविदाओं/ व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/ व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य के उल्लेख सहित अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों के प्रमुख उपबंध, यदि कोई हो	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में चुकता राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी)	परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) अनुबंध	3 वर्ष की अवधि यथा [02.03.2023 से 01.03.2026]	एनईटीआरए द्वारा निष्पादन परियोजना प्रबंधन परामर्श के प्रभार का भुगतान एनसीआरटीसी द्वारा ओ एंड एम की देय राशि के @6% के अनुसार चुकता किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमसी प्रभारों की लागत 439.20 लाख रुपये (जीएसटी के अलावा) है।	लागू नहीं	एनईटीआरए को 1.80 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम चुकता किया गया है जिसमें से मार्च, 2024 तक 30 लाख वापस प्राप्त हुए हैं।
	एनसीआरटीसी के कार्यालय परिसर के संबंध में एनईटीआरए के साथ पट्टा अनुबंध	01.09.2023 से 31.07.2024.	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यालय किराया 1.95 लाख रुपये (कर के अलावा)	लागू नहीं	शून्य

कृते एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा	**कुलदीप नारायण**
निदेशक/वित्त	**प्रबंध निदेशक**
डीआईएन: 07916304	**डीआईएन: 03276525**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2024

शिफा बद्री एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

पता : A-507, सेक्टर-19, नोएडा-201301,
ईमेल : shifa.badrikgmail.com
मोबाइल : +91 9871086266
फोन नं. : +91 120 4541284

अनुलग्नक **II**

फार्म संख्या एमआर-3
साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट
{कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में}

सेवा में,
सदस्य,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
सीआईएन: यू60200डीएल2013जीओआई256716
गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हमने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईएन: यू60200डीएल2013जीओआई256716)** (एतद्द्वारा कम्पनी के नाम से संदर्भित) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किए जाने के लिए साचिविक लेखापरीक्षण किया है। साचिविक लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसी विधि से किया गया है जिससे हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए औचित्यपरक आधार की प्राप्ति हो सके।

क. कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कम्पनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड के सत्यापन तथा कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा साचिविक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान प्रदान की गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार, कम्पनी ने, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान एतद् सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नीचे की गई रिपोर्टिंग की शर्त पर विधिवत रूप से किया गया है तथा कम्पनी में निदेशक मंडल प्रक्रियाओं एवं अपेक्षित अनुपालन तंत्रव्यवस्था स्थापित हैः

ख. हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कम्पनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड की जांच की हैः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियम;

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम एवं विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारिय प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण के लिए विस्तारित हैं; **(लागू नहीं)**

(iii) डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अध्याधीन विनियम एवं उप-नियम; **(लागू नहीं)**

(iv) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम; **(लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश; **(लागू नहीं)**

(vi) लागू औद्योगिक एवं श्रम कानून, मेट्रो रेल (कार्य निर्माण) अधिनियम, 1978, मेट्रो रेल (परिचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002, सामान्य प्रकटीकरण कानून यथा आरटीआई आदि

ग. हमने निम्नलिखित के संबंध में लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :-

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटरिज द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित सचिवीय मानक (एसएस-1) तथा आम सभा से संबंधित सचिवीय मानक (एसएस-2)।

(ii) कम्पनी द्वारा स्टाक एक्सचेंजों के साथ किए सूचीबद्धता अनुबंध (लागू नहीं)

घ. विचाराधीन अवधि के दौरान तथा हमें प्रदान की गई सूचना, स्पष्टीकरणों एवं प्रबंधन की ओर से की गई प्रस्तुतियों के अनुसार कम्पनी ने ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

ङ. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) कम्पनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान किया गया निदेशक मंडल का गठन अनुबंध के प्रावधानों का अनुपालन करके किया गया है।

(ii) सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों की अनुसूची, कार्यसूची एवं कार्यसूची के विस्तृत नोटों के साथ पर्याप्त नोटिस अग्रिम तौर पर सात दिन पूर्व भेजा गया है तथा बैठक के आयोजन से पूर्व एवं बैठक में अर्थपूर्ण प्रतिभागिता के उद्देश्य से कार्यसूची की मदों के संबंध में अग्रेतर सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने के लिए व्यवस्था स्थापित की गई है।

(iii) निदेशक मंडल तथा समिति की बैठकों में सभी निर्णयों का निर्धारण सदस्यों के विचार प्राप्त करके एवं रिकार्ड करके, यदि कोई हों, बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया गया है।

च. **हम, आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि** कम्पनी में व्याप्त अनुपालन व्यवस्था की समीक्षा एवं सम्बद्ध दस्तावेजों एवं रिकार्ड के आधार पर हमारे मतानुसार कम्पनी के आकार एवं कम्पनी के परिचालनों के अनुसार निगरानी एवं लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं एवं प्रक्रियाएं स्थापित की गई है।

नोटः इस रिपोर्ट का पठन हमारे समतिथि के उस पत्र के साथ किया जाना है जो 'अनुलग्नक क' में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

कृते **शिफा बद्री एंड एसोसिएट्स**
कम्पनी सचिव
एफआरएन: S2016UP441800
पीयर रिव्यू संख्या: 2783/2022

हस्ता/-

शिफा बद्री
स्वत्वधारी
सदस्यता संख्या: F7965
सीपी संख्या: 17399
यूडीआईएन: F007965F000409234

स्थान: नोएडा
दिनांक: 21.05.2024

शिफा बद्री एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

पता : A-507, सेक्टर-19, नोएडा-201301,
ईमेल : shifa.badrikgmail.com
मोबाइल : +91 9871086266
फोन नं. : +91 120 4541284

अनुलग्नक 'क'

सेवा में,
सदस्य,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड,
सीआईएन: यू60200डीएल2013जीओआई256716
गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023

यह समतिथि की हमारी रिपोर्ट के साथ पठनीय है।

1. साचिविक रिकार्ड का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व इन साचिविक रिकार्डों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने प्रत्येक उन लेखांकन व्यवहारों एवं प्रक्रियायओं का उपयोग किया है जो साचिविक रिकार्डों के सार की शुद्धता का औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित हैं। साचिविक रिकार्डों में प्रस्तुत तथ्यों के सही होने का परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं एवं व्यवहार हमारे मत की अभिव्यक्ति का उचित आधार है।
3. कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमार द्वारा किया गया परीक्षण औचक आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।
4. हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा केवल कम्पनी द्वारा लागू कानूनों के विधिसम्मत अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इनके संबंध में व्यावहारिक पहलू की जांच नहीं की है।
5. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखा बहियों की शुद्धता एवं उपयुक्तता एवं विनिर्दिष्ट कानूनों के अंतर्गत कम्पनी से प्रस्तुति के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकटीकरणों तथा विवरणों में सूचित मूल्यों एवं आंकड़ों की शुद्धता का सत्यापन नहीं किया है । तथापि, हमने कुछ सीमा तक इन विवरणों में दी गई सूचना का उपयोग किया है।
6. इस लेखापरीक्षा में कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कानूनों जैसे कम्पनी के संबंध में लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इसकी समीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा अन्य नामोद्दिष्ट व्यावसायिकों द्वारा की जानी है तथा रिपोर्ट में दिए गए सार का पठन उसके समुच्चय में किया जाना है तथा न कि किसी अन्य लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) / एजेंसियों/ प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी के संबंध में प्रस्तुत / प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट (रिपोर्टों) में किए गए प्रेक्षणों, यदि कोई हों, से पृथक किया जाना है।
7. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा घटित घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन से प्रस्तुतिकरण प्राप्त किए हैं।
8. यह साचिविक रिपोर्ट कम्पनी की किसी प्रकार की भावी व्यवहार्यता का न तो प्रमाणन करती है तथा न ही यह कम्पनी के प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की कार्य कुशलता अथवा प्रभाव्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है।

कृते **शिफा बद्री एंड एसोसिएट्स**
कम्पनी सचिव
एफआरएन: S2016UP441800
पीयर रिव्यू संख्या: 2783/2022

हस्ता/-

शिफा बद्री
स्वत्वधारी
सदस्यता संख्या: F7965
सीपी संख्या: 17399
यूडीआईएन: F007965F000409234

स्थान: नोएडा
दिनांक: 21.05.2024

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी) वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

1.	कम्पनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की सामाजिक उत्थान एवं सुधार की अवधारणा तथा निगम के निम्नलिखित नीतिगत लक्ष्यों के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है: 1. स्टेकधारकों की प्रत्याशाओं के अनुसार गतिविधियों के ऐसे क्षेत्र निर्धारित करना जो चयनित क्षेत्रों, सीएसआर के निर्वाह के लिए एनसीआरटीसी की योजनागत परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के संबंध में प्रतिफल आधारित प्रभाव उन्मुख हों। 2. सीएसआर की ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के निष्पादन की रूपात्मकता। 3. सीएसआर की ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की देखरेख की प्रक्रिया के लिए। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए पर्याप्त शक्तिप्राप्त संगठनात्मक संरचना का निर्माण करना।
2.	सीएसआर समिति की संरचना:	

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पदधारिता की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की कितनी बैठकों में भाग लिया
i.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी	अध्यक्ष	1	1
ii.	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या, निदेशक/परियोजनाएं, एनसीआरटीसी	सदस्य	1	1
iii.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा, निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी, एनसीआरटीसी	सदस्य	1	1

3.	वह (वे) वेबलिंक सूचित करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर योजनाओं का प्रकटीकरण कम्पनी की वेबसाइट पर किया गया है	https://www.ncrtc.in/csr/
4.	सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में किए गए प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू हैं, के वेबलिंक के साथ कार्यकारी सार संक्षेप प्रस्तुत करें।	लागू नहीं

₹ लाख में

5.	(क)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ	7,571.72
	(ख)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	151.43
	(ग)	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों में से अधिशेष	-
	(घ)	वित्तीय वर्ष में सेट ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो	-
	(ङ)	वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर दायित्वों का योग [(ख)+(ग)-(घ)]	**151.43**

₹ लाख में

6.	(क)	सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (जारी परियोजनाएं तथा जारी परियोजनाओं के अलावा, के संबंध में)	165.75
	(ख)	प्रशासनिक ओवरहैड में व्यय की गई राशि	शून्य
	(ग)	प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू है, पर व्यय की गई राशि	शून्य
	(घ)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि [(क)+ (ख)+ (ग)]	**165.75**

(ङ) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई अथवा व्यय न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (₹ लाख में)	व्यय न की गई राशि (₹ लाख में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई कुल राशि		धारा 135 की उप-धारा (6) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
165.75*	151.43	04.03.2024	1. प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि	10.00	28.03.2024
			2. स्वच्छता के प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष	10.58	28.03.2024

*वर्ष के दौरान 165.75 लाख रुपये का व्यय जारी परियोजनाओं के लिए किया गया है तथा परियोजना वार व्यय निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	व्यय की गई राशि (रुपये लाख में)
1	आधुनिक कृषि व्यवहारों से संबंधित कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम	87.53
2	भीकनपुर, गाजियाबाद में शासकीय जूनियर हाई स्कूल में 04 कक्षाओं का निर्माण	30.12
3	सराय काले खान, दिल्ली में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	27.52
4	सीएसआर परियोजना की अव्ययित राशि में से प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान	10.00
5	सीएसआर परियोजना की अव्ययित राशि में से केन्द्र सरकार स्वच्छता के प्रोत्साहन के लिए स्थापित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान	10.58
	योग	**165.75**

(च) सेट ऑफ के लिए अतिरेक राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विवरण	₹ लाख में
(1)	**(2)**	**(3)**
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत (वर्ष 2023-24 से तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से मार्च, 2027 तक)	151.43
(ii)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (वर्ष 2020-21 के दौरान अनुमोदित जारी मार्च, 2024 तक पूर्ण होने वाली परियोजनाएं)	165.75
(iii)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई अतिरेक राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों में से अधिशेष	शून्य
(v)	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में सेटऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वर्षों में व्यय न की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र.सं	पिछला वित्तीय वर्ष	अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ लाख में)	अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय के लिए शेष राशि (₹ लाख में)	न्यूनता, यदि कोई हो
					राशि (₹ लाख में)	अंतरण की तिथि		
1	2020-21	27.99	-	-	-	-	27.99	-
2	2021-22	58.71	-	13.34	-	-	45.37	-
3	2022-23	97.49	-	6.82	-	-	90.67	-
	योग	**184.19**		**20.16**	**-**	**-**	**164.03**	

8. क्या वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए व्यय की गई राशि के माध्यम से किन्हीं पूंजी परिसम्पतियों का निर्माण अथवा अधिग्रहण किया गया है : नहीं

☐ हां ☑ नहीं

यदि हां, तो निर्मित / अधिग्रहित पूंजी परिसम्पतियों की संख्या लिखें

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए व्यय की गई राशि के माध्यम से निर्मित अथवा अधिग्रहित की गई ऐसी परिसम्पति (परिसम्पतियों) से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें :

क्र.सं.	सम्पति अथवा परिसम्पति (परिसम्पतियों) का संक्षिप्त विवरण [सम्पति के पूरे पते एवं स्थल सहित]	सम्पति अथवा परिसम्पति (परिसम्पतियों) के पिनकोड	उत्पति की तिथि	व्यय की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की इकाई / प्राधिकरण / लाभग्राही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू है	**नाम**	**पंजीकृत पता**
-----शून्य-----					

9. यदि कम्पनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत का व्यय नहीं कर पाई है, तो उसका कारण (उसके कारण) सूचित करें : कम्पनी द्वारा अनुमोदित जारी परियोजना के लिए सीएसआर राशि का व्यय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुपालन में किया जा रहा है।

कृते एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-
कुलदीप नारायण	**अर्चना अग्रवाल**
प्रबंध निदेशक	**अध्यक्ष सीएसआर समिति**
डीआईएन : 03276525	**डीआईएन : 02105906**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2024

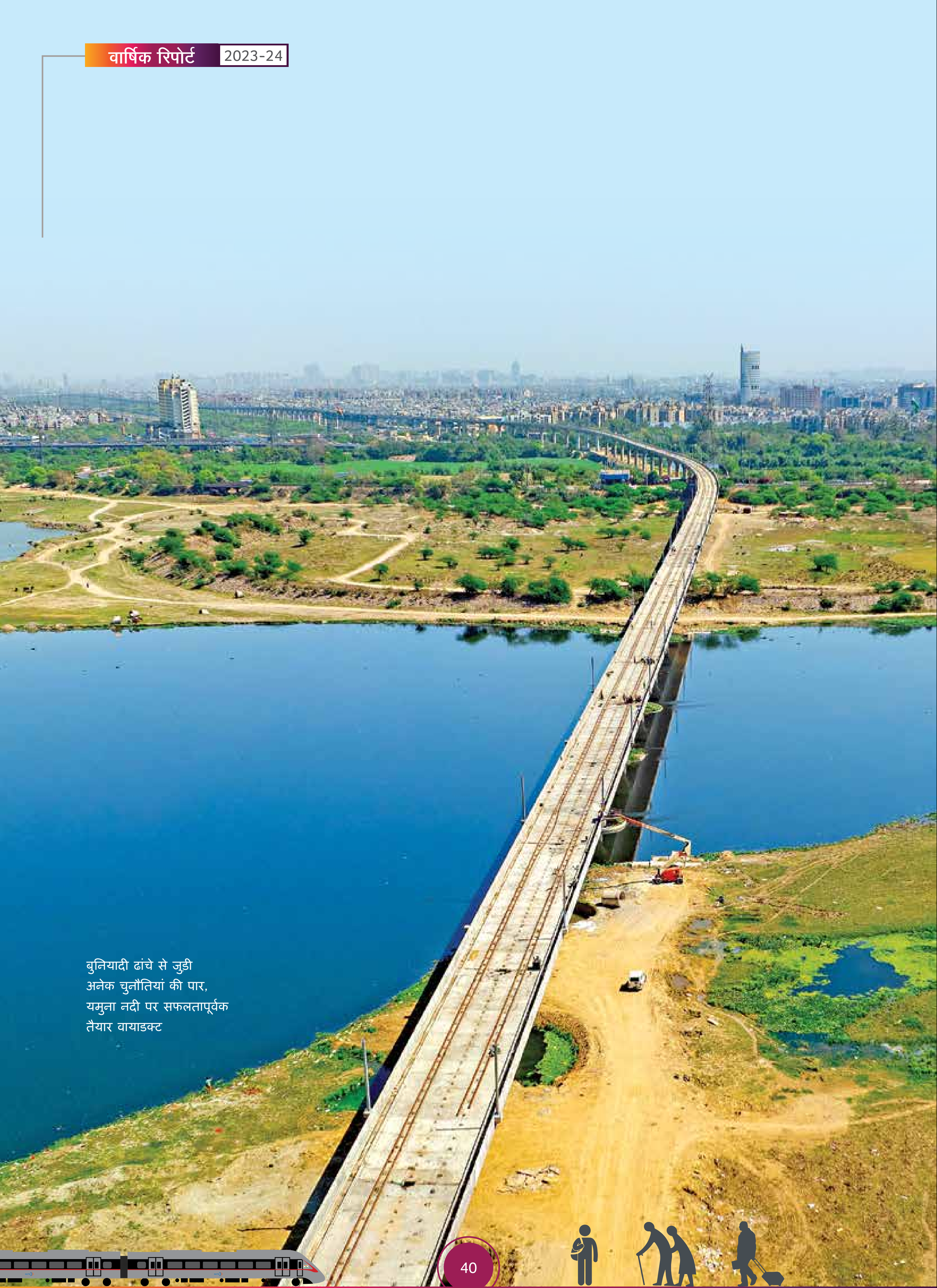

बुनियादी ढांचे से जुड़ी
अनेक चुनौतियां की पार,
यमुना नदी पर सफलतापूर्वक
तैयार वायाडक्ट

अनुलग्नक-IV

कॉर्पोरेट शासन से संबंधित कम्पनी की रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट शासन के तत्वविचार पर कम्पनी की विचारधारा का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करें:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (“निगम’’) अपने विज़न विवरण के प्रति प्रतिबद्ध होकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक विकास के माध्यम से आवाजाही के न्यायसंगत, तेज़, विश्वसनीय, संरक्षित, आरामदायक, कार्यकुशल एवं संवहनीय समाधान उपलब्ध करवा के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में कार्यशील है।

आपका निगम एक असूचीबद्ध पब्लिक कम्पनी है। इस कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट की प्रस्तुति निगम के सदस्यों के सम्मुख की गई है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का आकार:

निगम के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या 3 (तीन) से कम तथा 15 (पंद्रह) से अधिक होनी अपेक्षित नहीं है। ये निदेशक पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक एवं नामित निदेशक हो सकते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एक सरकारी कम्पनी है तथा यह भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), रेल मंत्रालय (एमओआर) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है ।

2.2 निदेशक मंडल की संरचना:

क. कम्पनी के निदेशक मंडल में निम्नानुसार 13 (तेरह) निदेशक हैं :

i. भारत सरकार से 04 (चार) नामित निदेशक तथा भारत सरकार के सचिव (आवासन एवं शहरी कार्य) निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष हैं।

ii. प्रत्येक राज्य सरकार यथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान से एक नामित निदेशक के साथ 04 (चार) नामित निदेशक ।

iii. प्रबंध निदेशक सहित 05 (पांच) पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक

ख. दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री अनुराग जैन	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के नामिति
3.	श्री नीतिन रमेश गोकर्ण	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिति
4.	श्री अरूण कुमार गुप्ता	हरियाणा सरकार के नामिति
5.	श्री प्रशांत गोयल	राष्ट्रीय रा.क्षे.दिल्ली सरकार के नामिति
6.	श्री अजिताभ शर्मा	राजस्थान सरकार के नामिति
7.	श्री कुलदीप नारायण	भारत सरकार के नामिति
8.	श्री दिनेश कुमार	रेल मंत्रालय के नामिति
9.	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या	निदेशक/परियोजनाएं
10.	श्री महेन्द्र कुमार	निदेशक/इलेक्ट्रिकल एवं रोलिंग स्टॉक
11.	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/प्रणाली एवं परिचालन
12.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त तथा मुख्य वित्त अधिकारी

2.3 निदेशक मंडल की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

निदेशक मंडल कम्पनी का शीर्ष निकाय है जो निगम के समग्र क्रियाकलापों की देखरेख करता है। निदेशक मंडल की प्रक्रियाओं एवं प्रत्येक सम्बद्ध लागू नियमों एवं विनियमों का अनुसरण किया जाता है। इसकी उत्तरदेयता कम्पनी की संरचना से सम्बद्ध कॉर्पोरेट शासन की आधारभूत विधियों के अनुपालन, प्रोमोटरों की प्रत्याशाओं की पूर्ति एवं स्टेकधारकों के अधिकारों का सुनिश्चय करना है जिनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति निदेशक मंडल की प्रक्रियाओं से स्पष्ट होती है। निदेशक मंडल को यथोचित एवं सामयिक प्रकटीकरणों के माध्यम से विधिक रूपरेखा, वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग प्रणाली की सत्यपरकता एवं स्टेकधारकों के दृष्टिकोण से विश्वसनीयता के अनुपालन के सुनिश्चय के लिए रणनीतिक सूझबूझ का उपयोग करना होता है।

2.4 निदेशक मंडल की बैठकें:

वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी के निदेशक मंडल की निम्नानुसार पांच (05) बैठकें आयोजित की गई थी:-

35वीं	36वीं	37वीं	38वीं	39वीं
16.06.2023	30.06.2023	18.09.2023	30.12.2023	28.03.2024

2.5 निदेशकों के पदनाम, श्रेणी, वर्ष 2023-24 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में प्रतिभागिता की संख्या एवं निदेशक मंडल की बैठक तथा अंतिम आयोजित वार्षिक आम सभा (एजीएम) में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लेने के पात्रता है	निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया	अंतिम आयोजित वार्षिक आम सभा (18.9.2023 को आयोजित) में उपस्थिति	अन्य कम्पनियों में धारित निदेशक पद
1	श्री अनुराग जैन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम तथा सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (04.03.2024 से)	भारत सरकार द्वारा नामित	1	1	लागू नहीं	9
2	श्री मनोज जोशी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम तथा सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (29.12.2021 से 04.03.2024)	भारत सरकार द्वारा नामित	4	4	हां	10
3	श्री कुलदीप नारायण, प्रबंध निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. एवं संयुक्त सचिव (एचएफए), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	भारत सरकार द्वारा नामित	5	4	हां	4
4	श्री विनय कुमार सिंह (04.08.2016 से 27.03.2024)	प्रबंध निदेशक	4	4	हां	3
5	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. तथा सदस्य सचिव एनसीआरपीबी	एनसीआरपबी से नामित	5	3	नहीं	2
6	श्री दिनेश कुमार, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. तथा अपर सदस्य/भूमि एवं सुविधाएं, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (21.07.2023 से)	रेल मंत्रालय द्वारा नामित	3	3	नहीं	1
7	श्री बृजेश कुमार, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. तथा अपर सदस्य/कार्य, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (8.6.2022 से 31.05.2023)	रेल मंत्रालय द्वारा नामित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2
8	श्री नीतिन रमेश गोकर्ण, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. एवं अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित	5	3	नहीं	1
9	श्री प्रशांत गोयल, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. एवं प्रधान सचिव सह आयुक्त (परिवहन), रा.रा.क्षे.दि. सरकार (16.03.2024 से)	रा.रा.क्षे.दि. सरकार द्वारा नामित	1	0	लागू नहीं	0
10	श्री आशिष कुन्द्रा, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. एवं प्रधान सचिव सह आयुक्त (परिवहन), रा.रा.क्षे.दि. सरकार (17.08.2021 से 29.01.2024)	रा.रा.क्षे.दि. सरकार द्वारा नामित	4	2	हां	4
11	श्री अजिताभ शर्मा, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. एवं प्रधान सचिव, उद्योग एवं डीएमआईसी, राजस्थान (21.03.2024 से)	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	1	1	लागू नहीं	6

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लेने के पात्रता है	निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया	अंतिम आयोजित वार्षिक आम सभा (18.9.2023 को आयोजित) में उपस्थिति	अन्य कम्पनियों में धारित निदेशक पद
12	श्रीमती वीणु गुप्ता, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. एवं अपर मुख्य सचिव, उद्योग एवं डीएमआईसी, राजस्थान (06.05.2022 से 05.12.2023)	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	4	1	नहीं	4
13	श्री अरूण कुमार गुप्ता, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. एवं अपर मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार, नगर एवं क्षेत्र योजना तथा शहरी सम्पदा विभाग, हरियाणा	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	5	5	हां	8
14	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या	निदेशक/ परियोजना	5	5	हां	1
15	श्री महेन्द्र कुमार	निदेशक/ ई एवं आरएस	5	5	हां	2
16	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/ प्रणाली एवं परिचालन	5	5	हां	1
17	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/ वित एव सीएफओ	5	5	हां	3

2.6 निदेशक मंडल की प्रक्रियाएं:

क. निदेशक मंडल/समिति की बैठकों का आयोजन निदेशक मंडल/समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात यथोचित नोटिस देकर किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण मामलों के समर्थित दस्तावेजों और अन्य व्याख्यात्मक वर्णन सहित कार्यसूची के विस्तृत नोट विस्तृत प्रस्तावना के साथ सदस्यों को अग्रिम तौर पर भेजे जाते हैं। ऐसा करने से बैठकों में सार्थक, सूचित और ध्यान केन्द्रित चर्चा एवं निर्णय निर्धारण सुविधा से हो पाता है।

ख. कार्यसूची प्रपत्र संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किए जाते हैं और अनुमोदन के लिए इनकी प्रस्तुति प्रबंध निदेशक को करने से पूर्व संबंधित कार्यात्मक निदेशकों से सहमति प्राप्त की जाती है। इसके पश्चात, कंपनी सचिव द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्यसूची प्रपत्र निदेशक मंडल के सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, निदेशक मंडल के अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची में अतिरिक्त अथवा अनुपूरक मदों पर चर्चा की जाती है।

ग. प्रबंध निदेशक द्वारा ब्रीफिंग:

निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में, प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों को परियोजना की स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/विकास सहित प्रमुख विकास के बारे में जानकारी दी जाती है।

घ. निदेशक मंडल बैठक की कार्रवाई का कार्यवृत्त रिकार्ड करना:

निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लागू सचिवीय मानकों के अनुसार जारी किए जाते है। निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त रिकार्ड किए जाते हैं और अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कार्यवृत्त पुस्तिका में इनकी प्रविष्टि की जाती है। निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त भी रिकॉर्ड किए जाते हैं और समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन और हस्ताक्षर के पश्चात समिति के सदस्यों को भेजे जाते हैं।

ङ. निदेशक मंडल बैठक के सम्मुख प्रस्तुत सूचना:

निदेशक मंडल को निगम की प्रत्येक सूचना तक पूर्ण पहुंच प्राप्त है। निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं में नियमित रूप से निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं निम्नलिखित हैं:

i. कंपनी की प्रगति की आवधिक समीक्षा।

ii. वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक मंडल रिपोर्ट आदि।

iii. निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

iv. अन्य कंपनियों में निदेशक पद की धारिता और स्थिति के बारे में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटीकरण।

v. शक्तियों का प्रत्यायोजन।

vi. सामग्रीगत रूप से महत्वपूर्ण अन्य सूचनाएं।

2.7 निदेशक मंडल की बैठक के पश्चात अन्य प्रक्रियाएं:

निगम के कंपनी सचिव शासी प्रक्रिया के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन और अनुमति/प्राधिकरण प्राप्त करने के पश्चात विभाग प्रमुखों को निदेशक मंडल की बैठक के प्रतिफल का संक्षेप सार जारी करते हैं और इसके लिए एक बैठक-पश्च अनुपालन तंत्र-व्यवस्था स्थापित है जिसके अंतर्गत निदेशक मंडल/समितियों द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन पर की गई/लंबित कार्रवाइयों पर अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा और रिपोर्टिंग की प्रस्तुति की जाती है।

2.8 निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक, पूर्ण-कालिक कार्यात्मक निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक विवरण (एमजीटी-7) में दिया गया है तथा इसकी प्रस्तुति निगम की वेबसाइट पर की गई है।

2.9 सरकार से नामित निदेशकों को सीटिंग शुल्क का भुगतान:

सरकार द्वारा नामित निदेशकों को सीटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

3. निदेशक मंडल की समितियां:

कम्पनी में निदेशक मंडल स्तरीय निम्नलिखित तीन (3) समितियां हैं:-

क. लेखापरीक्षा समिति

ख. निवेश समिति

ग. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

4. लेखापरीक्षा समिति:

4.1 संदर्भ शर्तों का संक्षेप सार:

लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें एवं क्रियाकलाप कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं लागू नियमों के अनुसरण हैं।

4.2 संस्थापन, संघटन, सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम:

क. आपके निगम द्वारा कॉर्पोरेट शासन के अनुसरण में दिनांक 15.09.2015 से अपने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है तथा विद्यमान लेखापरीक्षा समिति में तीन नामित निदेशक हैं। इसका संघटन, कोरम, शक्तियां, भूमिका एवं कार्यक्षेत्र कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में है। कम्पनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की एक (1) बैठक का आयोजन किया गया है।

14वीं लेखापरीक्षा समिति - 27.06.2023

ख. वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखापरीक्षा के संघटन, बैठकों एवं उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. एवं सदस्य सचिव एनसीआरपीबी	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री आशिष कुन्द्रा, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. तथा प्रधान सचिव सह आयुक्त (परिवहन), रा.रा.क्षे.दि.सरकार	सदस्य	1	1
3.	*रेल मंत्रालय	सदस्य	1	लागू नहीं

* रेल मंत्रालय से दिनांक 21.07.2023 को नामांकन प्राप्त हुआ है।

5. निवेश समिति:

5.1 **संदर्भ शर्तें:** निवेश समिति निगम की निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार निवेश के लिए परीक्षण एवं अनुशंसाए करती है।

5.2 **बैठकों की संख्या:** वर्ष के दौरान निवेश समिति की छह (06) बैठकों का आयोजन किया गया है।

34वीं	35वीं	36वीं
10.05.2023	07.07.2023	29.08.2023
37वीं	**38वीं**	**39वीं**
05.09.2023	27.09.2023	06.12.2023

5.3 निवेश समिति का संघठन एवं इसके सदस्यों की श्रेणी तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. एवं सदस्य सचिव एनसीआरपीबी	सदस्य	6	6
2.	श्री विनय कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, रा.रा.क्षेत्र.प.नि.	सदस्य	6	6
3.	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या, निदेशक/परियोजनाएं, रा.रा.क्षे.प.नि.	सदस्य	6	5

6. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति:

6.1 **संदर्भ शर्तें:** - कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संदर्भ शर्तें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 लागू नियमों के अनुसरण में हैं।

6.2 **बैठकों की संख्या:** - वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की एक (01) बैठक [(9वीं)-दिनांक 06.12.2023 को] आयोजित की गई थी।

6.3 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का संघठन एवं इसके सदस्यों की श्रेणी तथा बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, निदेशक, रा.रा.क्षे.प.नि. एवं सदस्य सचिव एनसीआरपीबी	सदस्य	1	1
2.	श्री अनिल कुमार श्रृंगार्या, निदेशक/परियोजनाएं, रा.रा.क्षे.प.नि.	सदस्य	1	1
3.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा, निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी, रा. रा.क्षे.प.नि.	सदस्य	1	1

7. सांविधिक लेखापरीक्षक:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एवं एजी) द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु निम्नलिखित चार्टर्ड लेखाकार फर्म की नियुक्ति कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में की गई है:-

मैसर्स श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी, फर्म पंजीकरण संख्या 000544एन, चार्टर्ड लेखाकार, नई दिल्ली।

वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रुपये केवल) जिसमे कर आतिरिकित है।

8. आम सभा:

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित कम्पनी की आम सभाओं का विवरण निम्नलिखित है :-

वार्षिक आम सभा की संख्या	वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थल	पारित विशेष संकल्प
10वीं वार्षिक आम सभा	2022-23	18.09.2023	12:45 अपराह्न	रा.रा.क्षे.प.नि.लि., पंजीकृत कार्यालय, गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली 110023	नहीं
9वीं वार्षिक आम सभा	2021-22	26.09.2022	12:30 अपराह्न	सम्मेलन कक्ष, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110001	नहीं
8वीं वार्षिक आम सभा	2020-21	29.11.2021	05:45 अपराह्न	सम्मेलन कक्ष, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110001	हां
असाधारण सभा	2021-22	22.12.2021	3:45 अपराह्न	सम्मेलन कक्ष, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110001	नहीं

9. प्रकटीकरण:

a. निदेशक मंडल की रिपोर्ट में लागू नियमों के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण किए गए हैं।

b. **निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए अभिज्ञता कार्यक्रम:**

नए निदेशकों को कॉर्पोरेट ब्राउशर्स, वार्षिक रिपोर्ट, संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद, निदेशकों की सूची एवं कम्पनी के शेयरधारकों की सूची उपलब्ध करवाई जाती है।

c. कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एक सरकारी कम्पनी है तथा यह भारत सरकार (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, एनसीआरपीबी) एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है। कम्पनी के इक्विटी शेयर हैं तथा इसकी प्राधिकृत एवं चुकता पूंजी की राशि ₹100 है।

d. **स्वीट इक्विटी एवं स्टॉक विकल्प:** - आपकी कम्पनी ने अपने निदेशकों / कर्मचारियों को कोई भी स्वीट इक्विटी शेयर तथा स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए हैं।

e. **संचार का माध्यम:** वार्षिक वित्तीय विवरण, निविदाएं एवं रोजगार के अवसरों इत्यादि की प्रस्तुति कम्पनी की वेबसाइट पर की जाती है। स्टेकधारकों के साथ निगम द्वारा संचार का प्रसारण इलेक्ट्रानिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के उपयोग से कम्पनी के जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से किया जाता है। कम्पनी के सोशल मीडिया पृष्ठों पर क्रमश: **https://www.linkedin.com/company/ncrtc/, https://www.youtube.com/ncrtc, https://www.instagram.com/ncrtc_official/**

f. **ट्वीटर एवं फेसबुक के माध्यम से पहुंच स्थापित की जा सकती है। कम्पनी की वेबसाइट पर सूचना की प्रस्तुति:** - निगम की वेबसाइट **www.ncrtc.in** अद्यतन विकास से जुड़ी प्रत्येक जानकारी के साथ उपयोक्ता-मित्र साइट है।

g. कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में अन्यों के साथ साथ वित्तीय विवरणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां होती हैं तथा इसे सभी सदस्यों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित पात्र व्यक्तियों को वितरित किया जाता है तथा इसकी प्रस्तुति संसद/राज्य सभा के पटलों पर की जाती है।

कृते एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा	**कुलदीप नारायण**
निदेशक/वित्त	**प्रबंध निदेशक**
डीआईएन : 07916304	**डीआईएन : 03276525**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य गण,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
नई दिल्ली।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

मत

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (''कम्पनी'') के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन तुलन पत्र, स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण, तथा स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना सहित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं।

हमारे मत और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार ऊपर उल्लिखित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (''इंड एएस'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित, भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त स्थिति को कम्पनी के स्टैंडएलोन क्रियाकलापों एवं वर्ष में उक्त तिथि को समाप्त स्टैंडएलोन लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह एवं इक्विटी परिवर्तन की उस सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं, जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम (''अधिनियम'') में की गई है।

मत का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (''एसए'') के अनुसरण में गई है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण, हमारी रिपोर्ट में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, हमारे द्वारा की गयी स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त हैं एवं यथोचित हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से भिन्न सूचना तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना एवं कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट शामिल होती है परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं इससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होती है तथा इसे हमें इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात उपलब्ध करवाए जाने की अपेक्षा की गई है।

हमारे मतानुसार, स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे मत में अन्य सूचना को शामिल नहीं किया गया है तथा इसके लिए हम आश्वासन रूपी किसी निष्कर्ष की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व, हमें उपलब्ध करवाए जाने के पश्चात, अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी से संगत है अथवा नहीं है तथा इसमें किसी प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण दिया गया प्रतीत हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य में, हमें इस अन्य सूचना में कोई भौतिक गलत विवरण प्रतीत होता है तो हमसे तथ्य की रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके बारे में रिपोर्ट किए जाने के लिए कोई तथ्य नहीं है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा कम्पनी की नकदी प्रवाह स्थिति की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत/मान्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कम्पनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार भौतिक गलत विवरण, जो जालसाजी के कारण हों अथवा किसी चूक के कारण हों, से मुक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि कम्पनी की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो कंपनी का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान चालू व्यवसाय अवधारणा के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से भौतिक गलत विवरण, जो जालसाजी के कारण हों अथवा किसी चूक के कारण हों, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से भौतिक गलत विवरण, यदि कोई हों, को निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सकेगा। भौतिक गलत विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे भौतिक विवरण तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के अंतर्गत हमें लेखापरीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैः-

वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों, जो जालसाजी के कारण हों अथवा किसी चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण भौतिक गलत विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों का प्रचालनात्मक प्रभाव है अथवा नहीं है।

प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।

प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए चालू व्यवसाय अवधारणा के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी सामग्रीगत स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की चालू व्यवसाय की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता प्रतीत होती है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को चालू व्यवसाय के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

प्रकटीकरणों सहित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता की जानकारी प्रदान करने के लिए हमने हमारे द्वारा स्टैंडएलोन विवरण भी दिया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की अपेक्षानुसार के अनुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण **अनुलग्नक क** में प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:-

(क) हमने प्रत्येक वह सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जिनकी आवश्यकता हमें, हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए थी।

(ख) हमारे मतानुसार, कम्पनी द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित अन्य व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण सहित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारे मतानुसार, उपरोक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

(ङ) यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है जिसके कारण कम्पनी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(च) कम्पनी के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता ''अनुलग्नक-ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं कि:-

- लंबित मुकदमों का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण (संदर्भ नोट संख्या 36.2) में किया गया है।
- कम्पनी के डेरिवेटिव अनुबंधों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिनसे भविष्य में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि होने की संभावना हो।
- कम्पनी से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में वर्ष के दौरान किसी राशि का अंतरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।
- प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि लेखांकन नोट में किए गए प्रकटीकरण के अलावा उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:-

(i) कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कम्पनी अथवा कम्पनी की ओर से (''अंतिम लाभग्राहियों'') अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(ii) कम्पनी को विदेशी इकाईयों (''निधियन पार्टियों'') सहित किसी व्यक्ति अथवा इकाई से ऐसी किसी निधि की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं हुई है कि कम्पनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, किन्हीं व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को किसी भी स्वरूप में कम्पनी अथवा निधियन पार्टी (''अंतिम लाभग्राहियों'') की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(iii) हमारे द्वारा औचित्यपरक एवं संगत परिस्थितियों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा के आधार; हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास स्थपित हो सके कि **(i)** एवं **(ii)** में की गई प्रस्तुति में नियम 11(ङ) के उप-खंड **(i)** तथा **(ii)** के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई मिथ्या कथन है।

- कम्पनी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया गया है तथा न ही चुकता किया गया है।

(ज) कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक कम्पनी के संबंध में केवल 1 अप्रैल, 2023 से लागू होने के कारण कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(छ) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

हमारे द्वारा की गई जांच, जिसमें औचक जांच शामिल है, के अनुसार कम्पनी ने अपनी लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए ऐसे लेखांकन साफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) को रिकार्ड करने की सुविधा है तथा इसका उपयोग साफ्टवेयर में संव्यवहार में लाए गए प्रत्येक लेनदेन के संबंध में पूरे वर्ष के दौरान किया गया है तथा ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ किसी प्रकार की फेरबदल नहीं की गई है और कम्पनी ने रिकार्ड धारण के लिए ऑडिट ट्रेल का परिरक्षण सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार किया है।

(झ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 सरकारी कम्पनियों के मामले में लागू नहीं है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ("सीएजी") द्वारा जारी निदेशों के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र.सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक का प्रेक्षण
(i)	क्या कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम् से सभी लेन-देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय उलझाव, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कम्पनी में सभी लेखांकन व्यवहारों का संपादन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था है। सभी लेखांकन संव्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के उपयोग से किए जाते हैं तथा इनसे लेखों की सत्यता के प्रति किसी प्रकार का वित्तीय उलझाव नहीं है।
(ii)	क्या कंपनी ने ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण के कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किसी विद्यमान ऋण अथवा मामले में किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट / बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो उसे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का यथोचित लेखांकन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कम्पनी है तो ये निदेश ऋणदाता कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए भी लागू हैं)	कम्पनी के संबंध में कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए पुनर्संरचना / छूट / बट्टा किए जाने का कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केन्द्र/राज्य सरकार अथवा एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्त निधियों (अनुदान/ राजसहायता इत्यादि) का उचित लेखांकन/उपयोग उससे सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। व्युत्क्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	जी, हां। ऐसे सभी संव्यवहारों का यथोचित लेखांकन किया जाता है तथा इन्हें नियमों एवं शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाता है।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000544N

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVT2673

नई दिल्ली
29 मई, 2024

कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष से संबंधित कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की समतिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा एवं यथोचित विचार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम यह प्रस्तुत करते हैं कि :-

(i)(क) क. कंपनी द्वारा पूर्ण विवरण से युक्त उचित रिकार्ड का रखरखाव किया गया है, जिसमें सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रमाणात्मक विवरण एवं उनकी स्थिति दर्शाई गई है।

ख. कम्पनी द्वारा अमूर्त परिसम्पतियों के पूर्ण विवरण की प्रस्तुति करने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण किया गया है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में संपति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसे सत्यापन से किसी प्रकार सामग्रीगत अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

(ग) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकार्ड की जांच के अनुसार सरकारी एजेंसियों द्वारा आबंटित भूमि के अलावा, जिनके संबंध में संबंधित सरकार अथवा एजेंसियों द्वारा जारी आबंटन पत्र उपलब्ध है, कम्पनी की अचल सम्पतियों के शीर्ष प्रलेख कम्पनी के नाम पर हैं। (संदर्भ नोट संख्या 3(i)(एच), 3(ii) (बी) तथा 3(ii)(सी)

(घ) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों (उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों सहित) का पुनर्मूल्यन नहीं किया है।

(ङ) कम्पनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 एवं उसके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत बेनामी सम्पति के धारण के लिए कोई प्रकियाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं अथवा लंबित नहीं हैं।

(ii) (क) कम्पनी के पास कोई मालसूची नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान किसी भी समय कम्पनी के लिए किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा कार्यशील पूंजी की सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

(iii) वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों में किसी प्रकार के निवेश नहीं किए गए हैं, किसी प्रकार की गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी गई है अथवा प्रतिभूत अथवा गैर-प्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए गए हैं। तथापि, कम्पनी ने अपने ठेकेदारों को अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत अग्रिम प्रदान किए हैं तथा उनकी वसूली अनुबंधों की शर्तों के अनुसार उनके बिलों में से की जा रही है। तदनुसार, कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 का उपवाक्य (iii) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

(iv) हमारे मतानुसार एवं हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 में संदर्भित ऐसे कोई ऋण, गारंटियां, प्रतिभूतियां अथवा निवेश नहीं हैं।

(v) हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा जनता से किसी प्रकार के जमा अथवा राशियां स्वीकार नहीं की गई हैं। अतः आदेश के खंड 3(i) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(vi) हमें प्रदान की गई सूचना के अनुसार कम्पनी द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निर्धारण नहीं किए गए हैं।

(vii) (क) सांविधिक देयताओं के संबंध में रिकार्डों की जांच, हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने संबंधित प्राधिकरणों को वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आय कर, सीमा शुल्क, उप-कर, अन्य लागू अविवादित सांविधिक देयताओं से संबंधित भुगतान सामान्यतः समय पर किए हैं तथा 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार किसी योग्य प्राधिकरण को देय, जो भुगतान किए जाने की तिथि से छः माह से अधिक लंबित हों, ऐसी कोई अन्य सांविधिक देयता अथवा देय अविवादित राशि भुगतान के लिए, बकाया शेष के अलावा, लंबित नहीं है। कम्पनी के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा लागू नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त उप-वाक्य (क) के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार विवाद के कारण जमा ना की गई सांविधिक देयता का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सांविधिक व्यवस्था का नाम	देयता की प्रकृति	राशि ₹ लाख में	राशि किस अवधि से संबंधित है	किस मंच पर विवाद लंबित है
1	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	ब्याज एवं दंड सहित कर देयता	84.57	2019-20	वस्तु एवं सेवा कर विभाग, दिल्ली
2	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	ब्याज एवं दंड सहित कर देयता	96.75	2019-20	वस्तु एवं सेवा कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(viii) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई संव्यवहार नहीं है जो लेखा बहियों में रिकार्ड न किए गए हों अथवा त्याग दिए गए हों अथवा आय कर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष के दौरान कर निर्धारणों के लिए जिनका आय के रूप में प्रकटीकरण किया गया हो।

(ix) हमारे मतानुसार एवं हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने ऋणों अथवा अन्य उधारों अथवा उनके संबंध में किसी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान के प्रति पुनर्भुगतान में किसी प्रकार की चूक नहीं की है। तदनुसार, कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 के उप-वाक्य (ix), (ख),(ग),(घ), (ङ) तथा (च) की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(x) (क) कम्पनी द्वारा किसी प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा किसी आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (नामे प्रपत्रों सहित) के माध्यम से धन की उत्पति नहीं की गई है । इस प्रकार आदेश का खंड 3(x)(क) लागू नहीं है।

(ख) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा शेयरों तथा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय लाभांशों के लिए किसी प्रकार का अधिमान्य आबंटन अथवा निजी नियोजन (पूर्ण, आंशिक अथवा वैकल्पिक परिवर्तनीय) नहीं किया गया है।

(xi) (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के प्रति वर्ष के दौरान किसी प्रकार की जालसाजी की स्थिति प्रकाश में नहीं आई है अथवा सूचित नहीं की गई है।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा कम्पनी (लेखापरीक्षक एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 में किए गए निर्धारण के अनुसार फार्म एडीटी-4 में केन्द्र सरकार के सम्मुख कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) प्रबंधन से हमें प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी को व्हिसल ब्लोअर से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमारे मत एवं हमें प्रदान की गई सूचना के अनुसार यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। इस प्रकार आदेश के पैरा 3 के खंड (xii) कम्पनी की ओर से की जाने वाली रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(xiii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा संबद्ध पक्षकारों से किया गया लेन देन व्यवहार,जहां लागू हो, अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुसरण में किया गया है तथा इससे संबंधित प्रकटीकरण लागू लेखांकन मानकों की अपेक्षा के अनुसार स्टैंएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों इत्यादि में किया गया है ।

(xiv) (क) कम्पनी में इसके व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित है।

(ख) अवधि से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को हमने लेखापरीक्षा की अवधि के अंतर्गत तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय एवं विस्तार के निर्धारण के लिए अब तक विचार में लिया है।

(xv) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर कम्पनी द्वारा निदेशकों अथवा उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकदी लेन व्यवहार नहीं किया गया है ।

एनसीआर के लोगों को मिला एक निर्बाध, सुरक्षित और आरामदायक परिवहन नेटवर्क

(xvi) कम्पनी गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी एवं प्रमुख निवेश कम्पनी नहीं है तथा तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2020 के उपवाक्य (xvi) (क),(ख),(ग) तथा (घ) की अपेक्षाएं लागू नहीं हैं।

(xvii) कम्पनी को वित्तीय वर्ष एवं निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकदी घाटे नहीं हुए हैं।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसम्पत्तियों के उपयोग काल एवं प्रतिफल की संभावित तिथियों तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान एवं वित्तीय विवरणों से संगत अन्य सूचना तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर हमारी यह धारणा बनी है कि लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि को किसी प्रकार की सामग्रीगत अनिश्चितता व्याप्त नहीं है तथा तुलन पत्र की तिथि को अपनी विद्यमान देयताओं की पूर्ति तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान उनके देय होने पर कर सकने में समर्थ है।

(xx) (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी की जांच के आधार पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति जारी परियोजनाओं के अलावा, जो कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में की गई निर्दिष्टि के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अंतरित की जानी अपेक्षित हैं, व्यय न की गई कोई राशि नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के संबंध में हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने जारी सीएसआर परियोजना से संबंधित शेष व्यय न की गई राशि का अंतरण उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों का अनुपालन करके विशेष खाते में कर दिया है।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000544N

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVT2673

नई दिल्ली
29 मई, 2024

कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समतिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त उक्त तिथि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग परआंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के दिशानिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश टिप्पणी में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक

स्वदेशी रूप से डिजाइन व मेरठ में निर्मित, 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति के लिए उपयुक्त प्री-कास्ट बैलास्टलेस ट्रैक

वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के भौतिक गलत विवरण, जो जालसाजी के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय **नियंत्रणो का अभिप्राय**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है, (1) जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं; (3) जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभवित कर सकते हों ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कम्पनी में प्रत्येक भौतिक दृष्टिकोण से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित अनिवार्य घटको पर विचार करके कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्यशील थे।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544N

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVT2673

नई दिल्ली
29 मई, 2024

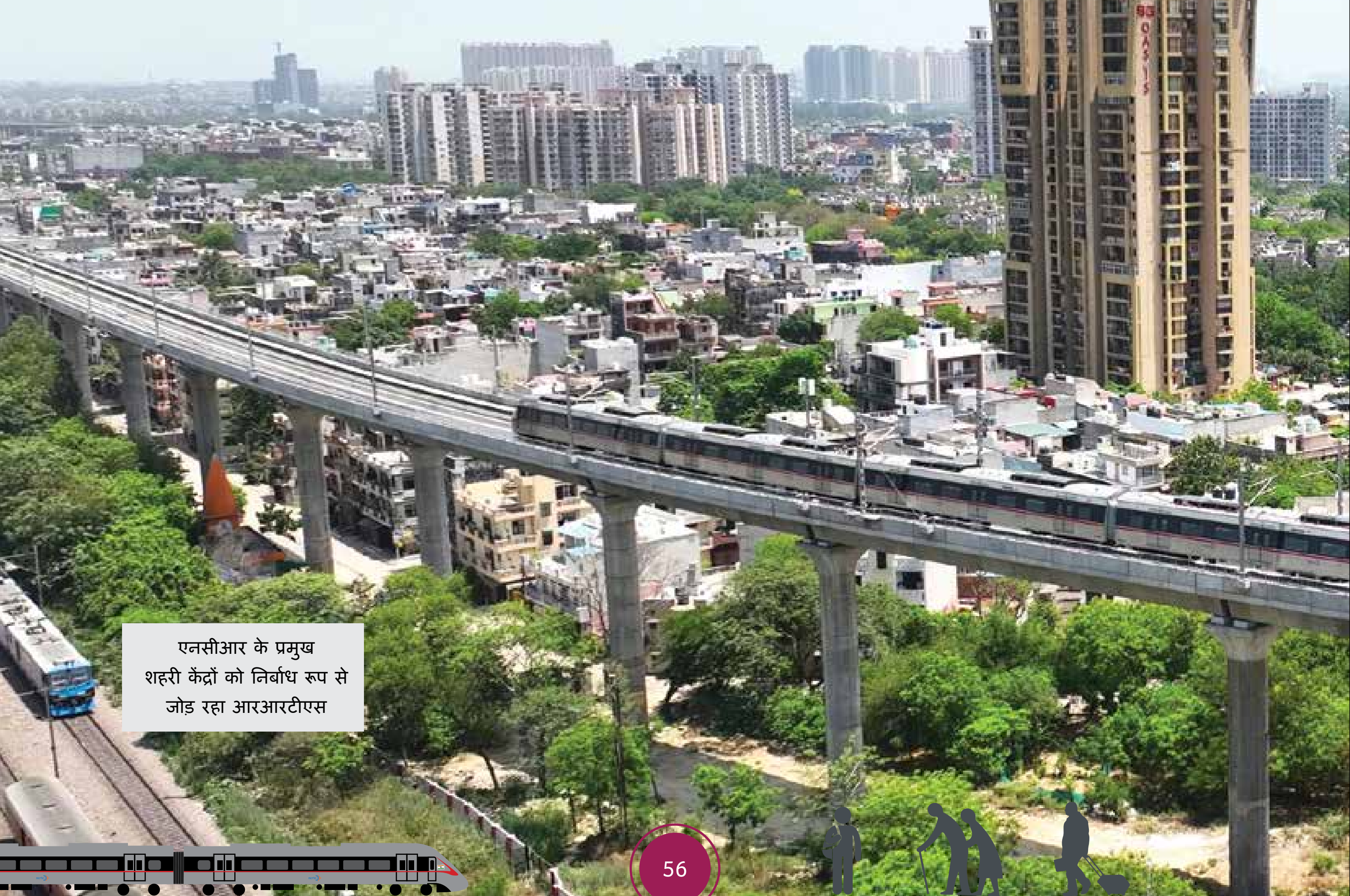

एनसीआर के प्रमुख शहरी केंद्रों को निर्बाध रूप से जोड़ रहा आरआरटीएस

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों / उप-निदेशों का अनुपालन करते हुए 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी सभी निदेशों / उप-निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544N

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVT2673

नई दिल्ली
29 मई, 2024

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन तुलन पत्र

(रुपये लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
I.	**परिसम्पतियां**			
1	**गैर-चालू परिसम्पतियां**			
	(क) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण	3	1,82,797.36	1,31,839.84
	(ख) उपयोग अधिकार परिसम्पतियां	4	29.08	128.68
	(ग) पूंजी कार्य प्रगति पर	5	19,04,751.18	13,33,382.30
	(घ) अमूर्त परिसम्पतियां	6.1	9,567.21	10,727.05
	(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	6.2	3,189.75	643.19
	(च) वित्तीय परिसम्पतियां			
	(i) निवेश	7.1	100.00	100.00
	(ii) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7.2	2,258.86	1,971.91
	(छ) आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)	8	-	-
	(ज) अन्य गैर-चालू परिसम्पतियां	9	55,930.28	1,02,352.17
			21,58,623.72	**15,81,145.14**
2	**चालू परिसम्पतियां**			
	(क) वित्तीय परिसम्पतियां			
	(i) व्यापार प्राप्य	10.1	-	-
	(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	96,737.17	13,440.09
	(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	10.3	1,97,548.38	1,97,124.49
	(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	10.4	7,930.87	9,570.83
	(ख) चालू कर परिसम्पतियां (निवल)	11	3,571.54	1,552.88
	(ग) अन्य चालू परिसम्पतियां	12	275.24	251.89
			3,06,063.20	**2,21,940.18**
	योग परिसम्पतियां		**24,64,686.92**	**18,03,085.32**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544N

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVT2673

हस्ता/-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F7801

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03276525

नई दिल्ली
29 मई, 2024

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन तुलन पत्र

(रुपये लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	10,000.00	10,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	14	9,35,954.91	6,82,793.80
			9,45,954.91	**6,92,793.80**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) ऋण	15	10,15,062.72	7,15,463.03
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16	5.02	74.78
	(ख) आस्थगित कर देयता (निवल)	8	8,624.54	3,803.95
	(ग) प्रावधान	17	2,996.31	2,300.37
	(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	18	40,997.40	26,285.87
			10,67,685.99	**7,47,928.00**
(ii)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) पट्टा देयताएं	19.1	-	8.23
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	19.2		
	क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम		2,960.83	2,291.73
	ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के अलावा अन्य		58,683.92	49,356.19
	(iii) व्यापार देय	20	-	-
	(ख) अन्य चालू देयताएं	21	3,89,076.31	3,10,471.83
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	22	324.97	235.54
			4,51,046.03	**3,62,363.52**
	योग इक्विटी एवं देयताएं		**24,64,686.92**	**18,03,085.32**

सामान्य सूचना	1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप	2
लेखांकन नोट	3 से 50

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544N

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVT2673

हस्ता/-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F7801

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03276525

नई दिल्ली
29 मई, 2024

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि विवरण

(रुपये लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
I	परिचालनों से राजस्व		-	-
II	अन्य आय	23	23,918.41	13,953.72
III	**कुल आय (I+II)**		**23,918.41**	**13,953.72**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	24	1,795.23	1,073.37
	वित्त लागतें	25	-	-
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	26	539.04	471.38
	अन्य व्यय	27	2,951.45	1,579.56
IV	**योग व्यय (IV)**		**5,285.72**	**3,124.31**
V	**अपरिहार्य मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)**		**18,632.69**	**10,829.41**
VI	अपरिहार्य मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**18,632.69**	**10,829.41**
VIII	कर व्यय:	28		
	(1) चालू कर			
	- अवधि के लिए		-	-
	- पूर्व वर्षों के लिए (निवल)		(62.23)	37.38
	(2) आस्थगित कर (निवल)			
	- अवधि के लिए		4,812.32	2,705.32
	- पूर्व वर्षों के लिए (निवल)			96.11
IX	**जारी परिचालनों से अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**13,882.60**	**7,990.60**
X	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि/		-	-
XI	बंद परिचालनों का कर व्यय		-	-
XII	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (I-II)		-	-
XIII	**अवधि के दौरान लाभ/(हानि)/ (IX + XII)**		**13,882.60**	**7,990.60**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) मदें जिनका पुनवर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाएगा		(10.24)	(43.06)
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकरण न की जाने मदों से संबंधित आयकर		(8.26)	22.78
	ख. (i) मदें जिनका पुनवर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकरण न की जाने मदों से संबंधित आयकर		-	-
XV	**अवधि के दौरान कुल व्यापक आय (XIII+XIV)** **[अवधि के दौरान लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय युक्त]**		**13,864.10**	**7,970.32**

विवरण		नोट संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**	29		
	(जारी परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपये में)	29	138.83	79.91
	(2) डायल्युटिड (रुपये में)	29	138.83	79.91
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(बंद परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपये में)		-	-
	(2) डायल्युटिड (रुपये में)		-	-
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(जारी एवं बंद परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपये में)	29	138.83	79.91
	(2) डायल्युटिड (रुपये में)	29	138.83	79.91

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544N

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVT2673

हस्ता/-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F7801

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03276525

नई दिल्ली
29 मई, 2024

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
अपरिहार्य मदों एवं कर पूर्व लाभ		18,632.69	10,829.41
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-			
मूल्यह्रास		539.04	471.38
पट्टा देयता पर ब्याज		-	-
स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ		(0.50)	0.66
वित्तीय परिसम्पतियों से ब्याज आय		(110.74)	(95.68)
ब्याज आय		(20,517.70)	(12,470.94)
अनुदान का परिशोधन		(288.47)	(277.19)
बट्टा की गई परिसम्पतियां		-	0.07
अप्राप्त विदेशी मुद्रा हानि		6.84	1.07
परिचालनात्मक पूंजी परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ	**(1)**	**(1,738.84)**	**(1,541.22)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-			
अन्य चालू परिसम्पतियों में घटत/(बढ़त)		(23.35)	31.53
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पतियों में घटत/(बढ़त)		3,089.62	(3,386.89)
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पतियों में घटत/(बढ़त)		(176.21)	559.17
अन्य वित्तीय देयताओं में (घटत)/बढ़त		6,011.40	22,570.66
अन्य चालू देयता में (घटत)/बढ़त		(2,903.39)	1,168.16
दीर्घकालिक प्रावधानों में (घटत)/बढ़त		685.70	759.43
अल्पकालिक प्रावधानों में (घटत)/बढ़त		89.43	89.98
	(2)	6,773.20	21,792.04
परिचालन से नकदी की उत्पत्ति	**(1+2)**	**5,034.36**	**20,250.82**
चुकता आय कर		(1,956.43)	121.54
परिचालन कार्यों से उत्पन्न कुल नकदी उत्पत्ति		**3,077.93**	**20,372.36**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपति,संयंत्र एवं उपकरण का क्रय, सीडब्ल्यूआईपी, अन्य अमूर्त परिसम्पतियां एवं विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों का क्रय		(5,67,472.03)	(7,09,888.51)
संपति,संयंत्र एवं उपकरण का क्रय, सीडब्ल्यूआईपी, अन्य अमूर्त परिसम्पतियां एवं विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की बिक्री		129.52	295.10
प्राप्त ब्याज		19,177.57	8,900.88
पूंजी अग्रिम		46,312.36	33,579.43
अन्य बैंक शेष में परिवर्तन		(423.89)	(23,552.57)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(5,02,276.47)**	**(6,90,665.67)**

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान से लाभ	**56,400.00**	**35,383.73**
निम्नलिखित से प्राप्त अग्रिम -		
- भारत सरकार (आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय) से पास थ्रू सहायता के प्रति	81,507.88	1,45,581.99
- हरियाणा सरकार	-	1,800.00
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	15,000.00	-
ऋणों से लाभ:-		
- भारत सरकार, रा.रा.क्षे.दि.सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से अधीनस्थ नामे	2,22,499.99	1,41,100.00
- एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण	9,566.44	1,09,114.19
- न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण	45,129.03	50,262.35
- एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण	1,98,403.88	1,22,232.47
सुरक्षा जमा	(69.76)	26.23
पट्टा भुगतान	(8.23)	(7.96)
पट्टा देयता पर चुकता ब्याज	(0.62)	(1.21)
ऋण पर चुकता ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार	(45,932.99)	(15,300.66)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी उत्पत्ति	**5,82,495.62**	**5,90,191.13**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़त/(घटत) (क+ ख+ ग)	83,297.08	(80,102.18)
प्रारंभ नकदी एवं नकदी समतुल्य	13,440.09	93,542.27
समापन नकदी एवं नकदी समतुल्य	**96,737.17**	**13,440.09**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल		
बैंकों में शेष:		
– चालू खाते एवं फ्लैक्सी जमा खाते में	72,582.41	13,436.38
– इम्प्रैस्ट खाते में	3.15	3.71
3 माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले सावधी जमा	24,151.61	-
तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य	**96,737.17**	**13,440.09**

31.3.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान (रुपये लाख में)

विवरण	अग्रिम	ऋण	वित्त लागत	पट्टा देयता	योग
संदर्भ नोट	18 एवं 21	15	19.2	19.1	
प्रारंभ शेष (क)	**3,29,106.77**	**7,15,463.03**	**5,648.78**	**8.23**	**10,50,226.81**
नकदी प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन					
वर्ष के दौरान चुकता	-	-	(45,932.99)	(8.85)	**(45,941.84)**
वर्ष के दौरान प्राप्त	96,507.88	4,75,599.34	-	-	**5,72,107.22**
योग (ख)	**96,507.88**	**4,75,599.34**	**(45,932.99)**	**(8.85)**	**5,26,165.38**
गैर नकदी परिवर्तन					
अधीनस्थ नामे का उचित मूल्यांकन	-	(1,75,999.66)	-	-	**(1,75,999.66)**
विदेशी मुद्रा भिन्नता	-		-	-	**-**
वसूली योग्य					**-**
वर्ष के दौरान उपार्जित वित्त लागत	-	-	49,918.42	0.62	**49,919.04**
अनुदान परिशोधन	-	-	-	-	**-**
योग (ग)	-	(1,75,999.66)	49,918.42	0.62	**(1,26,080.62)**
अंत शेष (क+ख+ग)	**4,25,614.65**	**10,15,062.71**	**9,634.21**	**0.00**	**14,50,311.57**

स्पष्टीकरण नोट: -

(i) स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में जारी इंड एएस – 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार किया गया है।

(ii) पुष्टि एवं चालू वर्ष के साथ तुलना के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:वर्गीकरण / पुन:समूहन किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544N

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVT2673

हस्ता/-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F7801

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03276525

नई दिल्ली
29 मई, 2024

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2024 की स्थिति

(रुपये लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2023 को शेष	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुन:उल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	100	-	-	-	100
राशि	10,000.00	-	-	-	10,000.00

2. 31 मार्च, 2023 की स्थिति

(रुपये लाख में)

विषय	1 अप्रैल, 2022 को शेष	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुन:उल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	100	-	-	-	100
राशि	10,000.00	-	-	-	10,000.00

ख. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2024 की स्थिति

(रुपये लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष				योग
	इक्विटी के प्रति अनुदान	सामान्य रिजर्व	आस्थगित आय	धारित आय	
1 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार शेष	1,94,865.00	-	-	**4,87,928.80**	**6,82,793.80**
वर्ष के दौरान लाभ		-	-	13,882.60	13,882.60
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)		-	-	(18.50)	(18.50)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	1,94,865.00	-	-	**5,01,792.90**	**6,96,657.90**
वर्ष के दौरान (परिशोधन के पश्चात) प्राप्त राशि (संदर्भ नोट 14.2.1)	56,400.00	-	-	-	56,400.00
अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	-			1,82,897.01	1,82,897.01
चुकता लाभांश		-		-	-
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार शेष	2,51,265.00	-		**6,84,689.91**	**9,35,954.91**

2. 31 मार्च, 2023 की स्थिति

विवरण	इक्विटी के प्रति अनुदान	रिजर्व एवं अधिशेष			योग
		सामान्य रिजर्व	आस्थगित आय	धारित आय	
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	**-**	**-**	**1,61,082.80**	**11,866.87**	**1,72,949.67**
अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	-	-	-	3,47,220.01	3,47,220.01
अनुदान में इक्विटी के प्रति अंतरण	1,59,765.00	-	(1,59,765.00)	-	-
एशियन डेवलपमेंट बैंक – तकनीकी सहायता को अंतरण	-	-	(1,317.80)	-	(1,317.80)
1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार पुन: उल्लिखित शेष	**1,59,765.00**	**-**	**-**	**3,59,086.88**	**5,18,851.88**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	7,990.60	7,990.60
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)	-	-	-	(20.28)	(20.28)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**3,67,057.20**	**5,26,822.20**
वर्ष के दौरान (परिशोधन के पश्चात) प्राप्त राशि (संदर्भ नोट 14.2.1)	35,100.00	-		-	35,100.00
अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन				1,20,871.60	1,20,871.60
घटाएं :- चुकता लाभांश		-		-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति को शेष	**1,94,865.00**	**-**	**-**	**4,87,928.80**	**6,82,793.80**

नोट: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट की विशेषज्ञ परामर्श समिति के अनुसार आस्थगित आय का वर्गीकरण (i) इक्विटी के प्रति अनुदान तथा (ii) एशियन डेवलपमेंट बैंक से तकनीकी सहायता के नाम से गैर चालू एवं चालू वित्तीय देयता के रूप में किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544N

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVT2673

नई दिल्ली
29 मई, 2024

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F7801

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03276525

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

1. कम्पनी सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, भारत में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी [U60200DL2013GOI256716] है, तथा दिनांक 21 अगस्त, 2013 को इसका निगमन भारत में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत जनसाधारण के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यथोचित, द्रुतगामी, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक, कुशल एवं संवहनीय यात्रा समाधान प्रदान करने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया था।

कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 में स्थित है।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इन वित्तीय विवरणों के प्रति अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.01 निर्माण का आधार - अनुपालन विवरण

कम्पनी के इन वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावलीख् 2015 (यथासंशोधित), के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा इन वित्तीय वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची III) में उल्लिखित प्रस्तुति की अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करके किया गया है। इन वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन की उपचय प्रणाली का अनुसरण करके गोइंग कंसर्न आधार पर किया गया है।

2.02 मापन का आधार

संबंधित इंड-एएस अपेक्षाओं के अनुसार उचित मूल्य पर मापन की गई कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं तथा परिभाषित लेखा योजन एवं अन्य दीर्घकालिकक कर्मचारी हितलाभों के अलावा इन स्टैंडएलोनवित्तीय विवरणों का निर्माण ऐतिहासिक लागत परिपाटी एवं उपचय आधार पर किया गया है।

2.03 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू / गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर की गई है।

किसी परिसम्पति का वर्गी चालू के रूप में तब किया जाता है जबः

- जिससे सामान्य परिचालन क्रम में बिक्री होने की संभावना हो अथवा जो बिक्री किए जाने अथवा उपभोग किए जाने के लिए आशित हो;
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित हो;
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो, अथवा
- जो विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

अन्य परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर-चालू के रूप में किया गया है।

किसी देयता का वर्गीकरण चालू के रूप में तब किया गया है जब :

- सामान्य प्रचालन क्रम में जिसका निपटान संभावित हो;
- जो मुख्यतः व्यवसाय के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर जिसका किया जाना हो, अथवा
- कम्पनी के पास इसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का किसी प्रकार का कोई अप्रतिबंधित अधिकार न हो।

अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू के रूप में किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों/देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू के रूप में किया गया है।

परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का चालू एवं गैर-चालू के रूप में वर्गीकरण 12 माह के सामान्य परिचालन क्रम को विचार में लेकर किया गया है।

2.04 अनुमानों एवं प्रबंधन विवेक का उपयोग

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन को ऐसे न्यायपरक निर्णय, अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का उपयोग करना पड़ता है जिनसे लेखांकन नीतियों की उपयोज्यता एवं रिपोर्ट की गई परिसम्पत्तियों, देयताओं की राशियों, स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण तथा आय एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि प्रभावित हो सकती है। वास्तविक परिणाम लगाए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों एवं संबंधित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की गई है। अनुमानों में परिवर्तन तथा वास्तविक परिणामों के मध्य भिन्नता के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं तथा अनुमानों की स्वीकृति उस अवधि के लिए की गई हैजिसके लिए परिणाम ज्ञात हुए हैं/कार्यान्वित किए गए हैं।

2.05 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष विधि के उपयोग से की गई है जबकि गैर-नकदी प्रकार एवं किन्हीं पूर्व अथवा भावी

नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के स्थगन अथवा उपचय के संव्यवहारों के प्रभाव के लिए कर पूर्व लाभ / (हानि) का समायोजन किया गया है। कम्पनी के प्रचालनों, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों से उपलब्ध नकदी सहित नकद एवं नकद समतुल्य, बैंकों में नकदी शेष, तीन माह तक की मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा तथा मांग जमा, बैंक ओवरड्राफ्टों का वह निवल जिसका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है तथा जो कम्पनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का भाग है, शामिल है।

2.06 कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल की गई मदों का मापन उस मूलभूत आर्थिक परिवेश की मुद्रा (कार्यात्मक मुद्रा) के उपयोग से किया गया है जिसमें कम्पनी अपने प्रचालन करता है। स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपये (आईएनआर) में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा है। यदि कहीं अन्यथा अपेक्षित नहीं है तो प्रत्येक वित्तीय सूचना की प्रस्तुति निकटतम लाख में राउंड ऑफ करके भारतीय रुपये में की गई है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों की प्रस्तुति उनके संव्यवहार की तिथि की प्रचलित विनिमय दरों के उपयोग से की गई है। विदेशी मुद्राओं वाली मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तिथि की प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया गया है। मौद्रिक मदों के समाधान अथवा अंतरण से उत्पन्न होने वाली विनिमय भिन्नताओं की स्वीकृति लाभ अथवा हानि में की गई है। तथापि, विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न ऋण लागत मानी गई विनिमय भिन्नताओं का पूंजीयन निर्माण अवधि में किया गया है।

2.07 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

(क) परिसम्पति के रूप में किसी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति केवल तभी की गई है जब ऐसी मद से सम्बद्ध ऐसे भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो जिनके उपयोग से मद की लागत का मापन विश्वसनीयता से किया जाना संभव हो तथा जब परिसम्पति को उसके आशित रूप में उपयोग में लाए जाने हेतु तैयार किए जाने से संबंधित सभी आश्वश्यक क्रियाएं पूरी कर ली गई हों।

(ख) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास एवं क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया गया है। परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल है:

i. परिसम्पतियों के अधिग्रहण से संबद्ध प्रत्यक्ष लागत जिनमें परिसम्पति को स्थल पर लाने तथा आशित उद्देश्य के लिए उसे परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति करने की लागतें शामिल हैं।

ii. मदों को खंडित करने अथवा हटाने तथा यदि स्वीकृति मापदंड पूरे होते हैं तो उसके मूल स्थल पर पुनःस्थापित करने की अनुमानित लागतों का वर्तमान मूल्य।

(ग) प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत का पूंजीयन स्वीकृति मापदंडों की पूर्ति होने पर किया गया है।

(घ) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति निपटान किए जाने अथवा परिसम्पतियों के निरंतर उपयोग से किसी पकार के भावी आर्थिक लाभों की संभावना न होने की स्थिति में समाप्त की गई है। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद का निपटान अथवा परित्याग किए जाने से उत्पन्न लाभ अथवा हानि का निर्धारण बिक्री से प्राप्त होने वाले धन एवं परिसम्पति की वहन राशि के मध्य भिन्नता के अनुसार किया गया है तथा लाभ अथवा हानि विवरण में इसकी स्वीकृति की गई है।

(घ) निक्षेप कार्य / अनुबंधों का पूंजीयन निष्पादन एजेंसियों लेखा विवरण प्राप्त होने के आधार पर तथा यदि यह प्राप्त नहीं होते हैं तो निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

मूल्यह्रास / परिशोधन

(क) निम्नलिखित मामलों के अलावा, जिनमें उपयोज्यता काल का निर्धारण तकनीकी तथा / अथवा प्रबंधन मूल्यांकन आधार पर किया गया है, सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के उपयोग से कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची □□ में किए गए विनिर्देशन के अनुसार परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल में किया गया है:

परिसम्पति का नाम	विचार में लिया गया उपयोज्यता काल	विचार में ली गई मद की प्रकृति
ईडीपी परिसम्पतियां	3 वर्ष	सर्वर्स एवं नेटवर्क उपकरण
निर्दिष्ट कार्यालय उपकरण निर्दिष्ट फर्नीचर एवं जुड़नार	4 वर्ष	फर्नीचर जुड़नार, कार्यालय उपकरण तथा कर्मचारी के आवास कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई अन्य परिसम्पतियां

(ख) 5,000/- रुपये अथवा कम मूल्य की वैयक्तिक परिसम्पतियों का 100 % मूल्यह्रास उनके क्रय के वर्ष में उनके वाणिज्यिक काल को विचार में लेकर तथा पहचान के उद्देश्य से 1 रुपये के टोकन मूल्य को स्वीकृति देकर किया गया है।

(ग) मोबाइल फोन का पूंजीयन क्रय के वर्ष में किया गया है।

(घ) यदि किसी भाग की लागत किसी मद की कुल लागत से अधिक है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल परिसम्पति के शेष उपयोज्यता काल से भिन्न है तो सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग अलग किया गया है।

(ङ) पट्टाधारित सुधारों का परिशोधन पट्टा अवधि के दौरान उस माह से किया गया है जिस माह में ऐसे सुधारों का पूंजीयन हुआ है।

(च) मूल्यह्रास विधियों, उपयोज्यता काल एवं शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की गई है।

2.08 अमूर्त परिसम्पतियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की गई है जब ऐसी परिसम्पति से सम्बद्ध आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षमता हानि, यदि कोई हो, पर किया गया है।

अनुसंधान व्यय की स्वीकृति व्यय के रूप में तब की गई है जब इनका व्यय किया गया है। विकास गतिविधियों पर व्यय की स्वीकृति अमूर्त परिसम्पति के रूप में तब की गई है जब यह इंड एएस 38 'अमूर्त परिसम्पतियां' के पात्रता मापदंडों के अनुरूप हो तथा ऐसा न होने पर इसकी स्वीकृति व्यय के रूप में की गई है।

परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से उनके संबंधित अनुमानित उपयोज्यता काल में किया गया है। परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की गई है।

अमूर्त परिसम्पतियों का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नानुसार है:-

क) ऐसे साफ्टवेयर (अधिग्रहित / स्वयं तैयार किया गया), जो हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है, का परिशोधन, उपयोग की विधिक अधिकार की अवधि अथवा 3 वर्ष में, जो भी पहले हो, सीधी रेखा विधि के उपयोग से किया गया है।

ख) अन्य अमूर्त परिसम्पतियों (अधिग्रहित / स्वयं तैयार की गई) का परिशोधन, उपयोग की विधिक अधिकार की अवधि अथवा 5 वर्ष में, जो भी पहले हो, सीधी रेखा विधि के उपयोग से किया गया है।

ग) 5,000 रुपये अथवा कम मूल्य की लागत की अमूर्त परिसम्पतियों का पूर्ण मूल्यह्रास / परिशोधन उनके क्रय के वर्ष में एवं पहचान उद्देश्य से 1 रुपये के टोकन मूल्य पर किया गया है।

2.09 पूंजी कार्य प्रगति पर

ऐसे व्यय जिनकी प्रत्यक्ष पहचान कम्पनी द्वारा निवर्हन की जा रही परियोजना से संबंधित हो सकती है उसे ''पूंजी परियोजना व्यय'' के अंतर्गत ''पूंजी कार्य प्रगति पर'' में प्रभारित किया गया है। कर्मचारी हितलाभ एवं अप्रत्यक्ष व्यय जैसे परियोजना से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय परियोजना में प्रभारित किए गए हैं। अन्य ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय जो परियोजना एवं परियोजना से अलग हैं, उन्हें संबंधित परियोजना कॉरीडोर एवं अन्य संबंध कारकों को विचार में लेकर प्रबंधन निर्णय के अनुसार आनुपातिक रूप से परियोजना से सम्बद्ध किया गया है।

निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि जैसी निर्माण अवधि से संबंधित आय का समायोजन निर्माण के दौरान किए गए व्यय तथा अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, में, आशित उपयोग के लिए परिसम्पतियों के तैयार होने से पूर्व परिसम्पतियों की लागत के प्रति किया गया है।

2.10 पूंजी अग्रिम

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के प्रति चुकता किए भुगतान के बकाया का प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में वर्गीकरण अन्य गैर-चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजी अग्रिम के रूप में किया गया है।

2.11 भूमि

भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के फ्रेमवर्क की अपेक्षा के अनुसार नियंत्रण के आधार पर भूमि की स्वीकृति परिसम्पति के रूप में की गई है।

विभिन्न सरकारी निकायों एवं विभागों सहित भू-स्वामियों द्वारा सौंपे गए तथा कम्पनी द्वारा कब्जा प्राप्त किए गए भूखंडों का पूंजीयन कम्पनी द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त किए जाने अथवा भुगतान किए जाने, जो भी हो, के समय कर लिया जाता है तथा ऐसा कब्जा प्राप्त किए जाने एवं मूल्य ज्ञात न होने की स्थिति में नहीं किया गया है।

सरकार से टोकन मूल्य पर प्राप्त भूमि, जिसके स्वामित्व अधिकार कम्पनी के पास हैं, की स्वीकृति इस विचार से टोकन मूल्य पर की गई हैकि भूमि का आबंटन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया है।

संवर्धित प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, को राशि के अनुमान न लगाए जा सकने के कारण तब प्रभारित किया जाएगा जब भुगतान देय होता है।

भूमि से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, अन्य संबंधित शुल्क, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की लागत एवं अन्य सम्बद्ध किए जाने योग्य व्यय भूमि में लागत में जोड़े जाते हैं।

कब्जा प्राप्त पट्टाधारित भूमि सहित अस्थाई / अनुवर्ती प्रभाव से भूमि की लागत अथवा प्रतिपूर्ति के लिए किए गए भुगतान, संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत, जिसमें से ध्वंस की गई संरचनाओं से प्राप्त बिक्री प्रतिफल को घटाया जाना है, को भूमि अथवा पट्टाधारित भूमि की लागत माना जाता है।

कम्पनी के लिए भूमि की खरीद के ''भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी' (सीएएलए) के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाते में जमा की गई राशि को प्रारंभ में भूमि के लिए अग्रिम माना जाता है। सीएएलए खातों में से भू-स्वामियों को उक्त उद्देश्य से सीधे किए गए भुगतान का समायोजन भूमि की लागत में किया गया है तथा सीएएलए में बकाया शेष को अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

2.12 गैर-वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानि

परिसम्पतियों की क्षमता हानि से संबंधित इंड एएस 36 के अनुसार कम्पनी की परिसम्पतियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को यह निर्धारण करने के लिए की गई हैकि क्या इनमें किसी प्रकार के क्षमता हानि के संकेत प्रतीत हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के अनुमान उचित मूल्य से उच्चतर मूल्य पर बिक्री की लागत एवं उपयोग मूल्य को घटाकर लगाए जाते हैं। लाभ एवं हानि विवरण में किसी क्षमता हानि की स्वीकृति तब की गई है जब किसी परिसम्पति अथवा इनकी नकद उत्पति यूनिट की वहन राशि इसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूलीयोग्य हानि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तथा ऐसी हानियों का अब कोई आस्तित्व नहीं है अथवा ये कम हो गई हैं तो पूर्व लेखांकन अवधियों में अक्षमता हानि के लिए प्रदान की गई स्वीकृति को रिवर्स कर दिया जाता है। क्षमता हानि में किए गए ऐसे रिवर्सल की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है।

2.13 (क) राजस्व स्वीकृति

i. राजस्व की स्वीकृति उस सीमा तक की गई है जब यह संभावना हो कि उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे राजस्व का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा। तथापि, राजस्व में पहले से ही शामिल किसी प्राप्ति के संबंध में किसी प्रकार की अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो वसूली न किए जाने योग्य राशि, अथवा वह राशि जिसकी वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, की स्वीकृति पहले से ही स्वीकृत की गई राजस्व राशि के समायोजन के स्थान पर व्यय के रूप में की गई है।

ii. ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की गई है जब माल अथवा सेवाओं का अंतरण ग्राहक को उस प्रतिफल के रूप में दर्शाई गई राशि पर किया गया है जो कम्पनी माल अथवा सेवाओं का विनिमय किए जाने पर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा करता है।

iii. प्राप्त अथवा प्राप्तियोग्य प्रतिफल के राजस्व का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।

iv. प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति उस लेखांकन अवधि में की गई हैजिस अवधि में सेवाएं प्रदान की गई हैं। राजस्व की स्वीकृति समय अथवा समय के किसी एक बिन्दु पर निष्पादन दायित्व पूरे किए जाने के आधार पर की गई है।

a. किसी समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व संतुष्ट होने के मामले में राजस्व की स्वीकृति प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रदान की गई कुल सेवाओं के अनुपात के आधार पर की स्वीकृति की गई है। ऐसे निर्धारण भौतिक प्रगति, प्रयासों, संव्यवहार की कुल अनुमानित लागत के वहन के लिए अद्यतन व्यय, व्ययतित समय, निष्पादित सेवा अथवा प्रबंधन द्वारा उचित समझी गई अन्य किसी विधि के आधार पर किए जाते हैं।

b. अन्य मामलों मे, जहां समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व संतुष्ट नहीं होते हैं, राजस्व की स्वीकृति समय बिन्दु पर की गई है।

c. ऐसे अनुबंधों के मामले में जिनमें ग्राहक भुगतान अनुसूची के आधार पर नियत राशि का भुगतान करता है, तो यदि कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भुगतान से अधिक होती हैं तो अनुबंध परिसम्पति की स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि भुगतान प्रदान की गई सेवाओं से अधिक होते हैं तो अनुबंध दायित्व की स्वीकृति की गई है।

d. संग्रहण शुल्क को गतिविधियों / अनुबंध/कार्य आदेश के निबंधनों के अनुसार संव्यवहारों के पूर्ण होने के चरण के आधार पर राजस्व की स्वीकृति दिए जाने तक ग्राहक अग्रिम माना जाता है।

e. धनवापसी योग्य एवं आपूर्तियों का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

f. निर्माण प्रबंधन / पर्यवेक्षण नियंत्रण के लिए राजस्व की स्वीकृति प्रबंधन, ग्राहक से लंबित अनुमोदन, यदि कोई हो, द्वारा प्रत्येक अनुबंध के लिए निर्धारित कार्य सम्पन्नता / निर्माण लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में की गई है।

(ख) अन्य राजस्व स्वीकृति

i. ब्याज आय की स्वीकृति समय अनुपात आधार पर प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से बकाया राशि के लेखे एवं लागू ब्याज दर को विचार में लेकर की गई है।

ii. लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने, इकाई को आर्थिक लाभ प्रवाहित होने एवं राशि का मापन विश्वसनीयता के साथ किए जाने की स्थिति में किया गया है।

iii. किरायों तथा परिचालनात्मक पट्टों से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति उपचय आधार पर, संबंधित अनुबंध के सार के अनुसरण में, की गई है।

2.14 कर्मचारी हितलाभ

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं: कम्पनी द्वारा भविष्य निधि योजना एवं कर्मचारी पेंशन योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को परिभाषित अंशदान चुकता किए जाते हैं। कम्पनी द्वारा योजना के विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किए जाते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत चुकता / देय भुगतान की स्वीकृति उस अवधि में की गई है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं: परिभाषित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, सेवा समाप्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ, सामान भत्ता शामिल हैं। इनकी देयताओं की स्वीकृति तुलन पत्र में परिभाषित हितलाभ दायित्व के विद्यमान मूल्य पर तुलन पत्र तिथि को की गई है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि (पीयूसी) के उपयोग से की गई है।

- कम्पनी द्वारा परिभाषित हितलाभ योजना के निवल दायित्व की तुलन पत्र में स्वीकृति निवल दायित्व के रूप में की गई है।
- पुन: मापन किए गए निवल परिभाषित देयता के माध्यम से लाभ अथवा हानि की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की गई है।

- निवल परिभाषित हितलाभ देयता/(परिसम्पति) पर सेवा लागत एवं निवल ब्याज लागत /(आय) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है।

(ग) बीमांकित लाभ एवं हानियों से युक्त पुन:मापन के लिए, परिभाषित हितलाभ दायित्व एवं योजनागत परिसम्पतियों के प्रतिफल (निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल ब्याज में शामिल राशियों के अलावा) के निवल ब्याज में शामिल राशियों के अलावा, परिसम्पति की ऊपरी सीमा के प्रभाव की अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में संबंधित अवधि में तत्काल स्वीकृति तब की गई है जब यह घटित होता है। अनुवर्ती अवधि में लाभ एवं हानि के पुन:मापन का पुन:वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(घ) प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के मामले में उनके मूल संगठन की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नियम एवं शर्तों के आधार पर विदेश सेवा अंशदान के लिए प्रावधान / दायित्व पूरे किए जाते हैं तथा इन्हें प्रोद्भवन आधार पर चुकता अथवा लेखा बहियों में लेखांकित किया गया है।

(ङ) अल्प-कालिक हितलाभ: अल्प-कालिक कर्मचारी हितलाभों का मापन गैर-बट्टा आधार पर किया गया है तथा इसका मूल्यन संबंधित सेवा के प्रति किया गया है।

2.15 ऋण लागतें

सामान्य तथा विशिष्ट ऋण लागतों, जिनकी संबद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्हक परिसम्पति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है, का पूंजीयन उस समयावधि के दौरान किया गया है जिसमें परिसम्पति को उसके आशित उद्देश्य से उपयोग के लिए तैयार किया गया है।

अर्हक परिसम्पति वह परिसम्पति है जिसे आशित उपयोग के लिए किसी निश्चित समय अवधि में तैयार किया गया है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में व्यय किए जाने की अवधि में की गई है।

विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं का समायोजन ब्याज लागतों में तब किया गया है जब उन्हें ऐसी ऋण लागत माना जाता है जो अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से सीधे सम्बद्ध है।

समायोजन के लिए योग्य विनिमय दर उतार चढ़ाव हानि का निर्धारण विदेशी मुद्रा में ऋण लागत तथा संचयी अवधि एप्रोच पर उतार चढ़ाव वाली विदेशी मुद्रा की ऋण के मध्य तुलना करके किया गया है।

2.16 आय कर

(क) चालू आय कर

आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत आकलित करयोग्य आय एवं कर क्रेडिट के आधार पर किया गया है।

चालू कर परिसम्पतियों एवं चालू कर देयताओं का समंजन (आफसेट) तब किया गया है जब स्वीकृत राशियों के समंजन का प्रवर्तनयोग्य विधिक अधिकार हो तथा परिसम्पतियों एवं देयताओं का निवल आधार पर निपटान किए जाने की मंशा हो।

अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित चालू कर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में की गई है।

ख) आस्थगित कर

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा ''आय कर'' के संबंध में जारी भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस 12) के अनुसार

i. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों एवं देयताओं की स्वीकृति ऐसी अस्थाई भिन्नताओं के लिए की गई हैजिनका आकलन कर दरों एवं प्रवर्तित अथवा रिपोर्टिंग तिथि को वस्तुत: प्रवर्तित कर विधियों के उपयोग से किया गया है।

ii. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों की स्वीकृति तब की गई है जब ऐसी संभावना हो कि उससे करयोग्य लाभ उपलब्ध हो सकेंगे जिनसे कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिटों का अग्रेषण तथा अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

iii. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं आस्थगित कर देयताओं का समंजन (आफसेट) तब किया गया है जब चालू कर से संबंधित देयताओं के प्रति परिसम्पतियों के समंजन का प्रवर्तनयोग्य विधिक अधिकार हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं आस्थगित कर देयताओं की सम्बद्धता समान शासी कराधान विधि द्वारा आय पर लगाए गए करों से हो।

iv. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का मापन उन कर दरों एवं कर विधियों के उपयोग से किया गया है जो प्रवर्तित अथवा तुलन पत्र तिथि को वस्तुत: प्रवर्तित हैं। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को कम्पनी अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पतियों, यदि कोई हों, का पुन: मूल्यांकन करता है।

v. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों की वहन राशि की पुनरीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की गई हैतथा इसे उस सीमा तक न्यून किया गया है जिस सीमा तक यह संभावना प्रतीत नहीं होती है कि इससे उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक अथवा आंशिक आस्थगित आय कर परिसम्पतियों के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध हो सकेंगे।

vi. अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित आस्थगित कर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में की गई है।

2.17 निवेश सम्पतियां

a. निवेश सम्पति में सम्पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति वित्त पट्टे के अंतर्गत वह सम्पति शामिल होती है जिसका धारण व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों के लिए न किए जाने के स्थान पर किराया उपार्जित करने अथवा पूंजी प्रतिफल प्राप्त करने अथवा दोनों के लिए किया गया हो।

b. निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति लागत पर, संचित मूल्यह्रास एवं उत्पन्न अक्षमता हानियों का निवल, यदि कोई हो, की गई है।

c. मूल क्रय किए जाने की तिथि से कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची □□ में किए गए वर्णन के अनुसार निवेश सम्पति के प्रत्येक घटक का मूल्यह्रास किया गया है।

d. निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की गई है जब उनकी बिक्री कर दी गई हो अथवा उन्हें स्थाई रूप से उपयोग में न लाया जा रहा हो तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के मध्य भिन्नता की स्वीकृति लाभ एवं हानि में स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि में की गई है।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पतियां

क) देयताओं के संबंध में प्रावधानों की स्वीकृति केवल तब की गई है जब अनुमानों के किसी महत्वपूर्ण स्तर तक उनका मापन किया जाना संभव हो, जिसके लिए:

i. कम्पनी के पास किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व हो।

ii. संसाधनों के बर्हिप्रवाह से दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो; तथा

iii. जब दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की गई है।

प्रावधानों को न्यून करना

जब धन का समय मूल्य प्रभाव वस्तुगत होता है तो प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित संभावित व्यय होती है।

ख) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण निम्नलिखित प्रत्येक मामले में किया गया है :-

i. किसी पूर्व घटना के कारण उत्पन्न कोई विद्यमान दायित्व, जिसमें दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना न हो; अथवा

ii. विद्यमान दायितव के लिए विश्वसनीय अनुमान न लगाए जा सकते हों; अथवा

iii. यदि संसाधन के बर्हिप्रवाह की संभावना काफी कम नहीं है तो किसी संभावित दायित्व के लिए

आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसम्पति के प्रति अपेक्षित प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की गई है।

ग) आकस्मिक परिसम्पतियों का प्रकटीकरण तब किया गया है जब आर्थिक लाभ के अंतर्प्रवाह की संभावना हो।

2.19 पट्टे

(क) पट्टाधारक के रूप में

(i) कम्पनी द्वारा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति एवं पट्टा देयताएं की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि को की गई है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का प्रारंभिक मापन लागत पर किया गया है जिसमें प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान जमा व्यय की गई कोई प्रत्यक्ष लागत तथा परिसम्पति को विखंडित करने तथा हटाने अथवा परिसम्पति अथवा स्थल, जहां यह स्थित है, को पुन: स्थापित पर व्यय की गई प्रारंभिक लागत में से प्राप्त प्रकार के पट्टा प्रोत्साहन घटाकर समायोजन के साथ पट्टा देयताएं की प्रारंभिक राशि शामिल होती है।

(ii) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का अनुवर्ती मूल्यह्रास उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के उपयोज्यता काल अथवा पट्टा काल के अंत से पहले की प्रारंभ तिथि से सीधी रेखा विधि का उपयोग करके किया गया है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल का निर्धारण भी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के समान आधार पर किया गया है। इसके अलावा, उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की आवधिक न्यूनता अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के लिए की गई हैतथा इन्हें पट्टा देयताएं के कतिपय पुन:मूल्यांकनों में समायोजित किया गया है।

(iii) पट्टा देयताएं का प्रारंभिक मापन प्रारंभ तिथि को चुकता न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर, पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दर अथवा यदि दर का निर्धारण तत्काल नहीं किया जा सकता है तो कम्पनी की आवर्धित ऋण दर में कटौती करके, किया गया है।

(iv) प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से पट्टा देयताएं का परिशोधन लागत पर मापन किया गया है, इसका पुन:मापन तब किया गया है जब सूचकांक अथवा में परिवर्तन के कारण भावी पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है। जब इस प्रकार से पट्टा देयताएं का पुन:मापन किया गया है तो उपयोग अधिकार वाली सम्पति की वहन राशि में अनुवर्ती समायोजन किए जाते हैं अथवा यदि उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की वहन राशि कम होकर शून्य हो गई है तो इसे लाभ एवं हानि में रिकार्ड किया गया है।

(v) कम्पनी द्वारा उस उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की प्रस्तुति की गई हैजो तुलन पत्र में ''उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति'' के लिए निवेश परिसम्पति एवं पट्टा दायित्वों के लिए तुलन पत्र में ''अन्य वित्तीय दायित्वों'' की परिभाषा में नहीं आती है।

(vi) अल्पावधि के पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे:-

कम्पनी ने अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के संबंध में कम्पनी ने 12 माह से कम पट्टा काल के पट्टों तथा न्यून मूल्य की उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों एवं पट्टा देयताओं की स्वीकृति न करने का चयन किया है। कम्पनी ऐसी परिसम्पतियों से सम्बद्ध पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में पट्टा काल के लिए करता है।

(ख) पट्टाकार के रूप में

जब कम्पनी पट्टाकार के रूप में प्रक्रिया करता है तो इसके द्वारा प्रारंभ में प्रत्येक पट्टे के संबंध में किसी पट्टे के वित्त पट्टे होने अथवा परिचालन पट्टे होने का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक पट्टे के वर्गीकरण के लिए कम्पनी सम्पूर्ण मूल्यांकन करके यह ज्ञात करता है कि क्या पट्टा अंतरणों से पट्टे के स्वामित्व से जुड़े इसके सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल का अंतरण होता है अथवा नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो तो वित्त पट्टा होता है तथा यदि नहीं होता है तो यह परिचालन पट्टा होता है। अपने मूल्यांकन के अंतर्गत कम्पनी परिसम्पति से सम्बद्ध आर्थिक उपयोज्यता काल से सम्बद्ध कारको के होने तथा होने जैसे विभिन्न सूचकों पर भी विचार करती है।

कम्पनी द्वारा परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा विधि के उपयोग से ''अन्य आय'' के अंतर्गत पट्टा काल के लिए आय के रूप में की गई है।

2.20 अनुदान

(i) सरकार से इक्विटी के प्रति परिसम्पतियों के निर्माण हेतु पूंजी व्यय के लिए प्राप्त अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है।

(ii) परिसम्पतियों के निर्माण के लिए पूंजी व्यय के रूप में अन्यों से प्राप्त तकनीकी अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। सम्बद्ध परिसम्पतियों के काल में आय के रूप में प्रत्येक वर्ष इनकी तदनंतर स्वीकृति ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यह्रास करते हुए आनुपातिक रूप में की गई है।

(iii) राजस्व व्यय के लिए अन्यों से प्राप्त अनुदान को व्यय के वास्तविक वहन के दौरान राजस्व व्यय माना गया है।

2.21 अधीनस्थ नामे

भारत सरकार, दिल्ली सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार (कम्पनी के प्रोमोटर्स) द्वारा कम्पनी को ब्याज मुक्त अधीनस्थ नामे प्रदान किए गए हैं जिनका पुनर्भुगतान एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से प्राप्त ब्याज युक्त सीनियर नामे के पुनर्भुगतान के पश्चात कम्पनी को देय होता है। सरकार से प्राप्त अधीनस्थ नामे ब्याज मुक्त हैं अतः इन्हें इंड एएस 109 तथा इंड एएस 113 की अपेक्षाओं के अनुसार उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया गया है, जबकि वित्तीय परिसम्पतियां अथवा वित्तीय देयताओं का मापन उनके उचित मूल्य पर किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, ब्याज मुक्त अधीनस्थ नामे का मापन उनके उचित मूल्य पर किया गया है तथा अधीनस्थ नामे राशि से एवं उचित मूल्य राशि के बीच अंतर की राशि ज्ञात करके उसकी इक्विटी में स्वीकृति गैर पारस्परिक पूंजी अंशदान के रूप में की गई है।

2.22 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मौलिक आय का आकलन अवधि से संबंधित निवल लाभ अथवा हानि को इक्विटी शेयर धारकों की अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या के भारित औसत से विभाजित करके किया गया है। प्रति शेयर डाय्ल्युटिड आय का आकलन करने के उद्देश्य से वर्ष में अर्जित निवल लाभ अथवा हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत से सम्बद्ध करके उनका समायोजन संभावित इक्विटी शेयरों पर डाय्ल्युटिड प्रभाव के लिए किया गया है।

2.23 इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त / देय लाभांश की स्वीकृति उस वर्ष के लिए की गई हैजिस वर्ष संबंधित लाभांशों को निदेशक मंडल द्वारा यथा उपयुक्त के रूप में अनुमोदित किया गया है।

2.24 उचित मूल्य मापन

i. कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कतिपय वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य पर मापन किया गया है।

ii. उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति की बिक्री किए जाने पर प्राप्त होने अथवा देयता के अंतरण के लिए भुगतान किए जाने हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रुप में निष्पादित होगाः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, अथवा
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

कम्पनी के लिए प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे।

कम्पनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

2.25 वित्तीय लिखत :-

(i) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं की स्वीकृति तब की गई है जब कम्पनी लिखत के संविदागत प्रावधानों में पार्टी बनती है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया गया है। अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय देयता की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए मापन किए गए उचित मूल्य जोड़ अथवा घटा दिया गया है।

(ii) अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसम्पतियां

वित्तीय परिसम्पतियों का निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है :-

क. परिशोधन लागत पर

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधन लागत पर तब किया गया है जब वित्तीय परिसम्पतियों का धारण ऐसे व्यवसाय मॉडल के लिए किया गया हो जिसका लक्ष्य ऐसी परिसम्पतियों के धारण से संविदागत नकदी प्रवाह का संग्रह करना है तथा वित्तीय परिसम्पति की संविदागत शर्तों से किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह की उत्पत्ति हो सके जो केवल बकाया मूल राशि के प्रति मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए हो।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

वित्तीय परिसम्पतियों का उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापन तब किया गया है जब ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का धारण किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के लिए किया गया हो जिसका लक्ष्य संविदागत नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसम्पतियों की बिक्री, दोनों, के माध्यम से पूर्ति करना हो तथा वित्तीय परिसम्पति की संविदागत शर्तों से किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह की उत्पत्ति हो सके जो केवल बकाया मूल राशि के प्रति मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए हो।

ग. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से वित्तीय परिसम्पतियों का मापन तब किया गया है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर इनका मापन परिशोधन लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर न किया गया हो। वित्तीय परिसम्पतियों के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों तथा लाभ अथवा हानि के माध्यम से देयताओं के उचित मूल्य की त्वरित स्वीकृति लाभ अथवा हानि में की गई है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रुप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं की प्रस्तुति आरंभिक तौर पर उचित मूल्य और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर की गई है।

ख. एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कम्पनी ने एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को निर्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) गैर-स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के कम्पनी का भाग) को केवल तभी गैर-स्वीकृत किया गया है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है अथवा वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपत्तियों को अंतरित करता है अथवा परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों अथवा लाभों को अंतरित करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर-स्वीकृत तब किया गया है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का पालन हो जाता है अथवा वे रद्द अथवा समाप्त हो जाते हैं। जब व्यापक रुप से भिन्न शर्तों पर अथवा मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया गया है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया गया है।

(iv) वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानि:

कम्पनी क्षमता हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल (ईसीएल) का प्रयोग करता है। । कम्पनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रहा है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है। अपितु आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ईसीएल के उपयोज्यता काल के आधार पर क्षमता हानि को स्वीकृति दी गई है।

कम्पनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण प्रपत्रों के माध्यम से अग्रेषित अपनी परिसंपत्तिंयों को संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करता है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षमता हानि भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है।

2.26 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां

बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियों का परिसम्पतियों के रूप में वर्गीकरण तब किया गया है जब उनकी वहन राशि की मूलतः वसूली बिक्री संव्यवहार के माध्यम से की जानी हो तथा बिक्री की संभावना अत्यधिक प्रबल हो। बिक्री की संभावना को अत्यधिक प्रबल तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान कम्पनी अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए तत्काल उपलब्ध हो, जिसमें बिक्री के प्रत्याहार की संभावना न हो और वर्गीकरण किए जाने की तिथि से बिक्री एक वर्ष में किए जाने की संभावना हो। बिक्री के धारित के रूप वर्गीकृत किए गए निपटान कम्पनी की प्रस्तुत निम्नतर वहन राशि एवं बिक्री लागत घटा उचित मूल्य पर की गई है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया गया है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति वित्तीय विवरणों में अलग से की गई है।

''बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां तथा समाप्त प्रचालन'' से संबंधित इंड एएस 105 में उल्लिखित मापदंड यदि पूरे नहीं होते हैं तो बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान कम्पनी का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। बिक्री के धारित के वर्गीकरण से बाहर की गई गैर-चालू परिसम्पतियों का मापन (i) बिक्री के लिए धारित के रूप में किए गए वर्गीकरण से पूर्व की उनकी वहन से न्यून स्तर पर करके उस मूल्यह्रास के लिए समायोजित किया गया है जिसकी स्वीकृति तब की जाती यदि परिसम्पति का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित के रूप में न किया जाता, तथा (ii) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि न्यून स्तर पर है जब बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान कम्पनी का वर्गीकरण समाप्त हुआ था।

2.27 तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं

तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित होने वाली घटनाओं को इंड एएस 10 (आकस्मिकताएं एवं तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं) के अनुसरण में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय विचार में लिया जाता है।

2.28 सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश

सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश का वहन लागत में से संचित क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया गया है। जब क्षमता हानि के संकेत विद्यमान होते हैं तो निवेश की वहन राशि का मूल्यांकन किया गया है तथा इसकी वसूलीयोग्य राशि का प्रतिलेखन किया गया है। निवेश के निपटान के पश्चात निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशियों के मध्य के अंतर की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में की गई है।

2.29 पूर्वावधि समायोजन

पूर्वावधि की सामग्रीगत चूकों में पूर्वव्यापी तौर पर सुधार करके उनका पुनर्लेखन तुलनात्मक राशियों के उल्लेख के साथ उन पूर्वावधियों के लिए किया गया है जिस अवधि में चूक हुई है। यदि चूक की उत्पत्ति प्रस्तुत पूर्वावधि से पहले की है तो पूर्व प्रस्तुत पूर्वावधि के लिए परिसम्पतियों, देयताओं एवं इक्विटी के अथ शेषों का, यदि अव्यवहार्य नहीं है, पुनः उल्लेख किया गया है तथा अव्यवहार्य होने के मामले में तुलनात्मक सूचना का समायोजन व्यवहार्य पूर्व तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।

2.30 नकदी एवं नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक में जमा नकदी, उपलब्ध नकदी तथा तीन माह अथवा कम अवधि वाले अल्पकालिक जमा शामिल हैं जिन्हें ज्ञात राशि के लिए तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य में परिवर्तन का अल्प जोखिम है।

2.31 वे लेखांकन नीतियां जो वर्तमान में कम्पनी से सम्बद्ध नहीं है उनके संबंध में प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं। जब कभी ऐसी लेखांकन नीतियां सम्बद्ध होंगी तो प्रकटीकरण किए जाएंगे।

नोट 3 : सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहन मूल्य
	1 अप्रैल, 2023 की स्थिति	आवर्धन	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2024 की स्थिति	1 अप्रैल, 2023 की स्थिति	आवर्धन	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2024 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	87,933.67	51,371.74	(109.29)	1,39,196.12	-	-	-	-	1,39,196.12
पट्टाधारित भूमि	39,545.59	507.05	-	40,052.64	-	-	-	-	40,052.64
फ्रीहोल्ड भवन	651.93	-	-	651.93	21.07	23.44	-	44.51	607.42
पट्टाधारित सुधार	2,845.79	21.24	-	2,867.03	1,634.24	519.65	-	2,153.89	713.14
अस्थाई भवन	1,341.82	7.09	-	1,348.91	1,186.95	89.07	-	1,276.02	72.89
ईडीपी परिसम्पतियां	1,368.16	123.82	(54.95)	1,437.03	468.83	378.92	(44.08)	803.67	633.36
कार्यालय उपकरण	1,061.17	72.43	(0.35)	1,133.25	458.12	174.92	(0.33)	632.71	500.54
फर्नीचर एवं जुड़नार	1,050.88	77.46	(12.76)	1,115.58	292.13	104.76	(2.92)	393.97	721.61
संयंत्र एवं मशीनरी	10.58	133.30	-	143.88	0.48	3.51	-	3.99	139.89
सुरक्षा उपकरण कार्यालय	109.45	91.15	-	200.60	17.38	23.47	-	40.85	159.75
योग	**1,35,919.04**	**52,405.28**	**(177.35)**	**1,88,146.97**	**4,079.20**	**1,317.74**	**(47.33)**	**5,349.61**	**1,82,797.36**

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहन मूल्य
	1 अप्रैल, 2023 की स्थिति	आवर्धन	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2024 की स्थिति	1 अप्रैल, 2023 की स्थिति	आवर्धन	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2024 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	55,374.77	37,383.40	(4,824.50)	87,933.67	-	-	-	-	87,933.67
पट्टाधारित भूमि	20,361.47	14,629.93	4,554.19	39,545.59	-	-	-	-	39,545.59
फ्रीहोल्ड भवन	476.66	175.27	-	651.93	2.96	-	18.11	21.07	630.86
पट्टाधारित सुधार	2,223.69	622.35	(0.25)	2,845.79	599.38	1,034.86	-	1,634.24	1,211.55
अस्थाई भवन	1,341.82	-	-	1,341.82	762.08	442.98	(18.11)	1,186.95	154.87
ईडीपी परिसम्पतियां	423.07	997.21	(52.12)	1,368.16	233.72	276.38	(41.27)	468.83	899.33
कार्यालय उपकरण	855.89	208.80	(3.52)	1,061.17	298.52	162.19	(2.59)	458.12	603.05
फर्नीचर एवं जुड़नार	902.90	161.84	(13.86)	1,050.88	194.97	98.26	(1.10)	292.13	758.75
संयंत्र एवं मशीनरी	-	10.58	-	10.58	-	0.48	-	0.48	10.10
सुरक्षा उपकरण कार्यालय	-	109.45	-	109.45	-	17.38	-	17.38	92.07
योग	**81,960.27**	**54,298.83**	**(340.06)**	**1,35,919.04**	**2,091.63**	**2,032.53**	**(44.96)**	**4,079.20**	**1,31,839.84**

स्पष्टीकरण नोट

(i) पट्टाधारित भूमि, इसमें निम्नलिखित शामिल है -

(क) जिला गाजियाबाद में दुहाई, भीकनपुर एवं बसंतपुर संथिल ग्रामों में दुहाई डिपो के लिए 0.1014 हेक्टेयर (0.9514 हेक्टेयर) की निजी भूमि की लागत की 26.27 लाख रुपये (876.99 लाख रुपये) की स्टाम्प ड्यूटी सहित राशि का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया है। दरों का निर्धारण जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद की अध्यक्षता वाली जिला स्तर दर निर्धारण समिति द्वारा किया गया था तथा इसके लिए अनुमोदन मंडल आयुक्त, मेरठ ने प्रदान किया है। 14.24 हेक्टेयर (33.385 हेक्टेयर) माप की भूमि का नाम परिवर्तन कम्पनी के नाम से कर दिया गया है तथा 3.747 हेक्टेयर (17.885 हेक्टेयर) माप की शेष भूमि के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की जा रही है।

(ख) सिवाया ग्राम जिला मेरठ में मोदीपुरम स्टेशन की 1.13 हेक्टेयर (20.05 हेक्टेयर) भूमि का नाम परिवर्तन कम्पनी के नाम से कर दिया गया है तथा शेष 0.15 हेक्टेयर (1.28 हेक्टेयर) माप की भूमि के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया जा रही है।

(ग) गाजियाबाद जिला के बोहांजा, दुहाई, धारगल एवं बिश्कोर में राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रभारों एवं पीएपी को आर एवं आर भुगतानों सहित 39,84.45 लाख रुपये (221,39.82 लाख रुपये) की 7,505.55 वर्गमीटर (26,599.17 वर्गमीटर) भूमि की लागत का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भूमि अर्जन, पुनर्सासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिनियम के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं मूल्य पर किया गया था।

(घ) जिला मेरठ में मोदीपुरम डिपो के सिवाया, मेरठ में राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रभारों एवं पीएपी को आर एवं आर भुगतानों सहित 2,23,26.23 लाख रुपये की 23.61 हेक्टेयर

भूमि की लागत का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भूमि अर्जन, पुनर्सासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिनियम के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं मूल्य पर किया गया था।

(ङ) जिला मेरठ में परतापुन, मोखमपुर, अमीनगर, मेरठ खास, हफिजाबाद मेवला, रोशनपुर दौरली, डुलेहरा चौहान तथा मुकार्रबपुर पलहेड़ा में राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रभारों एवं पीएपी को आर एवं आर भुगतानों सहित 2,33,98.78 लाख रुपये 5.04 हेक्टेयर भूमि की लागत का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भूमि अर्जन, पुनर्सासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिनियम के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं मूल्य पर किया गया था।

(च) दिल्ली के चक चिला ग्राम में स्टाम्प ड्यूटी सहित 34.56 लाख रुपये (7.80 लाख रुपये) की राशि की 906.08 वर्गमीटर (293.82 वर्गमीटर) भूमि की लागत का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया है।

(छ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली द्वारा आनन्द विहार एवं पटपटगंज इंस्टीट्यूशनल एरिया में आबंटित 8,469 वर्गमीटर की 1601.43 लाख रुपये (स्टाम्प ड्यूटी एवं 118.62 लाख रुपये के स्वामित्व पंजीकरण प्रभार सहित) की लागत की भूमि का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया है।

(ज) अंतरण अनुबंध के लिए लम्बित विभिन्न सरकारी एजेंसियों की ओर से आबंटित भूमि से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	हक विलेख धारक का नाम / वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से संपति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि* (रुपये लाख में)	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित अथवा प्रोमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2019-20	1588.54 वर्गमीटर	2,01.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सराय कालेखान, दिल्ली	2020-21	2.98 एकड़	18,44.91	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	खिचड़ी पुर, दिल्ली	2021-22	7241.54 वर्गमीटर	1,369.32	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सिद्धार्थ एक्सटेंशन, दिल्ली	2021-22	12.56 वर्गमीटर	1.92	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	259.50 वर्गमीटर	39.70	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	आनन्द विहार एवं पटपटगंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली	2023-24	8469 वर्गमीटर	1,601.43	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
योग					**5,058.79**		

* सकल वहन राशि में 374.73 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभार की हक विलेख के अंतरण के समय चुकता की जाने वाली अनुमानित राशि शामिल है।

(ii) पट्टाधारित भूमि

(क) यूपीएसआरटीसी द्वारा मुरादनगर, उत्तर प्रदेश में मुरादनगर स्टेशन प्रवेश निकास के लिए आबंटित 72.90 लाख रुपये (जिसमें भूमि भुगतान के प्रति 99 रुपये शामिल हैं) की राशि की 2220 वर्गमीटर भूमि का पट्टाधारित भूमि के रूप में पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया है।

(ख) निम्नलिखित भूखंडों के संबंध में पट्टा करार का निष्पादन लंबित है:-

क्र. सं.	हक विलेख धारक का नाम / वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि* (रुपये लाख में)	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित अथवा प्रोमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	भूमि एवं विकास अधिकारी, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2019-20	12 हेक्टेयर	18,357.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	दिल्ली विकास प्राधिकरण	पटपटगं इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली	2020-21	335 वर्गमीटर	72.86	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	2153 वर्गमीटर	337.77	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	दिल्ली विकास प्राधिकरण	यमुना खादर, दिल्ली	2020-21	4500 वर्गमीटर	705.61	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण	गुलधर, गाजियाबाद	2021-22	6059.02 वर्गमीटर	941.38	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	297 वर्गमीटर	691.22	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
7	दिल्ली जल बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	3123 वर्गमीटर	605.29	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
8	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2021-22	313 वर्गमीटर	60.66	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
9	उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण	साहिबाबाद, गाजियाबाद	2021-22	398 वर्गमीटर	208.35	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
10	दिल्ली जल बोर्ड	कल्याणपुरी कोंडली ब्रिज के निकट, दिल्ली	2022-23	362.70 वर्गमीटर	70.30	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

11	भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2022-23	5.27 हेक्टेयर	8,061.63	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
12	उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण	साहिबाबाद, गाजियाबाद	2022-23	2500 वर्गमीटर	1,218.15	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
13	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सराय कालेखान , दिल्ली	2022-23	17528 वर्गमीटर	3,397.17	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
14	दिल्ली विकास प्राधिकरण	आनंद विहार, दिल्ली	2022-23	10198 वर्गमीटर	1,976.61	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
योग					**36,704.51**		

* सकल वहन मूल्य में हक विलेख अंतरण के समय चुकता की जाने वाली 2709.10 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभार की राशि शामिल है।

(ग) कम्पनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों / प्राधिकरणों से टोकन मूल्य पर स्थाई आधार पर अंतरित भूमि पर कार्य की अनुमति प्राप्त हुई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	हक विलेख धारक का नाम / वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य तथा स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति धारित	क्षेत्र (वर्गमीटर)	सकल वहन राशि* रुपये लाख में	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित अथवा प्रोमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश – गंगा	मुरादनगर स्टेशन, मुरादनगर, गाजियाबाद	2020-21	9,569.00	313.86	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश – गंगा	सब-स्टेशन अर्थला, दिल्ली	2020-21	4,000.00	57.60	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, जनुबी, चौराहा, दिल्ली	2020-21	613.21	0.64	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश – गंगा	स्टेशन प्रवेश / निकास, न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	8,000.00	148.99	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

5	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश – गंगा	चेनेज 21507 से 23043 के बीच निर्माण, अर्थला, दिल्ली	2020-21	639.00	9.20	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	शताब्दी नगर आरक्षित वन	2020-21	6,390.00	141.60	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
7	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	रिथानी आरक्षित वन, मेरठ	2020-21	920.00	14.43	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
8	गाजियाबाद नगर निगम	वैशाली से गाजियाबाद तिराहा,गाजियाबाद वाया डक्ट निर्माण	2020-21	14,144.00	769.43	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
9	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	साहिबाबाद स्टेशन, साहिबाबाद गाजियाबाद	2020-21	7,860.00	138.34	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
10	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	भैसाली स्टेशन, भैसाली, मेरठ	2020-21	7,534.00	391.77	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
11	जिला न्यायाधीश , गाजियाबाद	दुहाई डिपो, दुहाई, गाजियाबाद	2020-21	3,285.00	15.90	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
12	जिला न्यायाधीश , गाजियाबाद	दुहाई डिपो, भीकनपुर, गाजियाबाद	2020-21	9,302.00	12.28	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
13	जिला न्यायाधीश , मेरठ	मोदीपुरम डिपो, सिवाया मेरठ	2020-21	23,476.00	28.17	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
14	जिला न्यायाधीश , मेरठ	मेरठ दक्षिण स्टेशन, भूलब्राल अमीनपुर, मेरठ	2020-21	470.00	1.07	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
15	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट चिल्ला सरोदा खादर, दिल्ली	2020-21	94.34	4.28	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

16	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट चिल्ला सरोदा बागर, न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	3,560.72	66.32	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
17	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, ढल्लूपुरा, दिल्ली	2020-21	1,628.65	60.20	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
18	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, कोंडली, दिल्ली	2020-21	1,423.14	26.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
योग					**2,200.59**		

* सकल वहन राशि में 22,00.57 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की अनुमानित राशि शामिल है जिसका भुगतान हक विलेख अंतरण के समय किया जाना है तथा जिसका पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया है।

नोट 4: उपयोग अधिकार परिसम्पतियां

(रुपये लाख में)

विवरण	भूमि	योग
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**342.17**	**342.17**
आवर्धन	28.33	28.33
निपटान / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	370.50	370.50
आवर्धन	-	-
निपटान / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 की स्थिति	370.50	370.50
मूल्यह्रास		
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**159.20**	**159.20**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	82.62	82.62
निपटान / समायोजन		-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	241.82	241.82
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	99.60	99.60
निपटान / समायोजन		-
31 मार्च, 2024 की स्थिति	341.42	341.42
निवल वहन मूल्य		
31 मार्च, 2024 की स्थिति	**29.08**	**29.08**
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**128.68**	**128.68**

नोट 5: पूंजी कार्य प्रगति पर

(रुपये लाख में)

विवरण	योग
1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ शेष	**6,20,957.21**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	7,08,333.60
समायोजन (पूंजीयन)	4,091.49
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**13,33,382.30**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	5,71,878.10
समायोजन (पूंजीयन)	(509.22)
31 मार्च, 2024 को अंत शेष	**19,04,751.18**

नोट 5.1:- पूंजी कार्य प्रगति पर का विवरण (रुपये लाख में)

विवरण	1.4.2022 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	1.4.2023 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	31.3.2024 की स्थिति
क) परियोजना व्यय							
पर्मानेंट वे (स्थायी मार्ग)	23,774.88	40,594.74	-	64,369.62	43,475.35	471.13	1,08,316.10
रोलिंग स्टॉक	7,889.39	40,581.73	-	48,471.12	57,521.18	-	1,05,992.30
वायाडक्ट पुल, टन्नल्स, पुलिया बंडर	2,80,550.63	2,89,423.30	-	5,69,973.93	1,83,944.15	-	7,53,918.08
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार उपकरण	9,509.48	19,878.83	-	29,388.31	29,715.49	-	59,103.80
सुरक्षा उपकरण	2.99	-	-	2.99	1,127.14	-	1,130.13
संयंत्र एवं मशीनरी	1,317.80	-	(553.20)	764.60		(471.13)	293.47
स्टेशन भवन	50,745.57	75,376.80	-	1,26,122.37	57,459.54	-	1,83,581.91
ट्रैक्शन एवं बिजली आपूर्ति	12,156.88	12,671.47	-	24,828.35	22,967.69	-	47,796.04
स्टाफ क्वार्टर्स	4,758.15	7,058.95	-	11,817.10	3,760.36	-	15,577.46
डिपो एवं कार्यशाला	11,932.57	14,344.10	483.42	26,760.09	8,554.81	-	35,314.90
जीएसटी/सीमाशुल्क पूंजीयन	77,291.73	86,510.23	(61.18)	1,63,740.78		(468.75)	1,63,272.03
स्वचालित किराया संग्रहण	-	886.78	-	886.78	1,890.75	-	2,777.53
प्लेटफार्म स्क्रीन डोर	-	180.08	-	180.08		(40.47)	139.61
निर्माण के दौरान व्यय (निवल)	97,771.98	44,878.55	(485.00)	1,42,165.53	75,125.02		2,17,290.55
निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय {संदर्भ टिप्पणी संख्या 5.2 तथा (iv)}	42,771.74	75,948.04	5,190.87	1,23,910.65	86,336.62	-	2,10,247.27
योग (क)	**6,20,473.79**	**7,08,333.60**	**4,574.91**	**13,33,382.30**	**5,71,878.10**	**(509.22)**	**19,04,751.18**
ख) मार्गस्थ मशीन							
डिपो एवं कार्यशाला	483.42	-	(483.42)	-	-	-	-
योग (ख)	**483.42**	**-**	**(483.42)**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल योग	**6,20,957.21**	**7,08,333.60**	**4,091.49**	**13,33,382.30**	**5,71,878.10**	**(509.22)**	**19,04,751.18**

स्पष्टीकरण नोट:

(i). कम्पनी को दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रियों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करवाने के उद्देश्य से दिल्ली और मेरठ के बीच 82.15 किलोमीटर की लम्बाई वाले रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के विकास के कार्य सौंपे गए हैं। परियोजना कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा लक्ष्य के अनुसार यह जून 2025 तक तक पूरी की जानी है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, परियोजना के दो उप-खंड अर्थात साहिबाबाद से दुहाई, जिसमें दुहाई डिपो (17 किलोमीटर) और दुहाई से मोदीनगर उत्तर (17 किलोमीटर) शामिल हैं, का निर्माण पूरा हो चुका है तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए इन्हें परिचालनात्मक कर दिया गया है। इन खंडों के लिए परिचालन व्यय (राजस्व के बाद) 5537.90 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) की राशि पूंजी कार्य प्रगति पर के लिए प्रभारित की गई है। देश में पहली सेमी-हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल अवसंरचना के कार्यान्वयन के कारण किसी भी अप्रत्याशित जोखिम के प्रभाव को कम करने और 160 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के साथ 100 किमी प्रति घंटे की औसत गति से परिचालन करने के उद्देश्य से प्रणाली क्षमताओं को स्थापित करने और शेष खंडों को सुचारू रूप से पूरा करने की सुविधा के लिए गलियारे की चरणबद्ध

कमीशनिंग की गई है। इसके अलावा, इन खंडों को खोलना पूर्ण स्वीकृत गलियारे को चालू करने के लिए प्री-कमीशनिंग प्रक्रिया है। इन दो उप-खंडों के साथ-साथ शेष उप-खंडों को पूरे दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के पूरा होने पर पूंजीकृत किया जाएगा और प्रबंधन द्वारा इच्छित उपयोग में लाया जाएगा। (संदर्भ लेखांकन नीति संख्या 2.07 (क))

(ii) वर्ष के दौरान कम्पनी ने सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को आपूर्तियों / कार्य इत्यादि के लिए किए गए 63,852.51 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8,84,95.54 लाख रुपये) के भुगतान के प्रति जीएसटी /सीमाशुल्क का पूंजीयन किया है जो व्यय से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अंतर्गत अपात्र जीएसटी क्रेडिट है। जीएसटी को कॉरीडोर वित्तीय मॉडल के आधार पर सीडब्ल्यूआई माना गया है तथा दिनांक 7 मार्च, 2019 के स्वीकृति आदेश के प्रति अप्रत्यक्ष करों (सीमाशुल्क एवं जीएसटी) का निधियन अधीनस्थ के रूप में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इसके अलावा, कम्पनी को अधीनस्थ के प्रति 2,35,100.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 13,90,00.00 लाख रुपये) की कर राशि प्राप्त हुई है जिसके प्रति 31 मार्च, 2024 तक के लिए जीएसटी के संबंध में 2,29,864.79 लाख रुपये (पिछले वर्ष 16,60,12.28 लाख रुपये) का व्यय हुआ है।

(iii) कम्पनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से भूमि पर कार्य के लिए अस्थाई आधार पर अनुमति प्राप्त हुई है। इससे संबंधित विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	हक विलेख किस नाम से धारित है / वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य एवं स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पति का धारण है	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश– गंगा	अर्थला, दिल्ली में वायाडक्ट का निर्माण	2020-21	7705.00
2	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	भैसाली, भैसाली स्टेशन, मेरठ	2020-21	7586.00

(iv) 'निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय' का समायोजन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 - 6897.36 लाख रुपए, वित्तीय वर्ष 2022-23 - 4379.56 लाख रुपए तथा 31.3.2022 तक 5190.87 लाख रुपए के अधीनस्थ नामे के उचित मूल्यांकन पर ब्याज उपचय से संबंधित है।

विवरण	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	योग
आनुषंगिक नामे पर ब्याज उपचय	2,894.57	1,746.19	536.80	13.31	5,190.87
योग	**2,894.57**	**1,746.19**	**536.80**	**13.31**	**5,190.87**

नोट 5.2:- निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्ययों का विवरण (रुपए लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी हितलाभ व्यय	24	9,464.72	9,512.88
वित्त लागतें	25	69,020.57	59,323.29
मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागतें	26	2,045.25	2,046.26
अन्य व्यय	27	5,806.08	5,065.61
योग		**86,336.62**	**75,948.04**

नोट 5.3:- सीडब्ल्यूआई की निर्माण अनुसूची का उपयोज्यता कालक्रम

31 मार्च 2024 (रुपए लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	5,71,368.88	7,07,234.22	4,02,435.79	2,23,712.29	19,04,751.18
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
योग				**5,71,368.88**	**7,07,234.22**

31 मार्च 2023 (रुपए लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	7,07,234.22	4,02,435.79	1,66,847.56	56,864.73	13,33,382.30
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	
योग	**7,07,234.22**	**4,02,435.79**	**1,66,847.56**	**56,864.73**	**13,33,382.30**

नोट 5.4:- सीडब्ल्यूआईपी कार्य निष्पादन विलम्ब अनुसूची

31 मार्च, 2024 (रुपए लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में कार्य समाप्ति				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
शून्य					

31 मार्च, 2024 (रुपए लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में कार्य समाप्ति				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
शून्य					

ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो विलंबित हो अथवा जिसमें तुलन पत्र तिथि के अनुसार मूल अनुमान से अधिक लागत हुई हो।

नोट 6.1:- अमूर्त परिसम्पतियां (रुपये लाख में)

विवरण	स्पैक्ट्रम लाइसेंस	प्लेटफार्म स्क्रीन डोर अधिकार	भूमि अधिकार	साफ्टवेयर	योग
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति को प्रारंभ शेष	**-**	**-**	**1,916.90**	**444.58**	**2,361.48**
वर्ष के दौरान आवर्धन	7,724.59	415.86	571.44	405.88	9,117.77
समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**7,724.59**	**415.86**	**2,488.34**	**850.46**	**11,479.25**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	-	6.71	0.40	7.11
समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को अंत शेष	**7,724.59**	**415.86**	**2,495.05**	**850.86**	**11,486.36**
परिशोधन					-
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति को प्रारंभ शेष	**-**	**-**	**144.85**	**204.86**	**349.71**
वर्ष के दौरान परिशोधन	84.65	1.60	69.03	247.21	402.49
वर्ष के दौरान क्षमता हानि	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**84.65**	**1.60**	**213.88**	**452.07**	**752.20**
वर्ष के दौरान परिशोधन	772.46	79.00	71.08	244.41	1,166.95
वर्ष के दौरान क्षमता हानि	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को अंत शेष	**857.11**	**80.60**	**284.96**	**696.48**	**1,919.15**
निवल वहन मूल्य					
31 मार्च, 2024 की स्थिति	**6,867.48**	**335.26**	**2,210.09**	**154.38**	**9,567.21**
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**7,639.94**	**414.26**	**2,274.46**	**398.39**	**10,727.05**

नोट 6.2:- विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां (रुपये लाख में)

विवरण	एसएपी एस4 / एचएएनए	पीएसडी प्रणाली	साफ्टवेयर / मोबाइल एप्प	योग
1 अप्रैल, 2022	**-**	**65.02**	**-**	**65.02**
वर्ष के दौरान आवर्धन	541.33	530.92	101.86	1,174.11
समायोजन / (पूंजीयन)	-	(595.94)		(595.94)
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**541.33**	**-**	**101.86**	**643.19**
वर्ष के दौरान आवर्धन	2,161.43	-	385.13	2,546.56
समायोजन / (पूंजीयन)	-	-		-
31 मार्च, 2024 को अंत शेष	**2,702.76**	**-**	**486.99**	**3,189.75**

नोट 6.2.1:- विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की उपयोज्यता कालक्रम अनुसूची

31 मार्च 2024 (रुपये लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
साफ्टवेयर / मोबाइल एप्प	385.13	101.86	-	-	486.99
एसएपी एस4 / एचएएनए	2,161.43	541.33	-	-	2,702.76
योग	**2,546.56**	**643.19**	**-**	**-**	**3,189.75**

31 मार्च 2023 (रुपये लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
साफ्टवेयर / मोबाइल एप्प	101.86	-	-	-	101.86
एसएपी एस4 / एचएएनए	541.33	-	-	-	541.33
योग	**643.19**	**-**	**-**	**-**	**643.19**

नोट 6.2.2: ऐसी कोई विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां नहीं हैं जिनकी पूर्णता अतिदेय हो अथवा अपनी अनुमानित लागत से अधिक हुई हो।

नोट 7: वित्तीय परिसम्पतियां - गैर-चालू

नोट 7.1: निवेश

निवेश 7.1.1: पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में निवेश (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
उद्धरण न की गई , लागत (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (100/- रुपये मूल्य प्रत्येक के 100000 शेयर)	100.00	100.00
योग	**100.00**	**100.00**

नोट: 7.1.2 उद्धृत एवं उद्धृत न किए गए निवेश का विवरण (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
(क) उद्धृत निवेश एवं उनके बाजार मूल्य की राशि का योगफल	-	-
(ख) उद्धृत न किए गए निवेश की राशि का योगफल	100.00	100.00
(ग) निवेशों के मूल्य में क्षमता हानि की राशि का योगफल	-	-
योग	**100.00**	**100.00**

नोट 7.2: अन्य वित्तीय परिसम्पतियां (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया		
प्रतिभूति जमा	2,237.79	1,954.43
ग्रहणाधिकार के रूप में सावधि जमा (संदर्भ नोट 7.2.1)	15.77	15.77
पूर्व चुकता व्यय	5.30	1.71
योग	**2,258.86**	**1,971.91**

नोट 7.2.1 विशेषाधिकार के प्रति सावधी जमा के विवरण (जिनकी परिपक्वता अवधि रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह से अधिक है)
(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग	0.76	0.76
कार्यकारी अभियंता, सिविल प्रभाग संख्या III, आई एंड एफसी विभाग	0.20	0.20
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद	7.63	7.63
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ	7.18	7.18
योग	**15.77**	**15.77**

नोट 8:- आस्थगित कर परिसम्पतियां / (देयताएं) (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
क. आस्थगित कर देयताएं		
संपति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	(12,978.62)	(9,739.65)
क. आस्थगित कर देयताएं		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	-	-
आस्थगित कर देयताओं का योग	(12,978.62)	(9,739.65)
ख. आस्थगित कर परिसम्पतियां		
व्यापार हानियां	4,351.51	5,924.86
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	2.58	10.84
आस्थगित कर परिसम्पतियों का योग	**4,354.09**	**5,935.70**
आस्थगित कर परिसम्पतियां /(देयताएं) निवल	**(8,624.54)**	**(3,803.95)**

नोट 8.1: आस्थगित कर परिसम्पति/(देयता) में मूवमेंट

(रुपये लाख में)

विवरण	अग्रेषित हानियां	प्रावधान	सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण	योग
1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ शेष	**-**	**(11.94)**	**(1,013.36)**	**(1,025.30)**
वर्ष 2022-23 में (प्रभारित) / क्रेडिट				
लाभ एवं हानि में	5,924.86		(8,726.29)	(2,801.43)
अन्य व्यापक आय में	-	22.78	-	22.78
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**5,924.86**	**10.84**	**(9,739.65)**	**(3,803.95)**
वर्ष 2023-24 में (प्रभारित) / क्रेडिट				
लाभ एवं हानि में	(1,573.35)	-	(3,238.97)	(4,812.32)
अन्य व्यापक आय में	-	(8.26)	-	(8.26)
31 मार्च, 2024 को अंत शेष	**4,351.51**	**2.58**	**(12,978.62)**	**(8,624.54)**

नोट 9:- अन्य गैर चालू परिसम्पतियां

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
क) पूंजी अग्रिम		
- निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूत तथा अच्छा समझा गया) (संदर्भ नोट 1)	34,075.56	73,345.33
- भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम (संदर्भ नोट ii)	21,480.41	28,523.00
ख) उचित मूल्य समायोजन – प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट iii)	374.31	483.84
योग	**55,930.28**	**1,02,352.17**

स्पष्टीकरण नोट :-

1. ठेकेदारों को बैंक गारंटियों, रेहन आदि के कवर के साथ दिया गया 17,819.88 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5,97,11.28 लाख रुपये) का अग्रिम।
2. भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम के रूप दी गई राशि, जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''सक्षम प्राधिकारी को गाजियाबाद एवं मेरठ में भूमि अधिग्रहण बैंक खाता' में जमा करवाई गई है। इसमें 1683.89 लाख रुपये (पिछले वर्ष 682.81 लाख रुपये) की ब्याज की राशि शामिल है।
3. यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के गैर-परिशोधित भाग से संबंधित है।

नोट 10: वित्तीय परिसम्पतियां - चालू

नोट 10.1: व्यापार प्राप्य

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कोई व्यापार प्राप्य नहीं हैं तथा तदनुसार 31 मार्च, 2023 की स्थिति के लिए काल प्रभावन अनुसूची लागू नहीं है।

नोट 10.2: नकदी एवं नकदी समतुल्य (रुपये लाख में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 की स्थिति**	**31 मार्च, 2024 की स्थिति**
उपलब्ध नकदी	-	-
बैंकों में जमा :		
– चालू खाते में	237.34	2.10
– फ्लैक्सी जमा	72,345.07	13,434.28
– अग्रदाय	3.15	3.71
सावधी जमा *	24,151.61	-
योग	**96,737.17**	**13,440.09**

* प्राप्ति की तिथि से 3 माह अथवा कम अवधि में परिपक्व होने वाले

नोट 10.3: नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष (रुपये लाख में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 की स्थिति**	**31 मार्च, 2024 की स्थिति**
सावधी जमा (3 माह से कम परन्तु 12 माह से अधिक परिपक्वता वाले)	1,96,223.47	1,86,800.00
ग्रहणाधिकार के रूप में रखे गए फ्लैक्सी जमा (संदर्भ टिप्पणी10.3.1)	1,173.48	10,256.49
बैंकों में चिन्हांकित शेष (संदर्भ नोट 10.3.2)	151.43	68.00
योग	1,97,548.38	1,97,124.49

नोट 10.3.1 ग्रहणाधिकार के रूप में रखे गए फ्लैक्सी जमा का विवरण (v लाख में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 की स्थिति**	**31 मार्च, 2024 की स्थिति**
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	121.58	115.12
साख पत्र के प्रति मार्जिन धन	-	9,267.00
अधिशासी अभियंता, सिविल डिवीजन सं. III, सिंचाई एवं वन संरक्षण विभाग	640.21	500.00
भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	404.44	372.87
आयुक्त दिल्ली नगर निगम, दिल्ली	1.59	1.50
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग	0.66	-
वरिष्ठ डीएफएम, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	5.00	-
योग	**1,173.48**	**10,256.49**

नोट 10.3.2: बैंको में चिन्हांकित शेष बैंक खाते में से व्यय न किए गए सीएसआर के शेष हैं।

नोट 10.4: अन्य चालू वित्त परिसम्पतियां (रुपये लाख में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 की स्थिति**	**31 मार्च, 2024 की स्थिति**
सावधि जमा पर ब्याज उपचय	5,799.82	4,459.69
अन्य प्राप्य	1,788.29	4,915.55
वसूली योग्य जेएफपीआर अनुदान	324.10	114.67
प्रतिभूति जमा किराया	12.66	74.92
अन्य प्रतिभूति जमा	6.00	6.00
योग	**7,930.87**	**9,570.83**

स्पष्टीकरण नोट :

i. सावधि जमा से उपार्जित ब्याज में 50.16 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,96.47 लाख रुपये) के ग्रहणाधिकार वाले एफडीआर का ब्याज शामिल है।

ii. भूमि अधिग्रहण लेखे के अग्रिम में 38.82 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,96.47 लाख रुपये) का उपार्जित ब्याज शामिल है।

नोट 11: चालू कर परिसम्पतियां / देयताएं (निवल)

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
अग्रिम जमा एवं स्रोत पर कर कटौती	3,509.31	1,552.88
पिछले वर्ष के आयकर के लिए प्रावधान	62.23	-
आयकर के लिए प्रावधान	-	-
योग	**3,571.54**	**1,552.88**

नोट 12: अन्य चालू परिसम्पतियां

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
अग्रिम		
कर्मचारियों को चुकता अग्रिम	0.32	9.43
अन्य अग्रिम	108.77	33.24
उचित मूल्य समायोजन- प्रतिभूति जमा *	109.54	109.54
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	1.91	22.24
पूर्व चुकता व्यय	54.70	77.44
योग	**275.24**	**251.89**

* यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के गैर-परिशोधित भाग के अंतर से संबंधित है।

नोट 13: इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
100 रुपये मूल्य प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
जारी अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी		
100 रुपये मूल्य प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
योग	**10,000.00**	**10,000.00**

नोट 13.1: इक्विटी शेयरों की संख्या एवं इक्विटी पूंजी का समाधान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
वर्ष के प्रारंभ में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100	1,00,00.00	100	1,00,00.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	**100**	**1,00,00.00**	**100**	**1,00,00.00**

13.2: शेयरों से सम्बद्ध राइट्स अधिमान एवं प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: कम्पनी के केवल एक ही श्रेणी के प्रति शेयर 100 रुपये मूल्य के शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रति शेयर के लिए एक वोट का पात्र है। ऋणशोधन की स्थिति में शेयरधारिता के अनुसार सभी अधिमान राशियों का वितरण किए जाने के पश्चात इक्विटी शेयरधारक कम्पनी की शेष परिसम्पतियां प्राप्त करने के पात्र हैं।

13.3: कम्पनी के कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयरों का धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
निम्नलिखित के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति				
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
- रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%
राज्य सरकार				
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
योग	**10000000**	**100.00%**	**10000000**	**100.00%**

नोट 13.4 प्रोमोटरों की शेयरधारिता

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
प्रोमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	
निम्नलिखित के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति					
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	0.00%
- रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	0.00%
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%	0.00%
राज्य सरकार					
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
- हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
- राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
- उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%

13.5: रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान बोनस के रूप में जारी पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की कुल संख्या - शून्य

नोट 14: अन्य इक्विटी

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
क. प्रतिधारित उपार्जन*	6,84,689.91	4,87,928.80
ख. इक्विटी के प्रति अनुदान**	2,51,265.00	1,94,865.00
योग	9,35,954.91	6,82,793.80

* इसमें 6,50,988.63 लाख रुपये (4,68,091.62 लाख रुपये) के अधीनस्थ नामे के आस्थगित उचित मूल्य का समायोजन शामिल है।

** पिछले वित्तीय विवरणों में इक्विटी के रूप में प्राप्त अनुदान का वर्गीकरण आस्थगित में किया गया है। तथापि, चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मत के अनुसार इसका पुन:वर्गीकरण इक्विटी के रूप में प्राप्त अनुदान में किया गया है।

नोट 14.1: प्रतिधारित उपार्जन

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अथ शेष	4,87,928.80	11,866.87
जोड़ें: 31.3.2022 तक अधीनस्थ नामे आस्थगित उचित मूल्य समायोजन (संदर्भ 14.1.2)	-	3,47,220.01
पुन:उल्लिखित अथ शेष	4,87,928.80	3,59,086.88
जोड़ें: पिछले वर्ष के दौरान पूंजीयन किए गए व्यय का रिवर्सल	-	-
- लाभ एवं हानि में से अंतरित अवधि के दौरान लाभ	13,882.60	7,990.60
- वर्ष के दौरान अंतरित अन्य व्यापक आय	(18.50)	(20.28)
- अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	1,82,897.01	1,20,871.60
अंत शेष	6,84,689.91	4,87,928.80

नोट: 14.1.2: अधीनस्थ नामे का **आस्थगित उचित मूल्य समायोजन**

(रुपये लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	योग
अधीनस्थ नामे	1,22,500.00	1,55,700.00	83,400.00	35,400.00	3,97,000.00
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन	16,045.83	19,488.72	10,147.42	4,098.02	49,779.99
योग	**1,06,454.17**	**1,36,211.28**	**73,252.58**	**31,301.98**	**3,47,220.01**

नोट 14.2: इक्विटी के प्रति अनुदान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
मौद्रिक अनुदान		
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए पूंजी अनुदान	2,51,265.00	1,94,865.00
अंत शेष	**2,51,265.00**	**1,94,865.00**

14.2.1: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 20 "सरकारी अनुदान सहायताओं का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण"

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान का विवरण निम्नलिखित है: (रुपये लाख में)

विवरण	01.04.2022 की स्थिति के अनुसार शेष	वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान आवर्धन	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार शेष	वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान आवर्धन	31.04.2024 की स्थिति के अनुसार शेष
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए					
भारत सरकार	96,065.00	8,800.00	1,04,865.00	5,800.00	1,10,665.00
रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	8,600.00	-	8,600.00	17,900.00	26,500.00
उत्तर प्रदेश सरकार	55,100.00	26,300.00	81,400.00	32,700.00	1,14,100.00
योग	**1,59,765.00**	**35,100.00**	**1,94,865.00**	**56,400.00**	**2,51,265.00**

वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान प्राप्त एडीबी तकनीकी सहायता का पुन:वर्गीकरण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मत के आधार पर अन्य गैर चालू देयता एवं चालू देयता में किया गया है। (विवरण संदर्भ नोट 18(iii) में दिया है।)

नोट 15: ऋण

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
अप्रतिभूत				
क. निम्नलिखित से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण: -				
I. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार				
भारत सरकार				
अधीनस्थ नामे	2,01,700.00		1,90,900.00	
अधीनस्थ नामे (केन्द्रीय कर)	70,500.00		43,300.00	
अधीनस्थ नामे (सरकारी भूमि)	23,800.00		23,800.00	
अधीनस्थ नामे पर उपार्जित ब्याज {संदर्भ नोट 15(ii)}	8,007.25		5,037.93	
अधीनस्थ नामे के आस्थगित उचित मूल्य का समायोजन	(2,52,172.57)	51,834.68	(2,23,979.65)	39,058.28
II. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)				
अधीनस्थ नामे	53,000.00		17,200.00	
अधीनस्थ नामे (केन्द्रीय कर)	14,000.00		300.00	
अधीनस्थ नामे (राज्य कर)	23,000.00		400.00	
अधीनस्थ नामे (सरकारी भूमि)	9,500.00		-	
अधीनस्थ नामे पर उपार्जित ब्याज {संदर्भ नोट 15(ii)}	1,393.00		668.35	
अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	(85,605.39)	15,287.61	(15,452.54)	3,115.81
अधीनस्थ नामे	2,28,200.00		1,62,800.00	
अधीनस्थ नामे (केन्द्रीय कर)	52,500.00		40,000.00	
अधीनस्थ नामे (राज्य कर)	75,100.00		55,000.00	
अधीनस्थ नामे (सरकारी भूमि)	9,300.00		4,400.00	
अधीनस्थ नामे पर उपार्जित ब्याज {संदर्भ नोट 15(ii)}	7,067.54		3,864.15	
अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	(3,13,210.67)	58,956.87	(2,28,659.42)	37,404.73

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
ख. भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित ऋणों पर ब्याज **ऋण संख्या** **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि** एलएन3964-आईएनडी 15.02.2029 **ब्याज दर:** (एलआईबीओआर + 0.50% + परिपक्वता प्रीमियम 0.20%+ परिवर्तनशील अधिभार) प्रतिवर्ष **प्रतिबद्धता प्रभार** 0.15% प्रतिवर्ष		4,19,000.00	-	4,09,433.56
ग. भारत सरकार द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित ऋणों पर ब्याज **ऋण संख्या** **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि** 20 आईएन 04 15-03-2029 **ब्याज दर:** (एसओएफआर + 1.77826) प्रतिवर्ष **प्रतिबद्धता प्रभार:** 0.25% प्रति वर्ष		1,47,651.53		1,02,522.50
घ. भारत सरकार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमैंट बैंक से व्यवस्थित ऋणों पर ब्याज **ऋण संख्या** **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि** एल0352ए 15-11-2029 **ब्याज दर:** (एसओएफआर + विस्तार) प्रतिवर्ष **प्रतिबद्धता प्रभार:** 0.25% प्रतिवर्ष		3,22,332.03		1,23,928.15
योग		**10,15,062.72**		**7,15,463.03**

स्पष्टीकरण नोट:

(i) कम्पनी को भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ नामे प्राप्त हुए हैं जिनका पुनर्भुगतान एशियन बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से प्राप्त ब्याज युक्त वरिष्ठ नामे के पुनर्भुगतान के पश्चात किया जाना है।

(ii) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट की विशेष परामर्श समिति के मतानुसार ब्याज मुक्त अधीनस्थ नामे का मापन उचित मूल्य पर किया जाना है तथा राशि से उत्पन्न होने वाली इसके उचित मूल्य के प्रति की भिन्नता का लेखांकन भारत सरकार तथा राज्य सरकारों, जो इक्विटी धारक की भूमिका की भूमिका निभा रहे हैं, से प्राप्त गैर-पारस्परिक पूंजी अंशदान के रूप में किया जाना है।

(iii) भारत सरकार द्वारा दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के संबंध में एडीबी के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डालर तथा 37,730 मिलियन जापानी येन की प्राप्ति के लिए ऋण अनुबंध, 500 मिलियन अमेरिकी डालर के एनडीबी तथा 500 मिलियन अमेरिकी डालर के लिए एआईआईबी किया गया है। इन सभी ऋणों का काल 25 वर्ष है जिसमें 8 वर्ष की अनुग्रह अवधि शामिल है। ऋणदाता एजेंसियों के साथ सहमत निधि प्रवाह व्यवस्था के अनुसार ऋण की प्राप्ति कम्पनी को बैक टू बैक आधार पर पास थ्रू सहायता के रूप में दी जाएगी। ऋणों का पुनर्भुगतान वर्ष 2029 से प्रारंभ परिशोधन अनुसूची के अनुसार अर्ध-वार्षिक रूप में किया जाएगा।

नोट 16: अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
प्रतिभूति जमा	5.02	74.78
योग	**5.02**	**74.78**

नोट 17: दीर्घकालिक प्रावधान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	860.46	651.78
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,462.38	1,200.63
अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	673.47	447.96
योग	**2,996.31**	**2,300.37**

नोट 18: अन्य गैर-चालू दायित्व

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अग्रिम		
हरियाणा सरकार से अग्रिम	24,750.00	24,750.00
राजस्थान सरकार से अग्रिम	500.00	500.00
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से अग्रिम	15,000.00	-
एशियन डेवलपमेंट बैंक - तकनीकी सहायता	747.40	1,035.87
योग	**40,997.40**	**26,285.87**

स्पष्टीकरण नोट :

(i) राज्य सरकारों से प्राप्त अग्रिम दिल्ली-एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर से संबंधित है तथा दिल्ली पानीपत आरआरटीएस की स्वीकृति लंबित परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिम है जिसकी प्राप्त निधियों का इसकी प्रकृति (अनुदान / अधीनस्थ) के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सका है।.

(ii) परियोजना वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:- (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	दिल्ली-एसएनबी	दिल्ली-पानीपत	दिल्ली-एसएनबी	दिल्ली-पानीपत
हरियाणा सरकार से अग्रिम	24,250.00	500.00	24,250.00	500.00
राजस्थान सरकार से अग्रिम	500.00	-	500.00	-
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से अग्रिम	10,000.00	5,000.00	-	-
योग	**34,750.00**	**5,500.00**	**24,750.00**	**500.00**

(iii) एशियन डेवलपमेंट बैंक- तकनीकी सहायता से वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मतानुसार अन्य इक्विटी में से वर्गीकृत की गई राशि अभिप्रेत है – वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1317.80 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 283.73 लाख रुपये, योग 1601.53 लाख रुपये। सहायता की इस राशि में से 277.19 लाख रुपये की राशि का परिशोधन वित्तीय वर्ष 2022-23 में तथा 288.47 लाख रुपये की राशि का परिशोधन 2023-24 में किया गया है। अन्य चालू देयता के रूप में वर्गीकृत 288.47 लाख रुपये (संदर्भ नोट 21) की राशि का परिशोधन वर्ष 2024-25 में किया जाएगा तथा शेष राशि अन्य गैर-चालू देयता के रूप में वर्गीकृत है।

नोट 19: वित्तीय देयताएं

नोट 19.1: पट्टा देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
पट्टा देयताएं	-	8.23
योग	**-**	**8.23**

नोट 19.2: अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
ब्याज उपचय पर ऋण पर देय नहीं	9,634.21	5,648.78
व्ययों के लिए लेनदार– अन्य	36,251.27	38,022.21
व्ययों के लिए लेनदार – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2,960.83	2,291.73
प्रतिभूति जमा	12,798.44	5,685.20
योग	**61,644.75**	**51,647.92**

नोट 20: व्यापार प्राप्य

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कोई व्यापार देय नहीं है तथा 31 मार्च, 2023 की स्थिति के लिए तदनुसार काल प्रभावन अनुसूची लागू नहीं है।

नोट 21: अन्य चालू देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
सांविधिक देय		
स्रोत पर कर कटौती देय	1,024.86	2,636.03
जीएसटी देय (जीएसटी पर टीडीएस सहित)	987.74	1,854.90
भुगतान योग्य भवन एवं श्रम कल्याण उप-कर	390.03	810.33
भविष्य निधि	108.11	101.94
अन्य	**912.45**	**923.39**
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम [संदर्भ नोट (i) नीचे प्रस्तुत]	3,85,364.65	3,03,856.77
एशियन डेवलपमेंट बैंक – तकनीकी सहायता {(संदर्भ नोट 18(iii)}	288.47	288.47
योग	**3,89,076.31**	**3,10,471.83**

स्पष्टीकरण नोट

(i) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 31,58,00.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 42,54,00.00 लाख रुपये) का अग्रिम एशियन डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमैंट बैंक से से पास थ्रू सहायता के रूप में ऋण का वितरण लंबित होने के चलते प्राप्त हुआ है। 38,53,64.65 लाख रुपये (पिछले वर्ष 30,38,56.77 लाख रुपये) के शेष अग्रिम का समायोजन व्यय के पश्चात तथा विविध बैंकों से वित्तीयन के माध्यम से किया जाना है तथा इसका वित्तीयन अनेक बैंकों से ऋण के माध्यम से किया जाना है।

(ii) एशियन डेवलपमेंट बैंक - एशियन डेवलपमेंट बैंक- तकनीकी सहायता से वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मतानुसार अन्य इक्विटी में से वर्गीकृत की गई राशि अभिप्रेत है

साईट विजिट्स की एक झलक

10.04.2024 | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का प्रतिनिधिमंडल

08.04.2024 | जापानी प्रतिनिधिमंडल

12.10.2023 | यूपी के माननीय मुख्यमंत्री

10.10.2023 | स्विस प्रतिनिधिमंडल

16.02.2024 | रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स संस्थान, लंदन का प्रतिनिधिमंडल

20.07.2024 मंत्री MoHUA का दौरा

21.02.2024 | सेफ-गार्ड (ओएसएफजी), एडीबी का प्रधान कार्यालय

22.05.2024 | माननीय एलजी, जीएनसीटीडी

15.01.2024 | निर्माण का प्रतिनिधिमंडल उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी)

03.07.2024 | कार्यकारी निदेशक, एडीबी

एनसीआरटीसी कार्यक्रमों की एक झलक

08.05.2024 | नमो भारत जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक

01.07.2023 कर्मचारी बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता

03.05.2024 नमो भारत के लिए स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता

02.02.2024 वार्षिक खेल प्रतियोगिता 2024

06.03.2024 स्कूली छात्रों के लिए नमो भारत ट्रेन की सवारी

08.12.2023 नमो भारत जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक

02.12.2023 विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

08.03.2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह 2024

05.08.2023 कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए ट्रेन की सवारी का आयोजन किया गया

16.02.2024 की पहली ट्रेनसेट का हैंडओवर मेरठ मेट्रो

17.06.2023 नेत्र जांच शिविर

28.04.2023 डेंटल चेक-अप कैंप

नोट 22: अल्पकालिक प्रावधान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	39.50	26.57
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	178.80	106.37
अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	106.67	102.60
योग	**324.97**	**235.54**

नोट 23: अन्य आय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज	20,517.70	12,470.94
(क)	**20,517.70**	**12,470.94**
अन्य गैर-प्रचालन आय		
वित्तीय परिसम्पतियों पर ब्याज आय	110.74	95.68
एशियन डेवलपमेंट बैंक- तकनीकी सहायता {संदर्भ नोट 18(iii)}	288.47	277.19
मौद्रिक अनुदान (जेएफपीआर	209.44	67.51
अन्य विविध आय	272.19	226.65
परामर्श आय	886.19	337.58
विनिमय दर उतार चढ़ाव लाभ	1,633.68	478.17
(ख)	**3,400.71**	**1,482.78**
योग (क+ख)	**23,918.41**	**13,953.72**

स्पष्टीकरण नोट:

एशियन डेवलपमेंट बैंक – तकनीकी सहायता – अनुदान परिशोधन के प्रति 288.47 लाख रुपये की राशि

नोट 24: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	8,724.27	1,514.26	10,238.53	8,769.31	895.83	9,665.14
कर्मचारी कल्याण व्यय	169.86	161.23	331.09	144.50	77.04	221.54
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान*	570.59	119.74	690.33	599.07	100.50	699.57
योग	**9,464.72**	**1,795.23**	**11,259.95**	**9,512.88**	**1,073.37**	**10,586.25**

स्पष्टीकरण नोट :

* भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, छुट्टी लाभ एवं अन्य टर्मिनल लाभों के लिए 88.40 लाख रुपये (पिछले वर्ष 121.86 लाख रुपये) की राशि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंधित संगठनों को चुकता की गई है/देय है तथा इसे कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल किया गया है।

नोट 25: वित्त लागतें

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	0.62	-	0.62	1.21	-	1.21
ऋण लागत						
क. बहुपक्षीय निधियन एजेंसियों से प्राप्त ऋण	49,918.42	-	49,918.42	20,623.08	-	20,623.08
ख. ब्याज लागतों में समायोजित विनिमय दर भिन्नता	12,204.17	-	12,204.17	34,319.44	-	34,319.44
ग. अधीनस्थ नामे पर ब्याज लागत	6,897.36	-	6,897.36	4,379.56	-	4,379.56
योग	**69,020.57**	**-**	**69,020.57**	**59,323.29**	**-**	**59,323.29**

स्पष्टीकरण नोट :

(i). विदेशी मुद्रा ऋणों से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं के लिए इंड एएस 23 'ऋण लागतें'' के पैराग्राफ 6(ङ) की उपयोज्यता के दौरान कम्पनी द्वारा ''संचयी अवधि एप्रोच' का अनुसरण किया गया है क्योंकि कम्पनी का यह मत है कि विचाराधीन निर्माण परिसम्पतियों की लम्बी निर्माण अवधि के विचार से 'संचयी अवधि एपोच' अधिक उचित है।

(ii). 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार ब्याज लागत में 1,22,681.41 लाख रुपये (52,508.57 रुपये) के संचयी समायोजनों की तुलना में 31 मार्च, 2024 तक 52,508.57 लाख रुपये (40,304.40 लाख रुपये) की राशि का पूंजीयन संचयी विनिमय दर हानि के प्रति किया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 की विनिमय दर हानि की 12,204.17 लाख रुपये (34,319.44 लाख रुपये) की समग्र राशि को ऋण लागत का भाग माना गया है।

नोट 26: मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागतें

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
मूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 3)	1,153.67	164.07	1,317.74	1,655.64	376.89	2,032.53
उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 4)	72.27	27.33	99.60	61.57	21.05	82.62
अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन (टिप्पणी सं. 6.1)	819.31	347.64	1,166.95	329.05	73.44	402.49
योग	**2,045.25**	**539.04**	**2,584.29**	**2,046.26**	**471.38**	**2,517.64**

नोट 27: अन्य व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
कार्यालय किराया	23.82	-	23.82	12.86	-	12.86
शुल्क, दरें एवं कर	0.15	3.07	3.22	-	4.89	4.89
मरम्मत अनुरक्षण मशीनरी एवं अन्य	106.18	32.81	138.99	46.13	32.39	78.52
ऊर्जा एवं ईंधन	97.95	92.32	190.27	128.03	85.99	214.02
वाहन परिचालन एवं अनुरक्षण	1,620.05	189.20	1,809.25	1,556.74	139.35	1,696.09
यात्रा व्यय	468.37	116.10	584.47	574.81	23.85	598.66
इंटरनेट प्रभार	66.85	15.23	82.08	36.45	17.64	54.09
लेखापरीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी सं. 27.1)	-	2.95	2.95	-	2.60	2.60
विधि एवं व्यवसायिक प्रभार	43.42	97.66	141.08	7.99	97.21	105.20
तकनीकी जांच एवं सर्वेक्षण व्यय	24.66	-	24.66	35.11	-	35.11
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	-	81.22	81.22	-	30.98	30.98
परामर्श प्रभार	405.28	772.97	1,178.25	699.97	65.04	765.01
सुरक्षा व्यय	453.33	44.37	497.70	304.95	68.96	373.91
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	76.80	114.10	190.90	9.68	83.39	93.07
संचार व्यय	116.51	21.36	137.87	142.00	23.85	165.85
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	4.47	5.73	10.20	1.24	3.98	5.22
विज्ञापन एवं प्रचार – अन्य	28.59	35.59	64.18	62.97	29.86	92.83
विज्ञापन एवं प्रचार – निविदा	21.36	5.72	27.08	72.12	0.10	72.22
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	668.24	201.68	869.92	67.02	78.80	145.82
शुल्क एवं अंशदान प्रभार	-	10.07	10.07	14.86	9.55	24.41
हाउसकीपिंग व्यय	290.94	149.41	440.35	53.07	257.04	310.11
साफ्टवेयर व्यय	198.24	87.80	286.04	128.14	31.74	159.88
आउटसोर्सिंग व्यय	745.77	145.94	891.71	834.05	202.73	1,036.78
कार्यालय व्यय	83.78	423.34	507.12	275.91	153.62	429.53
विविध व्यय	261.32	106.01	367.33	1.51	82.33	83.84
बट्टा लेखित परिसम्पतियां	-	-	-	-	0.07	0.07
बैंक प्रभार	-	31.05	31.05	-	46.78	46.78
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व	-	165.75	165.75	-	6.82	6.82
उप-योग	**5,806.08**	**2,951.45**	**8,757.53**	**5,065.61**	**1,579.56**	**6,645.17**

नोट 27.1: लेखापरीक्षकों के भुगतान का विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षक के रूप में लेखापरीक्षकों को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क	1.80	1.65
अन्य क्षमता में (परियोजना वित्तीय विवरण)	0.70	0.55
लेखापरीक्षा पर जीएसटी	0.45	0.40
योग	**2.95**	**2.60**

नोट 28: आय कर व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
चालू आय कर:		
अवधि से संबंधित	-	-
पूर्व वर्षों से संबंधित(निवल)	(62.23)	37.38
आस्थगित कर:		
अवधि से संबंधित	4,812.32	2,705.32
पूर्व वर्षों से संबंधित	-	96.11
योग	**4,750.09**	**2,838.81**

नोट 28.1: कर व्यय एवं लेखांकन लाभ के मध्य समाधान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
जारी प्रचालनों से कर पूर्व लेखांकन लाभ	18,632.69	10,829.41
आय कर पूर्व लेखांकन लाभ	**18,632.69**	**10,829.41**
जोड़ें: कटौतियोग्य एवं गैर कटौतियोग्य मदें	60.59	(31.07)
स्थाई अस्वीकृति के समायोजन के पश्चात लेखांकन लाभ	**18,693.28**	**10,798.34**
चालू वर्ष के कर व्यय	**4,812.32**	**2,705.32**
कर दर	25.74%	25.05%
लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित आय कर व्यय	**4,750.09**	**2,838.81**
लेखांकन लाभ पर पूर्व वर्ष की मदों के प्रभाव सहित प्रभावी कर दर	25.49%	26.21%

नोट 29: प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
	(रुपये प्रति शेयर)	
मूल ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	138.83	79.91
बंद प्रचालनों से	-	-
डायल्युटिड ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	138.83	79.91
बंद प्रचालनों से	-	-

नोट 29.1: प्रति शेयर मूल उपार्जन

पिछले वर्ष के संबंध में प्रति शेयर मूल उर्पाजन एवं ईपीएस के आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों से आय एवं भारित औसत संख्या का वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयरों के समायोजन के पश्चात पुन:उल्लेख किया गया है। (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ		
जारी प्रचालनों से	13,882.60	7,990.60
बंद प्रचालनों से	-	-
प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना के लिए प्रयुक्त आय	**13,882.60**	**7,990.60**
प्रति शेयर मूल उपार्जन के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) [प्रति शेयर अंकित मूलय 100 रुपये है]	100.00	100.00

नोट 29.2: प्रति शेयर डायल्युटिड आय

प्रति शेयर डायल्युटिड आय के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या का प्रति शेयर मूल आय के आकलन के लिए उपयोग में लाई गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निम्नानुसार मिलान होता है :- (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ:		
- जारी प्रचालनों से	13,882.60	7,990.60
- बन्द प्रचालनों से		-
जारी प्रचालनों से प्रति शेयर डायल्युटिड उपार्जन की गणना के लिए प्रयुक्त आय	**13,882.60**	**7,990.60**
प्रति शेयर मूल उपार्जन के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) [प्रति शेयर अंकित मूल्य 100 रुपये है]	100.00	100.00

नोट 30: अनुमान एवं पूर्वानुमान

- रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के प्रति अनिश्चितता एवं प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान नीचे दिए गए हैं जिनसे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।
- **पूंजी कार्य प्रगति पर:** कर्मचारी हितलाभ एवं अन्य ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय जो परियोजना पर एवं परियोजना से अलग व्यय किए गए हैं, उन्हें संबंधित परियोजना कॉरीडोर एवं अन्य संबंध कारकों को विचार में लेकर प्रबंधन निर्णय के अनुसार आनुपातिक रूप से परियोजना से सम्बद्ध किया गया है।
- **पट्टाधारित भूमि:** कम्पनी द्वारा उन मामलों में ऐसी पट्टाधारित भूमि के पंजीकरण की संभावित लागत के अनुमान के लिए अपने निर्णय का उपयोग किया है जो पंजीकरण के लिए लंबित है। कम्पनी ने तुलन पत्र की प्रभावी तिथि के अनुसार सर्कल रेट के आधार पर पंजीकरण की लागत का अनुमान आंका है और भूमि का वास्तविक पंजीकरण होने तक प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को पुन: अनुमान आंके जाएंगे।
- **ऋण लागत:** विदेशी मुद्रा ऋणों से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं के पूंजीयन के लिए इंड एएस 23 'ऋण लागतें'' के पैराग्राफ 6(ङ) कम्पनी द्वारा अनुमानों का उपयोग किया गया है। कम्पनी ने कार्यात्मक मुद्रा में ऋण की लागत के साथ विनिमय उतार-चढ़ाव हानि की तुलना के लिए संचयी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अनुमान कम्पनी के पास उपलब्ध् बाजार रूझान के अनुसार है।
- **प्रावधान:** तुलन पत्र की तिथि को दायित्व के निपटान के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
- **आकस्मिक देयताएं / परिसम्पत्तियां**: आकस्मिक देयताएं / परिसम्पतियों का प्रकटीकरण प्रबंधन के निर्णय के आधार पर होता है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समीक्षा की गई है एवं इनका समायोजन चालू प्रबंधन अनुमानों के अनुसार किया गया है।
- **गैर-वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानि**: संपति, संयंत्र एवं उपकरण की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की निर्धारण के आधार पर तय की गई है।
- **कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्व**: कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया गया है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ-साथ भावी विकासों में छूट दर, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर से संबंधित अनुमान शामिल हैं। कम्पनी का यह मानना है कि उसके दायित्वों के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमान उचित और प्रलेखित हैं। तथापि, ऐसे अनुमानों से किसी परिवर्तन का परिणामी गणना पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।
- **पट्टे:** कम्पनी अपने निर्णय का उपयोग इस निर्धारित के लिए करता है कि किसी अनुबंध में पट्टा शामिल है अथवा नहीं है, क्या पट्टा समझौते के विस्तार विकल्प एवं पट्टा अनुबंध की समाप्ति के विकल्प का प्रयोग किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा पट्टों के उपयोग और पट्टे की अवधि के लिए उचित छूट दर की गणना करने में अनुमान का उपयोग किया गया है।
- **उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया** वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन विधियों के उपयोग से किया गया है। जहां संभव हो वहां इन विधियों के इनपुट अवलोकन योग्य बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य ज्ञात करने के लिए कुछ सीमा तक विवेकी निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है। निर्णय लेते समय चलनिधि जोखिम क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया गया है। इन कारकों से पूर्वानुमानों में परिवर्तन होने से वित्तीय प्रपत्रों के सूचित उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।
- **कर:** आस्थगित कर परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की गई है जब यह संभावना हो कि इससे ऐसे कर योग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकता है, आस्थगित कर संपत्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है समय की अनुरूपता एवं भावी करयोग्य लाभ तथा योजना रणनीतियों पर आधारित होती हैं।
- **संपत्ति संयंत्र और उपकरण का उपयोज्यता काल:** टिप्पणी 2.7 में संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोज्यता काल दिया गया है।

  संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोज्यता काल अप्रचलन मांग प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभावों सहित कई कारकों पर आधारित है। कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के उपयोज्यता काल की समीक्षा करती है।

नोट 31: पूंजी प्रबंधन

कम्पनी अपनी पूंजी का प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने का सुनिश्चय करने एवं क्षमता को सुरक्षित करने के लिए करती है जिससे कि कम्पनी अपने शेयरधारकों एवं अन्य स्टेकधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान करती रह सके।

इसके अलावा कम्पनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के प्रभाव एवं वित्तीय प्रसंविदाओं की अपेक्षाओं के अनुसार समायोजन के लिए करती है। पूर्वावधि से चालू अवधि में पूंजी के प्रबंधन के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नोट 32: ऋण निधियों का उपयोग

(i) कम्पनी को एशियन डेवलपमेंट बैंक**,** न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक से पास थ्रू सहायता (अथवा बैक टू बैक आधार पर ऋण) के रूप में

सॉवेरन ऋण के प्रति भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई हैं। इन निधियों का उपयोग उन मदों पर व्यय के लिए किया गया है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक के साथ दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ परियोजना के लिए सहमत हुई हैं तथा संबंधित ऋण / परियोजना अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हैं।

(ii) कम्पनी को भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी, अधीनस्थ नामे (केन्द्रीय कर), अधीनस्थ नामे (राज्य कर) एवं अधीनस्थ नामे (सरकारी भूमि) के प्रति अधीनस्थ नामे प्राप्त हुए हैं। परियोजना स्वीकृति आदेश के अनुसार निधियों का उपयोग केवल दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस परियोजना पर व्यय जैसी मदों के वित्तीयन के लिए किया गया है।

नोट 33: अनुपात विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	गणक	विभाजक	चालू वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्ष	% भिन्नता	भिन्नता के कारण
1	चालू अनुपात (समय पर)	चालू परिसम्पतियां	चालू देयताएं	0.68	0.61	11.48%	
2	नामे इक्विटी अनुपात (समय पर)	कुल नामे	कुल इक्विटी	1.07	1.03	3.88%	
3	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल (% में)	कर पश्चात लाभ	कुल इक्विटी औसत	1.69%	1.82%	-7.14%	कम्पनी निर्माण चरण में होने तथा किसी प्रकार का प्रचालनात्मक लाभ न होने के कारण यह अनुपात तुलना योग्य नहीं है।
4	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)	ब्याज एवं कर पूर्व उपार्जन	नियोजित पूंजी	0.95%	0.77%	23.38%	

स्पष्टीकरण नोट

कम्पनी के प्रचालन अभी न होने के कारण निम्नलिखित अनुपात लागू नहीं है, तदनुसार वर्ष के लिए प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं:-

क. नामे सेवा कवरेज अनुपात

ख. मालसूची टर्नओवर अनुपात

ग. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात

घ. व्यापार देय टर्नओवर अनुपात

ङ. निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात

च. निवल लाभ अनुपात

छ. निवेश पर लाभ

नोट 34: उचित मूल्य मापन

(i) वर्गानुसार वित्तीय लिखत (रुपये लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
		परिशोधन लागत	
वित्तीय परिसम्पतियां			
(i) प्रतिभूति जमा	7.2 एवं 10.4	2,256.45	2,035.35
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	96,737.17	13,440.09
(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	10.3	1,97,548.38	1,97,124.49
(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7.2 एवं 10.4	7,927.98	9,505.68
योग वित्तीय परिसम्पतियां		**3,04,469.98**	**2,22,105.61**
वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण (संदर्भ नोट 15)	15	10,15,062.72	7,15,463.03
(ii) अन्य वित्तीय देयता – गैर चालू (संदर्भ नोट 16)	16	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयता – चालू	19.1 एवं 19.2	-	8.23
योग वित्तीय देयताएं		**10,15,062.72**	**7,15,471.26**

(ii) उचित मूल्य तारतम्यता

स्तर 1 - समान प्रकार की परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिया बाजार से उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 में उद्धृत मूल्यों से भिन्न उन इनपटों को शामिल किया गया है जो परिसंपत्ति अथवा देयता के संबंध में प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्यों से निर्धारित) रूप में स्पष्ट हैं।.

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो स्पष्ट बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (गैर स्पष्ट इनपुट)।

(iii) परिशोधन लागत के आधार पर उचित मूल्य पर मापन की गई परिसम्पतियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण किया गया है।

(रुपये लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पतियां					
(i) प्रतिभूति जमा (टिप्पणी 7.2 एवं 10.4)	स्तर 3	2,256.45	2,256.45	2,035.35	2,035.35
योग परिसम्पतियां	**-**	**2,256.45**	**2,256.45**	**2,035.35**	**2,035.35**
वित्तीय देयताएं					
(ii) अधीनस्थ नामे (संदर्भ नोट 15)	स्तर 3	1,26,079.16	1,26,079.16	79,578.82	79,578.82
योग देयताएं	**-**	**1,26,079.16**	**1,26,079.16**	**79,578.82**	**79,578.82**

क. नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य अल्पावधि प्राप्यों तथा अन्य देयों को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण समान प्रकार से उचित मूल्य पर विचार में लिया गया है।

ख. दीर्घावधि के प्रतिभूति जमा एवं अधीनस्थ नामे के उचित मूल्य का आकलन क्रमशः चालू बाजार दर एवं 24 वर्षीय सरकारी बॉड प्रतिफल दर पर डिस्काउंट करके नकदी प्रवाह के अनुसार किया गया है। इनका वर्गीकरण उचित मूल्य तारतम्यता के स्तर-3 के अनुसार हैं क्योंकि इनमें गैर स्पष्ट इनपुट शामिल हैं।

(iv) उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें एवं प्रक्रियाएं

क. 12 माह से कम परिपक्वता वाली वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के वहन मूल्यों को उनके उचित मूल्य की प्रस्तुति के लिए विचार में लिया गया है।

ख. अन्य वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के उचित मूल्यों का अग्रेषण डिस्काउंट दर से नकदी प्रवाह प्रवाह को डिस्काउंट करते हुए परिशोधन लागत पर किया गया है।

नीचे दी गई तालिका में आवृति आधार एवं परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं की उचित मूल्य मापन तारतम्यता प्रस्तुत की गई है।

वित्तीय परिसम्पतियों के संबंध में उचित मूल्य मापन तारतम्यता का प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :- (रुपये लाख में)

31 मार्च, 2024 की स्थिति	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:-				
प्रतिभूति जमा	-	-	2,256.45	2,256.45
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:-				
अधीनस्थ नामे			1,26,079.16	1,26,079.16
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**योग**
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:-				
प्रतिभूति जमा	-	-	2,035.35	2,035.35
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:-				
अधीनस्थ नामे			79,578.82	79,578.82

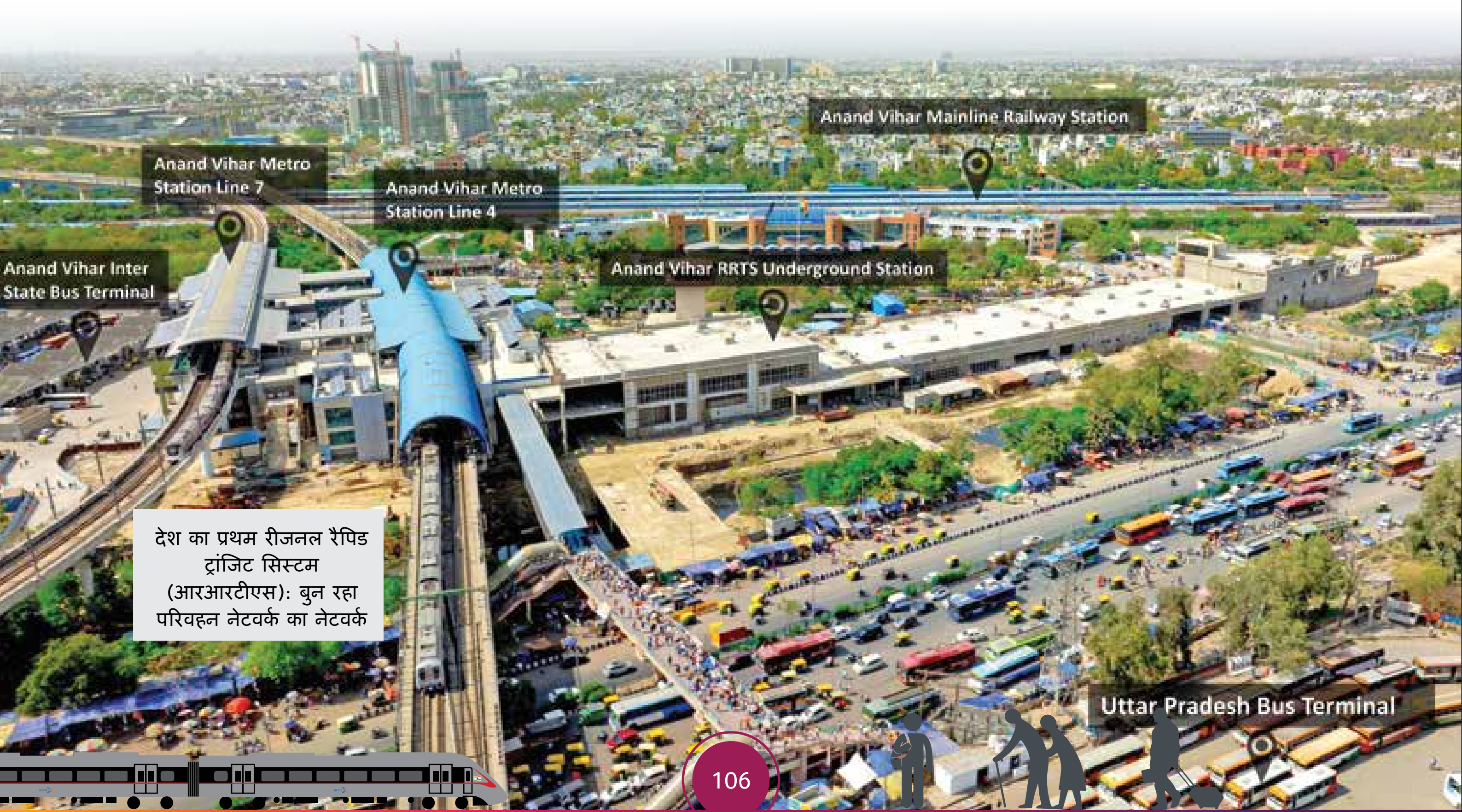

देश का प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस): बुन रहा परिवहन नेटवर्क का नेटवर्क

नोट 35: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कम्पनी के सम्मुख वित्तीय लिखतों के संबंध में कोई जोखिम व्याप्त नहीं है। कम्पनी की मूल वित्तीय देयताओं में ऋण, अन्य देय प्रतिभूति जमा एवं ईएमडी हैं। कम्पनी की प्रमुख वित्तीय परिसम्पतियों में अन्य प्राप्य तथा नकद एवं नकद समतुल्य शामिल हैं जिनकी प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनों से होती है। तथापि, प्रमुख प्रकार के जोखिम बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं चलनिधि जोखिम हैं। सम्मुख के सम्मुख व्याप्त अत्यधिक प्रमुख वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे किया गया है:-

क). बाजार जोखिम

भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत के 60% तक का परियोजना वित्तीयन (सरकारी भूमि, राज्य करों एवं निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के अलावा) बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त करने की संकल्पना के साथ दिनांक 7 मार्च, 2019 को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर नामक प्रथम आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अनुसरण में भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से 500 मिलियन डालर प्रत्येक तथा 37.73 बिलियन जापानी येन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बाह्य निधियन आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की मानक व्यवस्था के अनुसार बैक टू बैक आधार पर किया जाएगा। ऋण की शर्तों में एलआईबीओआर / एसओएफआर से सम्बद्ध परिवर्तनशील दरों पर अर्ध-वार्षिक ब्याज शामिल है तथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलआईबीओआर / एसओएफआर की मूवमेंट पर आधारित ब्याज दर जोखिम है।

ख). विदेशी मुद्रा जोखिम

कम्पनी के सम्मुख बहुपक्षीय विकास बैंकों से प्राप्त ऋणों के संबंध में नामे सेवा भुगतान तथा विदेशी मुद्रा ऋणों के मूल पुनर्भुगतान के रूप में बाजार जोखिम व्याप्त है। ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं को विदेशी मुद्रा में चुकता किए जाने वाले भुगतान भी यूएसडी, यूरो तथा क्रोना की मूवमेंट से होने भारतीय रुपये पर होने बाजार जोखिम के कारक हैं। कम्पनी के सम्मुख कोई मूल्य जोखिम नहीं है क्योंकि कम्पनी के पास कोई डेरियेटिव वित्तीय परिसम्पतियां नहीं हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कम्पनी के सम्मुख व्याप्त महत्वपूण विदेशी मुद्रा जोखिम निम्नलिखित हैं:-

31 मार्च, 2024 की स्थिति (रुपये लाख में)

विवरण	संव्यवहार की मुद्रा			योग
	यूएसडी	यूरो	क्रोना	
परिसम्पतियां				
ठेकेदारों को अग्रिम	132.29	1,930.55	441.62	2,504.46
योग	**132.29**	**1,930.55**	**441.62**	**2,504.46**
देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	11.22	1,189.79	80.08	1,281.09
ऋण	8,88,983.56	-	-	8,88,983.56
ब्याज उपार्जित पर ऋण पर देय नहीं	9,634.21	-	-	9,634.21
योग	**8,98,628.99**	**1,189.79**	**80.08**	**8,99,898.86**

31 मार्च, 2023 की स्थिति (रुपये लाख में)

विवरण	संव्यवहार की मुद्रा			योग
	यूएसडी	यूरो	क्रोना	
ठेकेदारों को अग्रिम	5,605.85	6,798.36	659.22	13,063.43
योग	**5,605.85**	**6,798.36**	**659.22**	**13,063.43**
देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	3,043.85	567.47	70.25	3,681.57
ऋण	6,35,884.21	-	-	6,35,884.21
ब्याज उपार्जित पर ऋण पर देय नहीं	5,648.78			5,648.78
योग	**6,44,576.84**	**567.47**	**70.25**	**6,45,214.56**

ग) चलनिधि जोखिम

हमारी चलनिधि आवश्यकताओं की मासिक पूर्वानमानों के अनुसार निगरानी की गई है। कम्पनी के लिए चलनिधि के प्रमुख स्रोत नकदी एवं नकदी समतुल्य हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को अंशदान एवं सरकारी अनुदान / अधीनस्थ नामे के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

कम्पनी अपनी चलनिधि आवश्यकताओं का प्रबंधन नकद अंतर्प्रवाह की निगरानी करके एवं नकदी एवं नकदी समतुल्यों का पर्याप्त अनुरक्षण करके करती है। किसी प्रकार की न्यूनता का निर्धारण निवल नकद अपेक्षाओं की तुलना में उपलब्ध नकदी में से किया गया है।

अल्पावधि की चलनिधि अपेक्षाओं में मुख्यत: प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार चुकता किए जाने विविध लेनदारों के देय, देय व्यय, धारण एवं व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले जमा शामिल होते हैं। अपनी अल्पकालिक चलनिधि अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कम्पनी नकद एवं नकद समतुल्यों एवं अन्य बैंक शेष को पर्याप्त रूप से अनुरक्षित करता है।

कम्पनी द्वारा अपनी दीर्घकालिक चलनिधि अपेक्षाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा की गई है तथा उनका प्रबंधन आंतरिक उपार्जनों के माध्यम से किया गया है। कम्पनी की गैर-चालू देयताओं में ब्याज मुक्त अधीनस्थ एवं पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान शामिल है।

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय देयताओं की अनुबंधित परिपक्वता का विवरण दिया गया है। इस तालिका का निर्माण कम्पनी की ओर से अपेक्षित भुगतान से पूर्व की तिथि की वित्तीय देयताओं के नकद प्रवाह के आधार पर किया गया है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है :- (रुपये लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	-	-	-	6,661.92	10,08,400.80	**10,15,062.72**
योग	**-**	**-**	**-**	**6,661.92**	**10,08,400.80**	**10,15,062.72**

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है :- (रुपये लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	-	-	-	-	7,15,463.03	7,15,463.03
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,15,463.03**	**7,15,463.03**

नोट 36: प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

36.1. प्रावधान

नोट 17 तथा नोट 22 में वर्ष के दौरान इंड-एएस 37 'प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियों के अंतर्गत किए प्रावधान एवं प्रावधानों की मूवमेंट से संबंधित प्रकटीकरण किए गए हैं।

36.2. आकस्मिक देयता

(i) इंड एएस 37 'प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पतियां' के प्रकटीकरण के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण

(ii) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार व्यवसाय सामान्य क्रम में कम्पनी की आकस्मिक देयता (ब्याज के अलावा) 49512.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 24,646.26 लाख रुपये) है जो ठेकेदार द्वारा किए गए दावों से संबंधित है परन्तु जिनकी नामे के रूप में स्वीकृति कम्पनी ने नहीं की है।

कम्पनी को वस्तु एवं सेवा कर विभाग से 181.32 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) का मांग नोटिस प्राप्त हुआ है।

36.3. आकस्मिक परिसम्पतियां

इंड एएस 37 'प्रावधानों आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसम्पतियों' के अनुसार आकस्मिक परिसम्पतियों का प्रकटीकरण। 31 मार्च, 2024 कम्पनी की आकस्मिक परिसम्पति शून्य (शून्य) है।

नोट 37 सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण

इंड एएस 24 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नलिखित है:-

37.1 सम्बद्ध पार्टियों की सूची

37.1.1: सहायक कम्पनी
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व)

37.1.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं इक्विटी के लिए नामित निदेशक

नाम	पदनाम
श्री अनुराग जैन	अध्यक्ष (04.03.2024 से)
*श्री कुलदीप नारायण	प्रबंध निदेशक (01.04.2024 से)
श्रीमती अर्चना अग्रवाल	नामित निदेशक
श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामित निदेशक
श्री अरुण कुमार गुप्ता	नामित निदेशक
श्री प्रशांत गोयल	नामित निदेशक (16.03.2024 से)
श्री अजिताभ शर्मा	नामित निदेशक (21.03.2024 से)
श्री दिनेश कुमार	नामित निदेशक (21.07.2023 से)
श्री अनिल कुमार श्रंगार्या	निदेशक परियोजनाएं
श्री महेंद्र कुमार	निदेशक/ई एवं आरएस
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/प्रणाली एवं परिचालन
श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त
श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष (04.03.2024 तक)
श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक (27.03.2024 तक)
श्री आशीष कुंद्रा	नामित निदेशक (29.01.2024 तक)
श्रीमती वीनू गुप्ता	नामित निदेशक (05.12.2023 तक)
श्री बृजेश कुमार	नामित निदेशक (31.05.2023 तक)
श्री विजय कुमार	कम्पनी सचिव

* श्री कुलदीप नारायण की आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के नामित निदेशक के रूप में 28.12.2022 को हुई थी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 1.4.2024 के आदेश के माध्यम से श्री कुलदीप नारायण, आईएएस, संयुक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक (एचएफए) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को प्रबंध निदेशक, एनसीआरटीसी के पद का प्रभार सौंपा गया है।

37.1.3: सरकार से संबंधित कम्पनियां:

कम्पनी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अध्याधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कम्पनी का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार धारित 50% इक्विटी शेयरों तथा हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक द्वारा 12.5% इक्विटी शेयर धारिता द्वारा किया गया है। इंड एएस 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसरण में जिन इकाईयों पर समान सरकार का नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है तो रिपोर्टिंग इकाई एवं अन्य इकाईयों को सम्बद्ध पार्टी माना जाना है। इन पार्टियों के मध्य होने वाले संव्यवहार बाजार स्थितियों के अनुसार आर्म लैंथ आधार पर किए जाते हैं। कम्पनी द्वारा सरकार से संबंधित इकाईयों के लिए उपलब्ध छूट का आवेदन किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं।

कम्पनी ने सरकार से संबंधित निम्नलिखित इकाईयों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार किए हैं :-

इकाई का नाम	सम्बद्धता
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार	प्रशासनिक मंत्रालय
रेल मंत्रालय, भारत सरकार	शेयरधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	शेयरधारक
हरियाणा सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
राजस्थान सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
उत्तर प्रदेश सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
दिल्ली मैट्रो रेल निगम	समान मंत्रालय के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
बेंगलुरू मैट्रो रेल निगम	समान मंत्रालय के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिककरण	राज्य सरकार की इकाई
मुजफ्फरनगर विकास निगम	राज्य सरकार की इकाई
हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

37.2: अन्य सम्बद्ध पार्टियों के साथ निम्नानुसार संव्यवहार किए गए हैं :-

37.2.1: प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों एवं निदेशकों के साथ संव्यवहार

नाम	संबंध	भुगतान की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
शून्य				

37.2.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिपूर्ति :

निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के अन्य सदस्यों को वर्ष के दौरान निम्नानुसार पारिश्रमिक दिया गया है:-

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक हितलाभ	314.27	295.95
सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ	98.18	49.15
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	45.81	40.60
योग	**458.26**	**385.70**

37.2.3: अन्य सम्बद्ध पार्टियों के साथ निम्नानुसार संव्यवहार किए गए हैं :-

(रुपये लाख में)

विवरण	सम्बद्ध पार्टी का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
प्राप्तियां / आय				
पास थ्रू सहायता सहित दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए निधियां	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	3,59,600.00	4,71,000.00
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	-	1,800.00
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	1,35,600.00	1,30,600.00
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	15,287.61	-
दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	5,000.00	-
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	10,000.00	-
परामर्श आय	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित इकाई	469.64	-
परामर्श आय	मुजफ्फरनगर विकास निगम	सरकार से संबंधित इकाई	112.10	-
परियोजना मॉनीटरिंग टूल स्पीड का कार्यान्वयन	बेंगलुरू मैट्रो रेल निगम	सरकार से संबंधित इकाई	19.88	22.42
परियोजना मॉनीटरिंग टूल स्पीड का कार्यान्वयन	हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	190.39	2.66
परामर्श आय	हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	507.40	371.70
सम्पति का किराया	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	1.95	1.10
व्यय / भुगतान				
प्रशिक्षण व्यय	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	184.16
मशीनरी का किराया	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	374.94
अन्य	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	0.05
किराया प्रभार	बेंगलुरू मैट्रो रेल निगम	सरकार से संबंधित इकाई	-	85.97
किराया प्रभार	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	491.19	-
परामर्श सेवाएं	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	439.20	-

37.2.4: (i) एनसीआरटीसी एक्सप्रेस लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के परिसर को एनसीआरटीसी एक्सप्रेस लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय के पते के रूप में उपयोग करने के लिए एक अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया था। तथापि, बाद में कम्पनी तथा एनसीआरटीसी एक्सप्रेस लिमिटेड के बीच 1 अक्तूबर, 2022 से 1 सितम्बर, 2023 की अवधि के लिए पट्टा करार किया गया था तथा इसके पश्चात 1 सितम्बर, 2023 से 1 अगस्त, 2024 तक के लिए 11 महीने की अवधि का नवीकरण करवाया गया था।

(ii) एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड द्वारा भी एनसीआरटीसी के साफ्टवेयर / सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली यथा एसएपी एस4/ एचएएनए का उपयोग लेखांकन के लिए किया जा रहा है।

37.2.5 अन्य सम्बद्ध पार्टियों से बकाया शेष निम्नानुसार है :- (रुपये लाख में)

संव्यवहार की प्रकृति	सम्बद्ध पार्टी का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
परिसम्पतियां / वसूलीयोग्य				
इक्विटी शेयरों में निवेश	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	1,00.00	1,00.00
अचल सम्पति के किराए के प्राप्त प्राप्य राशि	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	0.40	0.37
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	50.90	-
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	मुजफ्फरनगर विकास निगम	सरकार से संबंधित इकाई	1.36	-
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित इकाई	6.16	-
मोबिलाइजेशन के प्रति अग्रिम	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	169.92	-
देयताएं / देय				
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	51,834.68	2,58,000.00
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	3,85,364.65	3,03,856.77
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	34,750.00	24,750.00
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	राजस्थान सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	5,500.00	500.00
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	15,287.61	17,900.00
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	58,956.87	2,62,200.00
व्ययों का पुनर्भुगतान	दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	0.03
प्राप्त परामर्श के प्रति देय राशि	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	37.07	-

अनेक अनूठी तकनीकों से लैस, 160 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ रही नमो भारत ट्रेन

नोट 38: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में लागू सीमा की पूर्ति करने वाली कम्पनी से अपने पिछले निकटतम तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का कम से कम 2% व्यय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियों पर करने की अपेक्षा की गई है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है :-

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
i) पिछले वर्ष के दौरान व्यय न किया गया शेष	165.51	74.84
ii) वर्ष के दौरान कम्पनी से व्यय के लिए अपेक्षित राशि	151.43	97.49
iii) वर्ष के दौरान व्यय न किया गया शेष	151.43	97.49
iv) वर्ष के दौरान किया गया व्यय	165.75	6.82
क. किन्हीं परिसम्पतियों का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
ख. (क) के अलावा अन्य उद्देश्य से	165.75	6.82
v) वर्ष के अंत में व्यय न किया गया शेष (सीएसआर खाते में अलग से रखा गया)	151.43	165.51
vi) सम्बद्ध पार्टी संव्यवहारों का विवरण	-	-
vii) दायित्व के वहन के लिए किए गए प्रावधान के अनुसरण में प्रावधान के संचालन पर अनुबंध के माध्यम से किए गए व्यय	-	-
viii) वर्ष के दौरान व्यय न किए जाने के कारण	जारी परियोजनाओं से संबंधित	
ix) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति : आधुनिक कृषि व्यवहारों में बागवानी एवं सम्बद्ध कार्यों का कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास / प्रशिक्षण कार्यक्रम, भीकनपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के सरकारी जूनियर हाई स्कूल में 4 कक्षाओं तथा सराय कालेखान, दिल्ली में 3 सार्वजनिक शौचालय सेट्स का निर्माण		

स्पष्टीकरण नोट:

(i) कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में जारी परियोजनाओं से संबंधित 151.43 लाख रुपये (पिछले वर्ष 97.49 लाख रुपये) की राशि एकक अलग बैंक खाते में जमा करवाई गई है।

(ii) कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर कार्यों के लिए 0.24 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया है।

नोट 39: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) - 19 "कर्मचारी हितलाभ" - 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार प्रदर्शित मूल्य। वर्ष के अंत में कर्मचारी हितलाभों का बीमांकन मूल्यांकन किए जाने के संबंध में प्रकटीकरण

39.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :-

क) भविष्य निधि:

कम्पनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया गया है। कम्पनी भविष्य निधि के प्रति पूर्व निर्धारित दर पर नियत अंशदान करता है। इस देयता की स्वीकृति बीमांकन आधार पर की गई है।

ख) उपदान:

कम्पनी द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपायों के तौर पर कम्पनी के कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र दिए जाने, शारीरिक आसामर्थ्यता की स्थिति में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

योजना का निधियन कम्पनी करती है। इंड एएस-19 के अंतर्गत सूचना का प्रकटीकरण वास्तविक बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार किया गया है तथा देयता की स्वीकृति वास्तविक बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

ग) पेंशन:

कर्मचारियों के लिए कम्पनी की अधिवार्षिता परिभाषित पेंशन योजना में पात्र कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 2.5% की दर से प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के माध्यम से किए गए हैं।

अवधि के लिए किए जाने वाले अंशदान के प्रावधान का कम्पनी कर्मचारी लागत पर बीमांकन आधार पर किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में पेंशन अंशदान का आकलन मूल संगठन / सरकारी संगठन के अनुसार किया गया है तथा लेखांकन बीमांकन आधार पर होता है।

घ) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा:

कम्पनी की अपनी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उसके पति/पत्नी को इंडोर उपचार के लिए नियमित कर्मचारी के संबंध में लागू समान दर पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है।

इसके प्रति देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की गई है।

ङ) छुट्टी:

कम्पनी द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी एवं अर्द्ध वेतन छुट्टी के लाभ प्रदान किए जाते हैं जो प्रतिवर्ष क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन हैं। सेवा के दौरान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार केवल इस छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है जबकि अधिवार्षित के समय अधिक 300 दिन (गैर नकदी योग्य भाग एवं कम्यूटेशन के बिना अर्द्ध वेतन छुट्टी) का नकदीकरण किया गया है।

इस देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की गई है।

प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के मामले में छुट्टी वेतन का अंशदान उनके मूल विभाग / संगठन को उनके मूल विभाग / संगठन के नियमों के आधार पर चुकता वेतन के अनुसार किया गया है तथा इसका लेखांकन बीमांकन आधार पर होता है।

च) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी):

कम्पनी प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को उनके परिवार सहित मुख्यालय से किसी दुरस्थ पर स्थित उनके गृह स्थल अथवा कहीं अन्यत्र स्थल पर यात्रा हेतु विश्राम एवं मन बहलाव के लिए अपनी नीति के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की गई है।

छ) अन्य हितलाभ:

I) कर्मचारियों को अधिवार्षिता के समय अपने गृह स्थल अथवा कहीं अन्य ऐसे स्थल पर निवास के लिए, जहां वह अथवा उसका परिवार भारत में निवास करना चाहता है, वैयक्तिक सामान सहित परिवहन व्यय की पूर्ति की गई है।

इससे संबंधित देयता की स्वीकृति बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार होती है।

ii) कम्पनी में अनेक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिबद्धता एवं योगदान को स्वीकृति प्रदान करना, उन्हें पुरस्कृत करने सहित उन्हें दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।

इससे संबंधित देयता की स्वीकृति बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार होती है।

39.2 लाभ एवं हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) तथा तुलन पत्र में स्वीकृत विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति एवं अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:

(क) निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व (रुपये लाख में)

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
देयता का वर्तमान प्रारंभ मूल्य	678.35	1,320.07	8.82	414.69	36.15
अधिग्रहण समायोजन	27.13	20.48	-	-	-
ब्याज लागत	50.13	97.55	0.65	30.65	2.67
चालू सेवा लागत	184.03	383.55	4.84	138.29	73.63
चुकता/बट्टा लेखित हितलाभ	(38.23)	(127.22)	-	-	-
दायित्व पर बीमांकन लाभ/(हानि)	(1.45)	(53.25)	(4.42)	(8.39)	(7.23)
देयता का वर्तमान अंत मूल्य	**899.96**	**1,641.18**	**9.90**	**575.24**	**105.23**

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
देयता का वर्तमान प्रारंभ मूल्य	423.97	897.00	9.75	222.53	33.30
अधिग्रहण समायोजन	72.75	95.66	-	-	-
ब्याज लागत	30.48	64.49	0.70	16.00	0.31
चालू सेवा लागत	166.99	500.51	4.81	145.05	2.51
चुकता/बट्टा लेखित हितलाभ	(3.86)	(105.67)		-	-
दायित्व पर बीमांकन लाभ/(हानि)	(11.98)	(131.92)	(6.44)	31.11	0.03
देयता का वर्तमान अंत मूल्य	**678.35**	**1,320.07**	**8.82**	**414.69**	**36.15**

(ख) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य (रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2024 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
योजना परिसम्पति का प्रारंभ उचित मूल्य	-	-	-	-	-
योजना परिसम्पति पर वास्तविक लाभ	-	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-	-
चुकता हितलाभ	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
दायित्व का वर्तमान अंत मूल्य	899.96	1,641.18	9.90	575.24	105.23
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-

(रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
योजना परिसम्पति का प्रारंभ उचित मूल्य	-	-	-	-	-
योजना परिसम्पति पर वास्तविक लाभ	-	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-	-
चुकता हितलाभ	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
दायित्व का वर्तमान अंत मूल्य	678.35	1,320.07	8.82	414.69	36.15
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-

(ग) तुलन पत्र में स्वीकृत राशि

(रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2024 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
वर्ष के अंत में दायित्व के अनुमानित वर्तमान मूल्य	899.96	1,641.18	9.90	575.24	105.23
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य					
निधियन स्थिति					
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता	**899.96**	**1,641.18**	**9.90**	**575.24**	**105.23**

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
वर्ष के अंत में दायित्व के अनुमानित वर्तमान मूल्य	678.35	1,320.07	8.82	414.69	36.15
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता	**678.35**	**1,320.07**	**8.82**	**414.69**	**36.15**

(घ) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय (रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2024 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
चालू सेवा लागत	184.03	383.55	4.84	138.29	73.63
ब्याज लागत	50.13	97.55	0.65	30.65	2.67
बीमांकन लाभ / हानि	-	(53.25)	(4.42)	-	(7.63)
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर का योग	**234.16**	**427.85**	**1.07**	**168.94**	**68.67**

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
चालू सेवा लागत	166.99	500.51	4.81	145.05	2.51
ब्याज लागत	30.48	64.49	0.70	16.00	0.31
बीमांकन लाभ / हानि	-	(131.92)	(6.44)	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर का योग	**197.47**	**433.08**	**(0.93)**	**161.05**	**2.82**

(ङ) अन्य व्यापक आय (लाभ)/हानि में स्वीकृत पुनर्मापन (रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2024 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
योजना परिसम्पतियों का पुनर्मापन	-	-	-		
दायित्वों का पुनर्मापन	1.45	-	-	8.39	0.40
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (लाभ)/ हानि का योग	**1.45**	**-**	**-**	**8.39**	**0.40**

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
योजना परिसम्पतियों का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
दायित्वों का पुनर्मापन	11.98	-	-	31.11	(0.03)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (लाभ)/ हानि का योग	**11.98**	**-**	**-**	**31.11**	**(0.03)**

(च) गैर चालू एवं चालू दायित्वों का वर्गीकरण (रुपये लाख में)

विवरण	31.3.2024 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
गैर-चालू प्रावधान	860.46	1,462.38	4.95	573.45	95.07
चालू प्रावधान	39.50	178.80	4.95	1.80	10.16
योग प्रावधान	**899.96**	**1,641.18**	**9.90**	**575.25**	**105.23**
विवरण	**31.3.2023 की स्थिति**				
	उपदान	**अर्जित छुट्टी**	**छुट्टी यात्रा रियायत**	**सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ**	**अन्य**
	(गैर-निधियन)	**(गैर-निधियन)**	**(गैर-निधियन)**	**(गैर-निधियन)**	**(गैर-निधियन)**
गैर-चालू प्रावधान	651.78	1,200.63	4.41	413.73	29.82
चालू प्रावधान	26.57	119.44	4.41	0.97	6.33
योग प्रावधान	**678.35**	**1,320.07**	**8.82**	**414.70**	**36.15**

(छ) भारित औसत में अभिव्यक्त प्रमुख बीमांकन अनुमान

विवरण	31.3.2024 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
डिस्काउंट दर	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%
ब्याज की इंप्युटिड (आरोपित) लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की संभावित दर	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
विवरण	**31.3.2023 की स्थिति**				
	उपदान	**अर्जित छुट्टी**	**छुट्टी यात्रा रियायत**	**सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ**	**अन्य**
	(गैर-निधियन)	**(गैर-निधियन)**	**(गैर-निधियन)**	**(गैर-निधियन)**	**(गैर-निधियन)**
डिस्काउंट दर	7.39%	7.39%	7.39%	7.39%	7.39%
ब्याज की इंप्युटिड (आरोपित) लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की संभावित दर	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

साहिबाबाद से मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन के बीच 34 किमी के हिस्से पर नमो भारत की सेवाओं से निरंतर लाभान्वित हो रहे यात्री

संवेदी विश्लेषण :

उपर्युक्त सभी अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखकर किए गए पूर्वानुमानों में परिवर्तन पर आधारित संवेदी विश्लेषण है। व्यावहारिक रूप से इनके घटित होने की संभावना नहीं है तथा पूर्वानुमानों के कुछ परिवर्तनों में सह-सम्बद्धता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदात्मकता का आकलन करते समय महत्वपूर्ण बीमांकन पूर्वानुमानों की समान विधि (प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि) का उपयोग किया गया है जबकि परिभाषित हितलाभ दायित्व की वित्तीय स्थिति विवरण में स्वीकृति प्राप्त के अनुसार गणना की गई है।

निम्नलिखित में परिवर्तन	31.3.2024 की स्थिति					
	पूर्वानुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व का प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण का प्रभाव	छुट्टी यात्रा रियायत का प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ का प्रभाव	अन्यों से प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5%	(54.24)	(99.79)	लागू नहीं	(41.25)	(5.08)
	-0.5%	59.65	112.00	लागू नहीं	44.29	5.64
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	47.04	112.23	लागू नहीं	लागू नहीं	4.70
	-0.5%	(44.38)	100.90	लागू नहीं	लागू नहीं	(4.29)
निम्नलिखित में परिवर्तन	31.3.2023 की स्थिति					
	पूर्वानुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व का प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण का प्रभाव	छुट्टी यात्रा रियायत का प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ का प्रभाव	अन्यों से प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5%	(41.48)	(80.38)	लागू नहीं	(28.42)	(0.47)
	-0.5%	45.68	89.28	लागू नहीं	30.51	0.49
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	36.07	89.62	लागू नहीं	लागू नहीं	0.49
	-0.5%	(33.87)	(81.39)	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.48)

परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल (रुपये लाख में)

31.3.2024 की स्थिति					
विवरण	उपदान (गैर-निधियन)	अर्जित छुट्टी (गैर-निधियन)	छुट्टी यात्रा रियायत (गैर-निधियन)	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ (गैर-निधियन)	अन्य (गैर-निधियन)
0-1 वर्ष	39.50	178.80	4.95	1.80	10.15
1-2 वर्ष	69.31	99.82	4.95	108.90	13.43
2-3 वर्ष	35.36	53.90	-	51.67	7.38
3-4 वर्ष	36.69	58.74	-	32.65	4.48
4-5 वर्ष	38.61	54.08	-	29.89	1.15
5-6 वर्ष	25.63	46.59	-	18.02	0.07
6 वर्ष से आगे	654.86	1,149.25	-	332.32	68.57
31.03.2023					
विवरण	उपदान (गैर-निधियन)	अर्जित छुट्टी (गैर-निधियन)	छुट्टी यात्रा रियायत (गैर-निधियन)	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ (गैर-निधियन)	अन्य (गैर-निधियन)
0-1 वर्ष	26.57	119.44	4.41	0.97	6.33
1-2 वर्ष	39.69	72.59	4.41	3.59	15.23
2-3 वर्ष	32.70	73.02	-	5.62	5.25
3-4 वर्ष	42.58	82.92	-	2.62	1.76
4-5 वर्ष	26.01	41.77	-	7.03	1.76
5-6 वर्ष	27.62	37.39	-	12.00	0.23
6 वर्ष से आगे	483.18	892.94	-	382.86	5.59

अग्रिम चरण में दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के मेरठ सेक्शन में कार्य

नोट 40:

''सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' (एमएसएमईडी अधिनियम) में की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को देयताओं का विवरण निम्नलिखित हैं:-

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
1	(i) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि और ब्याज तथा उनका चुकता न किया गया शेष :	-	-
	(ii) उपर्युक्त में से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों* को देय मूल राशि	2,960.83	2,291.73
	(iii) उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	-
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 की धारा 16 के उपबंधों के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के पश्चात किए गए भुगतान के साथ चुकता ब्याज की राशि	-	-
3	भुगतान में देरी के कारण देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता की गई है) जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 में की गई निर्दिष्टि के अनुसार ब्याज जोड़ा नहीं गया है।	-	-
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि तथा अचुकता शेष	-	-
5	आगामी वर्षों में भी देय बकाया ब्याज एवं भुगतान की राशि, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतियोग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को ब्याज देय होने की तिथि से वास्तविक भुगतान किए जाने तक के लिए आकलन की जानी है।	-	-

* सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में की गई निर्दिष्टि के अनुसार नियत तिथियों को देयताओं का भुगतान किया गया है।

नोट 41: परिसम्पतियों की क्षमता हानि

समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का यह मानना है कि कम्पनी की गैर-वित्तीय परिसम्पतियों के आर्थिक निष्पादन संभावना से कम नहीं है तथा तुलन पत्र तिथि को किसी प्रकार की क्षमता हानि के संकेत नहीं हैं। तदनुसार तुलन पत्र तिथि को किसी परिसम्पति के लिए कोई क्षमता क्षति नहीं हुई है।

नोट 42: शेष की पुष्टि

कम्पनी में बैंकों तथा अन्य पार्टियों से शेष के संबंध में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली स्थापित है। पार्टियों को शेष पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए थे। कुछ प्राप्य अन्य परिसम्पतियों एवं अन्य देयों के शेष पुष्टि/ पुन:समाधान एवं परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, के अध्याधीन हैं। समाधान ऑनगोइंग आधार पर किए जाते हैं। तथापि, प्रबंधन का यह मानना है कि ऐसी बकाया पुष्टियों/ पुन:समाधान से किसी प्रकार का वस्तुगत वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।

नोट 43: संविदागत प्रतिबद्धताएं

परियोजना के संबंध में संविदागत प्रतिबद्धताओं का विवरण 5,72,941.97 लाख रुपये (पिछले वर्ष 68,16,12.75 लाख रुपये) है।

नोट 44: इंड एएस 116: पट्टे के अंतर्गत प्रकटीकरण

कम्पनी ने विभिन्न कार्यालयों के साथ पट्टा अनुबंध किए हैं तथा प्रचालन पट्टों को स्वीकृति प्रदान की है।

(i) **प्रारंभिक उपयोज्यता के लिए चयनित व्यवहार्य उपायों का संक्षेप**

1) इस छूट को लागू किया गया है कि प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को 12 माह से कम के पट्टा काल वाली उपयोग अधिकार परिसम्पतियों एवं देयताओं को पट्टे के लिए स्वीकृत नहीं किया जाना है।

2) प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के मापन में से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को शामिल नहीं किया जाना है।

3) इंड एएस-116 की उपयोज्यता केवल उन्हीं अनुबंधों के लिए की जानी है जिनका पट्टा वर्गीकरण पहले इंड एएस-17 के अंतर्गत किया गया था।

4) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल डिस्काउंट दर लागू की गई है।

5) यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने अथवा समाप्त करने के विकल्प हैं तो पट्टा काल के निर्धारण के लिए दूरदृष्टि का उपयोग किया जाना है।

(ii) इंड एएस-17 के अंतर्गत पट्टा दायित्व एवं पारगमन की तिथि को पट्टा देयता के मूल्य के मध्य व्याप्त अंतर मुख्यत: पट्टा देयताओं की इंड एएस-116 के अंतर्गत वर्तमान मूल्य के अनुसार डिस्काउंटिंग किए जाने के कारण है।

(iii) कम्पनी की प्रचालन पट्टे के अंतर्गत परिसम्पतियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है : (रुपये लाख में)

क्र.सं.	परिसम्पतियों का विवरण	पट्टा अवधि	वहन मूल्य		एसबीआई 3एम एमसीएलआर दर	समापन खंड	विस्तार विकल्प
			31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023			
(क)	सीडब्ल्यूजी गांव में भूमि	5 साल	-	7.18	7.50%	पट्टादाता को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है	पट्टादाता को अनुबंध आगे विस्तारित करने का अधिकार है।
	योग		**-**	**7.18**			

(iv). पट्टा देयताओं की मूवमेंट (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	**8.23**	**16.19**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान स्वीकृत ब्याज	0.62	1.21
पट्टा सुधार	-	-
वर्ष के दौरान भुगतान/ नकदी बर्हिप्रवाह का योग/ पट्टे के लिए समायोजन	8.85	9.17
वर्ष के अंत में अंत शेष	**0.00**	**8.23**

(v). कम्पनी ने अल्पावधि के पट्टों अथवा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टों को स्वीकृति न दिए जाने का निर्धारण लिया है। इन पट्टों से संबंधित व्यय पट्टा देयता को मापन में शामिल नहीं किया गया है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अल्पावधि पट्टे	23.82	12.86
योग	**23.82**	**12.86**

(vi). तुलन पत्र में पट्टा देयताओं की प्रस्तुति निम्नानुसार की गई है :- (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 202 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
चालू भाग	-	7.96
गैर-चालू भाग	-	8.23
योग	**-**	**16.19**

(vii). पट्टा देयताओं की गैर-डिस्काउंटिड आधार पर संविदागत परिपक्वता का विवरण निम्नलिखित है: (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	-	-	
योग	**-**	**-**	**-**
विवरण	**31 मार्च 2023**		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	8.23	-	-
योग	**8.23**	**-**	**-**

viii). परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों से संबंधित व्यय शून्य है।

(xi). उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के उप-पट्टों से प्राप्त होने वाली आय कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

(x). बिक्री एवं पट्टा वापसी संव्यवहारों से प्राप्त लाभ / हानि कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

नोट 45: घटक रिपोर्टिंग इंड एएस 108

कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए डिजाइनिंग, निर्माण, कार्यान्वयन, वित्तपोषण, परिचालन एवं अनुरक्षण करना है। कम्पनी भारत में प्रचालन करती है और इसके प्रचालन ऐसे आर्थिक परिवेश में नहीं होते जहां विभिन्न प्रकार के जोखिम एवं प्रतिफल हों। इस प्रकार इसे एकल भौगोलिक घटक में प्रचालन माना गया है।

घटक रिपोर्ट

कम्पनी का रिपोर्ट योग्य केवल एक प्रचालनात्मक घटक है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए डिजाइनिंग, निर्माण,कार्यान्वयन, वित्तपोषण, परिचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित है तथा यह अपनी सेवाओं की प्रकृति, जोखिम एवं प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना एवं आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार एकल प्रचालन घटक है। तदनुसार स्टैंडएलोन इंडएएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि कम्पनी के एकल प्रचालन घटक से संबंधित है। वर्तमान में कम्पनी के पास सावधि जमा परामर्श आय और अन्य विविध आय पर ब्याज आय के रूप में राजस्व के स्रोत हैं।

नोट 46: विदेशी मुद्रा में उपार्जन और व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
उपार्जन		
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लाभ	1,633.68	478.17
योग	**1,633.68**	**478.17**
व्यय		
परामर्श	1,427.55	5,635.63
कार्य	68,096.52	69,878.34
अन्य	12,204.17	34,319.44
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव हानि	**81,728.24**	**1,09,833.41**

नोट 47: इंड एएस 27 "पृथक वित्तीय विवरण" के अनुसार अनुपालन का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा ''एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड'' नामक एक सहायक कम्पनी की स्थापना की गई है।

संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का इंड एएस 27 ''अलग वित्तीय विवरण'' के प्रावधानों के अनुसार मापन किया गया है।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी : कम्पनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थल एवं निगमन देश	प्रमुख गतिविधियां	कम्पनी द्वारा धारित स्वामित्व हित एवं वोटिंग अधिकारों का अनुपात
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	भारत	ट्रांजिट प्रणाली की योजना डिजाइनिंग, वित्तीय, कार्यान्वयन, प्रचालन प्रबंधन एवं अनुरक्षण	100.00%

नोट 48: इंड एएस के अनुसार प्रकटीकरण-1: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित प्रकटीकरण

चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता के संवर्धन के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों के संबंध में कुछ पुर्नवर्गीकरण किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप तुलन पत्र में कुछ लाइन मदों का पुर्नवर्गीकरण किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये लाख में)

विवरण	पुर्नवर्गीकरण से पूर्व	पुर्नवर्गीकरण	पुर्नवर्गीकरण के पश्चात
पूंजी कार्य प्रगति पर	**13,23,811.87**	**9,570.43**	**13,33,382.30**
धारित आय	19,837.19	-	19,837.19
अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	-	4,68,091.61	4,68,091.61
धारित आय	**19,837.19**	**4,68,091.61**	**4,87,928.80**
आस्थगित आय-अन्यों के लिए पूंजी अनुदान – एशियन डेवलपमेंट बैंक – तकनीकी सहायता	1,324.34	(1,324.34)	-
अन्य इक्विटी	**1,324.34**	**(1,324.34)**	
अन्य गैर चालू देयता – एशियन डेवलपमेंट बैंक तकनीकी सहायता	-	1,035.87	1,035.87
अन्य गैर चालू देयता		**1,035.87**	**1,035.87**
अन्य चालू देयता – एशियन डेवलपमेंट बैंक तकनीकी सहायता	-	288.47	288.47
अन्य चालू देयता		**288.47**	**288.47**
ऋण- अधीनस्थ नामे	**11,73,984.21**	**(4,58,521.18)**	**7,15,463.03**

नोट 49

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में संशोधन किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं। कम्पनी ने उक्त संशोधनों को अपने वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया है तथा उक्त संशोधन के अनुपालन के तौर पर निम्नलिखित नीचे प्रकटीकरण किए गए हैं:-

(i). वर्ष के दौरान समूह ने क्रिप्टो मुद्रा अथवा वर्चुअल मुद्रा में किसी प्रकार का व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।

(ii). कम्पनी के पास इक्विटी परिवर्तन में अलग से प्रकटीकरण के लिए कोई पूर्वावधि चूकें नहीं हैं।

(iii). कम्पनी के पास कोई प्रभार अथवा संतुष्टि नहीं है, जिसका पंजीयन आरओसी के सम्मुख सांविधिक अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अब तक नहीं करवाया गया है।

(iv) कम्पनी ने विदेशी इकाईयों (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (ओं) को इस उद्देश्य से धनराशि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया है अथवा निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ :

(क) कम्पनी (''परम लाभग्राहियों'') की ओर से किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में परम लाभग्राहियों की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के लिए, अथवा

(ख) अंतिम लाभार्थियों को अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही किसी गारंटी प्रदान करने के लिए।

(v) कम्पनी ने किसी व्यक्ति अथवा विदेशी इकाई सहित किसी इकाई (''निधियन पार्टी'') से ऐसे किसी निर्धारण, (जो लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकार्ड किया गया हो) के साथ कि समूह द्वारा:

(क) किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में निधियन पार्टी (''परम लाभग्राहियों'') की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदान करेगा।

(vi). कम्पनी के पास प्रमोटरों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधन कार्मिकों एवं अन्य संबंधित पार्टियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं है।

(vii) प्रबंधन के मतानुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और गैर-वर्तमान निवेशों के अलावा व्यवसाय के सामान्य क्रम में अन्य संपत्तियों का मूल्य तुलन पत्र में सूचित मूल्य से कम नहीं है।

(viii) उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित संपत्ति संयंत्र और उपकरण का वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(ix) वर्ष के दौरान अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(x). कम्पनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जिसके संबंध में कम्पनी के खिलाफ किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है अथवा लंबित है।

(xi). कम्पनी के पास निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xii). कम्पनी से बैंकों या वित्तीय संस्थानों को त्रैमासिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने अपेक्षित नहीं है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xiii). बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कम्पनी को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xiv). कम्पनी द्वारा कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियमावली, 2017 के साथ पठि अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) का अनुपालन किया गया है। तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

(xv). कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत हटाई गई कंपनियों के साथ कम्पनी का वर्ष के दौरान कोई संव्यवहार नहीं हुआ है। तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार रिपोर्ट अपेक्षित नहीं है।

नोट 50:

जहां कहीं आवश्यक हुआ है वहां चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनात्मकता के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:कम्पनीन / पुन:व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकरण किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544एन

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVT2673

हस्ता/-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
एम.एफ.सं. एफ 7801

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03276525

नई दिल्ली
29 मई, 2024

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

संख्या / No. पीडीए/इन्फ्रा/आर्थिक स्थानीय-I/27-135/वा./टिप्पणी/2023-24/200

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक / Dated 31 JULY 2024

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी)
गतिशक्ति भवन आईएनए,
नई दिल्ली - 110023

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के वार्षिक लेखों (Standalone & Consolidated) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 'टिप्पणियाँ'

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी)** के वार्षिक लेखों **(Standalone & Consolidated)** पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की **'शून्य टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

संलग्न: शून्य टिप्पणियाँ

(विनीता मिश्रा)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी को कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निहित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचनाकार्य के अनुपालन में किया है। कानूनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत की गई थी वह इस अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत वर्णित लेखा परीक्षा पर मानकों के साथ अनुपालन में स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय वक्तव्यों पर विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 29 मई 2024 की लेखा परीक्षा के माध्यम से संपन्न किया जा चुका है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की ओर से, मैंने इस अधिनियम की धारा 143 (6)(a) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वित्तीय वक्तव्यों की संपूरक लेखा परीक्षा की है। इस संपूरक लेखा परीक्षा को स्वतंत्र रूप से संविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी दस्तावेजों को पढ़े बिना किया है तथा यह कानूनी लेखापरीक्षकों तथा कंपनी कर्मचारियों के प्रश्नों/जिज्ञासाओं तथा लेखा अभिलेखों की कुछ चुनिन्दा जांच तक ही मुख्यत: सीमित है

मेरे द्वारा की गई संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया है को किसी भी प्रकार इस अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के अंतर्गत कानूनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करे या फिर संपूरक प्रदान करे।

भारत के महानियंत्रक एवं लेखापरीक्षक
के लिए या उनकी ओर से

हस्ता/-
(विनीता मिश्रा)
लेखा परीक्षा महानिदेशक (इंफ्रास्ट्रक्चर)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई 2024

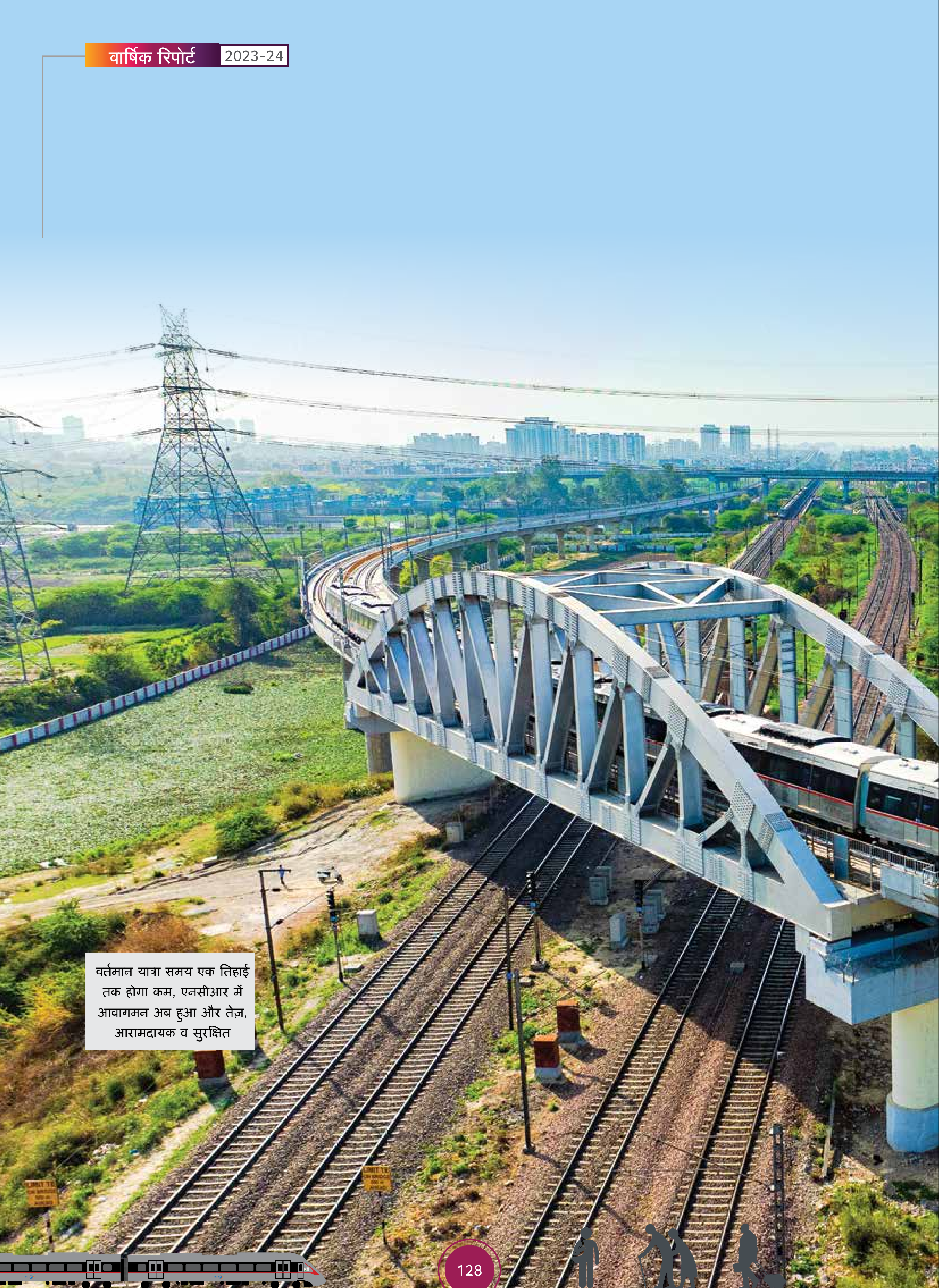

वर्तमान यात्रा समय एक तिहाई तक होगा कम, एनसीआर में आवागमन अब हुआ और तेज़, आरामदायक व सुरक्षित

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य गण,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
नई दिल्ली।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

मत

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (''समूह'') के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण, तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं।

हमारे मत और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (''इंड एएस'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित, भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त स्थिति को समूह के समेकित क्रियाकलापों एवं वर्ष में उक्त तिथि को समाप्त समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह एवं इक्विटी परिवर्तन की उस सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं, जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम (''अधिनियम'') में की गई है।

मत का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (''एसए'') के अनुसरण में गई है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण, हमारी रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, हमारे द्वारा की गयी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत हम समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त हैं एवं यथोचित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों से भिन्न सूचना तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

धारक कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना एवं कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट शामिल होती है परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं इससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होती है तथा इसे हमें इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात उपलब्ध करवाए जाने की अपेक्षा की गई है।

हमारे मतानुसार, समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे मत में अन्य सूचना को शामिल नहीं किया गया है तथा इसके लिए हम आश्वासन रूपी किसी निष्कर्ष की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व, हमें उपलब्ध करवाए जाने के पश्चात, अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी से संगत है अथवा नहीं है तथा इसमें किसी प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण दिया गया प्रतीत हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य में, हमें इस अन्य सूचना में कोई सामग्रीगत मिथ्या कथन प्रतीत होता है तो हमसे तथ्य की रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके बारे में रिपोर्ट किए जाने के लिए कोई तथ्य नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा समूह की नकदी प्रवाह स्थिति की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत/मान्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, समूह की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जो जालसाजी के कारण हों अथवा किसी चूक के कारण हों, से मुक्त समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि समूह में शामिल कम्पनियों के संबंधित निदेशक मंडल की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण संबंधित कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो संबंधित कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर संबंधित कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

संबंधित कम्पनी का निदेशक मंडल अपनी कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, समेकित वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जो जालसाजी के कारण हों अथवा किसी चूक के कारण हों, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, को निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सकेगा। सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के अंतर्गत हमें लेखापरीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैंः-

- वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो जालसाजी के कारण हों अथवा किसी चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या समूह द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों का प्रचालनात्मक प्रभाव है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी सामग्रीगत स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे समूह की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता प्रतीत होती है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम समूह की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता की जानकारी प्रदान करने के लिए हमने हमारे द्वारा समेकित विवरण भी दिया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं किः-

(क) हमने प्रत्येक वह सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जिनकी आवश्यकता हमें, हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए थी।

(ख) हमारे मतानुसार, समूह द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित अन्य व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण सहित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारे मतानुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

(ङ) समूह एक सरकारी कम्पनी है जिसके कारण कम्पनी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता ''अनुलग्नक-क'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं कि:-

- लंबित मुकदमों का समूह की वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण (संदर्भ नोट संख्या 36.2) में किया गया है।
- समूह के डेरियेटिव अनुबंधों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिनसे भविष्य में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि होने की संभावना हो।
- कम्पनी से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में वर्ष के दौरान किसी राशि का अंतरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।
- प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि लेखांकन नोट में किए गए प्रकटीकरण के अलावा उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार,

(i) कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, समूह अथवा समूह की ओर से (''अंतिम लाभग्राहियों'') अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(ii) समूह को विदेशी इकाईयों (''निधियन पार्टियों'') सहित किसी व्यक्ति अथवा इकाई से ऐसी किसी निधि की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं हुई है कि समूह द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, किन्हीं व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को किसी भी स्वरूप में कम्पनी अथवा निधियन पार्टी (''अंतिम लाभग्राहियों'') की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(iii) हमारे द्वारा औचित्यपरक एवं संगत परिस्थितियों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा के आधार; हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास स्थपित हो सके कि (i) एवं (ii) में की गई प्रस्तुति में नियम 11(ङ) के उप-खंड (i) तथा (ii) के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई मिथ्या कथन है।

- समूह द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया गया है तथा न ही चुकता किया गया है।

(h) कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक कम्पनी के संबंध में केवल 1 अप्रैल, 2023 से लागू होने के कारण कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(छ) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

हमारे द्वारा की गई जांच, जिसमें औचक जांच शामिल है, के अनुसार कम्पनी ने अपनी लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए ऐसे लेखांकन साफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) को रिकार्ड करने की सुविधा है तथा इसका उपयोग साफ्टवेयर में संव्यवहार में लाए गए प्रत्येक लेनदेन के संबंध में पूरे वर्ष के दौरान किया गया है तथा ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ किसी प्रकार की फेरबदल नहीं की गई है और कम्पनी ने रिकार्ड धारण के लिए ऑडिट ट्रेल का परिरक्षण सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार किया है।

(i) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 197 सरकारी कम्पनियों के मामले में लागू नहीं है।

2. केन्द्र सरकार द्वारा अनुबंध की धारा 143(11) के उपबंधों के अनुसार जारी कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''सीएआरओ'') के पैराग्राफ 3 (xxi) तथा 4 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में कम्पनी द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना स्पष्टीकरणों, तथा कम्पनी एवं समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कम्पनी की सहायक कम्पनियों, जिनके संबंध में सीएआरओ से संबंधित रिपोर्टिंग लागू है, द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इन सीएआरओ रिपोर्टों में, धारक कम्पनी की रिपोर्ट के खंड vii(बी) के अलावा, किसी प्रकार की अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ("सीएजी") द्वारा जारी निदेशों के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र.सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक का प्रेक्षण
1.	क्या समूह में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेन-देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय उलझाव, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	समूह में सभी लेखांकन व्यवहारों का संपादन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था है। सभी लेखांकन संव्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के उपयोग से किए जाते हैं तथा इनसे लेखों की सत्यता के प्रति किसी प्रकार का वित्तीय उलझाव नहीं है।
2	क्या समूह ने ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण के समूह के किसी ऋणदाता द्वारा समूह को किसी विद्यमान ऋण अथवा मामले में किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट/बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो उसे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का यथोचित लेखांकन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कम्पनी है तो ये निदेश ऋणदाता कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए भी लागू हैं)	समूह के संबंध में कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए पुनर्संरचना/छूट/बट्टा किए जाने का कोई मामला नहीं है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार और इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/राजसहायता इत्यादि) का उचित लेखांकन/उपयोग उससे सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। व्युत्क्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	जी, हां। ऐसे सभी संव्यवहारों का यथोचित लेखांकन किया जाता है तथा इन्हें नियमों एवं शर्तों के अनुसार असूचीबद्ध किया जाता है।

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544N

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVU3506

नई दिल्ली
29 मई, 2024

कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष से संबंधित कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की समतिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त उक्त तिथि के समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

समूह का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग परआंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशनिर्देश टिप्पणी के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदयित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के दिशनिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशनिर्देश टिप्पणी में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत दुर्विवरण, जो जालसाजी के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है, (1) जिससे रिकार्डो के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ समूह की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और समूह की आय और व्यय केवल समूह के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं; (3)जिससे समूह की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभवित कर सकते हों ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

ट्रेन व स्टेशन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानकों का उपयोग

मत

हमारे मतानुसार, हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार समूह में प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित अनिवार्य घटको पर विचार करके समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्यशील थे।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000544N

ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVU3506

नई दिल्ली
29 मई, 2024

नमो भारत के सुचारू संचालन और रखरखाव के लिए कार्यरत O&M पार्टनर डीबी इंडिया की कुशल टीम

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों / उप-निदेशों का अनुपालन करते हुए 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी सभी निदेशों / उप-निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते **श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000544N

ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVU3506

नई दिल्ली
29 मई, 2024

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(रुपये लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
I.	**परिसम्पतियां**			
1	**गैर-चालू परिसम्पतियां**			
	(क) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण	3	1,82,797.76	1,31,839.84
	(ख) उपयोग अधिकार परिसम्पतियां	4	29.08	128.68
	(ग) पूंजी कार्य प्रगति पर	5	19,04,310.52	13,33,380.84
	(घ) अमूर्त परिसम्पतियां	6.1	9,567.21	10,727.05
	(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	6.2	3,189.75	643.19
	(च) वित्तीय परिसम्पतियां			
	(i) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7	2,258.86	1,971.91
	(छ) आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)	8	-	-
	(ज) अन्य गैर-चालू परिसम्पतियां	9	55,780.28	1,02,352.17
			21,57,933.46	**15,81,043.68**
2	**चालू परिसम्पतियां**			
	(क) वित्तीय परिसम्पतियां			
	(i) व्यापार प्राप्य	10.1	-	-
	(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	96,754.31	13,511.70
	(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	10.3	1,97,698.58	1,97,149.99
	(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	10.4	7,978.01	9,571.60
	(ख) चालू कर परिसम्पतियां (निवल)	11	3,621.94	1,552.96
	(ग) अन्य चालू परिसम्पतियां	12	275.61	251.88
			3,06,328.45	**2,22,038.13**
	योग परिसम्पतियां		**24,64,261.91**	**18,03,081.81**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544N

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVU3506

हस्ता/-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F7801

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03276525

नई दिल्ली
29 मई, 2024

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	10,000.00	10,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	14	9,35,522.47	6,82,800.40
			9,45,522.47	**6,92,800.40**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) ऋण	15	10,15,062.72	7,15,463.03
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16	5.02	74.78
	(ख) आस्थगित कर देयता (निवल)	8	8,614.93	3,793.68
	(ग) प्रावधान	17	2,996.31	2,300.37
	(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	18	40,997.40	26,285.87
			10,67,676.38	**7,47,917.73**
(ii)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) पट्टा देयताएं	19.1	-	8.23
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	19.2		
	क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम		2,960.83	2,291.73
	ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के अलावा अन्य		58,685.48	49,356.35
	(iii) व्यापार देय	20	-	-
	(ख) अन्य चालू देयताएं	21	3,89,091.78	3,10,471.83
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	22	324.97	235.54
			4,51,063.06	**3,62,363.68**
	योग इक्विटी एवं देयताएं		**24,64,261.91**	**18,03,081.81**

सामान्य सूचना 1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप 2
लेखांकन नोट 3 से 50

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544एन

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVU3506

हस्ता/-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F7801

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03276525

नई दिल्ली
29 मई, 2024

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(रुपये लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
I	परिचालनों से राजस्व		-	-
II	अन्य आय	23	23,925.23	13,957.20
III	**कुल आय (I+II)**		**23,925.23**	**13,957.20**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	24	2,137.57	1,073.37
	वित्त लागतें	25	-	-
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	26	539.12	471.38
	अन्य व्यय	27	3,045.43	1,582.73
IV	**योग व्यय (IV)**		**5,722.12**	**3,127.48**
V	**अपरिहार्य मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**18,203.11**	**10,829.72**
VI	अपरिहार्य मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**18,203.11**	**10,829.72**
VIII	कर व्यय:	28		
	(1) चालू कर			
	- अवधि के लिए		8.78	-
	- पूर्व वर्षों के लिए (निवल)		(62.23)	37.38
	(2) आस्थगित कर (निवल)			
	- अवधि के लिए		4,813.00	2,695.91
	- पूर्व वर्षों के लिए (निवल)		-	96.19
IX	**जारी परिचालनों से अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**13,443.56**	**8,000.24**
X	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
XI	बंद परिचालनों का कर व्यय		-	-
XII	**बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (X-XI)**		-	-
XIII	**अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (IX+XII)**		**13,443.56**	**8,000.24**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) मदें जिनका पुनवर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाएगा		(10.24)	(43.06)
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकरण न की जाने मदों से संबंधित आयकर		(8.26)	22.78
	ख. (i) मदें जिनका पुनवर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकरण न की जाने मदों से संबंधित आयकर		-	-
XV	**अवधि के दौरान कुल व्यापक आय (XIII+XIV) [अवधि के दौरान लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय युक्त]**		**13,425.06**	**7,979.96**

मेरठ में तीव्र गति से हो रहा आरआरटीएस व मेरठ मेट्रो के लिए निर्माण कार्य

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**	29		
	(जारी परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपये में)	29	134.44	80.00
	(2) डायल्युटिड (रुपये में)	29	134.44	80.00
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(बंद परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपये में)		-	-
	(2) डायल्युटिड (रुपये में)		-	-
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(जारी एवं बंद परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपये में)	29	134.44	80.00
	(2) डायल्युटिड (रुपये में)	29	134.44	80.00

ये नोट इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544एन

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVU3506

हस्ता/-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F7801

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03276525

नई दिल्ली
29 मई, 2024

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
अपरिहार्य मदों एवं कर पूर्व लाभ		18,203.11	10,829.72
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-			
मूल्यह्रास		539.12	471.38
पट्टा देयता पर ब्याज		-	-
स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ		(0.50)	0.66
वित्तीय परिसम्पतियों से ब्याज आय		(110.74)	(95.68)
ब्याज आय		(20,526.46)	(12,475.27)
अनुदान का परिशोधन		(288.47)	(277.19)
बट्टा की गई परिसम्पतियां		-	0.07
अप्राप्त विदेशी मुद्रा हानि		6.84	1.07
परिचालनात्मक पूंजी परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ	(1)	(2,177.10)	(1,545.24)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-			
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में घटत/(बढ़त)		(23.73)	32.39
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पतियों में घटत/(बढ़त)		3,045.30	(3,386.89)
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पतियों में घटत/(बढ़त)		(176.21)	559.17
अन्य वित्तीय देयताओं में (घटत)/बढ़त		6,012.80	22,486.47
अन्य चालू देयता में (घटत)/बढ़त		(2,887.93)	1,270.00
दीर्घकालिक प्रावधानों में (घटत)/बढ़त		685.70	759.43
व्यापार प्राप्यों में (घटत)/बढ़त		-	
अल्पकालिक प्रावधानों में (घटत)/बढ़त		89.43	89.98
	(2)	6,745.36	21,810.55
परिचालन से नकदी की उत्पत्ति	(1+2)	4,568.26	20,265.31
चुकता आयकर		(2,015.53)	123.23
परिचालन कार्यों से उत्पन्न कुल नकदी उत्पत्ति		**2,552.73**	**20,388.54**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपति,संयंत्र एवं उपकरण का क्रय, सीडब्ल्यूआईपी, अन्य अमूर्त परिसम्पतियां एवं विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों का क्रय		(5,67,033.30)	(7,09,593.41)
संपति,संयंत्र एवं उपकरण का क्रय, सीडब्ल्यूआईपी, अन्य अमूर्त परिसम्पतियां एवं विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की बिक्री		129.52	
प्राप्त ब्याज		19,184.26	8,904.46
पूंजी अग्रिम		46,462.36	33,579.43
अन्य बैंक शेष में परिवर्तन		(548.59)	(23,507.07)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(5,01,805.75)**	**(6,90,616.59)**

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान से लाभ		56,400.00
निम्नलिखित से प्राप्त अग्रिम -		
- भारत सरकार (आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय) से पास थ्रू सहायता के प्रति	81,507.88	1,45,581.99
- हरियाणा सरकार		-
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार		15,000.00
ऋणों से लाभ:-		
- भारत सरकार, रा.रा.क्षे.दि. सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से अधीनस्थ नामे	2,22,500.00	1,41,100.00
- एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण	9,566.44	1,09,114.19
- न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण	45,129.03	50,262.35
- एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण	1,98,403.88	1,22,232.47
अधीनस्थ नामे का उचित मूल्य समायोजन	-	
सुरक्षा जमा		(69.76)
पट्टा भुगतान		(8.23)
पट्टा देयता पर चुकता ब्याज		(0.62)
ऋण पर चुकता ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार	(45,932.99)	(15,300.66)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी उत्पत्ति	**5,82,495.63**	**5,90,191.13**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़त/(घटत) (क+ ख+ ग)	83,242.61	(80,036.92)
प्रारंभ नकदी एवं नकदी समतुल्य	13,511.70	93,548.62
समापन नकदी एवं नकदी समतुल्य	**96,754.31**	**13,511.70**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल		
बैंकों में शेष:		
- चालू खाते एवं फ्लैक्सी जमा खाते में	72,599.05	13,507.99
- इम्प्रैस्ट खाते में		3.65
3 माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले सावधी जमा	24,151.61	-
तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य	**96,754.31**	**13,511.70**

31.3.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान (रुपये लाख में)

विवरण	अग्रिम	ऋण	वित्त लागत	पट्टा देयता	योग
संदर्भ नोट	**18 एवं 21**	**15**	**19.2**	**19.1**	
प्रारंभ शेष (क)	**3,29,106.77**	**7,15,463.03**	**5,648.78**	**8.23**	**10,50,226.81**
नकदी प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन					
वर्ष के दौरान चुकता	-	-	(45,932.99)	(8.85)	(45,941.84)
वर्ष के दौरान प्राप्त	96,507.88	4,75,599.36	-	-	5,72,107.24
योग (ख)	**96,507.88**	**4,75,599.36**	**(45,932.99)**	**(8.85)**	**5,26,165.40**

यात्रियों के लिए प्रत्येक स्टेशन पर प्रीमियम लाउंज | नमो भारत के अनुभव को बना रहा और सुखद

गैर नकदी परिवर्तन	-				
अधीनस्थ नामे का उचित मूल्यांकन	-	(1,75,999.67)	-	-	(1,75,999.67)
विदेशी मुद्रा भिन्नता	-	-	-	-	-
वसूली योग्य					-
वर्ष के दौरान उपार्जित वित्त लागत	-	-	49,918.42	0.62	49,919.04
अनुदान परिशोधन	-	-	-	-	-
योग (ग)	**-**	**(1,75,999.67)**	**49,918.42**	**0.62**	**(1,26,080.63)**
अंत शेष (क+ख+ग)	**4,25,614.65**	**10,15,062.72**	**9,634.21**	**0.00**	**14,50,311.58**

स्पष्टीकरण नोट:-

(i) स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में जारी इंड एएस–7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार किया गया है।

(ii) पुष्टि एवं चालू वर्ष के साथ तुलना के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:वर्गीकरण / पुन:समूहन किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544एन

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVU3506

हस्ता/-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F7801

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03276525

नई दिल्ली
29 मई, 2024

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण

इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च , 2024 की स्थिति (रुपये लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2023 को शेष	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुन:उल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	100	-	-	-	100
राशि	10,000.00	-	-	-	10,000.00

2. 31 मार्च, 2023 की स्थिति (रुपये लाख में)

विषय	1 अप्रैल, 2022 को शेष	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुन:उल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	100	-	-	-	100
राशि	10,000.00	-	-	-	10,000.00

ख. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2024 की स्थिति (रुपये लाख में)

विवरण		रिजर्व एवं अधिशेष			योग
	इक्विटी के प्रति अनुदान	सामान्य रिजर्व	आस्थगित आय	धारित आय	
1 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार शेष	1,94,865.00	**-**	**-**	**4,87,935.40**	**6,82,800.40**
वर्ष के दौरान लाभ		-	-	13,443.56	13,443.56
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)		-	-	(18.50)	(18.50)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	1,94,865.00	-	-	**5,01,360.46**	**6,96,225.46**
वर्ष के दौरान (परिशोधन के पश्चात) प्राप्त राशि (संदर्भ नोट 14.2.1)	56,400.00	-	-	-	56,400.00
अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	-			1,82,897.01	1,82,897.01
चुकता लाभांश		-		-	-
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार शेष	**2,51,265.00**	**-**		**6,84,257.47**	**9,35,522.47**

2. 31 मार्च, 2023 की स्थिति (रुपये लाख में)

विवरण	इक्विटी के प्रति अनुदान	रिजर्व एवं अधिशेष			योग
		सामान्य रिजर्व	आस्थगित आय	धारित आय	
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	-	-	**1,61,082.80**	**11,863.83**	**1,72,946.63**
अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	-	-	-	3,47,220.01	3,47,220.01
अनुदान में इक्विटी के प्रति अंतरण	1,59,765.00	-	(1,59,765.00)	-	-
एशियन डेवलपमेंट बैंक – तकनीकी सहायता को अंतरण	-	-	(1,317.80)	-	(1,317.80)
1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार पुन: उल्लिखित शेष	**1,59,765.00**	-	-	**3,59,083.84**	**5,18,848.84**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	8,000.24	8,000.24
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)	-	-	-	(20.28)	(20.28)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	**3,67,063.80**	**5,26,828.80**
वर्ष के दौरान (परिशोधन के पश्चात) प्राप्त राशि (संदर्भ नोट 14.2.1)	35,100.00	-		-	35,100.00
अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन				1,20,871.60	1,20,871.60
घटाएं:- चुकता लाभांश		-		-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति को शेष	**1,94,865.00**	-	-	**4,87,935.40**	**6,82,800.40**

नोट: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट की विशेषज्ञ परामर्श समिति के अनुसार आस्थगित आय का वर्गीकरण (i) इक्विटी के प्रति अनुदान तथा (ii) एशियन डेवलपमेंट बैंक से तकनीकी सहायता के नाम से गैर चालू एवं चालू वित्तीय देयता के रूप में किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544एन

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVU3506

हस्ता/-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F7801

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03276525

नई दिल्ली
29 मई, 2024

ncrtc
E9
Women Only
Women Only

शहरी पारगमन का एक समावेशी, तेज़, सुरक्षित और आरामदायक साधन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

1. समूह से संबंधित सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, भारत में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी [U60200DL2013GOI256716] है, तथा दिनांक 21 अगस्त, 2013 को इसका निगमन भारत में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत जनसाधारण के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यथोचित, द्रुतगामी, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक, कुशल एवं संवहनीय यात्रा समाधान प्रदान करने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया था।

इन समेकित विवरणों में कम्पनी (जिसे धारक कम्पनी के नाम से भी संदर्भित किया गया है) तथा इसकी सहायक इकाईयों (एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड) के वित्तीय विवरण शामिल हैं (सामूहिक रूप से ''समूह'' के नाम से संदर्भित) ।

धारक कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 में स्थित है।

धारक कम्पनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इन वित्तीय विवरणों के प्रति अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.1 निर्माण का आधार - अनुपालन विवरण

समूह के इन वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावलीख् 2015 (यथासंशोधित), के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा इन वित्तीय वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची III) में उल्लिखित प्रस्तुति की अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करके किया गया है। इन वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन की उपचय प्रणाली का अनुसरण करके गोइंग कंसर्न आधार पर किया गया है। समूह द्वारा प्रस्तुत अवधियों के दौरान समान रूप में लेखांकन नीतियों को उपयोग में लाया गया है।

2.2 समेकन का आधार

संबंधित इंड-एएस अपेक्षाओं के अनुसार उचित मूल्य पर मापन की गई कुछ वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं तथा परिभाषित लेखा योजना एवं अन्य दीर्घकालिकक कर्मचारी हितलाभों के अलावा इन समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण ऐतिहासिक लागत परिपाटी एवं उपचय आधार पर किया गया है। समूह के किसी सदस्य द्वारा यदि समान प्रकार के संव्यवहारों एवं समान प्रकार की स्थितियों के लिए समेकित विवरणों के लिए अंगीकार की गई लेखांकन नीतियों से अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है तो इन समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप समूह के ऐसे सदस्य के वित्तीय विवरणों में यथोचित समायोजन किए गए हैं।

सभी इकाईयों के वित्तीय विवरणों के संबंध में समेकन के उद्देश्य से धारक कम्पनी के समान रिपोर्टिंग अवधि यथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का उपयोग किया गया है।

2.2.1 सहायक कम्पनियां

सहायक कम्पनियां वे सभी इकाईयां हैं जिनपर धारक कम्पनी को नियंत्रण प्राप्त है। धारक कम्पनी किसी इकाई का नियंत्रण तब प्राप्त करती है जब धारक कम्पनी अपनी भागीदारी से इकाई के परिवर्तनशील लाभों के प्रति अनावृत्त होती है अथवा धारक कम्पनी के पास इसके लिए अधिकार होते हैं तथा इसके पास इकाई के संबंधित क्रियाकलापों का निर्देशन करके ऐसे प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता होती है। सहायक कम्पनियां उस तिथि से पूर्ण समेकित होती है जिस तिथि को उनका नियंत्रण धारक कम्पनी को अंतरित होता है। नियंत्रण समाप्त होने की तिथि को उनका समेकन समाप्त हो जाता है।

समूह द्वारा मूल कम्पनी एवं अपनी सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को एक एक करके परिसम्पतियों, देयताओं, इक्विटी, आय एवं व्यय जैसी मदों के संबंध में मिश्रित किया जाता है। कम्पनियों के मध्य होने वाले लेनदेन संव्यवहारों, शेष एवं संव्यवहारों से अतृप्त लाभ को हटा दिया जाता है। यदि संव्यवहार से अंतरित परिसम्पति की क्षमता हानि के प्रमाण उपलब्ध होने की स्थिति के अलावा अतृप्त हानियों को भी हटा दिया जाता है।

किसी सहायक कम्पनी पर धारक कम्पनी का नियंत्रण जब समाप्त हो जाता है तो सहायक कम्पनी की परिसम्पतियों एवं देयताओं, तथा अन्य किसी गैर नियंत्रणकारी हित एवं इक्विटी के अन्य घटकों की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से पूर्व सहायक कम्पनी में धारित किसी हित का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। किसी परिणामी लाभ अथवा हानि की स्वीकृति लाभ एवं हानि में की जाती है।

2.2.2 सहायक कम्पनी के लिए समेकन प्रक्रिया

- मूल कम्पनी की परिसम्पतियों, देयताओं, इक्विटी, आय, व्यय एवं नकदी प्रवाह को अपनी सहायक कम्पनियों के साथ मिश्रित करना
- प्रत्येक सहायक कम्पनी में मूल कम्पनी के निवेश तथा प्रत्येक सहायक कम्पनी में मूल कम्पनी के इक्विटी अंशभाग की वहन राशि का समंजन (विलोपन) करना।
- अंतर समूह परिसम्पतियों एवं देयताओं, इक्विटी, आय, व्यय तथा समूह की कम्पनियों के मध्य संबंधित संव्यवहारों (अंतर समूह में किए गए संव्यवहारों से उत्पन्न लाभ अथवा हानि जिनकी स्वीकृति परिसम्पतियों, जैसे कि मालसूची एवं स्थिर परिसम्पतियों के लिए की गई है, का पूरी तरह से विलोपन किया जाता है)।

- अंतर समूह हानियों में अक्षमता हानि के संकेत हो सकते हैं जिनके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति अपेक्षित है।
- लाभ अथवा हानि तथा अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के प्रत्येक घटक को समूह में मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध किया जाना अपेक्षित होता है। जब आवश्यकता होती है तो सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन करके उनकी लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप तैयार किया जाता है। समेकन के दौरान समूह के सदस्यों के बीच होने वाले सभी अंतर समूह परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, इक्विटी, आय, व्यय एवं नकदी प्रवाह संव्यवहारों का पूरी तरह से विलोपन किया जाता है।

2.2.3 संबंधित इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार उचित मूल्य पर मापन किए गए कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं तथा परिभाषित हितलाभ योजना अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों के अलावा स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा उपचय आधार पर किया गया है।

2.3 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

समूह द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू / गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर की गई है।

किसी परिसम्पति का वर्गी चालू के रूप में तब किया जाता है जब:

- जिससे सामान्य परिचालन क्रम में बिक्री होने की संभावना हो अथवा जो बिक्री किए जाने अथवा उपभोग किए जाने के लिए आशित हो;
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित हो;
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो, अथवा
- जो विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

अन्य परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण गैर-चालू के रूप में किया गया है।

किसी देयता का वर्गीकरण चालू के रूप में तब किया गया है जब:

- सामान्य प्रचालन क्रम में जिसका निपटान संभावित हो;
- जो मुख्यतः व्यवसाय के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर जिसका किया जाना हो, अथवा
- कम्पनी के पास इसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का किसी प्रकार का कोई अप्रतिबंधित अधिकार न हो।

अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू के रूप में किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों/देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू के रूप में किया गया है।

परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का चालू एवं गैर-चालू के रूप में वर्गीकरण 12 माह के सामान्य परिचालन क्रम को विचार में लेकर किया गया है।

2.4 अनुमानों एवं प्रबंधन विवेक का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन को ऐसे न्यायपरक निर्णय, अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का उपयोग करना पड़ता है जिनसे लेखांकन नीतियों की उपयोज्यता एवं रिपोर्ट की गई परिसम्पत्तियों, देयताओं की राशियों, समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण तथा आय एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि प्रभावित हो सकती है। वास्तविक परिणाम लगाए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों एवं संबंधित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की गई है। अनुमानों में परिवर्तन तथा वास्तविक परिणामों के मध्य भिन्नता के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं तथा अनुमानों की स्वीकृति उस अवधि के लिए की गई है जिसके लिए परिणाम ज्ञात हुए हैं / कार्यान्वित किए गए हैं।

2.5 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष विधि के उपयोग से की गई है जबकि गैर-नकदी प्रकार एवं किन्हीं पूर्व अथवा भावी नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के स्थगन अथवा उपचय के संव्यवहारों के प्रभाव के लिए कर पूर्व लाभ / (हानि) का समायोजन किया गया है। समूह के प्रचालनों, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों से उपलब्ध नकदी सहित नकद एवं नकद समतुल्य, बैंकों में नकदी शेष, तीन माह तक की मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा तथा मांग जमा, बैंक ओवरड्राफ्टों का वह निवल जिसका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है तथा जो समूह की नकदी प्रबंधन प्रणाली का भाग है, शामिल है।

2.6 कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल की गई मदों का मापन उस मूलभूत आर्थिक परिवेश की मुद्रा (कार्यात्मक मुद्रा) के उपयोग से किया गया है जिसमें समूह अपने प्रचालन करता है। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए (आईएनआर) में की गई है जो समूह की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा है। यदि कहीं अन्यथा अपेक्षित नहीं है तो प्रत्येक वित्तीय सूचना की प्रस्तुति निकटतम लाख में राउंड ऑफ करके भारतीय रुपए में की गई है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों की प्रस्तुति उनके संव्यवहार की तिथि की प्रचलित विनिमय दरों के उपयोग से की गई है। विदेशी मुद्राओं वाली मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तिथि की प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया गया है। मौद्रिक मदों के समाधान अथवा अंतरण से उत्पन्न होने वाली विनिमय भिन्नताओं की स्वीकृति लाभ अथवा हानि में की गई है। तथापि, विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न ऋण लागत मानी गई विनिमय भिन्नताओं का पूंजीयन निर्माण अवधि में किया गया है।

2.7 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

(क) परिसम्पति के रूप में किसी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति केवल तभी की गई है जब ऐसी मद से सम्बद्ध ऐसे भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो जिनके उपयोग से मद की लागत का मापन विश्वसनीयता से किया जाना संभव हो तथा जब परिसम्पति को उसके आशित रूप में उपयोग में लाए जाने हेतु तैयार किए जाने से संबंधित सभी आवश्यक क्रियाएं पूरी कर ली गई हों।

(ख) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास एवं क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया गया है। परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल है:

i. परिसम्पतियों के अधिग्रहण से संबद्ध प्रत्यक्ष लागत जिनमें परिसम्पति को स्थल पर लाने तथा आशित उद्देश्य के लिए उसे परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति करने की लागतें शामिल हैं।

ii. मदों को खंडित करने अथवा हटाने तथा यदि स्वीकृति मापदंड पूरे होते हैं तो उसके मूल स्थल पर पुन:स्थापित करने की अनुमानित लागतों का वर्तमान मूल्य।

(ग) प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत का पूंजीयन स्वीकृति मापदंडों की पूर्ति होने पर किया गया है।

(घ) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति निपटान किए जाने अथवा परिसम्पतियों के निरंतर उपयोग से किसी पकार के भावी आर्थिक लाभों की संभावना न होने की स्थिति में समाप्त की गई है। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद का निपटान अथवा परित्याग किए जाने से उत्पन्न लाभ अथवा हानि का निर्धारण बिक्री से प्राप्त होने वाले धन एवं परिसम्पति की वहन राशि के मध्य भिन्नता के अनुसार किया गया है तथा लाभ अथवा हानि विवरण में इसकी स्वीकृति की गई है।

(घ) निक्षेप कार्य/अनुबंधों का पूंजीयन निष्पादन एजेंसियों लेखा विवरण प्राप्त होने के आधार पर तथा यदि यह प्राप्त नहीं होते हैं तो निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

मूल्यह्रास / परिशोधन

(क) निम्नलिखित मामलों के अलावा, जिनमें उपयोज्यता काल का निर्धारण तकनीकी तथा/अथवा प्रबंधन मूल्यांकन आधार पर किया गया है, सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के उपयोग से कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए विनिर्देशन के अनुसार परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल में किया गया है:

(ख) 5,000/- रुपए अथवा कम मूल्य की वैयक्तिक परिसम्पतियों का 100% मूल्यह्रास उनके क्रय के वर्ष में उनके वाणिज्यिक काल को विचार में लेकर तथा पहचान के उद्देश्य से 1 रुपए के टोकन मूल्य को स्वीकृति देकर किया गया है।

(ग) मोबाइल फोन का पूंजीयन क्रय के वर्ष में किया गया है।

(घ) यदि किसी भाग की लागत किसी मद की कुल लागत से अधिक है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल परिसम्पति के शेष उपयोज्यता काल से भिन्न है तो सम्पति,संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग अलग किया गया है।

(ङ) पट्टाधारित सुधारों का परिशोधन पट्टा अवधि के दौरान उस माह से किया गया है जिस माह में ऐसे सुधारों का पूंजीयन हुआ है।

(च) मूल्यह्रास विधियों, उपयोज्यता काल एवं शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की गई है।

2.8 अमूर्त परिसम्पतियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की गई है जब ऐसी परिसम्पति से सम्बद्ध आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षमता हानि, यदि कोई हो, पर किया गया है।

अनुसंधान व्यय की स्वीकृति व्यय के रूप में तब की गई है जब इनका व्यय किया गया है। विकास गतिविधियों पर व्यय की स्वीकृति अमूर्त परिसम्पति के रूप में तब की गई है जब यह इंड एएस 38 'अमूर्त परिसम्पतियां' के पात्रता मापदंडों के अनुरूप हो तथा ऐसा न होने पर इसकी स्वीकृति व्यय के रूप में की गई है।

परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से उनके संबंधित अनुमानित उपयोज्यता काल में किया गया है। परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की गई है।

अमूर्त परिसम्पतियों का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नानुसार है:-

क) ऐसे साफ्टवेयर (अधिग्रहित/स्वयं तैयार किया गया), जो हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है, का परिशोधन, उपयोग की विधिक अधिकार की अवधि अथवा 3 वर्ष में, जो भी पहले हो, सीधी रेखा विधि के उपयोग से किया गया है।

ख) अन्य अमूर्त परिसम्पतियों (अधिग्रहित/स्वयं तैयार की गई) का परिशोधन, उपयोग की विधिक अधिकार की अवधि अथवा 5 वर्ष में, जो भी पहले हो, सीधी रेखा विधि के उपयोग से किया गया है।

परिसम्पति का नाम	विचार में लिया गया उपयोज्यता काल	विचार में ली गई मद की प्रकृति
ईडीपी परिसम्पतियां	3 वर्ष	सर्वर्स एवं नेटवर्क उपकरण
निर्दिष्ट कार्यालय उपकरण निर्दिष्ट फर्नीचर एवं जुड़नार	4 वर्ष	फर्नीचर जुड़नार, कार्यालय उपकरण तथा कर्मचारी के आवास कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई अन्य परिसम्पतियां

ग) 5,000 रुपए अथवा कम मूल्य की लागत की अमूर्त परिसम्पतियों का पूर्ण मूल्यह्रास/परिशोधन उनके क्रय के वर्ष में एवं पहचान उद्देश्य से 1 रुपए के टोकन मूल्य पर किया गया है।

2.9 पूंजी कार्य प्रगति पर

ऐसे व्यय जिनकी प्रत्यक्ष पहचान समूह द्वारा निवर्हन की जा रही परियोजना से संबंधित हो सकती है उसे ''पूंजी परियोजना व्यय'' के अंतर्गत ''पूंजी कार्य प्रगति पर'' में प्रभारित किया गया है। कर्मचारी हितलाभ एवं अप्रत्यक्ष व्यय जैसे परियोजना से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय परियोजना में प्रभारित किए गए हैं। अन्य ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय जो परियोजना एवं परियोजना से अलग हैं, उन्हें संबंधित परियोजना कॉरीडोर एवं अन्य संबंध कारकों को विचार में लेकर प्रबंधन निर्णय के अनुसार आनुपातिक रूप से परियोजना से सम्बद्ध किया गया है।

निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि जैसी निर्माण अवधि से संबंधित आय का समायोजन निर्माण के दौरान किए गए व्यय तथा अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, में, आशित उपयोग के लिए परिसम्पतियों के तैयार होने से पूर्व परिसम्पतियों की लागत के प्रति किया गया है।

2.10 पूंजी अग्रिम

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के प्रति चुकता किए भुगतान के बकाया का प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में वर्गीकरण अन्य गैर-चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजी अग्रिम के रूप में किया गया है।

2.11 भूमि

क) भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के फ्रेमवर्क की अपेक्षा के अनुसार नियंत्रण के आधार पर भूमि की स्वीकृति परिसम्पति के रूप में की गई है।

ख) विभिन्न सरकारी निकायों एवं विभागों सहित भू-स्वामियों द्वारा सौंपे गए तथा धारक कम्पनी द्वारा कब्जा प्राप्त किए गए भूखंडों का पूंजीयन धारक कम्पनी द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त किए जाने अथवा भुगतान किए जाने, जो भी हो, के समय कर लिया जाता है तथा ऐसा कब्जा प्राप्त किए जाने एवं मूल्य ज्ञात न होने की स्थिति में नहीं किया गया है।

ग) सरकार से टोकन मूल्य पर प्राप्त भूमि, जिसके स्वामित्व अधिकार धारक कम्पनी के पास हैं, की स्वीकृति इस विचार से टोकन मूल्य पर की गई हैकि भूमि का आबंटन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया है।

घ) संवर्धित प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, को राशि के अनुमान न लगाए जा सकने के कारण तब प्रभारित किया जाएगा जब भुगतान देय होता है।

ङ) भूमि से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, अन्य संबंधित शुल्क, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की लागत एवं अन्य सम्बद्ध किए जाने योग्य व्यय भूमि में लागत में जोड़े जाते हैं।

च) कब्जा प्राप्त पट्टाधारित भूमि सहित अस्थाई/अनुवर्ती प्रभाव से भूमि की लागत अथवा प्रतिपूर्ति के लिए किए गए भुगतान, संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत, जिसमें से ध्वंस की गई संरचनाओं से प्राप्त बिक्री प्रतिफल को घटाया जाना है, को भूमि अथवा पट्टाधारित भूमि की लागत माना जाता है।

छ) धारक कम्पनी के लिए भूमि की खरीद के ''भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी' (सीएएलए) के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाते में जमा की गई राशि को प्रारंभ में भूमि के लिए अग्रिम माना जाता है। सीएएलए खातों में से भू-स्वामियों को उक्त उद्देश्य से सीधे किए गए भुगतान का समायोजन भूमि की लागत में किया गया है तथा सीएएलए में बकाया शेष को अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

2.12 गैर-वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानि

परिसम्पतियों की क्षमता हानि से संबंधित इंड एएस 36 के अनुसार धारक कम्पनी की परिसम्पतियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को यह निर्धारण करने के लिए की गई हैकि क्या इनमें किसी प्रकार के क्षमता हानि के संकेत प्रतीत हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के अनुमान उचित मूल्य से उच्चतर मूल्य पर बिक्री की लागत एवं उपयोग मूल्य को घटाकर लगाए जाते हैं। लाभ एवं हानि विवरण में किसी क्षमता हानि की स्वीकृति तब की गई है जब किसी परिसम्पति अथवा इनकी नकद उत्पति यूनिट की वहन राशि इसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूलीयोग्य हानि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तथा ऐसी हानियों का अब कोई आस्तित्व नहीं है अथवा ये कम हो गई हैं तो पूर्व लेखांकन अवधियों में अक्षमता हानि के लिए प्रदान की गई स्वीकृति को रिवर्स कर दिया जाता है। क्षमता हानि में किए गए ऐसे रिवर्सल की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है।

2.13 (क) राजस्व स्वीकृति

i. राजस्व की स्वीकृति उस सीमा तक की गई है जब यह संभावना हो कि उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ धारक कम्पनी को प्राप्त होंगे राजस्व का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा। तथापि, राजस्व में पहले से ही शामिल किसी प्राप्ति के संबंध में किसी प्रकार की अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो वसूली न किए जाने योग्य राशि, अथवा वह राशि जिसकी वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, की स्वीकृति पहले से ही स्वीकृत की गई राजस्व राशि के समायोजन के स्थान पर व्यय के रूप में की गई है।

ii. ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की गई है जब माल अथवा सेवाओं का अंतरण ग्राहक को उस प्रतिफल के रूप में दर्शाई गई राशि पर किया गया है जो धारक कम्पनी माल अथवा सेवाओं का विनिमय किए जाने पर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा करती है।

iii. प्राप्त अथवा प्राप्तियोग्य प्रतिफल के राजस्व का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।

iv. प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति उस लेखांकन अवधि में की गई हैजिस अवधि में सेवाएं प्रदान की गई हैं। राजस्व की स्वीकृति समय अथवा समय के किसी एक बिन्दु पर निष्पादन दायित्व पूरे किए जाने के आधार पर की गई है।

क. किसी समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व संतुष्ट होने के मामले में राजस्व की स्वीकृति प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रदान की गई कुल सेवाओं के अनुपात के आधार पर की स्वीकृति की गई है। ऐसे निर्धारण भौतिक प्रगति, प्रयासों, संव्यवहार की कुल अनुमानित लागत के वहन के लिए अद्यतन व्यय, व्ययतित समय, निष्पादित सेवा अथवा प्रबंधन द्वारा उचित समझी गई अन्य किसी विधि के आधार पर किए जाते हैं।

ख. अन्य मामलों मे, जहां समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व संतुष्ट नहीं होते हैं, राजस्व की स्वीकृति समय बिन्दु पर की गई है।

ग. ऐसे अनुबंधों के मामले में जिनमें ग्राहक भुगतान अनुसूची के आधार पर नियत राशि का भुगतान करता है, तो यदि धारक कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भुगतान से अधिक होती हैं तो अनुबंध परिसम्पति की स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि भुगतान प्रदान की गई सेवाओं से अधिक होते हैं तो अनुबंध दायित्व की स्वीकृति की गई है।

घ. संग्रहण शुल्क को गतिविधियों / अनुबंध/कार्य आदेश के निबंधनों के अनुसार संव्यवहारों के पूर्ण होने के चरण के आधार पर राजस्व की स्वीकृति दिए जाने तक ग्राहक अग्रिम माना जाता है।

ङ. धनवापसी योग्य एवं आपूर्तियों का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

च. निर्माण प्रबंधन / पर्यवेक्षण नियंत्रण के लिए राजस्व की स्वीकृति प्रबंधन, ग्राहक से लंबित अनुमोदन, यदि कोई हो, द्वारा प्रत्येक अनुबंध के लिए निर्धारित कार्य सम्पन्नता / निर्माण लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में की गई है।

(ख) अन्य राजस्व स्वीकृति

i. ब्याज आय की स्वीकृति समय अनुपात आधार पर प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से बकाया राशि के लेखे एवं लागू ब्याज दर को विचार में लेकर की गई है।

ii. लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने, इकाई को आर्थिक लाभ प्रवाहित होने एवं राशि का मापन विश्वसनीयता के साथ किए जाने की स्थिति में किया गया है।

iii. किरायों तथा परिचालनात्मक पट्टों से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति उपचय आधार पर, संबंधित अनुबंध के सार के अनुसरण में, की गई है।

2.14 कर्मचारी हितलाभ

(क) **परिभाषित अंशदान योजनाएं:** धारक कम्पनी द्वारा भविष्य निधि योजना एवं कर्मचारी पेंशन योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को परिभाषित अंशदान चुकता किए जाते हैं। धारक कम्पनी द्वारा योजना के विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किए जाते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत चुकता / देय भुगतान की स्वीकृति उस अवधि में की गई है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

(ख) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं:** परिभाषित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, सेवा समाप्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ, सामान भत्ता शामिल हैं। इनकी देयताओं की स्वीकृति तुलन पत्र में परिभाषित हितलाभ दायित्व के विद्यमान मूल्य पर तुलन पत्र तिथि को की गई है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि (पीयूसी) के उपयोग से की गई है।

- धारक कम्पनी द्वारा परिभाषित हितलाभ योजना के निवल दायित्व की तुलन पत्र में स्वीकृति निवल दायित्व के रूप में की गई है।
- पुन: मापन किए गए निवल परिभाषित देयता के माध्यम से लाभ अथवा हानि की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की गई है।
- निवल परिभाषित हितलाभ देयता/(परिसम्पति) पर सेवा लागत एवं निवल ब्याज लागत /(आय) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है।

(ग) बीमांकित लाभ एवं हानियों से युक्त पुन:मापन के लिए, परिभाषित हितलाभ दायित्व एवं योजनागत परिसम्पतियों के प्रतिफल (निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल ब्याज में शामिल राशियों के अलावा) के निवल ब्याज में शामिल राशियों के अलावा, परिसम्पति की ऊपरी सीमा के प्रभाव की अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में संबंधित अवधि में तत्काल स्वीकृति तब की गई है जब यह घटित होता है। अनुवर्ती अवधि में लाभ एवं हानि के पुन:मापन का पुन:वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(घ) प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के मामले में उनके मूल संगठन की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नियम एवं शर्तों के आधार पर विदेश सेवा अंशदान के लिए प्रावधान / दायित्व पूरे किए जाते हैं तथा इन्हें प्रोद्भवन आधार पर चुकता अथवा लेखा बहियों में लेखांकित किया गया है।

(ङ) **अल्प-कालिक हितलाभ:** अल्प-कालिक कर्मचारी हितलाभों का मापन गैर-बट्टा आधार पर किया गया है तथा इसका मूल्यन संबंधित सेवा के प्रति किया गया है।

2.15 ऋण लागतें

सामान्य तथा विशिष्ट ऋण लागतों, जिनकी संबद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्हक परिसम्पति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है, का पूंजीयन उस समयावधि के दौरान किया गया है जिसमें परिसम्पति को उसके आशित उद्देश्य से उपयोग के लिए तैयार किया गया है।

अर्हक परिसम्पति वह परिसम्पति है जिसे आशित उपयोग के लिए किसी निश्चित समय अवधि में तैयार किया गया है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में व्यय किए जाने की अवधि में की गई है।

विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं का समायोजन ब्याज लागतों में तब किया गया है जब उन्हें ऐसी ऋण लागत माना जाता है जो अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से सीधे सम्बद्ध है।

समायोजन के लिए योग्य विनिमय दर उतार चढ़ाव हानि का निर्धारण विदेशी मुद्रा में ऋण लागत तथा संचयी अवधि एप्रोच पर उतार चढ़ाव वाली विदेशी मुद्रा की ऋण के मध्य तुलना करके किया गया है।

2.16 आय कर

(क) चालू आय कर

आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत आकलित करयोग्य आय एवं कर क्रेडिट के आधार पर किया गया है।

चालू कर परिसम्पत्तियों एवं चालू कर देयताओं का समंजन (आफसेट) तब किया गया है जब स्वीकृत राशियों के समंजन का प्रवर्तनयोग्य विधिक अधिकार हो तथा परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का निवल आधार पर निपटान किए जाने की मंशा हो।

अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित चालू कर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में की गई है।

ख) आस्थगित कर

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा ''आय कर'' के संबंध में जारी भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस 12) के अनुसार

i. आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की स्वीकृति ऐसी अस्थाई भिन्नताओं के लिए की गई हैजिनका आकलन कर दरों एवं प्रवर्तित अथवा रिपोर्टिंग तिथि को वस्तुतः प्रवर्तित कर विधियों के उपयोग से किया गया है।

ii. आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियों की स्वीकृति तब की गई है जब ऐसी संभावना हो कि उससे करयोग्य लाभ उपलब्ध हो सकेंगे जिनसे कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिटों का अग्रेषण तथा अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

iii. आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का समंजन (आफसेट) तब किया गया है जब चालू कर से संबंधित देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों के समंजन का प्रवर्तनयोग्य विधिक अधिकार हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं की सम्बद्धता समान शासी कराधान विधि द्वारा आय पर लगाए गए करों से हो।

iv. आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का मापन उन कर दरों एवं कर विधियों के उपयोग से किया गया है जो प्रवर्तित अथवा तुलन पत्र तिथि को वस्तुतः प्रवर्तित हैं। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को धारक कम्पनी अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों, यदि कोई हों, का पुनः मूल्यांकन करती है।

v. आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियों की वहन राशि की पुनरीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की गई हैतथा इसे उस सीमा तक न्यून किया गया है जिस सीमा तक यह संभावना प्रतीत नहीं होती है कि इससे उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक अथवा आंशिक आस्थगित आय कर परिसम्पतियों के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध हो सकेंगे।

vi. अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित आस्थगित कर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में की गई है।

2.17 निवेश सम्पतियां

क. निवेश सम्पति में सम्पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति वित्त पट्टे के अंतर्गत वह सम्पति शामिल होती है जिसका धारण व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों के लिए न किए जाने के स्थान पर किराया उपार्जित करने अथवा पूंजी प्रतिफल प्राप्त करने अथवा दोनों के लिए किया गया हो।

ख. निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति लागत पर, संचित मूल्यह्रास एवं उत्पन्न अक्षमता हानियों का निवल, यदि कोई हो, की गई है।

ग. मूल क्रय किए जाने की तिथि से कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए वर्णन के अनुसार निवेश सम्पति के प्रत्येक घटक का मूल्यह्रास किया गया है।

घ. निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की गई है जब उनकी बिक्री कर दी गई हो अथवा उन्हें स्थाई रूप से उपयोग में न लाया जा रहा हो तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। परिसम्पत्ति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के मध्य भिन्नता की स्वीकृति लाभ एवं हानि में स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि में की गई है।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पतियां

क) देयताओं के संबंध में प्रावधानों की स्वीकृति केवल तब की गई है जब अनुमानों के किसी महत्वपूर्ण स्तर तक उनका मापन किया जाना संभव हो, जिसके लिए :

i. कम्पनी के पास किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व हो।

ii. संसाधनों के बर्हिप्रवाह से दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो; तथा

iii. जब दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की गई है।

प्रावधानों को न्यून करना

जब धन का समय मूल्य प्रभाव वस्तुगत होता है तो प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित संभावित व्यय होती है।

ख) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण निम्नलिखित प्रत्येक मामले में किया गया है :-

i. किसी पूर्व घटना के कारण उत्पन्न कोई विद्यमान दायित्व, जिसमें दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना न हो; अथवा

ii. विद्यमान दायित्व के लिए विश्वसनीय अनुमान न लगाए जा सकते हों; अथवा

iii. यदि संसाधन के बर्हिप्रवाह की संभावना काफी कम नहीं है तो किसी संभावित दायित्व के लिए

आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसम्पति के प्रति अपेक्षित प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की गई है।

ग) आकस्मिक परिसम्पतियों का प्रकटीकरण तब किया गया है जब आर्थिक लाभ के अंतर्प्रवाह की संभावना हो।

2.19 पट्टे

(क) पट्टाधारक के रूप में

(i) समूह कम्पनी द्वारा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति एवं पट्टा देयताएं की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि को की गई है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का प्रारंभिक मापन लागत पर किया गया है जिसमें प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान जमा व्यय की गई कोई प्रत्यक्ष लागत तथा परिसम्पति को विखंडित करने तथा हटाने अथवा परिसम्पति अथवा स्थल, जहां यह स्थित है, को पुन: स्थापित पर व्यय की गई प्रारंभिक लागत में से प्राप्त प्रकार के पट्टा प्रोत्साहन घटाकर समायोजन के साथ पट्टा देयताएं की प्रारंभिक राशि शामिल होती है।

(ii) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का अनुवर्ती मूल्यह्रास उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के उपयोज्यता काल अथवा पट्टा काल के अंत से पहले की प्रारंभ तिथि से सीधी रेखा विधि का उपयोग करके किया गया है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल का निर्धारण भी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के समान आधार पर किया गया है। इसके अलावा, उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की आवधिक न्यूनता अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के लिए की गई हैतथा इन्हें पट्टा देयताएं के कतिपय पुन:मूल्यांकनों में समायोजित किया गया है।

(iii) पट्टा देयताएं का प्रारंभिक मापन प्रारंभ तिथि को चुकता न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर, पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दर अथवा यदि दर का निर्धारण तत्काल नहीं किया जा सकता है तो इसे समूह कम्पनी की आवर्धित ऋण दर में कटौती करके, किया गया है।

(iv) प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से पट्टा देयताएं का परिशोधन लागत पर मापन किया गया है, इसका पुन:मापन तब किया गया है जब सूचकांक अथवा में परिवर्तन के कारण भावी पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है। जब इस प्रकार से पट्टा देयताएं का पुन:मापन किया गया है तो उपयोग अधिकार वाली सम्पति की वहन राशि में अनुवर्ती समायोजन किए जाते हैं अथवा यदि उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की वहन राशि कम होकर शून्य हो गई है तो इसे लाभ एवं हानि में रिकार्ड किया गया है।

(v) समूह कम्पनी द्वारा उस उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की प्रस्तुति की गई हैजो तुलन पत्र में "उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति" के लिए निवेश परिसम्पति एवं पट्टा दायित्वों के लिए तुलन पत्र में "अन्य वित्तीय दायित्वों" की परिभाषा में नहीं आती है।

(vi) **अल्पावधि के पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे:-**

समूह कम्पनी ने अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के संबंध में कम्पनी ने 12 माह से कम पट्टा काल के पट्टों तथा न्यून मूल्य की उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों एवं पट्टा देयताओं की स्वीकृति न करने का चयन किया है। धारक कम्पनी ऐसी परिसम्पतियों से सम्बद्ध पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में पट्टा काल के लिए करती है।

(ख) पट्टाकार के रूप में

जब समूह कम्पनी पट्टाकार के रूप में प्रक्रिया करती है तो इसके द्वारा प्रारंभ में प्रत्येक पट्टे के संबंध में किसी पट्टे के वित्त पट्टे होने अथवा परिचालन पट्टे होने का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक पट्टे के वर्गीकरण के लिए समूह कम्पनी सम्पूर्ण मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या पट्टा अंतरणों से पट्टे के स्वामित्व से जुडे इसके सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल का अंतरण होता है अथवा नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो तो वित्त पट्टा होता है तथा यदि नहीं होता है तो यह परिचालन पट्टा होता है। अपने मूल्यांकन के अंतर्गत समूह कम्पनी परिसम्पति से सम्बद्ध आर्थिक उपयोज्यता काल से सम्बद्ध कारको के होने तथा होने जैसे विभिन्न सूचकों पर भी विचार करती है।

समूह कम्पनी द्वारा परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा विधि के उपयोग से ''अन्य आय'' के अंतर्गत पट्टा काल के लिए आय के रूप में की गई है।

2.20 अनुदान

(i) सरकार से इक्विटी के प्रति परिसम्पतियों के निर्माण हेतु पूंजी व्यय के लिए प्राप्त अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है।

(ii) परिसम्पतियों के निर्माण के लिए पूंजी व्यय के रूप में अन्यों से प्राप्त तकनीकी अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। सम्बद्ध परिसम्पतियों के काल में आय के रूप में प्रत्येक वर्ष इनकी तदनंतर स्वीकृति ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यह्रास करते हुए आनुपातिक रूप में की गई है।

(iii) राजस्व व्यय के लिए अन्यों से प्राप्त अनुदान को व्यय के वास्तविक वहन के दौरान राजस्व व्यय माना गया है।

2.21 अधीनस्थ नामे

भारत सरकार, दिल्ली सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार (समूह कम्पनी के प्रोमोटर्स) द्वारा समूह कम्पनी को ब्याज मुक्त अधीनस्थ नामे प्रदान किए गए हैं जिनका पुनर्भुगतान एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से प्राप्त ब्याज युक्त सीनियर नामे के पुनर्भुगतान के पश्चात कम्पनी को देय होता है। सरकार से

प्राप्त अधीनस्थ नामे ब्याज मुक्त हैं अतः इन्हें इंड एएस 109 तथा इंड एएस 113 की अपेक्षाओं के अनुसार उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया गया है, जबकि वित्तीय परिसम्पतियां अथवा वित्तीय देयताओं का मापन उनके उचित मूल्य पर किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, ब्याज मुक्त अधीनस्थ नामे का मापन उनके उचित मूल्य पर किया गया है तथा अधीनस्थ नामे राशि से एवं उचित मूल्य राशि के बीच अंतर की राशि ज्ञात करके उसकी इक्विटी में स्वीकृति गैर पारस्परिक पूंजी अंशदान के रूप में की गई है।

2.22 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मौलिक आय का आकलन अवधि से संबंधित निवल लाभ अथवा हानि को इक्विटी शेयर धारकों की अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या के भारित औसत से विभाजित करके किया गया है। प्रति शेयर डाय्ल्युटिड आय का आकलन करने के उद्देश्य से वर्ष में अर्जित निवल लाभ अथवा हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत से सम्बद्ध करके उनका समायोजन संभावित इक्विटी शेयरों पर डाय्ल्युटिड प्रभाव के लिए किया गया है।

2.23 इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त / देय लाभांश की स्वीकृति उस वर्ष के लिए की गई हैजिस वर्ष संबंधित लाभांशों को निदेशक मंडल द्वारा यथा उपयुक्त के रूप में अनुमोदित किया गया है।

2.24 उचित मूल्य मापन

i. समूह कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कतिपय वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य पर मापन किया गया है।

ii. उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति की बिक्री किए जाने पर प्राप्त होने अथवा देयता के अंतरण के लिए भुगतान किए जाने हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रुप में निष्पादित होगाः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, अथवा
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

समूह कम्पनी के लिए प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे।

समूह कम्पनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

2.25 वित्तीय लिखत :-

(i) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं की स्वीकृति तब की गई है जब धारक कम्पनी लिखत के संविदागत प्रावधानों में पार्टी बनती है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया गया है। अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय देयता की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए मापन किए गए उचित मूल्य जोड़ अथवा घटा दिया गया है।

(ii) अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसम्पतियां

वित्तीय परिसम्पतियों का निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है :-

क. परिशोधन लागत पर

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधन लागत पर तब किया गया है जब वित्तीय परिसम्पतियों का धारण ऐसे व्यवसाय मॉडल के लिए किया गया हो जिसका लक्ष्य ऐसी परिसम्पतियों के धारण से संविदागत नकदी प्रवाह का संग्रह करना है तथा वित्तीय परिसम्पति की संविदागत शर्तों से किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह की उत्पति हो सके जो केवल बकाया मूल राशि के प्रति मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए हो।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

वित्तीय परिसम्पतियों का उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापन तब किया गया है जब ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का धारण किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के लिए किया गया हो जिसका लक्ष्य संविदागत नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसम्पतियों की बिक्री, दोनों, के माध्यम से पूर्ति करना हो तथा वित्तीय परिसम्पति की संविदागत शर्तों से किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह की उत्पति हो सके जो केवल बकाया मूल राशि के प्रति मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए हो।

ग. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से वित्तीय परिसम्पतियों का मापन तब किया गया है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर इनका मापन परिशोधन लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर न किया गया हो। वित्तीय परिसम्पतियों के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों तथा लाभ अथवा हानि के माध्यम से देयताओं के उचित मूल्य की त्वरित स्वीकृति लाभ अथवा हानि में की गई है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रुप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं की प्रस्तुति आरंभिक तौर पर उचित मूल्य और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर की गई है।

ख. एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

धारक कम्पनी ने एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को निर्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) गैर-स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के कम्पनी का भाग) को केवल तभी गैर-स्वीकृत किया गया है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है अथवा वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपत्तियों को अंतरित करता है अथवा परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों अथवा लाभों को अंतरित करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर-स्वीकृत तब किया गया है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का पालन हो जाता है अथवा वे रद्द अथवा समाप्त हो जाते हैं। जब व्यापक रुप से भिन्न शर्तों पर अथवा मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया गया है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया गया है।

(iv) वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानि :

समूह क्षमता हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल (ईसीएल्) का प्रयोग करता है। समूह व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रहा है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए समूह को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है। अपितु आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ईसीएल के उपयोज्यता काल के आधार पर क्षमता हानि को स्वीकृति दी गई है।

समूह परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण प्रपत्रों के माध्यम से अग्रेषित अपनी परिसंपत्तियों को संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करता है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षमता हानि भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रुप में स्वीकृत किया गया है।

2.26 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां

बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियों का परिसम्पतियों के रूप में वर्गीकरण तब किया गया है जब उनकी वहन राशि की मूलतः वसूली बिक्री संव्यवहार के माध्यम से की जानी हो तथा बिक्री की संभावना अत्यधिक प्रबल हो। बिक्री की संभावना को अत्यधिक प्रबल तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान कम्पनी अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए तत्काल उपलब्ध हो, जिसमें बिक्री के प्रत्याहार की संभावना न हो और वर्गीकरण किए जाने की तिथि से बिक्री एक वर्ष में किए जाने की संभावना हो। बिक्री के धारित के रूप वर्गीकृत किए गए निपटान कम्पनी की प्रस्तुत निम्नतर वहन राशि एवं बिक्री लागत घटा उचित मूल्य पर की गई है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया गया है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति वित्तीय विवरणों में अलग से की गई है।

''बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां तथा समाप्त प्रचालन'' से संबंधित इंड एएस 105 में उल्लिखित मापदंड यदि पूरे नहीं होते हैं तो बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान कम्पनी का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। बिक्री के धारित के वर्गीकरण से बाहर की गई गैर-चालू परिसम्पतियों का मापन (i) बिक्री के लिए धारित के रूप में किए गए वर्गीकरण से पूर्व की उनकी वहन से न्यून स्तर पर करके उस मूल्यह्रास के लिए समायोजित किया गया है जिसकी स्वीकृति तब की जाती यदि परिसम्पति का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित के रूप में न किया जाता, तथा (ii) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि न्यून स्तर पर है जब बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान कम्पनी का वर्गीकरण समाप्त हुआ था।

2.27 तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं

तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित होने वाली घटनाओं को इंड एएस 10 (आकस्मिकताएं एवं तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं) के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय विचार में लिया जाता है।

2.28 संयुक्त उद्यमों एवं सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश

संयुक्त उद्यमों एवं सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश का वहन लागत में से संचित क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया गया है। जब क्षमता हानि के संकेत विद्यमान होते हैं तो निवेश की वहन राशि का मूल्यांकन किया गया है तथा इसकी वसूलीयोग्य राशि का प्रतिलेखन किया गया है। निवेश के निपटान के पश्चात निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशियों के मध्य के अंतर की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में की गई है।

2.29 पूर्वावधि समायोजन

पूर्वावधि की सामग्रीगत चूकों में पूर्वव्यापी तौर पर सुधार करके उनका पुनर्लेखन तुलनात्मक राशियों के उल्लेख के साथ उन पूर्वावधियों के लिए किया गया है जिस अवधि में चूक हुई है। यदि चूक की उत्पति प्रस्तुत पूर्वावधि से पहले की है तो पूर्व प्रस्तुत पूर्वावधि के लिए परिसम्पतियों, देयताओं एवं इक्विटी के अथ शेषों का, यदि अव्यवहार्य नहीं है, पुनः उल्लेख किया गया है तथा अव्यवहार्य होने के मामले में तुलनात्मक सूचना का समायोजन व्यवहार्य पूर्व तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।

2.30 नकदी एवं नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक में जमा नकदी, उपलब्ध नकदी तथा तीन माह अथवा कम अवधि वाले अल्पकालिक जमा शामिल हैं जिन्हें ज्ञात राशि के लिए तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य में परिवर्तन का अल्प जोखिम है।

2.31 वे लेखांकन नीतियां जो वर्तमान में समूह से सम्बद्ध नहीं है उनके संबंध में प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं। जब कभी ऐसी लेखांकन नीतियां सम्बद्ध होंगी तो प्रकटीकरण किए जाएंगे।

नोट 3: सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (रुपये लाख में)

विवरण	संचित मूल्यह्रास				निवल वहन मूल्य				सकल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2023 की स्थिति	आवर्धन	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2024 की स्थिति	1 अप्रैल, 2023 की स्थिति	आवर्धन	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2024 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	87,933.67	51,371.74	(109.29)	1,39,196.12	-	-	-	-	1,39,196.12
पट्टाधारित भूमि	39,545.59	507.05	-	40,052.64	-	-	-	-	40,052.64
फ्रीहोल्ड भवन	651.93	-	-	651.93	21.07	23.44	-	44.51	607.42
पट्टाधारित सुधार	2,845.79	21.24	-	2,867.03	1,634.24	519.65	-	2,153.89	713.14
अस्थाई भवन	1,341.82	7.09	-	1,348.91	1,186.95	89.07	-	1,276.02	72.89
ईडीपी परिसम्पतियां	1,368.16	123.82	(54.95)	1,437.03	468.83	378.92	(44.08)	803.67	633.36
कार्यालय उपकरण	1,061.17	72.91	(0.35)	1,133.73	458.12	175.00	(0.33)	632.79	500.94
फर्नीचर एवं जुड़नार	1,050.88	77.46	(12.76)	1,115.58	292.13	104.76	(2.92)	393.97	721.61
संयंत्र एवं मशीनरी	10.58	133.30	-	143.88	0.48	3.51	-	3.99	139.89
सुरक्षा उपकरण कार्यालय	109.45	91.15	-	200.60	17.38	23.47	-	40.85	159.75
योग	**1,35,919.04**	**52,405.76**	**(177.35)**	**1,88,147.45**	**4,079.20**	**1,317.82**	**(47.33)**	**5,349.69**	**1,82,797.76**

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

विवरण	संचित मूल्यह्रास				निवल वहन मूल्य				सकल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	आवर्धन	निपटा / समायोजन	31 मार्च, 2023 की स्थिति	1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2023 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	55,374.77	37,383.40	(4,824.50)	87,933.67	-	-	-	-	87,933.67
पट्टाधारित भूमि	20,361.47	14,629.93	4,554.19	39,545.59	-	-	-	-	39,545.59
फ्रीहोल्ड भवन	476.66	175.27	-	651.93	2.96	18.11	-	21.07	630.86
पट्टाधारित सुधार	2,223.69	622.35	(0.25)	2,845.79	599.38	1,034.86	-	1,634.24	1,211.55
अस्थाई भवन	1,341.82	-	-	1,341.82	762.08	424.87	-	1,186.95	154.87
ईडीपी परिसम्पतियां	423.07	997.21	(52.12)	1,368.16	233.72	276.38	(41.27)	468.83	899.33
कार्यालय उपकरण	855.89	208.80	(3.52)	1,061.17	298.52	162.19	(2.59)	458.12	603.05
फर्नीचर एवं जुड़नार	902.90	161.84	(13.86)	1,050.88	194.97	98.26	(1.10)	292.13	758.75
संयंत्र एवं मशीनरी	-	10.58	-	10.58	-	0.48	-	0.48	10.10
सुरक्षा उपकरण कार्यालय	-	109.45	-	109.45	-	17.38	-	17.38	92.07
योग	**81,960.27**	**54,298.83**	**(340.06)**	**1,35,919.04**	**2,091.63**	**2,032.53**	**(44.96)**	**4,079.20**	**1,31,839.84**

स्पष्टीकरण नोट

(i) **पट्टाधारित भूमि,** इसमें निम्नलिखित शामिल है -

(क) जिला गाजियाबाद में दुहाई, भीकनपुर एवं बसंतपुर संथिल ग्रामों में दुहाई डिपो के लिए 0.1014 हेक्टेयर (0.9514 हेक्टेयर) की निजी भूमि की लागत की 26.27 लाख रुपये (876.99 लाख रुपये) की स्टाम्प ड्यूटी सहित राशि का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया है। दरों का निर्धारण जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद की अध्यक्षता वाली जिला स्तर दर निर्धारण समिति द्वारा किया गया था तथा इसके लिए अनुमोदन मंडल आयुक्त, मेरठ ने प्रदान किया है। 14.24 हेक्टेयर (33.385 हेक्टेयर) माप की भूमि का नाम परिवर्तन कम्पनी के नाम से कर दिया गया है तथा 3.747 हेक्टेयर (17.885 हेक्टेयर) माप की शेष भूमि के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की जा रही है।

(ख) सिवाया ग्राम जिला मेरठ में मोदीपुरम स्टेशन की 1.13 हेक्टेयर (20.05 हेक्टेयर) भूमि का नाम परिवर्तन कम्पनी के नाम से कर दिया गया है तथा शेष 0.15 हेक्टेयर (1.28 हेक्टेयर) माप की भूमि के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया जा रही है।

(ग) गाजियाबाद जिला के बोहांजा, दुहाई, धारगल एवं बिश्कोर में राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रभारों एवं पीएपी को आर एवं आर भुगतानों सहित 39,84.45 लाख रुपये (221,39.82 लाख रुपये) की 7,505.55 वर्गमीटर (26,599.17 वर्गमीटर) भूमि की लागत का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भूमि अर्जन, पुनर्सासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिनियम के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं मूल्य पर किया गया था।

घ) जिला मेरठ में मोदीपुरम डिपो के सिवाया, मेरठ में राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रभारों एवं पीएपी को आर एवं आर भुगतानों सहित 2,23,26.23 लाख रुपये की 23.61 हेक्टेयर

भूमि की लागत का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भूमि अर्जन, पुनर्सासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिनियम के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं मूल्य पर किया गया था।

(ङ) जिला मेरठ में परतापुर, मोखमपुर, अमीनगर, मेरठ खास, हफिजाबाद मेवला, रोशनपुर दौरली, डुलेहरा चौहान तथा मुकार्रबपुर पलहेड़ा में राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रभारों एवं पीएपी को आर एवं आर भुगतानों सहित 2,33,98.78 लाख रुपये 5.04 हेक्टेयर भूमि की लागत का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भूमि अर्जन, पुनर्सासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिनियम के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं मूल्य पर किया गया था।

(च) दिल्ली के चक चिला ग्राम में स्टाम्प ड्यूटी सहित 34.56 लाख रुपये (7.80 लाख रुपये) की राशि की 906.08 वर्गमीटर (293.82 वर्गमीटर) भूमि की लागत का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया है।

(छ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली द्वारा आनन्द विहार एवं पटपटगंज इंस्टीट्यूशनल एरिया में आबंटित 8,469 वर्गमीटर की 1601.43 लाख रुपये (स्टाम्प ड्यूटी एवं 118.62 लाख रुपये के स्वामित्व पंजीकरण प्रभार सहित) की लागत की भूमि का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया है।

(ज) अंतरण अनुबंध के लिए लम्बित विभिन्न सरकारी एजेंसियों की ओर से आबंटित भूमि से संबंधित विवरण नीचे दिया गया हैः-

क्र.सं.	हक विलेख धारक का नाम / वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से संपति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि* (रुपये लाख में)	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित अथवा प्रोमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2019-20	1588.54 वर्गमीटर	2,01.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सराय कालेखान, दिल्ली	2020-21	2.98 एकड़	18,44.91	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	खिचड़ी पुर, दिल्ली	2021-22	7241.54 वर्गमीटर	1,369.32	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सिद्धार्थ एक्सटेंशन, दिल्ली	2021-22	12.56 वर्गमीटर	1.92	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	259.50 वर्गमीटर	39.70	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	आनन्द विहार एवं पटपटगंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली	2023-24	8469 वर्गमीटर	1,601.43	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
	योग				5,058.79		

* सकल वहन राशि में 374.73 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभार की हक विलेख के अंतरण के समय चुकता की जाने वाली अनुमानित राशि शामिल है।

(ii) पट्टाधारित भूमि

(क) यूपीएसआरटीसी द्वारा मुरादनगर, उत्तर प्रदेश में मुरादनगर स्टेशन प्रवेश निकास के लिए आबंटित 72.90 लाख रुपये (जिसमें भूमि भुगतान के प्रति 99 रुपये शामिल हैं) की राशि की 2220 वर्गमीटर भूमि का पट्टाधारित भूमि के रूप में पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया है।

(ख) निम्नलिखित भूखंडों के संबंध में पट्टा करार का निष्पादन लंबित है:-

क्र.सं.	हक विलेख धारक का नाम / वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि* (रुपये लाख में)	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित अथवा प्रोमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	भूमि एवं विकास अधिकारी, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2019-20	12 हेक्टेयर	18,357.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	दिल्ली विकास प्राधिकरण	पटपटगंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली	2020-21	335 वर्गमीटर	72.86	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	2153 वर्गमीटर	337.77	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	दिल्ली विकास प्राधिकरण	यमुना खादर, दिल्ली	2020-21	4500 वर्गमीटर	705.61	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण	गुलधर, गाजियाबाद	2021-22	6059.02 वर्गमीटर	941.38	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	297 वर्गमीटर	691.22	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
7	दिल्ली जल बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	3123 वर्गमीटर	605.29	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
8	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2021-22	313 वर्गमीटर	60.66	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
9	उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण	साहिबाबाद, गाजियाबाद	2021-22	398 वर्गमीटर	208.35	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
10	दिल्ली जल बोर्ड	कल्याणपुरी कोंडली ब्रिज के निकट, दिल्ली	2022-23	362.70 वर्गमीटर	70.30	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

11	भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2022-23	5.27 हेक्टेयर	8,061.63	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
12	उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण	साहिबाबाद, गाजियाबाद	2022-23	2500 वर्गमीटर	1,218.15	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
13	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सराय कालेखान , दिल्ली	2022-23	17528 वर्गमीटर	3,397.17	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
14	दिल्ली विकास प्राधिकरण	आनंद विहार, दिल्ली	2022-23	10198 वर्गमीटर	1,976.61	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
योग					**36,704.51**		

* सकल वहन मूल्य में हक विलेख अंतरण के समय चुकता की जाने वाली 2709.10 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभार की राशि शामिल है।

ग) धारक कम्पनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों / प्राधिकरणों से टोकन मूल्य पर स्थाई आधार पर अंतरित भूमि पर कार्य की अनुमति प्राप्त हुई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	हक विलेख धारक का नाम / वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य तथा स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति धारित	क्षेत्र (वर्गमीटर)	सकल वहन राशि* रुपये लाख में	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/ निदेशक से संबंधित अथवा प्रोमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश – गंगा	मुरादनगर स्टेशन, मुरादनगर, गाजियाबाद	2020-21	9,569.00	313.86	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश – गंगा	सब-स्टेशन अर्थला, दिल्ली	2020-21	4,000.00	57.60	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, जनुबी, चौराहा, दिल्ली	2020-21	613.21	0.64	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश – गंगा	स्टेशन प्रवेश / निकास, न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	8,000.00	148.99	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

5	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश – गंगा	चेनेज 21507 से 23043 के बीच निर्माण, अर्थला, दिल्ली	2020-21	639.00	9.20	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	शताब्दी नगर आरक्षित वन	2020-21	6,390.00	141.60	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
7	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	रिथानी आरक्षित वन, मेरठ	2020-21	920.00	14.43	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
8	गाजियाबाद नगर निगम	वैशाली से गाजियाबाद तिराहा, गाजियाबाद वाया डक्ट निर्माण	2020-21	14,144.00	769.43	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
9	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	साहिबाबाद स्टेशन, साहिबाबाद गाजियाबाद	2020-21	7,860.00	138.34	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
10	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	भैसाली स्टेशन, भैसाली, मेरठ	2020-21	7,534.00	391.77	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
11	जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद	दुहाई डिपो, दुहाई, गाजियाबाद	2020-21	3,285.00	15.90	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
12	जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद	दुहाई डिपो, भीकनपुर, गाजियाबाद	2020-21	9,302.00	12.28	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
13	जिला न्यायाधीश, मेरठ	मोदीपुरम डिपो, सिवाया मेरठ	2020-21	23,476.00	28.17	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
14	जिला न्यायाधीश, मेरठ	मेरठ दक्षिण स्टेशन, भूलब्राल अमीनपुर, मेरठ	2020-21	470.00	1.07	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
15	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट चिल्ला सरोदा खादर, दिल्ली	2020-21	94.34	4.28	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

16	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट चिल्ला सरोदा बागर, न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	3,560.72	66.32	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
17	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, ढल्लूपुरा, दिल्ली	2020-21	1,628.65	60.20	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
18	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, कोंडली, दिल्ली	2020-21	1,423.14	26.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
योग					**2,200.59**		

* सकल वहन राशि में 22,00.57 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की अनुमानित राशि शामिल है जिसका भुगतान हक विलेख अंतरण के समय किया जाना है तथा जिसका पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया है।

नोट 4: उपयोग अधिकार परिसम्पतियां

(रुपये लाख में)

विवरण	भूमि	योग
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**342.17**	**342.17**
आवर्धन	28.33	28.33
निपटान / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**370.50**	**370.50**
आवर्धन	-	-
निपटान / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 की स्थिति	**370.50**	**370.50**
मूल्यह्रास		
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**159.20**	**159.20**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	82.62	82.62
निपटान / समायोजन		-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**241.82**	**241.82**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	99.60	99.60
निपटान / समायोजन		-
31 मार्च, 2024 की स्थिति	**341.42**	**341.42**
निवल वहन मूल्य		
31 मार्च, 2024 की स्थिति	**29.08**	**29.08**
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**128.68**	**128.68**

नोट 5: पूंजी कार्य प्रगति पर

(रुपये लाख में)

विवरण	योग
1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ शेष	**6,20,955.75**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	7,08,333.60
समायोजन (पूंजीयन)	4,091.49
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**13,33,380.84**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	5,71,438.90
समायोजन (पूंजीयन)	(509.22)
31 मार्च, 2024 को अंत शेष	**19,04,310.52**

नोट 5.1:- पूंजी कार्य प्रगति पर का विवरण (रुपये लाख में)

विवरण	1.4.2022 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	1.4.2023 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	31.3.2024 की स्थिति
क) परियोजना व्यय							
पर्मानेंट वे (स्थायी मार्ग)	23,774.88	40,594.74	-	64,369.62	43,475.35	471.13	1,08,316.10
रोलिंग स्टॉक	7,889.39	40,581.73	-	48,471.12	57,521.18	-	1,05,992.30
वायाडक्ट पुल, टन्नल्स, पुलिया बंडर	2,80,550.63	2,89,423.30	-	5,69,973.93	1,83,944.15	-	7,53,918.08
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार उपकरण	9,509.48	19,878.83	-	29,388.31	29,715.49	-	59,103.80
सुरक्षा उपकरण	2.99	-	-	2.99	1,127.14	-	1,130.13
संयंत्र एवं मशीनरी	1,317.80	-	(553.20)	764.60		(471.13)	293.47
स्टेशन भवन	50,745.57	75,376.80	-	1,26,122.37	57,459.54	-	1,83,581.91
ट्रैक्शन एवं बिजली आपूर्ति	12,156.88	12,671.47	-	24,828.35	22,967.69	-	47,796.04
स्टाफ क्वार्टर्स	4,758.15	7,058.95	-	11,817.10	3,760.36	-	15,577.46
डिपो एवं कार्यशाला	11,932.57	14,344.10	483.42	26,760.09	8,554.81	-	35,314.90
जीएसटी/सीमाशुल्क पूंजीयन	77,291.73	86,510.23	(61.18)	1,63,740.78		(468.75)	1,63,272.03
स्वचालित किराया संग्रहण	-	886.78	-	886.78	1,890.75	-	2,777.53
प्लेटफार्म स्क्रीन डोर	-	180.08	-	180.08		(40.47)	139.61
निर्माण के दौरान व्यय (निवल)	97,771.98	44,878.55	(485.00)	1,42,165.53	74,685.82		2,16,851.35
निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय {संदर्भ टिप्पणी संख्या 5.1.1, 5.2 तथा (iv)}	42,770.28	75,948.04	5,190.87	1,23,909.19	86,336.62	-	2,10,245.81
योग (ख)	**6,20,472.33**	**7,08,333.60**	**4,574.91**	**13,33,380.84**	**5,71,438.90**	**(509.22)**	**19,04,310.52**
ख) मार्गस्थ मशीन							
डिपो एवं कार्यशाला	483.42	-	(483.42)	-	-	-	-
योग (ख)	**483.42**	**-**	**(483.42)**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल योग	**6,20,955.75**	**7,08,333.60**	**4,091.49**	**13,33,380.84**	**5,71,438.90**	**(509.22)**	**19,04,310.52**

स्पष्टीकरण नोट:

(i). धारक कम्पनी को दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रियों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करवाने के उद्देश्य से दिल्ली और मेरठ के बीच 82.15 किलोमीटर की लम्बाई वाले रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के विकास के कार्य सौंपे गए हैं। परियोजना कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा लक्ष्य के अनुसार यह जून 2025 तक तक पूरी की जानी है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, परियोजना के दो उप-खंड अर्थात साहिबाबाद से दुहाई, जिसमें दुहाई डिपो (17 किलोमीटर) और दुहाई से मोदीनगर उत्तर (17 किलोमीटर) शामिल हैं, का निर्माण पूरा हो चुका है तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए इन्हें परिचालनात्मक कर दिया गया है। इन खंडों के लिए परिचालन व्यय (राजस्व के बाद) 5537.90 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) की राशि पूंजी कार्य प्रगति पर के लिए प्रभारित की गई है। देश में पहली सेमी-हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल अवसंरचना के कार्यान्वयन के कारण किसी भी अप्रत्याशित जोखिम के प्रभाव को कम करने और 160 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के साथ 100 किमी प्रति घंटे की औसत गति से परिचालन करने के उद्देश्य से प्रणाली क्षमताओं को स्थापित करने और शेष खंडों को सुचारू रूप से पूरा करने की सुविधा के लिए गलियारे की चरणबद्ध कमीशनिंग की गई है। इसके अलावा, इन खंडों को खोलना पूर्ण स्वीकृत गलियारे को चालू करने के लिए

प्री-कमीशनिंग प्रक्रिया है। इन दो उप-खंडों के साथ-साथ शेष उप-खंडों को पूरे दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के पूरा होने पर पूंजीकृत किया जाएगा और प्रबंधन द्वारा इच्छित उपयोग में लाया जाएगा। (संदर्भ लेखांकन नीति संख्या 2.07 (क))

(ii) वर्ष के दौरान धारक कम्पनी ने सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को आपूर्तियों / कार्य इत्यादि के लिए किए गए 63,852.51 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8,84,95.54 लाख रुपये) के भुगतान के प्रति जीएसटी /सीमाशुल्क का पूंजीयन किया है जो व्यय से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अंतर्गत अपात्र जीएसटी क्रेडिट है। जीएसटी को कॉरीडोर वित्तीय मॉडल के आधार पर सीडब्ल्यूआई माना गया है तथा दिनांक 7 मार्च, 2019 के स्वीकृति आदेश के प्रति अप्रत्यक्ष करों (सीमाशुल्क एवं जीएसटी) का निधियन अधीनस्थ के रूप में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इसके अलावा, कम्पनी को अधीनस्थ के प्रति 2,35,100.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 13,90,00.00 लाख रुपये) की कर राशि प्राप्त हुई है जिसके प्रति 31 मार्च, 2024 तक के लिए जीएसटी के संबंध में 2,29,864.79 लाख रुपये (पिछले वर्ष 16,60,12.28 लाख रुपये) का व्यय हुआ है।

(iii) धारक कम्पनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से भूमि पर कार्य के लिए अस्थाई आधार पर अनुमति प्राप्त हुई है। इससे संबंधित विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	हक विलेख किस नाम से धारित है / वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य एवं स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पति का धारण है	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश– गंगा	अर्थला, दिल्ली स्टेशन का निर्माण	2020-21	7705.00
2	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	भैसाली, भैसाली स्टेशन, मेरठ	2020-21	7586.00

(iv) 'निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय' का समायोजन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 - 6897.36 लाख रुपये, वित्तीय वर्ष 2022-23 - 4379.56 लाख रुपये तथा 31.3.2022 तक 5190.87 लाख रुपये के अधीनस्थ नामे के उचित मूल्यांकन पर ब्याज उपचय से संबंधित है।

विवरण	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	योग
आनुषंगिक नामे पर ब्याज उपचय	2,894.57	1,746.19	536.80	13.31	5,190.87
योग	**2,894.57**	**1,746.19**	**536.80**	**13.31**	**5,190.87**

नोट 5.2:- निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्ययों का विवरण (रुपये लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी हितलाभ व्यय	24	9,464.72	9,512.88
वित्त लागतें	25	69,020.57	59,323.29
मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागतें	26	2,045.25	2,046.26
अन्य व्यय	27	5,806.08	5,065.61
योग		**86,336.62**	**75,948.04**

नोट 5.3:- सीडब्ल्यूआई की निर्माण अनुसूची का उपयोज्यता कालक्रम

31 मार्च 2024 (रुपये लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	5,70,929.68	7,07,234.22	4,02,434.33	2,23,712.29	19,04,310.52
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
योग	**5,70,929.68**	**7,07,234.22**	**4,02,434.33**	**2,23,712.29**	**19,04,310.52**

31 मार्च 2023 (रुपये लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	7,07,234.22	4,02,434.33	1,66,847.56	56,864.72	13,33,380.84
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
योग	**7,07,234.22**	**4,02,434.33**	**1,66,847.56**	**56,864.72**	**13,33,380.84**

नोट 5.4:- सीडब्ल्यूआईपी कार्य निष्पादन विलम्ब अनुसूची

31 मार्च 2024 (रुपये लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में कार्य समाप्ति				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	शून्य				

31 मार्च, 2023 (रुपये लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में कार्य समाप्ति				योग
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	शून्य				

ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो विलंबित हो अथवा जिसमें तुलन पत्र तिथि के अनुसार मूल अनुमान से अधिक लागत हुई हो।

नोट 6.1:- अमूर्त परिसम्पतियां (रुपये लाख में)

विवरण	स्पैक्ट्रम लाइसेंस	प्लेटफार्म स्क्रीन डोर अधिकार	भूमि अधिकार	साफ्टवेयर	योग
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति को प्रारंभ शेष	**-**	**-**	**1,916.90**	**444.58**	**2,361.48**
वर्ष के दौरान आवर्धन	7,724.59	415.86	571.44	405.88	9,117.77
समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**7,724.59**	**415.86**	**2,488.34**	**850.46**	**11,479.25**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	-	6.71	0.40	7.11
समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को अंत शेष	**7,724.59**	**415.86**	**2,495.05**	**850.86**	**11,486.36**
परिशोधन					**-**
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति को प्रारंभ शेष	-	-	144.85	204.86	349.71
वर्ष के दौरान परिशोधन	84.65	1.60	69.03	247.21	402.49
वर्ष के दौरान क्षमता हानि	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**84.65**	**1.60**	**213.88**	**452.07**	**752.20**
वर्ष के दौरान परिशोधन	772.46	79.00	71.08	244.41	1,166.95
वर्ष के दौरान क्षमता हानि	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को अंत शेष	**857.11**	**80.60**	**284.96**	**696.48**	**1,919.15**
निवल वहन मूल्य					
31 मार्च, 2024 की स्थिति	**6,867.48**	**335.26**	**2,210.09**	**154.38**	**9,567.21**
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**7,639.94**	**414.26**	**2,274.46**	**398.39**	**10,727.05**

नोट 6.2:- विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां (रुपये लाख में)

विवरण	एसएपी एस4 / एचएएनए	पीएसडी प्रणाली	साफ्टवेयर / मोबाइल एप्प	योग
1 अप्रैल, 2022	**-**	**65.02**	**-**	**65.02**
वर्ष के दौरान आवर्धन	541.33	530.92	101.86	1,174.11
समायोजन / (पूंजीयन)	-	(595.94)		(595.94)
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**541.33**	**-**	**101.86**	**643.19**
वर्ष के दौरान आवर्धन	2,161.43	-	385.13	2,546.56
समायोजन / (पूंजीयन)	-	-		-
31 मार्च, 2024 को अंत शेष	**2,702.76**	**-**	**486.99**	**3,189.75**

नोट 6.2.1:- विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की उपयोज्यता कालक्रम अनुसूची

31 मार्च 2024 (रुपये लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
साफ्टवेयर / मोबाइल एप्प	385.13	101.86	-	-	486.99
एसएपी एस4 / एचएएनए	2,161.43	541.33	-	-	2,702.76
योग	**2,546.56**	**643.19**	**-**	**-**	**3,189.75**

31 मार्च 2023 (रुपये लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
साफ्टवेयर / मोबाइल एप्प	101.86	-	-	-	101.86
एसएपी एस4 / एचएएनए	541.33	-	-	-	541.33
योग	**643.19**	**-**	**-**	**-**	**643.19**

नोट 6.2.2: ऐसी कोई विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां नहीं हैं जिनकी पूर्णता अतिदेय हो अथवा अपनी अनुमानित लागत से अधिक हुई हो।

नोट 7: वित्तीय परिसम्पतियां - गैर-चालू

नोट 7: अन्य वित्तीय परिसम्पतियां (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया		
प्रतिभूति जमा	2,237.79	1,954.43
ग्रहणाधिकार के रूप में सावधि जमा (संदर्भ नोट 7.1)	15.77	15.77
पूर्व चुकता व्यय	5.30	1.71
योग	**2,258.86**	**1,971.91**

नोट 7.1 ग्रहणाधिकार के रूप में सावधि जमा का विवरण (जिनकी परिपक्वता अवधि रिपोर्टिंग तिथि को 12 माह से अधिक है)

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग	0.76	0.76
अधिशाषी अभियंता नगर निगम गाजियाबाद	0.20	0.20
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद	7.63	7.63
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ	7.18	7.18
योग	**15.77**	**15.77**

नोट 8:- आस्थगित कर परिसम्पतियां / (देयताएं)

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
क. आस्थगित कर देयताएं		
संपति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	(12,978.62)	(9,739.65)
क. आस्थगित कर देयताएं		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	-	-
आस्थगित कर देयताओं का योग	**(12,978.62)**	**(9,739.65)**
ख. आस्थगित कर परिसम्पतियां		
व्यापार हानियां	4,360.92	5,934.27
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	2.58	10.84
प्रारंभिक व्यय	0.18	0.36
मूल्यह्रास	0.01	
अप्रयुक्त कर हानियां	-	0.50
आस्थगित कर परिसम्पतियों का योग	**4,363.69**	**5,945.97**
आस्थगित कर परिसम्पतियां /(देयताएं) निवल	**(8,614.93)**	**(3,793.68)**

नोट 8.1: आस्थगित कर परिसम्पति/(देयता) में मूवमेंट

(रुपये लाख में)

विवरण	प्रारंभिक व्यय	अप्रयुक्त कर हानियां	अग्रेषित हानियां	प्रावधान	सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण	योग
1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ शेष	**0.54**	**0.40**	**-**	**(11.94)**	**(1,013.36)**	**(1,024.36)**
वर्ष 2022-23 में (प्रभारित)/क्रेडिट						
लाभ एवं हानि में	(0.18)	0.10	5,934.27		(8,726.29)	(2,792.10)
अन्य व्यापक आय में			-	22.78	-	22.78
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**0.36**	**0.50**	**5,934.27**	**10.84**	**(9,739.65)**	**(3,793.68)**
वर्ष 2023-24 में (प्रभारित)/क्रेडिट						
लाभ एवं हानि में	(0.18)	(0.50)	(1,573.35)	-	(3,238.97)	(4,813.00)
अन्य व्यापक आय में			-	(8.26)	-	(8.26)
31 मार्च, 2024 को अंत शेष	**0.18**	**0.00**	**4,360.92**	**2.58**	**(12,978.62)**	**(8,614.94)**

नोट 9:- अन्य गैर चालू परिसम्पतियां

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
क) पूंजी अग्रिम		
- निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूत तथा अच्छा समझा गया) (संदर्भ नोट 1)	33,925.56	73,345.33
- भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम (संदर्भ नोट ii)	21,480.41	28,523.00
ख) उचित मूल्य समायोजन – प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट iii)	374.31	483.84
योग	**55,780.28**	**1,02,352.17**

स्पष्टीकरण नोट :-

i. ठेकेदारों को बैंक गारंटियों, रेहन आदि के कवर के साथ दिया गया 17,819.88 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5,97,11.28 लाख रुपये) का अग्रिम।

ii. भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम के रूप दी गई राशि, जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ''सक्षम प्राधिकारी को गाजियाबाद एवं मेरठ में भूमि अधिग्रहण बैंक खाता' में जमा करवाई गई है। इसमें 1683.89 लाख रुपये (पिछले वर्ष 682.81 लाख रुपये) की ब्याज की राशि शामिल है।

iii. यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के गैर-परिशोधित भाग से संबंधित है।

नोट 10: वित्तीय परिसम्पतियां - चालू

नोट 10.1: व्यापार प्राप्य

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कोई व्यापार प्राप्य नहीं हैं तथा तदनुसार 31 मार्च, 2023 की स्थिति के लिए काल प्रभावन अनुसूची लागू नहीं है।

नोट 10.2: नकदी एवं नकदी समतुल्य

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
उपलब्ध नकदी	-	-
बैंकों में जमा :		
– चालू खाते में	237.70	5.71
– फ्लैक्सी जमा	72,361.35	13,502.28
– अग्रदाय	3.65	3.71
सावधी जमा *	24,151.61	-
योग	**96,754.31**	**13,511.70**

* प्राप्ति की तिथि से 3 माह अथवा कम अवधि में परिपक्व होने वाले

नोट 10.3: नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
सावधी जमा (3 माह से कम परन्तु 12 माह से अधिक परिपक्वता वाले)	1,96,373.67	1,86,825.50
ग्रहणाधिकार के रूप में रखे गए फ्लैक्सी जमा (संदर्भ टिप्पणी10.3.1)	1,173.48	10,256.49
बैंकों में चिन्हांकित शेष (संदर्भ नोट 10.3.2)	151.43	68.00
योग	**1,97,698.58**	**1,97,149.99**

नोट 10.3.1 ग्रहणाधिकार के रूप में रखे गए फ्लैक्सी जमा का विवरण (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	121.58	115.12
साख पत्र के प्रति मार्जिन धन	-	9,267.00
अधिशासी अभियंता, सिविल डिवीजन सं.-III, सिंचाई एवं वन संरक्षण विभाग	640.21	500.00
भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	404.44	372.87
आयुक्त दिल्ली नगर निगम, दिल्ली	1.59	1.50
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग	0.66	-
वरिष्ठ डीएफएम, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	5.00	-
योग	**1,173.48**	**10,256.49**

नोट 10.3.2: बैंको में चिन्हांकित शेष बैंक खाते में से व्यय न किए गए सीएसआर के शेष हैं।

नोट 10.4: अन्य चालू वित्त परिसम्पतियां (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
सावधि जमा पर ब्याज उपचय	5,802.65	4,460.46
अन्य प्राप्य	1,832.60	4,915.55
वसूली योग्य जेएफपीआर अनुदान	324.10	114.67
प्रतिभूति जमा किराया	12.66	74.92
अन्य प्रतिभूति जमा	6.00	6.00
योग	**7,978.01**	**9,571.60**

स्पष्टीकरण नोट :

i. सावधि जमा से उपार्जित ब्याज में 50.16 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,96.47 लाख रुपये) के ग्रहणाधिकार वाले एफडीआर का ब्याज शामिल है।

ii. भूमि अधिग्रहण लेखे के अग्रिम में 38.82 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3.89 लाख रुपये) का उपार्जित ब्याज शामिल है।

नोट 11: चालू कर परिसम्पतियां / देयताएं (निवल)

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अग्रिम जमा एवं स्रोत पर कर कटौती	3,568.49	1,552.96
पिछले वर्ष के आयकर के लिए प्रावधान	62.23	-
आयकर के लिए प्रावधान	(8.78)	-
योग	**3,621.94**	**1,552.96**

नोट 12: अन्य चालू परिसम्पतियां

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अग्रिम		
कर्मचारियों को चुकता अग्रिम	0.32	9.43
अन्य अग्रिम	108.77	32.87
उचित मूल्य समायोजन- प्रतिभूति जमा *	109.54	109.54
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	1.99	22.47
पूर्व चुकता व्यय	54.99	77.57
योग	**275.61**	**251.88**

* यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के गैर-परिशोधित भाग के अंतर से संबंधित है।

नोट 13: इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
100 रुपये मूल्य प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
जारी अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी		
100 रुपये मूल्य प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
योग	**10,000.00**	**10,000.00**

नोट 13.1: इक्विटी शेयरों की संख्या एवं इक्विटी पूंजी का समाधान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या लाख में	राशि	शेयरों की संख्या लाख में	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100	1,00,00.00	100	1,00,00.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर		-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100	1,00,00.00	100	1,00,00.00

13.2: शेयरों से सम्बद्ध राइट्स अधिमान एवं प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: कम्पनी के केवल एक ही श्रेणी के प्रति शेयर 100 रुपये मूल्य के शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रति शेयर के लिए एक वोट का पात्र है। ऋणशोधन की स्थिति में शेयरधारिता के अनुसार सभी अधिमान राशियों का वितरण किए जाने के पश्चात इक्विटी शेयरधारक कम्पनी की शेष परिसम्पतियां प्राप्त करने के पात्र हैं।

13.3: कम्पनी के कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयरों का धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
निम्नलिखित के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति				
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
- रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%
राज्य सरकार				
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
- उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
योग	**10000000**	**100.00%**	**10000000**	**100.00%**

नोट 13.4 प्रोमोटरों की शेयरधारिता

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
प्रोमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	
निम्नलिखित के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति					
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	0.00%
- रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	0.00%
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%	0.00%
राज्य सरकार					
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
- हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
- राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
- उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%

13.5: रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान बोनस के रूप में जारी पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की कुल संख्या - शून्य

नोट 14: अन्य इक्विटी

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
क. प्रतिधारित उपार्जन *	6,84,257.47	4,87,935.40
(ख). इक्विटी के प्रति अनुदान**	2,51,265.00	1,94,865.00
योग	**9,35,522.47**	**6,82,800.40**

* इसमें 6,50,988.63 लाख रुपये (4,68,091.62 लाख रुपये) के अधीनस्थ नामे के आस्थगित उचित मूल्य का समायोजन शामिल है।

** पिछले वित्तीय विवरणों में इक्विटी के रूप में प्राप्त अनुदान का वर्गीकरण आस्थगित में किया गया है। तथापि, चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मत के अनुसार इसका पुन:वर्गीकरण इक्विटी के रूप में प्राप्त अनुदान में किया गया है।

नोट 14.1: प्रतिधारित उपार्जन

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अथ शेष	**4,87,935.40**	**11,863.83**
जोड़ें: 31.3.2022 तक अधीनस्थ नामे आस्थगित उचित मूल्य समायोजन (संदर्भ 14.1.2)	-	3,47,220.01
पुन:उल्लिखित अथ शेष	**4,87,935.40**	**3,59,083.84**
जोड़ें :		
- लाभ एवं हानि विवरण से अंतरण की अवधि के दौरान लाख	13,443.56	8,000.24
- वर्ष के दौरान अंतरित अन्य व्यापक आय	(18.50)	(20.28)
-अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	1,82,897.01	1,20,871.60
अंत शेष	**6,84,257.47**	**4,87,935.40**

नोट 14.1.2: अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन

(रुपये लाख में)

विवरण	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	योग
अधीनस्थ नामे	1,22,500.00	1,55,700.00	83,400.00	35,400.00	3,97,000.00
उचित मूल्य	16,045.83	19,488.72	10,147.42	4,098.02	49,779.99
योग	**1,06,454.17**	**1,36,211.28**	**73,252.58**	**31,301.98**	**3,47,220.01**

नोट 14.2: इक्विटी के प्रति अनुदान (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
मौद्रिक अनुदान		
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए पूंजी अनुदान	2,51,265.00	1,94,865.00
अंत शेष	**2,51,265.00**	**1,94,865.00**

14.2.1: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 20 ''सरकारी अनुदान सहायताओं का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण'' के संबंध में प्रकटीकरण"

इक्विटी के प्रति प्राप्त अनुदानों का विवरण निम्नलिखित है: (रुपये लाख में)

विवरण	01.04.2022 की स्थिति के अनुसार शेष	वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान आवर्धन	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार शेष	वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान आवर्धन	31.04.2024 की स्थिति के अनुसार शेष
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए					
भारत सरकार	96,065.00	8,800.00	1,04,865.00	5,800.00	1,10,665.00
रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	8,600.00	-	8,600.00	17,900.00	26,500.00
उत्तर प्रदेश सरकार	55,100.00	26,300.00	81,400.00	32,700.00	1,14,100.00
योग	**1,59,765.00**	**35,100.00**	**1,94,865.00**	**56,400.00**	**2,51,265.00**

वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान प्राप्त एडीबी तकनीकी सहायता का पुन:वर्गीकरण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मत के आधार पर अन्य गैर चालू देयता एवं चालू देयता में किया गया है। (विवरण संदर्भ नोट 18(iii) में दिया है।)

नोट 15: ऋण

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
अप्रतिभूत				
क. निम्नलिखित से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण: -				
क. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार				
भारत सरकार				
अधीनस्थ नामे	2,01,700.00		1,90,900.00	
अधीनस्थ नामे (केन्द्रीय कर)	70,500.00		43,300.00	
अधीनस्थ नामे (सरकारी भूमि)	23,800.00		23,800.00	
अधीनस्थ नामे पर उपार्जित ब्याज {संदर्भ नोट 15(ii)}	8,007,25		5,037.93	
अधीनस्थ नामे के आस्थगित उचित मूल्य का समायोजन	(2,52,172.57)	51,834.68	(2,23,979.65)	39,058.28
ख. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)				
अधीनस्थ नामे	53,000.00		17,200.00	
अधीनस्थ नामे (केन्द्रीय कर)	14,000.00		300.00	
अधीनस्थ नामे (राज्य कर)	23,000.00		400.00	
अधीनस्थ नामे (सरकारी भूमि)	9,500.00		-	
अधीनस्थ नामे पर उपार्जित ब्याज {संदर्भ नोट 15(ii)}	1,393.00		668.35	
अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	(85,605.39)	15,287.61	(15,452.54)	3,115.81
ग. उत्तर प्रदेश सरकार				
अधीनस्थ नामे	2,28,200.00		1,62,800.00	
अधीनस्थ नामे (केन्द्रीय कर)	52,500.00		40,000.00	
अधीनस्थ नामे (राज्य कर)	75,100.00		55,000.00	
अधीनस्थ नामे (सरकारी भूमि)	9,300.00		4,400.00	
अधीनस्थ नामे पर उपार्जित ब्याज {संदर्भ नोट 15(ii)}	7,067.54		3,864.15	
अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	(3,13,210.67)	58,956.87	(2,28,659.42)	37,404.73

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
ख. भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित ऋणों पर ब्याज **ऋण संख्या** **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि** एलएन3964-आईएनडी 15.02.2029 **ब्याज दर:** (एलआईबीओआर + 0.50% + परिपक्वता प्रीमियम 0.20%+ परिवर्तनशील अधिभार) प्रतिवर्ष **प्रतिबद्धता प्रभार:** 0.15% प्रतिवर्ष		4,19,000.00	-	4,09,433.56
ग. भारत सरकार द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित ऋणों पर ब्याज **ऋण संख्या** **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि** 20 आईएन 04 15-03-2029 **ब्याज दर:** (एसओएफआर + 1.77826) प्रतिवर्ष **प्रतिबद्धता प्रभार:** 0.25% प्रति वर्ष		1,47,651.53		1,02,522.50
घ. भारत सरकार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमैंट बैंक से व्यवस्थित ऋणों पर ब्याज **ऋण संख्या** **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि** एल0352ए 15-11-2029 **ब्याज दर:** (एसओएफआर + विस्तार) प्रतिवर्ष **प्रतिबद्धता प्रभार:** 0.25% प्रतिवर्ष		3,22,332.03		1,23,928.15
योग		**10,15,062.72**		**7,15,463.03**

स्पष्टीकरण नोट:

(i) धारक कम्पनी को भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ नामे प्राप्त हुए हैं जिनका पुनर्भुगतान एशियन बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से प्राप्त ब्याज युक्त वरिष्ठ नामे के पुनर्भुगतान के पश्चात किया जाना है।

(ii) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट की विशेष परामर्श समिति के मतानुसार ब्याज मुक्त अधीनस्थ नामे का मापन उचित मूल्य पर किया जाना है तथा राशि से उत्पन्न होने वाली इसके उचित मूल्य के प्रति की भिन्नता का लेखांकन भारत सरकार तथा राज्य सरकारों, जो इक्विटी धारक की भूमिका की भूमिका निभा रहे हैं, से प्राप्त गैर-पारस्परिक पूंजी अंशदान के रूप में किया जाना है।

(iii) भारत सरकार द्वारा दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के संबंध में एडीबी के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डालर तथा 37,730 मिलियन जापानी येन की प्राप्ति के लिए ऋण अनुबंध, 500 मिलियन अमेरिकी डालर के एनडीबी तथा 500 मिलियन अमेरिकी डालर के लिए एआईआईबी किया गया है। इन सभी ऋणों का काल 25 वर्ष है जिसमें 8 वर्ष की अनुग्रह अवधि शामिल है। ऋणदाता एजेंसियों के साथ सहमत निधि प्रवाह व्यवस्था के अनुसार ऋण की प्राप्ति कम्पनी को बैक टू बैक आधार पर पास थ्रू सहायता के रूप में दी जाएगी। ऋणों का पुनर्भुगतान वर्ष 2029 से प्रारंभ परिशोधन अनुसूची के अनुसार अर्ध-वार्षिक रूप में किया जाएगा।

नोट 16: अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
प्रतिभूति जमा	5.02	74.78
योग	5.02	74.78

नोट 17: दीर्घकालिक प्रावधान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	860.46	651.78
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,462.38	1,200.63
अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	673.47	447.96
योग	**2,996.31**	**2,300.37**

नोट 18: अन्य गैर-चालू दायित्व

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अग्रिम		
हरियाणा सरकार से अग्रिम	24,750.00	24,750.00
राजस्थान सरकार से अग्रिम	500.00	500.00
रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार से अग्रिम	15,000.00	-
एशियन डेवलपमेंट बैंक - तकनीकी सहायता	747.40	1,035.87
योग	**40,997.40**	**26,285.87**

स्पष्टीकरण नोट:

(i) राज्य सरकारों से प्राप्त अग्रिम दिल्ली-एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर से संबंधित है तथा दिल्ली पानीपत आरआरटीएस की स्वीकृति लंबित परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिम है जिसकी प्राप्त निधियों का इसकी प्रकृति (अनुदान/अधीनस्थ) के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सका है।

(ii) परियोजना वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	दिल्ली-एसएनबी	दिल्ली-पानीपत	दिल्ली-एसएनबी	दिल्ली-पानीपत
हरियाणा सरकार से अग्रिम	24,250.00	500.00	24,250.00	500.00
राजस्थान सरकार से अग्रिम	500.00	-	500.00	-
रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार से अग्रिम	10,000.00	5,000.00	-	-
योग	34,750.00	5,500.00	24,750.00	500.00

(iii) एशियन डेवलपमेंट बैंक- तकनीकी सहायता से वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मतानुसार अन्य इक्विटी में से वर्गीकृत की गई राशि अभिप्रेत है – वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1317.80 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 283.73 लाख रुपये, योग 1601.53 लाख रुपये। सहायता की इस राशि में से 277.19 लाख रुपये की राशि का परिशोधन वित्तीय वर्ष 2022-23 में तथा 288.47 लाख रुपये की राशि का परिशोधन 2023-24 में किया गया है। अन्य चालू देयता के रूप में वर्गीकृत 288.47 लाख रुपये (संदर्भ नोट 21) की राशि का परिशोधन वर्ष 2024-25 में किया जाएगा तथा शेष राशि अन्य गैर-चालू देयता के रूप में वर्गीकृत है।

नोट 19: वित्तीय देयताएं

नोट 19.1: पट्टा देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
पट्टा देयताएं	-	8.23
योग	**-**	**8.23**

नोट 19.2: अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
ब्याज उपचय पर ऋण पर देय नहीं	9,634.21	5,648.78
व्ययों के लिए लेनदार– अन्य	36,252.83	38,022.37
व्ययों के लिए लेनदार – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2,960.83	2,291.73
प्रतिभूति जमा	12,798.44	5,685.20
योग	**61,646.31**	**51,648.08**

नोट 20: व्यापार प्राप्य

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कोई व्यापार देय नहीं है तथा 31 मार्च, 2023 की स्थिति के लिए तदनुसार काल प्रभावन अनुसूची लागू नहीं है।

नोट 21: अन्य चालू देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
सांविधिक देय		
स्रोत पर कर कटौती देय	1,027.80	2,636.03
जीएसटी देय (जीएसटी पर टीडीएस सहित)	1,000.27	1,854.90
भुगतान योग्य भवन एवं श्रम कल्याण उप-कर	390.03	810.33
भविष्य निधि	108.11	101.94
अन्य	912.45	923.39
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम [संदर्भ नोट (i) नीचे प्रस्तुत]	3,85,364.65	3,03,856.77
एशियन डेवलपमेंट बैंक – तकनीकी सहायता {(संदर्भ नोट 18(iii)}	288.47	288.47
योग	**3,89,091.78**	**3,10,471.83**

स्पष्टीकरण नोट

(i) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 31,58,00.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 42,54,00.00 लाख रुपये) का अग्रिम एशियन डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमैंट बैंक से से पास थ्रू सहायता के रूप में ऋण का वितरण लंबित होने के चलते प्राप्त हुआ है। 38,53,64.65 लाख रुपये (पिछले वर्ष 30,38,56.77 लाख रुपये) के शेष अग्रिम का समायोजन व्यय के पश्चात तथा विविध बैंकों से वित्तीयन के माध्यम से किया जाना है तथा इसका वित्तीयन अनेक बैंकों से ऋण के माध्यम से किया जाना है।

(ii) एशियन डेवलपमेंट बैंक - एशियन डेवलपमेंट बैंक- तकनीकी सहायता से वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मतानुसार अन्य इक्विटी में से वर्गीकृत की गई राशि अभिप्रेत है।

नोट 22: अल्पकालिक प्रावधान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	39.50	26.57
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	178.80	106.37
अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	106.67	102.60
योग	**324.97**	**235.54**

नोट 23: अन्य आय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज	12,475.27	
(क)	**20,526.46**	**12,475.27**
अन्य गैर-प्रचालन आय		
वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ब्याज आय	110.74	95.68
एशियन डेवलपमेंट बैंक- तकनीकी सहायता {संदर्भ नोट 18(iii)}	288.47	277.19
मौद्रिक अनुदान (जेएफपीआर	209.44	67.51
अन्य विविध आय	270.25	225.80
परामर्श आय	886.19	337.58
विनिमय दर उतार चढ़ाव लाभ	1,633.68	478.17
(ख)	**3,398.77**	**1,481.93**
योग (क+ख)	**23,925.23**	**13,957.20**

स्पष्टीकरण नोट:

एशियन डेवलपमेंट बैंक – तकनीकी सहायता – अनुदान परिशोधन के प्रति 288.47 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 277.19 लाख रुपये)

नोट 24: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	8,724.27	1,823.13	10,547.40	8,769.31	895.83	9,665.14
कर्मचारी कल्याण व्यय	169.86	167.55	337.41	144.50	77.04	221.54
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान*	570.59	146.89	717.48	599.07	100.50	699.57
योग	9,464.72	2,137.57	11,602.29	9,512.88	1,073.37	10,586.25

स्पष्टीकरण नोट :

* भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, छुट्टी लाभ एवं अन्य टर्मिनल लाभों के लिए 88.40 लाख रुपये (पिछले वर्ष 121.86 लाख रुपये) की राशि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंधित संगठनों को चुकता की गई है/देय है तथा इसे कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल किया गया है।

नोट 25: वित्त लागतें

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	0.62	-	0.62	1.21	-	1.21
ऋण लागत						
क. बहुपक्षीय निधियन एजेंसियों से प्राप्त ऋण	49,918.42	-	49,918.42	20,623.08	-	20,623.08
ख. ब्याज लागतों में समायोजित विनिमय दर भिन्नता	12,204.17	-	12,204.17	34,319.44	-	34,319.44
ग. अधीनस्थ नामे पर ब्याज लागत	6,897.36	-	6,897.36	4,379.56	-	4,379.56
योग	**69,020.57**	**-**	**69,020.57**	**59,323.29**	**-**	**59,323.29**

स्पष्टीकरण नोट :

(i). विदेशी मुद्रा ऋणों से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं के लिए इंड एएस 23 'ऋण लागतें'' के पैराग्राफ 6(ङ) की उपयोज्यता के दौरान धारक कम्पनी द्वारा ''संचयी अवधि एप्रोच' का अनुसरण किया गया है क्योंकि धारक कम्पनी का यह मत है कि विचाराधीन निर्माण परिसम्पतियों की लम्बी निर्माण अवधि के विचार से 'संचयी अवधि एपोच' अधिक उचित है।

(ii). 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार ब्याज लागत में 1,22,681.41 लाख रुपये (52,508.57 रुपये) के संचयी समायोजनों की तुलना में 31 मार्च, 2024 तक 52,508.57 लाख रुपये (40,304.40 लाख रुपये) की राशि का पूंजीयन संचयी विनिमय दर हानि के प्रति किया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 की विनिमय दर हानि की 12,204.17 लाख रुपये (34,319.44 लाख रुपये) की समग्र राशि को ऋण लागत का भाग माना गया है।

नोट 26: मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागतें

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
मूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 3)	1,153.67	164.15	1,317.82	1,655.64	376.89	2,032.53
उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 4)	72.27	27.33	99.60	61.57	21.05	82.62
अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन (टिप्पणी सं. 6.1)	819.31	347.64	1,166.95	329.05	73.44	402.49
योग	**2,045.25**	**539.12**	**2,584.37**	**2,046.26**	**471.38**	**2,517.64**

नोट 27: अन्य व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
कार्यालय किराया	23.82	-	23.82	12.86	-	12.86
शुल्क, दरें एवं कर	0.15	3.07	3.22	-	4.89	4.89
मरम्मत अनुरक्षण मशीनरी एवं अन्य	106.18	32.81	138.99	46.13	32.39	78.52
ऊर्जा एवं ईंधन	97.95	92.70	190.65	128.03	85.99	214.02
वाहन परिचालन एवं अनुरक्षण	1,620.05	241.63	1,861.68	1,556.74	139.35	1,696.09
यात्रा व्यय	468.37	141.40	609.77	574.81	23.85	598.66
इंटरनेट प्रभार	66.85	15.23	82.08	36.45	17.64	54.09
लेखापरीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी सं.27.1)	-	3.17	3.17	-	2.75	2.75
विधि एवं व्यवसायिक प्रभार	43.42	99.08	142.50	7.99	99.37	107.36
तकनीकी जांच एवं सर्वेक्षण व्यय	24.66	-	24.66	35.11	-	35.11
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	-	81.22	81.22	-	30.98	30.98
परामर्श प्रभार	405.28	772.97	1,178.25	699.97	65.24	765.21
सुरक्षा व्यय	453.33	44.37	497.70	304.95	68.96	373.91
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	76.80	114.35	191.15	9.68	83.39	93.07
संचार व्यय	116.51	29.52	146.03	142.00	23.85	165.85
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	4.47	5.73	10.20	1.24	3.98	5.22
विज्ञापन एवं प्रचार – अन्य	28.59	35.59	64.18	62.97	29.86	92.83
विज्ञापन एवं प्रचार – निविदा	21.36	5.72	27.08	72.12	0.10	72.22
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	668.24	202.02	870.26	67.02	78.80	145.82
शुल्क एवं अंशदान प्रभार	-	10.07	10.07	14.86	9.55	24.41
हाउसकीपिंग व्यय	290.94	149.41	440.35	53.07	257.04	310.11
साफ्टवेयर व्यय	198.24	88.33	286.57	128.14	32.04	160.18
आउटसोर्सिंग व्यय	745.77	145.94	891.71	834.05	202.73	1,036.78
कार्यालय व्यय	83.78	426.08	509.86	275.91	153.62	429.53
विविध व्यय	261.32	108.11	369.43	1.51	129.47	130.98
कम्प्यूटर लेखन सामग्री एवं उपयोज्यताएं	-		-			
बट्टा लेखित परिसम्पतियां	-	-	-	-	0.07	0.07
बैंक प्रभार	-	31.16	31.16	-	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व	-	165.75	165.75	-	6.82	6.82
उप-योग	**5,806.08**	**3,045.43**	**8,851.51**	**5,065.61**	**1,582.73**	**6,648.34**

नोट 27.1: लेखापरीक्षकों के भुगतान का विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षक के रूप में लेखापरीक्षकों को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क	2.02	1.65
अन्य क्षमता में (परियोजना वित्तीय विवरण)	0.70	0.55
लेखापरीक्षा पर जीएसटी	0.45	0.40
योग	**3.17**	**2.60**

नोट 28: आय कर व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
चालू आय कर:		
अवधि से संबंधित	8.78	-
पूर्व वर्षों से संबंधित(निवल)	(62.23)	37.38
आस्थगित कर:		
अवधि से संबंधित	4,813.00	2,695.91
पूर्व वर्षों से संबंधित	-	96.19
योग	**4,759.55**	**2,829.48**

नोट 28.1: कर व्यय एवं लेखांकन लाभ के मध्य समाधान

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
जारी प्रचालनों से कर पूर्व लेखांकन लाभ	18,203.11	10,829.72
आय कर पूर्व लेखांकन लाभ	**18,203.11**	**10,829.72**
जोड़ें: कटौतियोग्य एवं गैर कटौतियोग्य मदें	56.63	(31.07)
स्थाई अस्वीकृति के समायोजन के पश्चात लेखांकन लाभ	**18,259.74**	**10,798.65**
चालू वर्ष के कर व्यय	**4,813.00**	**2,695.91**
कर दर	26.36%	24.97%
लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित आय कर व्यय	**4,759.55**	**2,829.48**
लेखांकन लाभ पर पूर्व वर्ष की मदों के प्रभाव सहित प्रभावी कर दर	26.15%	26.13%

नोट 29: प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
	(रुपये प्रति शेयर)	
मूल ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	134.44	80.00
बंद प्रचालनों से	-	-
	-	-
डायल्युटिड ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	134.44	80.00
बंद प्रचालनों से	-	-

नोट 29.1: प्रति शेयर मूल उपार्जन

पिछले वर्ष के संबंध में प्रति शेयर मूल उर्पाजन एवं ईपीएस के आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों से आय एवं भारित औसत संख्या का वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयरों के समायोजन के पश्चात पुन:उल्लेख किया गया है।

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ		
जारी प्रचालनों से	13,443.56	8,000.24
बंद प्रचालनों से	-	-
प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना के लिए प्रयुक्त आय	13,443.56	8,000.24
प्रति शेयर मूल उपार्जन के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) [प्रति शेयर अंकित मूलय 100 रुपये है]	100.00	100.00

नोट 29.2: प्रति शेयर डायल्युटिड आय

प्रति शेयर डायल्युटिड आय के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या का प्रति शेयर मूल आय के आकलन के लिए उपयोग में लाई गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निम्नानुसार मिलान होता है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ :		
- जारी प्रचालनों से	13,443.56	8,000.24
- बन्द प्रचालनों से		-
जारी प्रचालनों से प्रति शेयर डायल्युटिड उपार्जन की गणना के लिए प्रयुक्त आय	13,443.56	8,000.24
प्रति शेयर मूल उपार्जन के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) [प्रति शेयर अंकित मूलय 100 रुपये है]	100.00	100.00

नोट 30: अनुमान एवं पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के प्रति अनिश्चितता एवं प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान नीचे दिए गए हैं जिनसे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

- **पूंजी कार्य प्रगति पर**: कर्मचारी हितलाभ एवं अन्य ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय, जो परियोजना पर एवं परियोजना से अलग व्यय किए गए हैं, उन्हें संबंधित परियोजना कॉरीडोर एवं अन्य संबंध कारकों को विचार में लेकर प्रबंधन निर्णय के अनुसार आनुपातिक रूप से परियोजना से सम्बद्ध किया गया है।

- **पट्टाधारित भूमि**: धारक कम्पनी द्वारा उन मामलों में ऐसी पट्टाधारित भूमि के पंजीकरण की संभावित लागत के अनुमान के लिए अपने निर्णय का उपयोग किया है जो पंजीकरण के लिए लंबित है। धारक कम्पनी ने तुलन पत्र की प्रभावी तिथि के अनुसार सर्कल रेट के आधार पर पंजीकरण की लागत का अनुमान आंका है और भूमि का वास्तविक पंजीकरण होने तक प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को पुन: अनुमान आंके जाएंगे।

- **ऋण लागत**: धारक कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा ऋणों से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं के पूंजीयन के लिए इंड एएस 23 'ऋण लागतें'' के पैराग्राफ 6(ङ) कम्पनी द्वारा अनुमानों का उपयोग किया गया है। धारक कम्पनी ने कार्यात्मक मुद्रा में ऋण की लागत के साथ विनिमय उतार-चढ़ाव हानि की तुलना के लिए संचयी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अनुमान कम्पनी के पास उपलब्ध बाजार रूझान के अनुसार है।

- **प्रावधान**: तुलन पत्र की तिथि को दायित्व के निपटान के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

- **आकस्मिक देयताएं / परिसम्पतियां**: आकस्मिक देयताएं / परिसम्पतियों का प्रकटीकरण प्रबंधन के निर्णय के आधार पर होता है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समीक्षा की गई है एवं इनका समायोजन चालू प्रबंधन अनुमानों के अनुसार किया गया है।

- **गैर-वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानि**: संपति, संयंत्र एवं उपकरण की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की निर्धारण के आधार पर तय की गई है।

- **कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्व**: कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया गया है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ-साथ भावी विकासों में छूट दर, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर से संबंधित अनुमान शामिल हैं। धारक कम्पनी का यह मानना है कि उसके दायित्वों के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमान उचित और प्रलेखित हैं। तथापि, ऐसे अनुमानों से किसी परिवर्तन का परिणामी गणना पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

- **पट्टे**: धारक कम्पनी अपने निर्णय का उपयोग इस निर्धारित के लिए करती है कि किसी अनुबंध में पट्टा शामिल है अथवा नहीं है, क्या पट्टा समझौते के विस्तार विकल्प एवं पट्टा अनुबंध की समाप्ति के विकल्प का प्रयोग किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, धारक कम्पनी द्वारा पट्टों के उपयोग और पट्टे की अवधि के लिए उचित छूट दर की गणना करने में अनुमान का उपयोग किया गया है।

- **उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया:** वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन विधियों के उपयोग से किया गया है। जहां संभव हो वहां इन विधियों के इनपुट अवलोकन योग्य बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य ज्ञात करने के लिए कुछ सीमा तक विवेकी निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है। निर्णय लेते समय चलनिधि जोखिम क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया गया है। इन कारकों से पूर्वानुमानों में परिवर्तन होने से वित्तीय प्रपत्रों के सूचित उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

- **कर**: आस्थगित कर परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की गई है जब यह संभावना हो कि इससे ऐसे कर योग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकता है, आस्थगित कर संपत्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है समय की अनुरूपता एवं भावी करयोग्य लाभ तथा योजना रणनीतियों पर आधारित होती हैं।

- **संपत्ति संयंत्र और उपकरण का उपयोज्यता काल**: नोट 2.7 में संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोज्यता काल दिया गया है।

- **संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोज्यता काल**: अप्रचलन मांग प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभावों सहित कई कारकों पर आधारित है। धारक कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के उपयोज्यता काल की समीक्षा करती है।

नोट 31: पूंजी प्रबंधन

धारक कम्पनी अपनी पूंजी का प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने का सुनिश्चय करने एवं क्षमता को सुरक्षित करने के लिए करती है जिससे कि धारक कम्पनी अपने शेयरधारकों एवं अन्य स्टेकधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान करती रह सके।

इसके अलावा धारक कम्पनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के प्रभाव एवं वित्तीय प्रसंविदाओं की अपेक्षाओं के अनुसार समायोजन के लिए करती है। पूर्वावधि से चालू अवधि में पूंजी के प्रबंधन के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नोट 32: ऋण निधियों का उपयोग

(i) धारक कम्पनी को एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक से पास थ्रू

सहायता (अथवा बैक टू बैक आधार पर ऋण) के रूप में सॉवेरन ऋण के प्रति भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई हैं। इन निधियों का उपयोग उन मदों पर व्यय के लिए किया गया है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक के साथ दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ परियोजना के लिए सहमत हुई हैं तथा संबंधित ऋण / परियोजना अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हैं।

(ii) धारक कम्पनी को भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी, अधीनस्थ नामे (केन्द्रीय कर), अधीनस्थ नामे (राज्य कर) एवं अधीनस्थ नामे (सरकारी भूमि) के प्रति अधीनस्थ नामे प्राप्त हुए हैं। परियोजना स्वीकृति आदेश के अनुसार निधियों का उपयोग केवल दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस परियोजना पर व्यय जैसी मदों के वित्तीयन के लिए किया गया है।

नोट 33: अनुपात विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	गणक	विभाजक	चालू वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्ष	% भिन्नता	भिन्नता के कारण
1	चालू अनुपात (समय पर)	चालू परिसम्पतियां	चालू देयताएं	0.68	0.61	11.48%	
2	नामे इक्विटी अनुपात (समय पर)	कुल नामे	कुल इक्विटी	1.07	1.03	3.88%	
3	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल (% में)	कर पश्चात लाभ	कुल इक्विटी औसत	1.64%	1.82%	-9.89%	धारक कम्पनी निर्माण चरण में होने तथा किसी प्रकार का प्रचालनात्मक लाभ न होने के कारण यह अनुपात तुलना योग्य नहीं है।
4	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)	ब्याज एवं कर पूर्व उपार्जन	नियोजित पूंजी	0.93%	0.77%	20.78%	

स्पष्टीकरण नोट

धारक कम्पनी के प्रचालन अभी न होने के कारण निम्नलिखित अनुपात लागू नहीं है, तदनुसार वर्ष के लिए प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं:-

क. नामे सेवा कवरेज अनुपात

ख. मालसूची टर्नओवर अनुपात

ग. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात

घ. व्यापार देय टर्नओवर अनुपात

ङ. निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात

च. निवल लाभ अनुपात

छ. निवेश पर लाभ

नोट 34: उचित मूल्य मापन

(i) वर्गानुसार वित्तीय लिखत

(रुपये लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
		परिशोधन लागत	
वित्तीय परिसम्पतियां			
(i) प्रतिभूति जमा	7.2 & 10.4	2,256.45	2,035.35
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	96,754.31	13,511.70
(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	10.3	1,97,698.58	1,97,149.99
(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7.2 & 10.4	7,975.12	9,506.45
योग वित्तीय परिसम्पतियां		3,04,684.46	2,22,203.49
वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण (संदर्भ नोट 15)	15	10,15,062.72	7,15,463.03
(ii) अन्य वित्तीय देयता – गैर चालू (संदर्भ नोट 16)	16	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयता – चालू	19.1 & 19.2	-	8.23
योग वित्तीय देयताएं		**10,15,062.72**	**7,15,471.26**

(ii) उचित मूल्य तारतम्यता

स्तर 1 - समान प्रकार की परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिया बाजार से उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 में उद्धृत मूल्यों से भिन्न उन इनपटों को शामिल किया गया है जो परिसंपत्ति अथवा देयता के संबंध में प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्यों से निर्धारित) रूप में स्पष्ट हैं।.

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो स्पष्ट बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (गैर स्पष्ट इनपुट)।

(iii) परिशोधन लागत के आधार पर उचित मूल्य पर मापन की गई परिसम्पतियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण किया गया है।

(रुपये लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पतियां					
(i) प्रतिभूति जमा (टिप्पणी 7.2 एवं 10.4)	स्तर 3	2,256.45	2,256.45	2,035.35	2,035.35
योग परिसम्पतियां	-	**2,256.45**	**2,256.45**	**2,035.35**	**2,035.35**
वित्तीय देयताएं					
(ii) अधीनस्थ नामे (संदर्भ नोट 15)	स्तर 3	1,26,079.16	1,26,079.16	79,578.82	79,578.82
योग देयताएं	-	**1,26,079.16**	**1,26,079.16**	**79,578.82**	**79,578.82**

क. नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य अल्पावधि प्राप्यों तथा अन्य देयों को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण समान प्रकार से उचित मूल्य पर विचार में लिया गया है।

ख. दीर्घावधि के प्रतिभूति जमा एवं अधीनस्थ नामे के उचित मूल्य का आकलन क्रमशः चालू बाजार दर एवं 24 वर्षीय सरकारी बॉंड प्रतिफल दर पर डिस्काउंट करके नकदी प्रवाह के अनुसार किया गया है। इनका वर्गीकरण उचित मूल्य तारतम्यता के स्तर-3 के अनुसार हैं क्योंकि इनमें गैर स्पष्ट इनपुट शामिल हैं।

(iv) उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें एवं प्रक्रियाएं

क. 12 माह से कम परिपक्वता वाली वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के वहन मूल्यों को उनके उचित मूल्य की प्रस्तुति के लिए विचार में लिया गया है।

ख. अन्य वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के उचित मूल्यों का अग्रेषण डिस्काउंट दर से नकदी प्रवाह प्रवाह को डिस्काउंट करते हुए परिशोधन लागत पर किया गया है।

नीचे दी गई तालिका में आवृति आधार एवं परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं की उचित मूल्य मापन तारतम्यता प्रस्तुत की गई है।

वित्तीय परिसम्पतियों के संबंध में उचित मूल्य मापन तारतम्यता का प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण: (रुपये लाख में)

31 मार्च, 2024 की स्थिति	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:-				
प्रतिभूति जमा	-	-	2,256.45	2,256.45
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:-				
अधीनस्थ नामे			1,26,079.16	1,26,079.16
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**योग**
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:-				
प्रतिभूति जमा	-	-	2,035.35	2,035.35
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:-				
अधीनस्थ नामे			79,578.82	79,578.82

नोट 35: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के सम्मुख वित्तीय लिखतों के संबंध में कोई जोखिम व्याप्त नहीं है। कम्पनी की मूल वित्तीय देयताओं में ऋण, अन्य देय प्रतिभूति जमा एवं ईएमडी हैं। कम्पनी की प्रमुख वित्तीय परिसम्पतियों में अन्य प्राप्य तथा नकद एवं नकद समतुल्य शामिल हैं जिनकी प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनों से होती है। तथापि, प्रमुख प्रकार के जोखिम बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं चलनिधि जोखिम हैं। सम्मुख के सम्मुख व्याप्त अत्यधिक प्रमुख वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे किया गया है:-

क). बाजार जोखिम

भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत के 60% तक का परियोजना वित्तीयन (सरकारी भूमि, राज्य करों एवं निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के अलावा) बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त करने की संकल्पना के साथ दिनांक 7 मार्च, 2019 को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर नामक प्रथम आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अनुसरण में भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से 500 मिलियन डालर प्रत्येक तथा 37.73 बिलियन जापानी येन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बाह्य निधियन आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की मानक व्यवस्था के अनुसार बैक टू बैक आधार पर किया जाएगा। ऋण की शर्तों मं एलआईबीओआर / एसओएफआर से सम्बद्ध परिवर्तनशील दरों पर अर्ध-वार्षिक ब्याज शामिल है तथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलआईबीओआर / एसओएफआर की मूवमेंट पर आधारित ब्याज दर जोखिम है।

ख). विदेशी मुद्रा जोखिम

धारक कम्पनी के सम्मुख बहुपक्षीय विकास बैंकों से प्राप्त ऋणों के संबंध में नामे सेवा भुगतान तथा विदेशी मुद्रा ऋणों के मूल पुनर्भुगतान के रूप में बाजार जोखिम व्याप्त है। ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं को विदेशी मुद्रा में चुकता किए जाने वाले भुगतान भी यूएसडी, यूरो तथा क्रोना की मूवमेंट से होने भारतीय रुपये पर होने बाजार जोखिम के कारक हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कम्पनी के सम्मुख व्याप्त महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम निम्नलिखित हैं:-

31 मार्च, 2024 की स्थिति (रुपये लाख में)

विवरण	संव्यवहार की मुद्रा			योग
	यूएसडी	यूरो	क्रोना	
परिसम्पत्तियां				
ठेकेदारों को अग्रिम	132.29	1,930.55	441.62	2,504.46
योग	132.29	1,930.55	441.62	2,504.46
देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	11.22	1,189.79	80.08	1,281.09
ऋण	8,88,983.56	-	-	8,88,983.56
ब्याज उपार्जित पर ऋण पर देय नहीं	9,634.21	-	-	9,634.21
योग	**8,98,628.99**	**1,189.79**	**80.08**	**8,99,898.86**

31 मार्च, 2023 की स्थिति (रुपये लाख में)

विवरण	संव्यवहार की मुद्रा			योग
	यूएसडी	यूरो	क्रोना	
परिसम्पत्तियां				
ठेकेदारों को अग्रिम	5,605.85	6,798.36	659.22	13,063.43
योग	5,605.85	6,798.36	659.22	13,063.43
देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	3,043.85	567.47	70.25	3,681.57
ऋण	6,35,884.21	-	-	6,35,884.21
ब्याज उपार्जित पर ऋण पर देय नहीं	5,648.78			5,648.78
योग	**6,44,576.84**	**567.47**	**70.25**	**6,45,214.56**

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस-2024 | परिवर्तन की असली 'ड्राइवर'- हमारी महिला टास्कफोर्स

ग) चलनिधि जोखिम

हमारी चलनिधि आवश्यकताओं की मासिक पूर्वानमानों के अनुसार निगरानी की गई है। समूह कम्पनी के लिए चलनिधि के प्रमुख स्रोत नकदी एवं नकदी समतुल्य हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को अंशदान एवं सरकारी अनुदान / अधीनस्थ नामे के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

समूह कम्पनी अपनी चलनिधि आवश्यकताओं का प्रबंधन नकद अंतर्प्रवाह की निगरानी करके एवं नकदी एवं नकदी समतुल्यों का पर्याप्त अनुरक्षण करके करती है। किसी प्रकार की न्यूनता का निर्धारण निवल नकद अपेक्षाओं की तुलना में उपलब्ध नकदी में से किया गया है।

अल्पावधि की चलनिधि अपेक्षाओं में मुख्यत: प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार चुकता किए जाने विविध लेनदारों के देय, देय व्यय, धारण एवं व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले जमा शामिल होते हैं। अपनी अल्पकालिक चलनिधि अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कम्पनी नकद एवं नकद समतुल्यों एवं अन्य बैंक शेष को पर्याप्त रूप से अनुरक्षित करता है।

समूह कम्पनी द्वारा अपनी दीर्घकालिक चलनिधि अपेक्षाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा की गई है तथा उनका प्रबंधन आंतरिक उपार्जनों के माध्यम से किया गया है। कम्पनी की गैर-चालू देयताओं में ब्याज मुक्त अधीनस्थ एवं पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान शामिल है।

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय देयताओं की अनुबंधित परिपक्वता का विवरण दिया गया है। इस तालिका का निर्माण समूह कम्पनी की ओर से अपेक्षित भुगतान से पूर्व की तिथि की वित्तीय देयताओं के नकद प्रवाह के आधार पर किया गया है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है :- (रुपये लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	-	-	-	6,661.92	10,08,400.80	10,15,062.72
योग	**-**	**-**	**-**	**6,661.92**	**10,08,400.80**	**10,15,062.72**

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है :- (रुपये लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	-	-	-	-	7,15,463.03	7,15,463.03
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,15,463.03**	**7,15,463.03**

नोट 36: प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

36.1. प्रावधान

नोट 17 तथा नोट 22 में वर्ष के दौरान इंड-एएस 37 'प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पतियों के अंतर्गत किए प्रावधान एवं प्रावधानों की मूवमेंट से संबंधित प्रकटीकरण किए गए हैं।

36.2. आकस्मिक देयता

इंड एएस 37 'प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पतियां' के प्रकटीकरण के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण

(i). 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार व्यवसाय सामान्य क्रम में कम्पनी की आकस्मिक देयता (ब्याज के अलावा) 49512.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 24,646.26 लाख रुपये) है जो ठेकेदार द्वारा किए गए दावों से संबंधित है परन्तु जिनकी नामे के रूप में स्वीकृति कम्पनी ने नहीं की है।

(i). धारक कम्पनी को वस्तु एवं सेवा कर विभाग से 181.32 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) का मांग नोटिस प्राप्त हुआ है।

36.3. आकस्मिक परिसम्पतियां

इंड एएस 37 'प्रावधानों आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसम्पतियों' के अनुसार आकस्मिक परिसम्पतियों का प्रकटीकरण। 31 मार्च, 2024 को धारक कम्पनी की आकस्मिक परिसम्पति शून्य (शून्य) है।

नोट 37 सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण

इंड एएस 24 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नलिखित है:-

37.1 सम्बद्ध पार्टियों की सूची

37.1.1: प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं इकाई के नामित निदेशक

नाम	पदनाम
श्री अनुराग जैन	अध्यक्ष (04.03.2024 से)
*श्री कुलदीप नारायण	प्रबंध निदेशक (01.04.2024 से)
श्रीमती अर्चना अग्रवाल	नामित निदेशक
श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामित निदेशक
श्री अरुण कुमार गुप्ता	नामित निदेशक
श्री प्रशांत गोयल	नामित निदेशक (16.03.2024 से)
श्री अजिताभ शर्मा	नामित निदेशक (21.03.2024 से)
श्री दिनेश कुमार	नामित निदेशक (21.07.2023 से)
श्री अनिल कुमार श्रंगार्या	निदेशक परियोजनाएं
श्री महेंद्र कुमार	निदेशक/ई एवं आरएस
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/प्रणाली एवं परिचालन
श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त
श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष (04.03.2024 तक)
श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक (27.03.2024 तक)
श्री आशीष कुंद्रा	नामित निदेशक (29.01.2024 तक)
श्रीमती वीनू गुप्ता	नामित निदेशक (05.12.2023 तक)
श्री बृजेश कुमार	नामित निदेशक (31.05.2023 तक)
श्री विजय कुमार	कम्पनी सचिव

* श्री कुलदीप नारायण की आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के नामित निदेशक के रूप में 28.12.2022 को हुई थी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 1.4.2024 के आदेश के माध्यम से श्री कुलदीप नारायण, आईएएस, संयुक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक (एचएफए) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को प्रबंध निदेशक, एनसीआरटीसी के पद का प्रभार सौंपा गया है।

37.1.2: सरकार से संबंधित कम्पनियां:

धारक कम्पनी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अध्याधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। धारक कम्पनी का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार धारित 50% इक्विटी शेयरों तथा हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक द्वारा 12.5% इक्विटी शेयर धारिता द्वारा किया गया है। इंड एएस 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसरण में जिन इकाईयों पर समान सरकार का नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है तो रिपोर्टिंग इकाई एवं अन्य इकाईयों को सम्बद्ध पार्टी माना जाना है। इन पार्टियों के मध्य होने वाले संव्यवहार बाजार स्थितियों के अनुसार आर्म लैंथ आधार पर किए जाते हैं। धारक कम्पनी द्वारा सरकार से संबंधित इकाईयों के लिए उपलब्ध छूट का आवेदन किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं।

धारक कम्पनी ने सरकार से संबंधित निम्नलिखित इकाईयों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार किए हैं :-

इकाई का नाम	**सम्बद्धता**
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार	प्रशासनिक मंत्रालय
रेल मंत्रालय, भारत सरकार	शेयरधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	शेयरधारक
हरियाणा सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
राजस्थान सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
उत्तर प्रदेश सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
दिल्ली मैट्रो रेल निगम	समान मंत्रालय के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
बेंगलुरू मैट्रो रेल निगम	समान मंत्रालय के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिककरण	राज्य सरकार की इकाई
मुजफ्फरनगर विकास निगम	राज्य सरकार की इकाई
हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

37.2: अन्य सम्बद्ध पार्टियों के साथ निम्नानुसार संव्यवहार किए गए हैं :-

37.2.1: प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों एवं निदेशकों के साथ संव्यवहार

नाम	**संबंध**	**भुगतान की प्रकृति**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष**
		शून्य		

37.2.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिपूर्ति :

निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के अन्य सदस्यों को वर्ष के दौरान निम्नानुसार पारिश्रमिक दिया गया है:-

विवरण	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष**
अल्पकालिक हितलाभ	314.27	295.95
सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ	98.18	49.15
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	45.81	40.60
योग	**458.26**	**385.70**

37.2.3:अन्य सम्बद्ध पार्टियों के साथ निम्नानुसार संव्यवहार किए गए हैं:- (रुपये लाख में)

विवरण	सम्बद्ध पार्टी का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
प्राप्तियां / आय				
पास थ्रू सहायता सहित दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए निधियां	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	3,59,600.00	4,71,000.00
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	-	1,800.00
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	1,35,600.00	1,30,600.00
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	15,287.61	-
दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	5,000.00	-
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	10,000.00	-
परामर्श आय	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित इकाई	469.64	-
परामर्श आय	मुजफ्फरनगर विकास निगम	सरकार से संबंधित इकाई	112.10	-
परियोजना मॉनीटरिंग टूल स्पीड का कार्यान्वयन	बेंगलुरू मैट्रो रेल निगम	सरकार से संबंधित इकाई	19.88	22.42
परियोजना मॉनीटरिंग टूल स्पीड का कार्यान्वयन	हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	190.39	2.66
परामर्श आय	हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	507.40	371.70
व्यय / भुगतान				
प्रशिक्षण व्यय	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	184.16
मशीनरी का किराया	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	374.94
अन्य	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	0.05
किराया प्रभार	बेंगलुरू मैट्रो रेल निगम	सरकार से संबंधित इकाई	-	85.97
किराया प्रभार	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	491.19	-

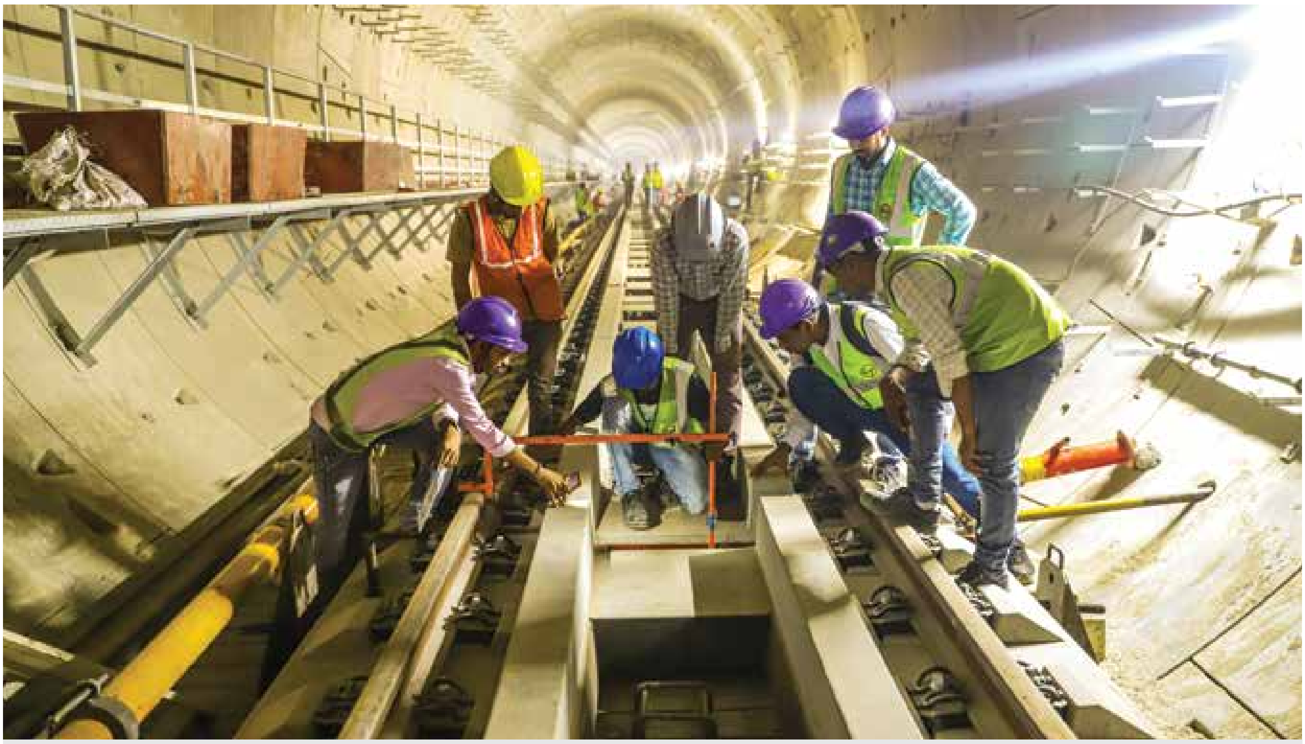

आरआरटीएस कॉरिडोर के कार्य को समयसीमा से पहले पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध टीम एनसीआरटीसी

37.2.4 अन्य सम्बद्ध पार्टियों से बकाया शेष निम्नानुसार है :-

(रुपये लाख में)

संव्यवहार की प्रकृति	सम्बद्ध पार्टी का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
		परिसम्पतियां / वसूलीयोग्य		
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	50.90	-
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	मुजफ्फरनगर विकास निगम	परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	1.36	-
परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	परामर्श सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य राशि	6.16	-
		देयताएं / देय		
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	51,834.68	2,58,000.00
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	3,85,364.65	3,03,856.77
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	34,750.00	24,750.00
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	राजस्थान सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	5,500.00	500.00
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	15,287.61	17,900.00
ऋण के रूप में प्राप्त राशि	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	58,956.87	2,62,200.00
व्ययों का पुनर्भुगतान	दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	0.03

नोट 38: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में लागू सीमा की पूर्ति करने वाली धारक कम्पनी से अपने पिछले निकटतम तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का कम से कम 2% व्यय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियों पर करने की अपेक्षा की गई है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है :- (रुपये लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
i)	पिछले वर्ष के दौरान व्यय न किया गया शेष	165.51	74.84
ii)	वर्ष के दौरान कम्पनी से व्यय के लिए अपेक्षित राशि	151.43	97.49
iii)	वर्ष के दौरान व्यय न किया गया शेष	151.43	97.49
iv)	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	165.75	6.82
	क. किन्हीं परिसम्पत्तियों का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
	ख. (क) के अलावा अन्य उद्देश्य से	165.75	6.82
v)	वर्ष के अंत में व्यय न किया गया शेष (सीएसआर खाते में अलग से रखा गया)	151.43	165.51
vi)	सम्बद्ध पार्टी संव्यवहारों का विवरण	-	-
vii)	दायित्व के वहन के लिए किए गए प्रावधान के अनुसरण में प्रावधान के संचालन पर अनुबंध के माध्यम से किए गए व्यय	-	-
viii)	वर्ष के दौरान व्यय न किए जाने के कारण	जारी परियोजनाओं से संबंधित	
ix)	सीएसआर गतिविधि की प्रकृति : आधुनिक कृषि व्यवहारों में बागवानी एवं सम्बद्ध कार्यों का कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास / प्रशिक्षण कार्यक्रम, भीकनपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के सरकारी जूनियर हाई स्कूल में 4 कक्षाओं तथा सराय कालेखान, दिल्ली में 3 सार्वजनिक शौचालय सेट्स का निर्माण		

स्पष्टीकरण नोट:

(i) धारक कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में जारी परियोजनाओं से संबंधित 151.43 लाख रुपये (पिछले वष्र 97.49 लाख रुपये) की राशि एकक अलग बैंक खाते में जमा करवाई गई है।

(ii) धारक कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर कार्यों के लिए 0.24 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया है।

नोट 39: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) - 19 "कर्मचारी हितलाभ" - 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार प्रदर्शित मूल्य। वर्ष के अंत में कर्मचारी हितलाभों का बीमांकन मूल्यांकन किए जाने के संबंध में प्रकटीकरण

39.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :-

क) भविष्य निधि :
समूह कम्पनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया गया है। कम्पनी भविष्य निधि के प्रति पूर्व निर्धारित दर पर नियत अंशदान करता है। इस देयता की स्वीकृति बीमांकन आधार पर की गई है।

ख) उपदान:
समूह कम्पनी द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपायों के तौर पर कम्पनी के कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र दिए जाने, शारीरिक आसामर्थ्यता की स्थिति में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इंड एएस-19 के अंतर्गत सूचना का प्रकटीकरण वास्तविक बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार किया गया है तथा देयता की स्वीकृति वास्तविक बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

ग) पेंशन :
कर्मचारियों के लिए कम्पनी की अधिवार्षिता परिभाषित पेंशन योजना में पात्र कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 2.5% की दर से प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के माध्यम से किए गए हैं।

अवधि के लिए किए जाने वाले अंशदान के प्रावधान का कम्पनी कर्मचारी लागत पर बीमांकन आधार पर किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में पेंशन अंशदान का आकलन मूल संगठन / सरकारी संगठन के अनुसार किया गया है तथा लेखांकन बीमांकन आधार पर होता है।

यात्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं के साथ सार्वभौमिक रूप से सुलभ प्रणाली

घ) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा :

समूह कम्पनी की अपनी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उसके पति/पत्नी को इंडोर उपचार के लिए नियमित कर्मचारी के संबंध में लागू समान दर पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है।

इसके प्रति देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की गई है।

ङ) छुट्टी :

समूह कम्पनी द्वारा समूह कम्पनी के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी एवं अर्द्ध वेतन छुट्टी के लाभ प्रदान किए जाते हैं जो प्रतिवर्ष क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन हैं। सेवा के दौरान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार केवल इस छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है जबकि अधिवार्षित के समय अधिक 300 दिन (गैर नकदी योग्य भाग एवं कम्यूटेशन के बिना अर्द्ध वेतन छुट्टी) का नकदीकरण किया गया है।

इस देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की गई है।

प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के मामले में छुट्टी वेतन का अंशदान उनके मूल विभाग / संगठन को उनके मूल विभाग / संगठन के नियमों के आधार पर चुकता वेतन के अनुसार किया गया है तथा इसका लेखांकन बीमांकन आधार पर होता है।

च) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) :

समूह कम्पनी प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को उनके परिवार सहित मुख्यालय से किसी दुरस्थ पर स्थित उनके गृह स्थल अथवा कहीं अन्यत्र स्थल पर यात्रा हेतु विश्राम एवं मन बहलाव के लिए अपनी नीति के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की गई है।

छ) अन्य हितलाभ :

I) कर्मचारियों को अधिवार्षिता के समय अपने गृह स्थल अथवा कहीं अन्य ऐसे स्थल पर निवास के लिए, जहां वह अथवा उसका परिवार भारत में निवास करना चाहता है, वैयक्तिक सामान सहित परिवहन व्यय की पूर्ति की गई है।

इससे संबंधित देयता की स्वीकृति बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार होती है।

ii) समूह कम्पनी में अनेक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिबद्धता एवं योगदान को स्वीकृति प्रदान करना, उन्हें पुरस्कृत करने सहित उन्हें दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।

इससे संबंधित देयता की स्वीकृति बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार होती है।

39.2 लाभ एवं हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) तथा तुलन पत्र में स्वीकृत विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति एवं अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:

(क) निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व (रुपये लाख में)

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
देयता का वर्तमान प्रारंभ मूल्य	678.35	1,320.07	8.82	414.69	36.15
अधिग्रहण समायोजन	27.13	20.49	-	-	-
ब्याज लागत	50.13	97.55	0.65	30.65	2.67
चालू सेवा लागत	184.03	383.55	4.84	138.29	73.63
चुकता/बट्टा लेखित हितलाभ	(38.23)	(127.22)	-	-	-
दायित्व पर बीमांकन लाभ/(हानि)	(1.45)	(53.25)	(4.42)	(8.39)	(7.23)
देयता का वर्तमान अंत मूल्य	**899.96**	**1,641.18**	**9.90**	**575.24**	**105.23**
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार					
देयता का वर्तमान प्रारंभ मूल्य	423.97	897.00	9.75	222.53	33.30
अधिग्रहण समायोजन	72.75	95.66	-	-	-
ब्याज लागत	30.48	64.49	0.70	16.00	0.31
चालू सेवा लागत	166.99	500.51	4.81	145.05	2.51
चुकता/बट्टा लेखित हितलाभ	(3.86)	(105.67)		-	-
दायित्व पर बीमांकन लाभ/(हानि)	(11.98)	(131.92)	(6.44)	31.11	0.03
देयता का वर्तमान अंत मूल्य	**678.35**	**1,320.07**	**8.82**	**414.69**	**36.15**

(ख) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2024 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
योजना परिसम्पति का प्रारंभ उचित मूल्य	-	-	-	-	-
योजना परिसम्पति पर वास्तविक लाभ	-	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-	-
चुकता हितलाभ	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
दायित्व का वर्तमान अंत मूल्य	899.96	1,641.18	9.90	575.24	105.23
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
योजना परिसम्पति का प्रारंभ उचित मूल्य	-	-	-	-	-
योजना परिसम्पति पर वास्तविक लाभ	-	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-	-
चुकता हितलाभ	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
दायित्व का वर्तमान अंत मूल्य	678.35	1,320.07	8.82	414.69	36.15
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-

(ग) तुलन पत्र में स्वीकृत राशि (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2024 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
वर्ष के अंत में दायित्व के अनुमानित वर्तमान मूल्य	899.96	1,641.18	9.90	575.24	105.23
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य					
निधियन स्थिति					
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता	**899.96**	**1,641.18**	**9.90**	**575.24**	**105.23**
विवरण	**31.3.2023 की स्थिति**				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
वर्ष के अंत में दायित्व के अनुमानित वर्तमान मूल्य	678.35	1,320.07	8.82	414.69	36.15
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता	**678.35**	**1,320.07**	**8.82**	**414.69**	**36.15**

(घ) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2024 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
चालू सेवा लागत	184.03	383.55	4.84	138.29	73.63
ब्याज लागत	50.13	97.55	0.65	30.65	2.67
बीमांकन लाभ / हानि	-	(53.25)	(4.42)	-	(7.63)
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर का योग	**234.16**	**427.85**	**1.07**	**168.94**	**68.67**

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
चालू सेवा लागत	166.99	500.51	4.81	145.05	2.51
ब्याज लागत	30.48	64.49	0.70	16.00	0.31
बीमांकन लाभ / हानि	-	(131.92)	(6.44)	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर का योग	**197.47**	**433.08**	**(0.93)**	**161.05**	**2.82**

(ङ) अन्य व्यापक आय (लाभ)/हानि में स्वीकृत पुनर्मापन (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2024 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
योजना परिसम्पतियों का पुनर्मापन	-	-	-		
दायित्वों का पुनर्मापन	1.45	-	-	8.39	0.40
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (लाभ)/हानि का योग	**1.45**	**-**	**-**	**8.39**	**0.40**

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
योजना परिसम्पतियों का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
दायित्वों का पुनर्मापन	11.98	-	-	31.11	(0.03)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (लाभ)/हानि का योग	**11.98**	**-**	**-**	**31.11**	**(0.03)**

(च) गैर चालू एवं चालू दायित्वों का वर्गीकरण

विवरण	31.3.2024 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
गैर-चालू प्रावधान	860.46	1,462.38	4.95	573.45	95.07
चालू प्रावधान	39.50	178.80	4.95	1.80	10.16
योग प्रावधान	**899.96**	**1,641.18**	**9.90**	**575.25**	**105.23**

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
गैर-चालू प्रावधान	651.78	1,200.63	4.41	413.73	29.82
चालू प्रावधान	26.57	119.44	4.41	0.97	6.33
योग प्रावधान	**678.35**	**1,320.07**	**8.82**	**414.70**	**36.15**

(छ) भारित औसत में अभिव्यक्त प्रमुख बीमांकन अनुमान

विवरण	31.3.2024 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
डिस्काउंट दर	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%
ब्याज की इंप्युटिड (आरोपित) लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की संभावित दर	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
डिस्काउंट दर	7.39%	7.39%	7.39%	7.39%	7.39%
ब्याज की इंप्युटिड (आरोपित) लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि की संभावित दर	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

संवेदी विश्लेषण :

उपर्युक्त सभी अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखकर किए गए पूर्वानुमानों में परिवर्तन पर आधारित संवेदी विश्लेषण है। व्यावहारिक रूप से इनके घटित होने की संभावना नहीं है तथा पूर्वानुमानों के कुछ परिवर्तनों में सह-सम्बद्धता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदात्मकता का आकलन करते समय महत्वपूर्ण बीमांकन पूर्वानुमानों की समान विधि (प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि) का उपयोग किया गया है जबकि परिभाषित हितलाभ दायित्व की वित्तीय स्थिति विवरण में स्वीकृति प्राप्त के अनुसार गणना की गई है।

निम्नलिखित में परिवर्तन	31.3.2024 की स्थिति					
	पूर्वानुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व का प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण का प्रभाव	छुट्टी यात्रा रियायत का प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ का प्रभाव	अन्यों से प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5%	(54.24)	(99.79)	लागू नहीं	(41.25)	(5.08)
	-0.5%	59.65	112.00	लागू नहीं	44.29	5.64
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	47.04	112.23	लागू नहीं	लागू नहीं	4.70
	-0.5%	(44.38)	100.90	लागू नहीं	लागू नहीं	(4.29)

निम्नलिखित में परिवर्तन	31.3.2023 की स्थिति					
	पूर्वानुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व का प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण का प्रभाव	छुट्टी यात्रा रियायत का प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ का प्रभाव	अन्यों से प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5%	(41.48)	(80.38)	लागू नहीं	(28.42)	(0.47)
	-0.5%	45.68	89.28	लागू नहीं	30.51	0.49
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	36.07	89.62	लागू नहीं	लागू नहीं	0.49
	-0.5%	(33.87)	(81.39)	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.48)

परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल

31.3.2024 की स्थिति					
परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)	(गैर-निधियन)
0-1 वर्ष	39.50	178.80	4.95	1.80	10.15
1-2 वर्ष	69.31	99.82	4.95	108.90	13.43
2-3 वर्ष	35.36	53.90	-	51.67	7.38
3-4 वर्ष	36.69	58.74	-	32.65	4.48
4-5 वर्ष	38.61	54.08	-	29.89	1.15
5-6 वर्ष	25.63	46.59	-	18.02	0.07
6 वर्ष से आगे	654.86	1,149.25	-	332.32	68.57

परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल

31.3.2023 की स्थिति					
परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल	उपदान (गैर-निधियन)	अर्जित छुट्टी (गैर-निधियन)	छुट्टी यात्रा रियायत (गैर-निधियन)	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ (गैर-निधियन)	अन्य (गैर-निधियन)
0-1 वर्ष	26.57	119.44	4.41	0.97	6.33
1-2 वर्ष	39.69	72.59	4.41	3.59	15.23
2-3 वर्ष	32.70	73.02	-	5.62	5.25
3-4 वर्ष	42.58	82.92	-	2.62	1.76
4-5 वर्ष	26.01	41.77	-	7.03	1.76
5-6 वर्ष	27.62	37.39	-	12.00	0.23
6 वर्ष से आगे	483.18	892.94	-	382.86	5.59

नोट 40

''सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' (एमएसएमईडी अधिनियम) में की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को देयताओं का विवरण निम्नलिखित हैं :-

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
1	(i) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि और ब्याज तथा उनका चुकता न किया गया शेष :	-	-
	(ii) उपर्युक्त में से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों* को देय मूल राशि	2,960.83	2,291.73
	(iii) उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	-
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 की धारा 16 के उपबंधों के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के पश्चात किए गए भुगतान के साथ चुकता ब्याज की राशि	-	-
3	भुगतान में देरी के कारण देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता की गई है) जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 में की गई निर्दिष्टि के अनुसार ब्याज जोड़ा नहीं गया है।	-	-
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि तथा अचुकता शेष	-	-
5	आगामी वर्षों में भी देय बकाया ब्याज एवं भुगतान की राशि, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतियोग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को ब्याज देय होने की तिथि से वास्तविक भुगतान किए जाने तक के लिए आकलन की जानी है।	-	-

* सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में की गई निर्दिष्टि के अनुसार नियत तिथियों को देयताओं का भुगतान किया गया है।

नोट 41: परिसम्पतियों की क्षमता हानि

समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का यह मानना है कि समूह कम्पनी की गैर-वित्तीय परिसम्पतियों के आर्थिक निष्पादन संभावना से कम नहीं है तथा तुलन पत्र तिथि को किसी प्रकार की क्षमता हानि के संकेत नहीं हैं। तदनुसार तुलन पत्र तिथि को किसी परिसम्पति के लिए कोई क्षमता क्षति नहीं हुई है।

नोट 42: शेष की पुष्टि

समूह कम्पनी में बैंकों तथा अन्य पार्टियों से शेष के संबंध में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली स्थापित है। पार्टियों को शेष पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए थे। कुछ प्राप्य अन्य परिसम्पतियों एवं अन्य देयों के शेष पुष्टि / पुन:समाधान एवं परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, के अध्याधीन हैं। समाधान ऑनगोइंग आधार पर किए जाते हैं। तथापि, प्रबंधन का यह मानना है कि ऐसी बकाया पुष्टियों / पुन:समाधान से किसी प्रकार का वस्तुगत वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।

नोट 43: संविदागत प्रतिबद्धताएं

परियोजना के संबंध में संविदागत प्रतिबद्धताओं का विवरण 5,72,941.97 लाख रुपये (पिछले वर्ष 68,16,12.75 लाख रुपये) है।

नोट 44: इंड एएस 116 : पट्टे के अंतर्गत प्रकटीकरण

समूह कम्पनी ने विभिन्न कार्यालयों के साथ पट्टा अनुबंध किए हैं तथा प्रचालन पट्टों को स्वीकृति प्रदान की है।

(i) **प्रारंभिक उपयोज्यता के लिए चयनित व्यवहार्य उपायों का संक्षेप**

(क) इस छूट को लागू किया गया है कि प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को 12 माह से कम के पट्टा काल वाली उपयोग अधिकार परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को पट्टे के लिए स्वीकृत नहीं किया जाना है।

(ख) प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्ति के मापन में से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को शामिल नहीं किया जाना है।

(ग) इंड एएस-116 की उपयोज्यता केवल उन्हीं अनुबंधों के लिए की जानी है जिनका पट्टा वर्गीकरण पहले इंड एएस-17 के अंतर्गत किया गया था।

(घ) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल डिस्काउंट दर लागू की गई है।

(ङ) यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने अथवा समाप्त करने के विकल्प हैं तो पट्टा काल के निर्धारण के लिए दूरदृष्टि का उपयोग किया जाना है।

(ii) इंड एएस-17 के अंतर्गत पट्टा दायित्व एवं पारगमन की तिथि को पट्टा देयता के मूल्य के मध्य व्याप्त अंतर मुख्यतः पट्टा देयताओं की इंड एएस-116 के अंतर्गत वर्तमान मूल्य के अनुसार डिस्काउंटिंग किए जाने के कारण है।

(iii) कम्पनी की प्रचालन पट्टे के अंतर्गत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है : (रुपये लाख में)

क्र.सं.	परिसम्पत्तियों का विवरण	पट्टा अवधि	वहन मूल्य		समापन खंड एसबीआई 3एम एमसीएलआर दर	समापन खंड	विस्तार विकल्प
			31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023			
(क)	सीडब्ल्यूजी गांव में भूमि	5 साल	-	7.18	7.50%	पट्टादाता को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है	पट्टादाता को अनुबंध आगे विस्तारित करने का अधिकार है।
	योग		**-**	**7.18**			

(iv). पट्टा देयताओं की मूवमेंट (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	**8.23**	**16.19**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान स्वीकृत ब्याज	0.62	1.21
पट्टा सुधार	-	-
वर्ष के दौरान भुगतान/ नकदी बर्हिप्रवाह का योग/ पट्टे के लिए समायोजन	8.85	9.17
वर्ष के अंत में अंत शेष	**0.00**	**8.23**

(v). समूह कम्पनी ने अल्पावधि के पट्टों अथवा न्यून मूल्य वाली परिसम्पत्तियों के पट्टों को स्वीकृति न दिए जाने का निर्धारण लिया है। इन पट्टों से संबंधित व्यय पट्टा देयता को मापन में शामिल नहीं किया गया है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अल्पावधि पट्टे	23.82	12.86
योग	**23.82**	**12.86**

(vi). तुलन पत्र में पट्टा देयताओं की प्रस्तुति निम्नानुसार की गई है :-

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
चालू भाग	-	7.96
गैर-चालू भाग	-	8.23
योग	-	16.19

(vii). पट्टा देयताओं की गैर-डिस्काउंट आधार पर संविदागत परिपक्वता का विवरण निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च 2024		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	-	-	-
योग	-	-	-

विवरण	31 मार्च 2023		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	8.23	-	-
योग	**8.23**	**-**	**-**

viii). परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों से संबंधित व्यय शून्य है।

(xi). उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों के उप-पट्टों से प्राप्त होने वाली आय कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

(x). बिक्री एवं पट्टा वापसी संव्यवहारों से प्राप्त लाभ / हानि कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

नोट 45: घटक रिपोर्टिंग इंड एएस 108

धारक कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए डिजाइनिंग, निर्माण, कार्यान्वयन, वित्तपोषण, परिचालन एवं अनुरक्षण करना है। धारक कम्पनी भारत में प्रचालन करती है और इसके प्रचालन ऐसे आर्थिक परिवेश में नहीं होते जहां विभिन्न प्रकार के जोखिम एवं प्रतिफल हों। इस प्रकार इसे एकल भौगोलिक घटक में प्रचालन माना गया है।

घटक रिपोर्ट

धारक कम्पनी का रिपोर्ट योग्य केवल एक प्रचालनात्मक घटक है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए डिजाइनिंग, निर्माण,कार्यान्वयन, वित्तपोषण, परिचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित है तथा यह अपनी सेवाओं की प्रकृति, जोखिम एवं प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना एवं आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार एकल प्रचालन घटक है। तदनुसार स्टैंडएलोन इंडएएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि कम्पनी के एकल प्रचालन घटक से संबंधित है। वर्तमान में कम्पनी के पास सावधि जमा परामर्श आय और अन्य विविध आय पर ब्याज आय के रूप में राजस्व के स्रोत हैं।

नोट 46: विदेशी मुद्रा में उपार्जन और व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
उपार्जन		
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लाभ	1,633.68	478.17
योग	**1,633.68**	**478.17**
व्यय		
परामर्श	1,427.55	5,635.63
कार्य	68,096.52	69,878.34
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव हानि	12,204.17	34,319.44
योग	**81,728.24**	**1,09,833.41**

नोट 47: इंड एएस 27 "पृथक वित्तीय विवरण" के अनुसार अनुपालन का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

47.1 व्यवसाय की सामान्य प्रकृति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2020 को योजना, डिजाइलिंग, वित्तीयन, कार्यान्वयन, ट्रांजिट प्रणालियों के प्रबंधन, परिचालन एवं अनुरक्षण तथा इनमें से किसी उप प्रणालियों अथवा सभी अथवा मिश्रित सेवाओं के उद्देश्य से ''एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड'' नामक एक सहायक कम्पनी की स्थापना की गई है।

क. एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (रुपये लाख में)

क्र.सं	विवरण	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड *	
क	निगमन की तिथि	6 अगस्त, 2020	
ख	वित्तीय वर्ष समाप्ति की तिथि	31-03-2024	
ग	व्यवसाय का प्रधान स्थल	भारत	
		वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 22-23
घ	शेयर पूंजी	100.00	100.00
ङ	अन्य इक्विटी/रिजर्व एवं अधिशेष (यथा लागू)	-1.19	-1.35
च	देयताएं	204.12	0.53
छ	कुल इक्विटी एवं देयताएं	302.93	99.18
ज	कुल परिसम्पतियां	302.93	99.18
छ	निवेश	-	-
ञ	टर्नओवर	439.20	-
ट	कराधान पूर्व लाभ (हानि)	9.61	0.31
ठ	कराधान के लिए प्रावधान	9.45	0.08
ड	कराधान पश्चात लाभ (हानि)	0.16	0.23
ढ	अंतरिम लाभांश – इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं
ण	अंतरिम लाभांश – अधिमान	लागू नहीं	लागू नहीं
त	प्रस्तावित लाभांश – इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं
थ	प्रस्तावित लाभांश – अधिमान	लागू नहीं	लागू नहीं
द	शेयरधारिता का %	100%	100%
ध	जारी शेयरों की संख्या (लाख में)	1.00	1.00
न	सहायक कम्पनी में कुल शेयर (लाख में)	1.00	1.00
प	अधिग्रहण की तिथि को अधिगृहित निवल परिसम्पतियां	100%	100%
फ	प्रतिफल	100%	100%
ब	वित के लिए स्वीकृत साख	-	-

* वित्तीय आंकड़े लेखापरीक्षित अंतिम लेखों पर आधारित हैं

ख. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना

31 मार्च, 2024 की स्थिति (रुपये लाख में)

इकाई का नाम	निवल परिसम्पतियां यथा कुल परिसम्पतियां घटा कुल देयताएं		लाभ अथवा (हानि) में अंशभाग		वर्ष के अंत में अन्य व्यापक आय में अंशभाग		कुल व्यापक आय में अंशभाग	
	समेकित निवल परिसम्पतियों के % के रूप में	राशि (रुपये)	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि (रुपये)	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि (रुपये)	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि (रुपये)
मूल कम्पनी								
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	100.00%	9,45,522.24	99.98%	13,441.45	100.00%	(10.24)	99.98%	13,431.21
सहायक कम्पनी								
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	0.00%	0.23	0.02%	2.11	0.00%	-	0.02%	2.11
निवल योग	**100.00%**	**9,45,522.47**	**100%**	**13,443.56**		**(10.24)**		**13,433.32**

31 मार्च, 2023 की स्थिति (रुपये लाख में)

इकाई का नाम	निवल परिसम्पत्तियां यथा कुल परिसम्पत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ अथवा (हानि) में अंशभाग		वर्ष के अंत में अन्य व्यापक आय में अंशभाग		कुल व्यापक आय में अंशभाग	
	समेकित निवल परिसम्पत्तियों के % के रूप में	राशि (रुपये)	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि (रुपये)	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि (रुपये)	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि (रुपये)
मूल कम्पनी								
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	100.00%	2,26,035.01	99.99%	7,999.08	100.00%	(20.28)	99.99%	7,978.80
सहायक कम्पनी								
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	0.00%	(1.88)	0.01%	1.16	0.00%	-	0.01%	1.16
निवल योग	**100%**	**2,26,033.13**	**100%**	**8,000.24**	**100.00%**	**(20.28)**	**100%**	**7,979.96**

नोट 48 : इंड एएस के अनुसार प्रकटीकरण - 1 : वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित प्रकटीकरण

चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता के संवर्धन के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों के संबंध में कुछ पुर्नवर्गीकरण किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप तुलन पत्र में कुछ लाइन मदों का पुर्नवर्गीकरण किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये लाख में)

विवरण	पुर्नवर्गीकरण से पूर्व	पुर्नवर्गीकरण	पुर्नवर्गीकरण के पश्चात
पूंजी कार्य प्रगति पर	**13,23,810.41**	**9,570.43**	**13,33,380.84**
धारित आय	19,843.79	-	19,843.79
अधीनस्थ नामे का आस्थगित उचित मूल्य समायोजन	-	4,68,091.61	4,68,091.61
धारित आय	**19,843.79**	**4,68,091.61**	**4,87,935.40**
आस्थगित आय-अन्यों के लिए पूंजी अनुदान – एशियन डेवलपमेंट बैंक – तकनीकी सहायता	1,324.34	(1,324.34)	-
अन्य इक्विटी	**1,324.34**	**(1,324.34)**	
अन्य गैर चालू देयता – एशियन डेवलपमेंट बैंक तकनीकी सहायता	-	1,035.87	1,035.87
अन्य गैर चालू देयता		**1,035.87**	**1,035.87**
अन्य चालू देयता – एशियन डेवलपमेंट बैंक तकनीकी सहायता	-	288.47	288.47
अन्य चालू देयता		**288.47**	**288.47**
ऋण- अधीनस्थ नामे	**11,73,984.21**	**(4,58,521.18)**	**7,15,463.03**

नोट 49:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में संशोधन किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं। समूह कम्पनी ने उक्त संशोधनों को अपने वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया है तथा उक्त संशोधन के अनुपालन के तौर पर निम्नलिखित नीचे प्रकटीकरण किए गए हैं:-

(i). वर्ष के दौरान समूह ने क्रिप्टो मुद्रा अथवा वर्चुअल मुद्रा में किसी प्रकार का व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।

(ii). समूह कम्पनी के पास इक्विटी परिवर्तन में अलग से प्रकटीकरण के लिए कोई पूर्वावधि चूकें नहीं हैं।

(iii). समूह कम्पनी के पास कोई प्रभार अथवा संतुष्टि नहीं है, जिसका पंजीयन आरओसी के सम्मुख सांविधिक अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अब तक नहीं करवाया गया है।

(iv) समूह कम्पनी ने विदेशी इकाईयों (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (ओं) को इस उद्देश्य से धनराशि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया है अथवा निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ: (क) समूह कम्पनी (''परम लाभग्राहियों'') की ओर से किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में परम लाभग्राहियों की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के लिए, अथवा (ख) अंतिम लाभार्थियों को अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही किसी गारंटी प्रदान करने के लिए।

(v) समूह कम्पनी ने किसी व्यक्ति अथवा विदेशी इकाई सहित किसी इकाई (''निधियन पार्टी'') से ऐसे किसी निर्धारण, (जो लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकार्ड किया गया हो) के साथ कि समूह द्वारा: (क) किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में निधियन पार्टी (''परम लाभग्राहियों'') की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा (ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदान करेगा।

(vi) कम्पनी के पास प्रमोटरों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधन कार्मिकों एवं अन्य संबंधित पार्टियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं है।

(vii) प्रबंधन के मतानुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और गैर-वर्तमान निवेशों के अलावा व्यवसाय के सामान्य क्रम में अन्य संपत्तियों का मूल्य तुलन पत्र में सूचित मूल्य से कम नहीं है।

(viii) उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित संपत्ति संयंत्र और उपकरण का वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(ix) वर्ष के दौरान अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(x) समूह कम्पनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जिसके संबंध में कम्पनी के खिलाफ किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है अथवा लंबित है।

(xi). समूह कम्पनी के पास निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xii). समूह कम्पनी से बैंकों या वित्तीय संस्थानों को त्रैमासिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने अपेक्षित नहीं है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xiii) बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कम्पनी को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

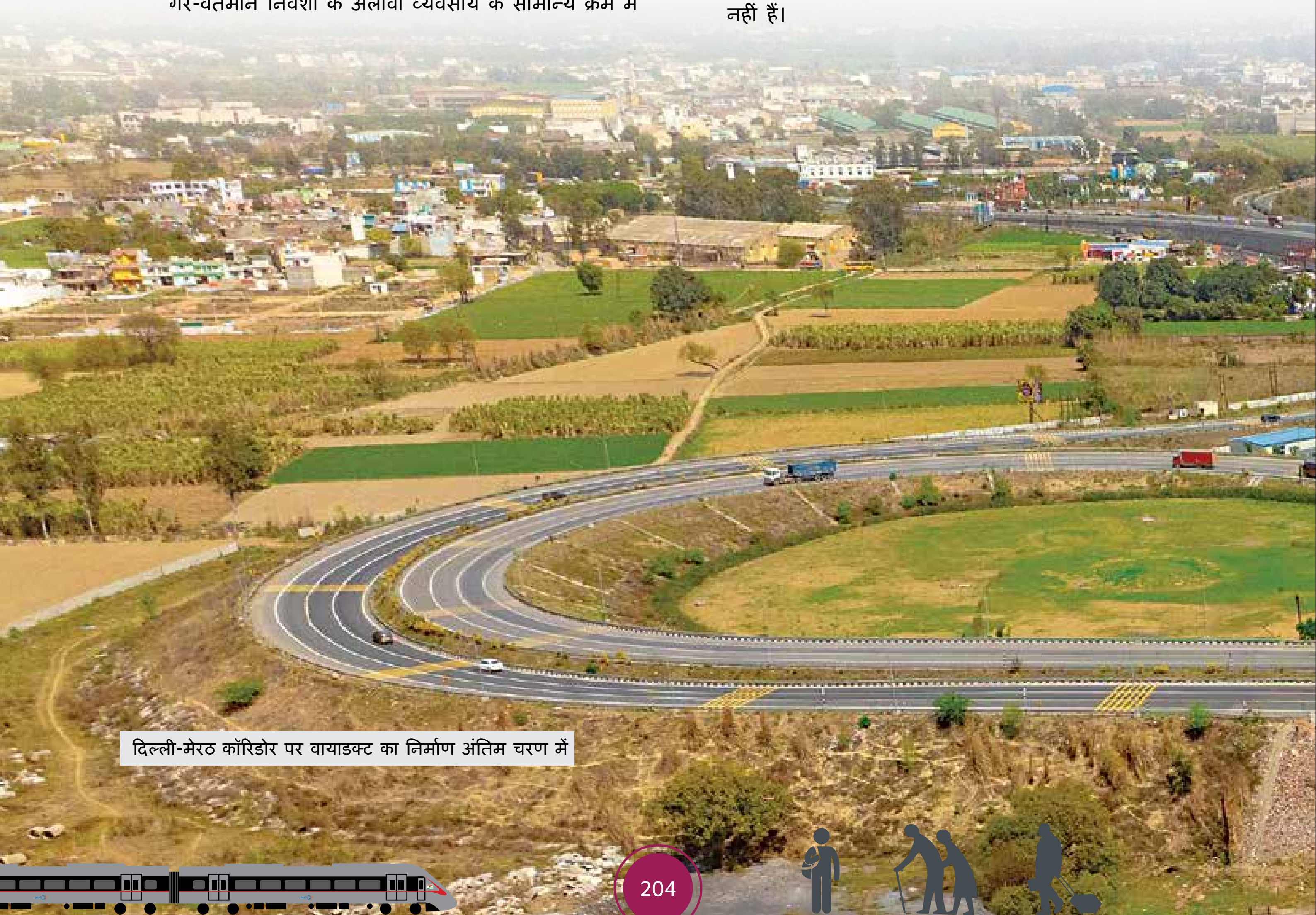

दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर वायाडक्ट का निर्माण अंतिम चरण में

(xiv) समूह कम्पनी द्वारा कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियमावली, 2017 के साथ पठि अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) का अनुपालन किया गया है। तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

(xv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत हटाई गई कंपनियों के साथ समूह कम्पनी का वर्ष के दौरान कोई संव्यवहार नहीं हुआ है। तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार रिपोर्ट अपेक्षित नहीं है।

नोट 50:

जहां कहीं आवश्यक हुआ है वहां चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनात्मकता के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:कम्पनीन/पुन:व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकरण किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544एन

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल	विजय कुमार	नमिता मेहरोत्रा	कुलदीप नारायण
साझेदार	कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 098918	सदस्यता संख्या: F7801	डीआईएन: 07916304	डीआईएन: 03276525
यूडीआईएन: 24098918BKEHVU3506			

नई दिल्ली
29 मई, 2024

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

(सीआईएन: यू60200डीएल2013जीओआई256716)

फार्म संख्या एओसी 1

सहायक कम्पनियों/सम्बद्ध कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण [कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में]

भाग क- सहायक कम्पनी (रुपए लाख में)

1	सहायक कम्पनी का नाम	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
2	वह तारीख जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था	6 अगस्त 2020
3	सहायक कम्पनी की रिपोर्टिंग अवधि	01.04.2023 से 31.03.2024
4	विनिमय दर	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी	1,00.00
6	आरक्षित एवं अतिरेक	(1.19)
7	कुल परिसम्पतियां	302.93
8	कुल देयताएं	302.93
9	निवेश	-
10	टर्नओवर	439.20
11	कराधान पूर्व लाभ	9.61
12	कराधान के लिए प्रावधान	9.45
13	कराधान पश्चात लाभ	0.16
14	प्रस्तावित लाभांश	-
15	% शेयरधारिता	100%

भाग ख-सम्बद्ध कम्पनियां एवं संयुक्त उद्यम (रुपए लाख में)

क्र.सं.	**सम्बद्ध कम्पनी का नाम**	
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	-
2	सम्बद्ध कम्पनी/संयुक्त उद्यम में कम्पनी द्वारा वर्ष के अंत में धारित शेयर	-
	संख्या	-
	सम्बद्ध कम्पनी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	-
	शेयरधारिता का %	-
3	वर्णन करें कि महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	-
4	कारण बताएं कि सम्बद्ध/संयुक्त उद्यम कम्पनी को विचार में क्यों नहीं लिया गया है	-
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता से सम्बद्ध निवल सम्पति	-
6	वर्ष के दौरान लाभ / हानि	-
i.	समेकन के लिए विचार किया गया	-
ii.	समेकन के लिए विचार नहीं किया गया	-

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते श्याम सुन्दर सिंघल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000544एन

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

हस्ता/-
ज्योति अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 098918
यूडीआईएन: 24098918BKEHVU3506

हस्ता/-
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
कुलदीप नारायण
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03276525

नई दिल्ली
29 मई, 2024

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

संख्या / No. पीडीए/इन्फ्रा/आई.एस.ए.-1/27-135/वार्षिक लेखे/2023-24/200

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक / Dated 31 JULY 2024

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी)
गतिशक्ति भवन आईएनए,
नई दिल्ली - 110023

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के वार्षिक लेखों (Standalone & Consolidated) पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की 'टिप्पणियाँ'

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी)** के वार्षिक लेखों **(Standalone & Consolidated)** पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की **'शून्य टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

संलग्न: शून्य टिप्पणियाँ

(विनीता मिश्रा)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी को कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निहित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचनाकार्य के अनुपालन में किया है। कानूनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत की गई थी वह इस अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत वर्णित लेखा परीक्षा पर मानकों के साथ अनुपालन में स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय वक्तव्यों पर विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 29 मई 2024 की लेखा परीक्षा के माध्यम से संपन्न किया जा चुका है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की ओर से, मैंने इस अधिनियम की धारा 143 (6)(ए), और जिसे इस की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वित्तीय वक्तव्यों की संपूरक लेखा परीक्षा की है। हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड और उसकी सहायक, एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की। इस संपूरक लेखा परीक्षा को स्वतंत्र रूप से संविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी दस्तावेजों को पढ़े बिना किया है तथा यह कानूनी लेखापरीक्षकों तथा कंपनी कर्मचारियों के प्रश्नों/जिज्ञासाओं तथा लेखा अभिलेखों की कुछ चुनिन्दा जांच तक ही मुख्यतः सीमित है

मेरे द्वारा की गई संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया है को किसी भी प्रकार इस अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के अंतर्गत कानूनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करे या फिर संपूरक प्रदान करे।

भारत के महानियंत्रक एवं लेखापरीक्षक
के लिए या उनकी ओर से

हस्ता/-
(विनीता मिश्रा)
लेखा परीक्षा महानिदेशक (इंफ्रास्ट्रक्चर)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई 2024

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

कम्पनी सूचना

	क्र.सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन
निदेशक मंडल	1.	श्री शलभ गोयल	निदेशक	08064525
	2.	श्री अनिल कुमार श्रंगार्या	निदेशक	08507367
	3.	श्री महेंद्र कुमार	निदेशक	07093637
	4.	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक	08624052
	5.	सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक	07916304
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्री मानवेंद्र सिंह (03.11.2023 से प्रभावी)			
पंजीकृत कार्यालय	गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली - 110023 वेबसाइट: www.netraindia.in			
सीआईएन	U60300DL2020GOI367547			
होल्डिंग कंपनी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड सीआईएन: U60200DL2013GOI256716			
वैधानिक लेखा परीक्षक	मैसर्स वी.पी. बत्रा एंड कंपनी, नई दिल्ली			
बैंकर्स	बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक			

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
1.	बोर्ड की रिपोर्ट	210
2.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	219
3.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	228
4.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	250
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर	252

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारक,
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड ('एनईटीआरए' या 'कंपनी'),
नई दिल्ली

प्रिय महोदय/महोदया,

निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए कंपनी की चौथी वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है।

1. वित्तीय उपलब्धियां:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं: (रुपये लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
प्रचालनों से राजस्व	439.20	-
अन्य आय	8.76	4.41
कुल राजस्व	447.96	4.41
कुल व्यय	438.35	4.10
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**9.61**	**0.31**
वर्तमान कर	8.78	-
आस्थगित कर	0.67	0.08
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	**0.16**	**0.23**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बेसिक एवं डाइल्यूटिड)	0.16	0.23
निवल आस्ति	98.81	98.65

2. नियंत्रक, सहायक कंपनी और पूंजी संरचना:

आपकी कंपनी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (**'होल्डिंग कंपनी'**) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और संपूर्ण शेयर पूंजी, होल्डिंग कंपनी तथा उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है। आपकी कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

कंपनी की वर्तमान अधिकृत और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 1,00,00,000 (केवल एक करोड़ रुपये) रुपये है जो 100 रुपये (सौ रुपये मात्र) प्रत्येक के 1,00,000 (एक लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

3. लाभांश:

आपके निदेशकों ने, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की है।

4. सामान्य आरक्षित निधि का विनियोग:

लाभ को प्रतिधारित अर्जन के रूप में रखा गया है और समीक्षाधीन वर्ष में सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण के लिए किसी राशि की अनुशंसा नहीं की गई है।

5. कंपनी मामले, भविष्य की रूप-रेखा और गतिविधियां:

एनसीआरटीसी (नियंत्रक कंपनी) ने ऑपरेटर (अर्थात्, डीबी ऑपरेशंस आरआरटीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के साथ समझौते के दायरे में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के ओएंडएम अनुबंध के प्रबंधन के लिए आपकी कंपनी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया है। आपकी कंपनी ने ऑपरेटर के साथ प्रचालन एवं अनुरक्षण द्वारा पर्यवेक्षण और समन्वय करके विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम रखकर उपरोक्त कार्य के लिए क्षमता का निर्माण किया है। आपकी कंपनी अन्य मेट्रो से व्यवसाय प्राप्त करने के तरीके भी तलाश रही है।

6. जमा:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रविधानों के तहत कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि आमंत्रित नहीं की है, इसलिए, बैलेंस शीट की तारीख को मूलधन या जनता से जमा पर ब्याज के रूप में कोई राशि बकाया नहीं थी।

7. कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन:

क. जन-शक्ति:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) ने 21 पूर्णकालिक कार्यपालकों को प्रतिनियुक्ति आधार पर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित 7 कार्यपालकों को, अंशकालिक आधार पर तैनात किया है।

ख कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी का लक्ष्य, महिला कर्मचारियों के लिए उपयुक्त कार्यस्थल व्यवहार जाग्रत करने और महिलाओं के प्रति संवेदीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है, इसलिए, आपकी कंपनी, एनसीआरटीसी (होल्डिंग कंपनी) में यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए अपनाई जाने वाली नीति के समान नीति अपना रही है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

आपकी कंपनी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रविधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के तहत कर्मचारियों का विवरण:

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अनुसार जानकारी देने की अपेक्षा, भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कंपनी पर लागू नहीं होती है।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(पी) के तहत, बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के और अलग-अलग निदेशकों के कार्य-निष्पादन के संबंध में किए गए औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के बारे में विवरण:

सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान और प्रासंगिक नियम भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

10. लेखा परीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मैसर्स वी पी बत्रा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर रिपोर्ट दे दी है। लेखा परीक्षकों ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।

11. वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है। दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। इसलिए, सी एंड एजी की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधकवर्ग के उत्तर, यदि कोई हों, वित्तीय विवरणों के परिशिष्ट के रूप में, अलग से संलग्न किए जाएंगे।

12. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कंपनी को, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रविधानों के अनुसरण में, सीएसआर योगदान के लिए निर्दिष्ट किसी भी मानदंड को यह कंपनी पूरा नहीं करती है।

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसात्करण और अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

क. ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसात्करण, अनुसंधान और विकास पर व्यय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं, क्योंकि आपकी कंपनी के पास कोई विनिर्माण केन्द्र नहीं है।

ख. **अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (राशि भारतीय रुपये में):** वर्ष के दौरान ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया।

ग. **विदेशी मुद्रा आय और व्यय:** वर्ष के दौरान कंपनी के खाते में विदेशी मुद्रा में कोई आय या व्यय नहीं हुआ है।

14. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 के प्रविधानों के अनुसार आपका बोर्ड पुष्टि करता है कि:

(क) वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, वार्षिक वित्तीय विवरणों में किए गए अन्यथा कथन को छोड़कर, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया और ऐसे निर्णय एवं आकलन किए जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति की सही और निष्पक्ष तसवीर प्रस्तुत करने के लिए तथा उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि विवरण प्रस्तुत करने के लिए उचित और विवेकपूर्ण हैं;

(ग) निदेशकों ने, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए और जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती;

(घ) निदेशकों ने कार्यशील प्रतिष्ठान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार करना सुनिश्चित किया; तथा

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार कीं और ये प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

15. निदेशक मंडल और उसकी बैठकें:

15.1 निदेशक मंडल का विवरण (सभी निदेशक एनसीआरटीसी के नामिती हैं) निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डीआईएन	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1	श्री कुलदीप नारायण, आईएएस* (एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक, पदेन अध्यक्ष के रूप में)	03276525	अध्यक्ष	08.04.2024
2	श्री अनिल कुमार श्रंगार्या (एनसीआरटीसी के निदेशक / परियोजनाएं)	08507367	निदेशक	06.08.2020
3	श्री महेंद्र कुमार (एनसीआरटीसी के निदेशक / ईएंडआरएस)	07093637	निदेशक	06.08.2020
4	श्री नवनीत कौशिक (एनसीआरटीसी के निदेशक / प्रणाली एवं प्रचालन)	08624052	निदेशक	06.08.2020
5	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा (एनसीआरटीसी की निदेशक / वित्त एवं सीएफओ)	07916304	निदेशक	06.08.2020

*कंपनी के संगम ज्ञापन के अनुसार, एनसीआरटीसी (होल्डिंग कंपनी) के प्रबंध निदेशक, इस कंपनी के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

15.2 बोर्ड ने, श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्थान पर दिनांक 03.11.2023 से श्री मानवेन्द्र सिंह को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।

15.3 निम्नलिखित व्यक्ति को वर्ष के दौरान/पिछली वार्षिक आम सभा की तारीख से अब तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1	श्री कुलदीप नारायण, आईएएस	अध्यक्ष	08.04.2024

15.4 निम्नलिखित व्यक्ति को वर्ष के दौरान/पिछली वार्षिक आम सभा की तारीख से अब तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पद से हटने की तारीख
1	श्री विनय कुमार सिंह	अध्यक्ष	06.08.2020	27.03.2024

15.5 स्वतंत्र निदेशकगण:

आपका बोर्ड आगे पुष्टि करता है कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियमावली, 2017 दिनांक 5 जुलाई, 2017 के प्रविधानों के अनुसार, आपकी कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

15.6 बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान, आपके बोर्ड की बैठकें निम्नलिखित विवरण के अनुसार चार बार हुईं है। बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है-

12वीं	13वीं	14वीं	15वीं
13.06.2023	11.09.2023	20.12.2023	14.03.2024

15.7 बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति:

क्रम संख्या	निदेशकों के नाम	बोर्ड की बैठकें			पिछली एजीएम* में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सदस्यता की संख्या
		आयोजित	उपस्थिति की पात्रता	उपस्थिति		
1	श्री विनय कुमार सिंह, अध्यक्ष	4	4	4	हां	3
2	श्री अनिल कुमार श्रंगार्या, नामिती निदेशक	4	4	4	हां	1
3	श्री महेन्द्र कुमार, नामिती निदेशक	4	4	4	नहीं	2
4	श्री नवनीत कौशिक, नामिती निदेशक	4	4	3	हां	1
5	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा, नामिती निदेशक	4	4	4	हां	3

15.8 आम सभा की बैठकें और उपस्थिति:

बैठक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
तीसरी वार्षिक आम सभा	11.09.2023	2022-23	16.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय	नहीं

15.9 बोर्ड की समिति:

कंपनी की केवल एक समिति यानी निवेश समिति है। निवेश समिति की संरचना, बैठक और उपस्थित सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

क. **विचारार्थ विषय:** - निवेश समिति, कंपनी की निवेश नीति के प्रविधानों के अनुसार निवेश की जांच करती है और सिफारिशें करती है।

ख. **बैठकों की संख्या:**- वर्ष के दौरान, 03.05.2023 को एक निवेश समिति की बैठक आयोजित की गई, यानी 8वीं निवेश समिति

ग. निवेश समिति का संघटन एवं सदस्यों की श्रेणी तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैठक में उपस्थिति इस प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1.	श्री अनिल कुमार श्रंगार्या	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री महेन्द्र कुमार	सदस्य	1	0
3.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	सदस्य	1	1

16. जोखिम प्रबंधन:

कंपनी की कार्यशील प्रतिष्ठान स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई जोखिम तत्व मौजूद नहीं है।

17. संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन:

संबंधित पक्ष के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदा/संविदाओं या व्यवस्था/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण, इस रिपोर्ट में संलग्न **फॉर्म-एओसी-2** में किया गया है।

18. ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

कंपनी द्वारा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था और इसलिए, उक्त प्रावधान लागू नहीं है।

19. ऋण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई ऋण नहीं है।

20. महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

इस वित्तीय विवरण से संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से लेकर इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं घटित नहीं हुई।

21. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने के लिए कोई आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रविधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक प्रणालियां स्थापित की हैं।

22. कंपनी निम्नलिखित की पुष्टि करती है: -

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार किसी भी निदेशक को नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

ख. कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, स्वेट इक्विटी शेयर और ईएसओपी की सुविधा वाले कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किये हैं।

ग. वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया।

घ. निदेशक के किसी भी रिश्तेदार को लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया गया।

ङ. व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

च. वित्तीय विवरण कंपनी द्वारा, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए और ये वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

छ. कंपनी के पास कोई ऐसी राशि अप्रयुक्त नहीं पड़ी थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

ज. कंपनी द्वारा क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'आम बैठकों' से संबंधित आईसीएसआई द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों, यानी एसएस-1 और एसएस-2 का विधिवत पालन किया गया है।

झ. धारा 143 (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा संसूचित धोखाधड़ी के संबंध में स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार धोखाधड़ी की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, केवल उन रिपोर्टों को छोड़कर जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं।

ञ. इस अवधि के दौरान किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर गैर-अनुपालन, जुर्माना, आक्षेप आरोपित किए जाने की कोई घटना घटित नहीं हुई।

ट. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xi) के तहत प्रकटीकरण: वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार, वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

ठ. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xii) के तहत प्रकटीकरण: एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का कोई मामला नहीं है।

ड. लेखापरीक्षा समिति से संबंधित प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं है।

23. नियामकों द्वारा पारित बड़े और महत्वपूर्ण आदेश:

प्राधिकारियों द्वारा कोई ऐसा प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी की कार्यशील प्रतिष्ठान की स्थिति और कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करता हो।

24. वार्षिक रिटर्न:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में, कंपनी का वार्षिक रिटर्न, https://www.ncrtc.in/reports/ पर देखा जा सकता है।

25. राजभाषा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी, राजभाषा के प्रयोग संबंधी भारत सरकार के निदेशों को लागू करने के ठोस प्रयास करती आ रही है।

26. सतर्कता:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एनसीआरटीसी (होल्डिंग कंपनी) ने अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी को अंशकालिक तौर पर कंपनी में तैनात किया। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कोई सतर्कता मामला लंबित नहीं है।

27. शेयरधारकों को सूचना:

कंपनी के वित्तीय विवरण और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी के हितधारकों को उपलब्ध है। यदि किसी भी हितधारक को किसी भी समय ऐसी किसी भी जानकारी की आवश्यकता है, तो वह, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय खुलने के समय के दौरान इसका निरीक्षण कर सकता है।

28. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता:

कंपनी, उपयुक्त निगरानी प्रचालन और वैधानिक कानूनों, विनियमों तथा कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित आंतरिक नियंत्रण की एक समुचित प्रणाली की व्यवस्था रखती है।

29. लागत रिकॉर्ड का रखरखाव:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा यथा-निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड तैयार रखने की आवश्यकता कंपनी को नहीं है।

30. आभार:

निदेशक मंडल, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, होल्डिंग कंपनी अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, बैंकरों, शेयरधारकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) तथा अन्य हितधारकों द्वारा दिए जा रहे सहयोग और समर्थन के लिए उनकी आभारी है।

निदेशकगण, कंपनी प्रगति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंपनी के अंशकालिक कर्मचारियों सहित कंपनी के सभी कर्मचारियों की, उनके समर्पण भाव, प्रतिबद्धता और योगदान तथा समर्पित प्रयासों के लिए सराहना करते हैं।

31. अनुलग्नक:

विवरण	अनुलग्नक
फॉर्म एओसी-2	I
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और स्वतंत्र वित्तीय विवरण	-

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/- **नमिता मेहरोत्रा** **निदेशक** **डीआईएन:07916304**	**हस्ता/-** **अनिल कुमार श्रंगार्या** **निदेशक** **डीआईएन:08507367**

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 24.05.2024

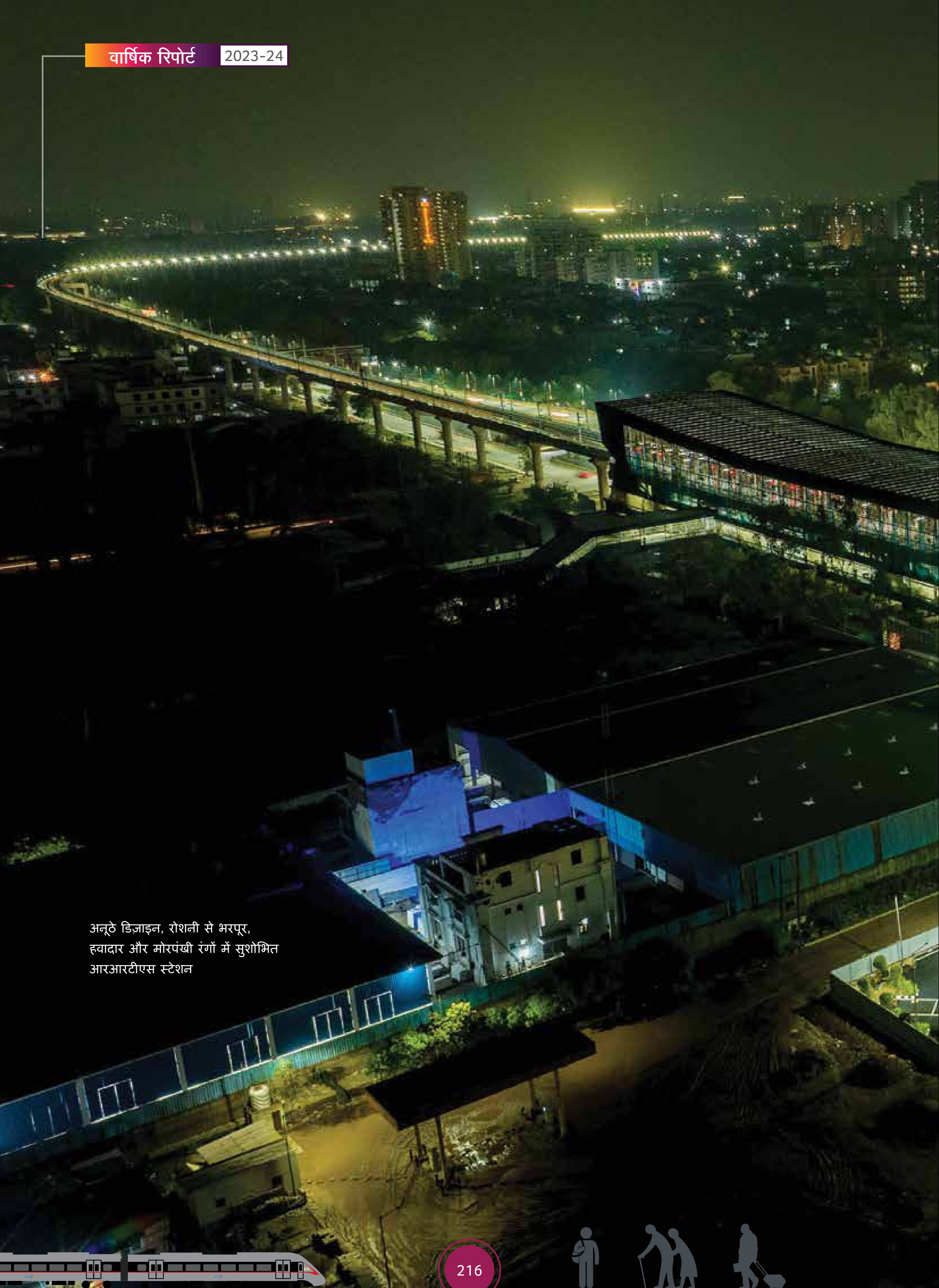

अनूठे डिज़ाइन, रोशनी से भरपूर, हवादार और मोरपंखी रंगों में सुशोभित आरआरटीएस स्टेशन

अनुलग्नक - I

फॉर्म संख्या AOC-2

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)]

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तृतीय पक्षकार के परंतुक के अंतर्गत कतिपय आर्म-लैंथ संव्यवहारों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के उप-खंड (1) में संदर्भित सम्बद्ध पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा की गई संविदाओं / व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु फार्म

1. संविदाओ अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण जो आर्म-लैंथ आधार पर नहीं है

   विचाराधीन अवधि के दौरान किसी भी सम्बद्ध पक्षकार के साथ निगम द्वारा ऐसे कोई अनुबंध अथवा व्यवस्थाएं अथवा संव्यवहार नहीं किए हैं जो आर्म-लैंथ पर आधारित न हों।

2. महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का विवरण जो 'उचित दूरी' आधार पर किए गए हैं

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	**अनुबंधों/व्यवस्थाओं/ लेन-देन की प्रकृति**	**अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेन-देन की अवधि**	**अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन की प्रमुख शर्तें और मूल्य, यदि कोई हो**	**बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन, यदि कोई हों, की तारीख**	**अग्रिम के रूप में किए गए भुगतान की राशि, यदि कोई हो (रुपये में)**
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड **(होल्डिंग कंपनी)**	परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) करार	3 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात (02.03.2023 से 01.03.2026 तक)	एनईटीआरए द्वारा निष्पादित गतिविधियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क का भुगतान एनसीआरटीसी द्वारा ओएंडएम ऑपरेटर को देय राशि के 6% की दर से किया जा रहा है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमसी शुल्क के रूप में ₹ 439.20 लाख (जीएसटी को छोड़कर) प्राप्त हुए हैं।	लागू नहीं	एनसीआरटीसी से ₹ 1.80 करोड़ का मोबिलाइजेशन एडवांस प्राप्त हुआ, जिसमें से मार्च 2024 तक ₹ 30 लाख वापस कर दिए गए हैं।
	कार्यालय स्थान पट्टे पर लेने के लिए एनसीआरटीसी के साथ पट्टा करार	01.09.2023 से 31.07.2024 तक	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यालय का किराया 1.95 लाख रुपये (करों को छोड़कर)	लागू नहीं	शून्य

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**
नमिता मेहरोत्रा	**अनिल कुमार श्रंगार्या**
निदेशक	**निदेशक**
डीआईएन:07916304	**डीआईएन:08507367**

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 24.05.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
माननीय सदस्यगण,
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
नई दिल्ली

स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने **एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें **31 मार्च 2024** की स्थिति के अनुसार बेलेंस शीट और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष की अन्य व्यापक आय सहित वर्ष का लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों के साथ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं सम्मिलित हैं।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, यथा-संशोधित कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के अनुसार यथा-अपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान करता है और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, **2015**, (भारतीय लेखांकन मानक) के साथ पठित अधिनियम की धारा **133** के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों, और भारत में सामान्यतया स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में, **31 मार्च**, **2024** को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की स्थिति, और उसी तारीख को समाप्त वर्ष की अन्य व्यापक आय सहित लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष तसवीर प्रस्तुत करता है।

मत का आधार

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार यह लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां' खंड में दिया गया है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा से संगत नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी फर्म, कंपनी से स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और हमने, इन अपेक्षाओं तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की आचार संहिता के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में, मंडल की रिपोर्ट में शामिल जानकारी सम्मिलित है, जिसमें मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इसमें स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो कि लेखा परीक्षक की उक्त रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऊपर अभिनिर्धारित अन्य सूचना के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य सूचना, स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से बहुत अधिक असंगत है अथवा अन्यथा मिथ्याकथन से युक्त प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में बहुत अधिक मिथ्याकथन किया गया है, तो हमसे अपेक्षा है कि हम उस तथ्य की रिपोर्टिंग करें। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जिनसे भारत में सामान्यतया स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकदी प्रवाह के बारे में सही एवं निष्पक्ष तसवीर प्राप्त होती है। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेख का अनुरक्षण उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव करना भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और जो ऐसे स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जिनसे एक सही और निष्पक्ष तसवीर मिलती है और जो मिथ्याकथन से मुक्त हों, चाहे ये मिथ्याकथन धोखाधड़ी से किए गए हों या गलती से।

स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन, कंपनी के एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने से जुड़े यथा-प्रयोज्य मामलों के प्रकटीकरण और लेखांकन के कार्यशील संस्था संबंधी आधार का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन का या तो कंपनी को समाप्त करने का या प्रचालन बंद करने का इरादा न हो या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस विषय पर तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, समग्र रूप से मिथ्याकथन से मुक्त हैं या नहीं, चाहे वह मिथ्याकथन धोखाधड़ी से दिया गया हो या गलती से; और अपने मत सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन का आशय उच्च स्तर के आश्वासन से है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि सांविधिक लेखापरीक्षा के अनुपालन में संचालित की गई लेखापरीक्षा में मिथ्याकथन, यदि ऐसे मिथ्याकथन का अस्तित्व हो, का पता हर हालत में लग ही जाएगा। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और मिथ्याकथन उस स्थिति में महत्वपूर्ण हो जाता है जब, अलग-अलग रूप में या समग्र रूप में, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय, इन मिथ्याकथनों से प्रभावित हो जाने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती हो।

सांविधिक लेखापरीक्षा के अनुसार की जाने वाली लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, चाहे ये मिथ्याकथन धोखाधड़ी से दिए गए हों या गलती से दिए गए हों; उन जोखिमों के निराकरण के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन और निष्पादन करना, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किए जाने वाले महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लग पाने का जोखिम, गलती के परिणामस्वरूप किए जाने वाले मिथ्याकथन से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- मौजूदा परिस्थितियों में यथोचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अभिकल्पन के लिए लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ पैदा करना। अधिनियम की धारा 143(3)(▯) के अंतर्गत, हम इस बिन्दु पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और कि क्या ऐसे नियंत्रण, प्रभावी रूप से प्रचालन में हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन की कार्यशील संस्था अवधारणा के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई बड़ी अनिश्चितता अस्तित्व में है, जिससे कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करने की कंपनी की क्षमता पर गहरा संदेह पैदा हो सकता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखापरीक्षक की अपनी रिपोर्ट में स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी मत को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी, कार्यशील संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, और यह देखना कि क्या वित्तीय विवरणों से अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व हो रहा है जिससे प्रस्तुति की निष्पक्षता प्रकट हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय-सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में कंपनी के प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें, आंतरिक नियंत्रण में मौजूद ऐसी महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं जिनकी पहचान हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

हम, कंपनी के प्रशासन के लिए उत्तरदायी लोगों को यह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों से भी अवगत कराते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ने की समुचित संभावना व्यक्त की गई हो, साथ ही, जहां लागू हो, वहां इससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी सूचित करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) की शर्तों के अनुरूप भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश ("आदेश"), 2020 की अपेक्षा के अनुसार, हमने **अनुलग्नक 'क'** में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे मतानुसार, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित बही-खातों का सही प्रकार से रखरखाव किया है, जैसा कि उन बही-खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

देश में पहली बार, एक ही बुनियादी ढांचे पर दौड़ेंगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा जांचे गए तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण बही-खातों से मेल खाता है।

(घ) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक का अनुपालन करते हैं।

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी परिचालन के संबंध में, **"अनुलग्नक ख"** में हमारी पृथक् रिपोर्ट देखें।

(छ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हम यह सूचित करते हैं कि:

(क) कंपनी के वित्तीय विवरणों में कोई मुकदमा लंबित नहीं है।

(ख) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित ऐसा कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके कारण कोई वास्तविक, पूर्वानुमान-योग्य हानि हुई हो।

(ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा किए जाने की आवश्यकता हो।

(घ)(i) हमारे द्वारा की गई जांच जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, के आधार पर, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अपनी लेखा-बहियां तैयार करने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडीट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इस सुविधा का उपयोग, सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए गए समस्त संगत लेन-देन के लिए पूरे वर्ष के दौरान किया जाता रहा है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे सामने ऐसा कोई दृष्टांत उपस्थित नहीं हुआ जिसमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ कोई छेड़-छाड़ की गई हो।

(ii) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, किसी भी प्रकार की निधि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से) को (जो अलग-अलग या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो), कंपनी द्वारा, लिखित रूप में दर्ज या अन्यथा बनी इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी संस्था को या में, अग्रिम या उधार या निवेश के रूप में, प्रदान नहीं किया गया है, कि मध्यस्थ, कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से अभिनिर्धारित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा;

(iii) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, किसी भी प्रकार की निधि (जो अलग-अलग या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो), कंपनी द्वारा, लिखित रूप में दर्ज या अन्यथा बनी इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या विदेशी संस्था ("वित्तपोषक पक्ष") सहित किसी संस्था से, प्राप्त नहीं की गई है, कि वित्तपोषक पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से अभिनिर्धारित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा;

(iv) मौजूदा परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जो कि ऊपर (i) और (ii) में प्रदान किए गए हैं, में कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन शामिल है।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया गया है।

(i) भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी, दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षाओं के अनुसार और भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्रम संख्या	निदेश	लेखापरीक्षक के उत्तर
(i)	क्या कंपनी में ऐसा तंत्र लागू किया गया है कि समस्त लेखांकन प्रविष्टियों का प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से हो? यदि हां, तो यह बताएं कि लेखांकन प्रविष्टियों का प्रक्रमण, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से बाहर कराने का कैसा प्रभाव लेखाओं की संपूर्णता पर पड़ेगा? साथ ही साथ, इसके वित्तीय प्रभाव, यदि हों, तो बताएं।	कंपनी में, लेखांकन से संबंधित समस्त लेनदेन को एसएपी एस4 हाना नामक सूचना-प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित कराने की प्रणाली विद्यमान है। यह प्रणाली हमारी नियंत्रक कंपनी (मैसर्स एनसीआरटीसी) के स्वामित्व एवं प्रबंधन में है। समस्त लेखांकन लेनदेन का लेखाजोखा आईटी प्रणाली के माध्यम से रखा जाता है और लेखाओं की संपूर्णता पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।
(ii)	ऋण लौटा पाने में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा ऋणों/लेनदारियों/ब्याज आदि की अदायगी से छूट देने/बट्टे खाते में डालने के अनुरोध के कोई मामले या विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना का कोई मामला क्या सामने आया है? यदि हां, इसके वित्तीय प्रभाव के बारे में बताएं। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब रखा गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)	लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का उचित लेखा-जोखा/उपयोग, इन निधियों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं है।

कृते **वी पी बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/-
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 507807

यूडीआईएन: 24507807BKESTP9866
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र भारतीय मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की इसी तारीख की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के औचित्य पर विचार करते हुए, हमें यह सूचित करना है कि: -

(क) क. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख. वर्तमान में, कंपनी के पास कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है।

(ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा **भौतिक रूप से** सत्यापन किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई बड़ी विसंगतियां नहीं पाई गई।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(घ) हमें दी गई जानकारी के अनुसार बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) वर्तमान में, कंपनी के पास कोई वस्तु-सूची नहीं है, अतः खंड (ii) (क) की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(ख) वर्ष में किसी भी नियत समय के दौरान कंपनी को, बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से, कुल मिलाकर, 5 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी सीमाओं से अधिक की राशि संस्वीकृत नहीं की गई है।

(iii) कंपनी ने, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई भी रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3 (iii) (क), (ख), (ग), (घ(, (ड.) और (च) की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(iv) हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 में संदर्भित कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति नहीं हैं।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से ऐसी कोई जमा धनराशि स्वीकार नहीं की है, जिसे जनता से प्राप्त जमा समझा जाता हो। इसलिए, आदेश के खंड 3 (v) के अंतर्गत सूचना देना अपेक्षित नहीं है।

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखा जाना निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) (क) जांचे गए अभिलेखों और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी सामान्यतया, उसकी ओर से देय वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उप कर तथा किन्हीं अन्य सांविधिक देयों सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को वर्ष के दौरान समुचित प्राधिकारियों के पास नियमित तौर पर जमा करती है और 31 मार्च, 2024 को, उपर्युक्त देयों के खाते में कोई भी निर्विवाद देय राशि, देय होने की तारीख के बाद छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर दिए गए उप खंड (क) के संबंध में ऐसे कोई वैधानिक देय नहीं हैं, जो जमा न कराए गए हों।

(viii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में कोई भी ऐसा लेन-देन नहीं है, जिसे बही खातों में दर्ज न किया गया हो या सरेंडर किया गया हो या वर्ष के दौरान आय के रूप में प्रकट किया गया हो।

(ix) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है और इस कारण ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को उक्त पर ब्याज के भुगतान में चूक का कोई प्रश्न नहीं उठता है। परिणामस्वरूप, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड ix(ख), (ग),(घ), (ड.) और (च) की अपेक्षा लागू नहीं होती है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण लिखत सहित) और मियादी ऋण के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) जारी नहीं किए हैं।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के प्रति या कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित

एडीटी- 4 के रूप में लेखा परीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।

(ग) वर्ष के दौरान, कंपनी को 'व्हिसिल ब्लोअर' से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेख की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, कंपनी अधिनियम, 2013 की यथा-प्रयोज्य धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, और प्रयोज्य लेखांकन मानकों की अपेक्षा के अनुसार, स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों आदि में इसके विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।

(xiv) कंपनी को, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 में प्रदत्त मापदंड को पूरा नहीं करती है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेख की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और कोर निवेश कंपनी नहीं है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 को 2) की धारा 45-IA के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड xvi (क), (ख), (ग), (घ) की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xvii) कंपनी को, इस वित्तीय वर्ष में और इससे ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद नुकसान नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xiv) वित्तीय अनुपात, पुराने पड़ जाने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों से संलग्न अन्य जानकारी के आधार पर, और निदेशक मंडल तथा प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर, हमारी यह राय है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को ऐसी कोई उल्लेखनीय अनिश्चितता मौजूद नहीं है और कि कंपनी, बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा देनदारियों को, जब ऐसी देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं तो, पूरा करने में सक्षम है।

(xx) कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि यह कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में दिए गए मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

(xxi) यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि कंपनी की रिपोर्टों के किसी समेकन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कंपनी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

कृते **वी पी बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/-
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 507807

यूडीआईएन: 24507807BKESTP9866
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2024

कंपनी के स्वतंत्र भारतीय मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की इसी तारीख की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, **एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में मार्गदर्शक टिप्पणी' में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में स्थापित मानकों पर आधारित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उनका अनुपालन करने का दायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना और उनका अनुपालन करते रहना शामिल है जिनका प्रयोग कंपनी के व्यवसाय का व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रभावी रूप से अमल में लाया जा रहा था, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा-अपेक्षा कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, उसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों से बचना और उनका पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करना तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय से तैयार करना सम्मिलित है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावशीलता के बारे में अपना मत व्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी मार्गदर्शक टिप्पणी' (''मार्गदर्शक टिप्पणी'') और लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है, जोकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर यथा-स्थिति प्रयोज्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे गए हैं, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी भी लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं, और दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणियों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आचरण संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने और इस बारे में यथोचित रूप से आश्वस्त होने के लिए योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें जिससे पता चल सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुपालन किया गया है या नहीं और कि क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, किसी गंभीर कमजोरी की मौजूदगी के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरणों के गंभीर मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट से किए गए हों या गलती से हो गए हों, के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे, इस कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली के बारे में हमारे लेखापरीक्षा मत का आधार बनने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजन के लिए स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के बारे में यथोचित आश्वासन प्रदान किया जाता है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और पद्धतियां शामिल होती हैं, जो (1) ऐसे अभिलेख तैयार किए जाने के बारे में होती हैं, जो उस कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और प्रवृत्ति की परिशुद्ध और निष्पक्ष तस्वीर यथोचित विवरण के साथ प्रस्तुत करते हैं; (2) इस आशय का यथोचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन विवरण, यथावश्यक तरीके से इस प्रकार तैयार किया गया है, जिससे स्वतंत्र लेखांकन मानक वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जा सके हैं, और कि कंपनी में प्राप्ति और व्यय, कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों को दिए गए प्राधिकार के अनुसरण में ही किया जा रहा है; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान, जिनका गंभीर प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ सकता था, से बचाव या इनका समय से पता लग जाने का यथोचित आश्वासन प्रदान करते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्भूत सीमाओं, जिसमें सांठ-गांठ अथवा कुप्रबंधन, नियंत्रणों की अनदेखी शामिल है, के कारण गलती या धोखाधड़ी से किए जाने वाले वस्तुगत मिथ्या कथन होने और इनका पता भी न चल पाने की स्थिति बन सकती है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक

वित्तीय नियंत्रणों का आकलन भावी अवधियों पर आरोपित किए जाने में जोखिम यह हो सकता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, परिस्थितियों में बदलाव के कारण या फिर नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ जाने से अपर्याप्त सिद्ध हो सकते हैं।

राय

हमारे मतानुसार कंपनी में, हर महत्वपूर्ण मामले में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए इस प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, 31 मार्च, 2024 तक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के मूलभूत तत्वों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मानदंडों की स्थापना के आधार पर प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

कृते **वी पी बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/-
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 507807

यूडीआईएन: 24507807BKESTP9866
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2024

160 किमी प्रति घंटे से चलने वाली सेमी हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा | सुलभ होगा एनसीआर के लोगों का आवागमन

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड** के स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप-निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते **वी पी बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/-
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 507807

यूडीआईएन: 24507807BKESTP9866
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई, 2024

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च, 2024 का तुलन-पत्र

(रुपये लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
I	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	3	0.40	-
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	0.19	0.86
	(ग) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	-	-	
			0.59	**0.86**
2	**चाल परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	5		
	(i) नकद एवं नकद समकक्ष	5.1	17.14	71.61
	(ii) ऊपर (i) को छोडकर बैंक शेष	5.2	150.20	25.50
	(iii) व्यापार प्राप्य	5.3	44.31	-
	(iv) अन्य	5.4	39.91	0.77
	(ख) चाल कर परिसंपत्तियां (निवल)	6	50.40	0.08
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	7	0.38	0.36
			302.34	**98.32**
	कुल परिसंपत्तियां		**302.93**	**99.18**
II.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पंजी	8	100.00	100.00
	(ख) अन्य इक्विटी	9	(1.19)	(1.35)
			98.81	**98.65**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर-चाल देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं	10	150.00	-
	(ख) प्रावधान		-	-
			150.00	-
(ii)	**चाल देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) व्यापार देय	11	-	-
	क) लघ एवं मध्यम उद्यमों का कल बकाया देय		-	-
	ख) लघ एवं मध्यम उद्यमों से इतर लेनदारों का कल बकाया देय		26.43	-
	(ii) अन्य	12	0.56	0.53
	(ख) अन्य चाल देयताएं	13	27.13	-
	(ग) अल्पावधि प्रावधान		-	-
			54.12	0.53
	कुल इक्विटी और देयताएं		302.93	99.18

सामान्य सूचना 1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2
टिप्पणियां जो वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं 3 to 32

कृते **वी पी बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095एन

हस्ता/-
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या – 507807

यूडीआईएन: 24507807बीकेईएसटीपी9866
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2024

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
अनिल कुमार श्रंगार्या
निदेशक
डीआईएन: 08507367

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि विवरण

(रुपये लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	प्रचालनों से राजस्व	14	439.20	-
II	अन्य आय	15	8.76	4.41
III	**कुल राजस्व (I + II)**		**447.96**	**4.41**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	16	375.83	-
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	17	0.08	-
	अन्य व्यय	18	62.44	4.10
IV	**कुल व्यय (IV)**		**438.35**	**4.10**
V	**आपवादिक मदों एवं कर से पूर्व लाभ (III - IV)**		**9.61**	**0.31**
VI	आपवादिक मदें		-	-
VII	**आपवादिक मदों एवं कर से पूर्व लाभ (V - VI)**		**9.61**	**0.31**
VIII	कर व्यय	6		
	(1) वर्तमान कर		8.78	-
	(2) पूर्व वर्ष कर		-	-
	(3) आस्थगित कर		0.67	0.08
IX	**चालू प्रचालनों से इस अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**0.16**	**0.23**
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
XI	बंद प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (X - XI)		-	-
XIII	**इस अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**0.16**	**0.23**
XIV	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**			
	(1) बेसिक (रुपए में) (अंकित मूल्य 100 भारतीय रुपए)	19	0.16	0.23
	(2) डायल्यूटिड (रुपए में) (अंकित मूल्य 100 भारतीय रुपए)		0.16	0.23

टिप्पणियां, इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते **वी पी बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095एन

हस्ता/-
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या – 507807

यूडीआईएन: 24507807बीकेईएसटीपी9866
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2024

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
अनिल कुमार श्रंगार्या
निदेशक
डीआईएन: 08507367

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
आपवादिक मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि)		**9.61**	**0.31**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-			
मूल्यह्रास		0.08	-
ब्याज से आय		(8.76)	(4.40)
प्रचालन पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**(0.93)**	**(4.09)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-			
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(0.02)	18.25
अन्य वित्तीय देयता में (कमी)/वृद्धि		0.03	0.38
अन्य चालू देयता में (कमी)/वृद्धि		27.13	(0.10)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तयों में कमी/(वृद्धि)		(39.14)	-
व्यापार प्राप्य में कमी/(वृद्धि)		(44.31)	-
व्यापार देय में कमी/(वृद्धि)		26.43	-
वित्तीय देयता में कमी/(वृद्धि)		150.00	
	(2)	120.12	18.53
प्रचालन से प्राप्त नकद	**(1+2)**	**121.05**	**14.44**
भुगतान किया गया आय कर (रीफंड को छोड़कर)		(59.10)	1.69
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त कुल नकद		**61.95**	**16.13**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		(0.48)	-
ब्याज से आय		8.76	3.63
अन्य बैंक जमा शेषों में कमी/(वृद्धि)		(124.70)	45.50
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(116.42)**	**49.13**
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयरों को जारी करने से हुई आय		-	-
वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त निवल नकद		-	-
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		(54.47)	65.26
प्रारंभिक नकद और नकद समतुल्य		71.61	6.35
अंतिम नकद और नकद समतुल्य		**17.14**	**71.61**
अंतिम नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है			
बैंक में जमा शेष:		0.87	3.61
3 महीने या उससे कम परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा		16.27	68.00
तुलन-पत्र के अनुसार नकद और नकद समतुल्य		**17.14**	**71.61**

टिप्पणियां: -

1. नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरण संबंधी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक-7 में यथा-निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

कृते **वी पी बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095एन

हस्ता/-
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या – 507807

यूडीआईएन: 24507807बीकेईएसटीपी9866
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2024

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
अनिल कुमार श्रंगार्या
निदेशक
डीआईएन: 08507367

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2024 को (रुपये लाख में)

विवरण	01 अप्रैल, 2023 के अनुसार शेष	पूर्व अवधि मदों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुन:कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	1	-	-	-	1
राशि	100	-	-	-	100

2. 31 मार्च, 2023 को (□ लाख में)

विवरण	01 अप्रैल, 2022 के अनुसार शेष	पूर्व अवधि मदों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुन:कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	1	-	-	-	1
राशि	100	-	-	-	100

ख. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2024 को (□ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष			कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	आस्थगित आय	प्रतिधारित अर्जन	
01 अप्रैल, 2023 के अनुसार शेष	-	-	(1.35)	(1.35)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2023 को पुनरांकित शेष	-	-	(1.35)	(1.35)
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	-		0.16	0.16
वर्ष की अन्य व्यापक आय (आय कर से निवल)	-		-	-
वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	(1.19)	(1.19)
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि		-	-	-
लाभांश का भुगतान		-	-	-
31 मार्च, 2024 को शेष	-	-	(1.19)	(1.19)

2. 31 मार्च, 2023 को

(रुपये लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष			कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	आस्थगित आय	प्रतिधारित अर्जन	
01 अप्रैल, 2022 के अनुसार शेष	-	-	**(1.58)**	**(1.58)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2022 को पुनरांकित शेष	-	**-**	**(1.58)**	**(1.58)**
वर्ष के दौरान लाभ/हानि	-		0.23	0.23
वर्ष की अन्य व्यापक आय (आय कर से निवल)	-		-	-
वर्ष की कुल व्यापक आय	-	**-**	**(1.35)**	**(1.35)**
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि		-	-	-
लाभांश का भुगतान		-	-	-
31 मार्च, 2023 को शेष	**-**	**-**	**(1.35)**	**(1.35)**

कृते **वी पी बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095एन

हस्ता/-
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या – 507807

यूडीआईएन: 24507807बीकेईएसटीपी9866
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2024

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
अनिल कुमार श्रंगार्या
निदेशक
डीआईएन: 08507367

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

टिप्पणियां जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं

1. सामान्य जानकारी

एनसीईआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड [▯60300▯▯2020▯▯▯367547] भारत में अधिवासित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और इसका निगमीकरण 6 अगस्त 2020 को ट्रांजिट प्रणाली तथा उप-प्रणालियों के किसी भी या सभी या किसी भी संयोजन के नियोजन, अभिकल्पन, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और अनुरक्षण के उद्देश्य से किया गया था।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 पर स्थित है।

कंपनी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एक अलग स्वतंत्र विधिक इकाई है जिस पर मूल कंपनी का 100% स्वामित्व और नियंत्रण है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.1 तैयार करने का आधार- अनुपालन का विवरण

कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरण, लेखांकन के उपार्जन आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य लागू प्रावधानों एवं आमतौर पर भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अंतर्गत, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा-संशोधित) के तहत यथा-अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणियां/घोषणाएं, जहां कहीं भी लागू की जानी उपयुक्त समझी गई, कंपनी द्वारा निरंतर अपनाई गई। कंपनी ने प्रस्तुत अवधि के दौरान समान रूप से लेखांकन नीतियों को लागू किया है।

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 24 मई, 2024 को आयोजित बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है।

2.2 मापन का आधार

स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं तथा परिभाषित हितलाभ योजना एवं अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों, जिनका मापन प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानकों की अपेक्षा के अनुसार उचित मूल्य पर किया गया है, को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत और उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं।

2.3 आकलनों और विवेक का उपयोग

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे विनिर्णय, आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग को और वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण के साथ-साथ संसूचित आय और व्यय की राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। भविष्य के परिणाम इन आकलनों में परिवर्तन के कारण भिन्न हो सकते हैं तथा वास्तविक परिणाम एवं आकलनों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं/वास्तव में घटित होते हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूचना, लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णय, जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, नीचे दिए जा रहे हैं:

- **प्रावधान :** प्रावधानों का निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख पर दायित्व के निपटान के आकलन के आधार पर किया जाता है।
- **आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियां** : आकस्मिक देयताओं/परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण प्रबंधन के निर्णय के आधार पर किया जाता है, जिनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर की जाती है और प्रबंधन के तत्कालीन आकलन को प्रदर्शित करने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।
- **आस्थगित कर परिसंपत्तियों का मान्यकरण :** आस्थगित कर परिसंपत्ति को भावी कर योग्य आय की संभाव्यता के आकलन के आधार पर मान्य किया जाता है, जिसके सापेक्ष आस्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।

2.4 समस्त वित्तीय सूचना भारतीय रुपये में प्रस्तुत की गई है और सभी मूल्यों को, अन्यथा वर्णित किए जाने की स्थिति को छोड़कर, निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है।

2.5 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह की सूचना, अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके दी गई है, ऐसा करने से गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगनों या उपार्जनों के प्रभावों के लिए कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जा सकता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्त-पोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह को, उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समतुल्यों में हाथ में रोकड़, बैंकों में रोकड़ शेष और बैंकों के पास मांग जमा, बकाया शुद्ध बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं जो मांग पर चुकाने योग्य हैं और जिन्हें कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है।

2.6 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन, प्राथमिक आर्थिक परिवेश की उस मुद्रा का उपयोग करके किया जाता है जिसमें कंपनी संचालित होती है। स्वतंत्र भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा दोनों है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मापन, लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है। परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल होते हैं:

i. परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य लागत जिसमें परिसंपत्ति को कार्यस्थल पर लाने और इच्छित तरीके से उसका संचालन किए जाने हेतु उसे सक्षम करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने की लागत शामिल है।

ii. यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं तो वस्तुओं को हटाने और जिस स्थान पर ये वस्तुएं स्थित हैं उस स्थान को पूर्व-स्थिति में बहाल करने की अनुमानित लागतों का वर्तमान मूल्य।

(ख) यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं तो प्रतिस्थापन, बड़े निरीक्षण, महत्वपूर्ण कल-पुर्जों की मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद को निपटान पर या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की उम्मीद नहीं होती है, तब उसे मान्य करना बंद कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद का निपटान करने या सेवा से हटाने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को उस परिसंपत्ति की बिक्री आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ या हानि के विवरण में उसे मान्य किया जाता है।

मूल्यह्रास

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल के दौरान सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) पर प्रदान किया जाता है।

(ख) 5,000/- ₹ या उससे कम राशि में अधिग्रहीत अलग-अलग परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उन परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए खरीद के वर्ष में 100% मूल्यह्रासित किया जाता है और पहचान के उद्देश्य के लिए ₹1 टोकन मूल्य के रूप में रखा जाता है।

(ग) मोबाइल फोन खरीद के वर्ष में चार्ज ऑफ कर दिए जाते हैं।

(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास उस स्थिति में अलग से किया जाता है, जब उस भाग की लागत वस्तु की कुल लागत की तुलना में काफी अधिक हो और उस भाग का उपयोगी कार्यकाल, शेष परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल से भिन्न हो।

संपत्ति संयंत्र और उपकरण की महत्वपूर्ण वस्तुओं की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी कार्यकाल इस प्रकार है:

परिसंपत्ति	उपयोगी कार्यकाल
कार्यालय उपकरण	5

(ङ) मूल्यह्रास विधियाँ, उपयोगी कार्यकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

2.8 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता संबंधी भारतीय लेखांकन मानक-36 के अनुसार, कंपनी की परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा, प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्षतिग्रस्तता का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान, उचित मूल्य में से बिक्री लागत को घटाकर प्राप्त होने वाले मूल्य और उपयोग के समय के मूल्य में से जो अधिक हो, उसके रूप में लगाया जाता है। जब भी किसी परिसंपत्ति या उसकी नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो क्षतिग्रस्तता को लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन हुआ है और ऐसी हानियाँ या तो अब मौजूद न रह गई हों या कम हो गई हों, तो पिछली लेखा अवधि में मान्य की गई हानि को उलट दिया जाता है। क्षतिग्रस्तता हानि के इस उलटाव को लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

2.9 राजस्व मान्यता

क) ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

(i) ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण किसी ऐसे मूल्य पर ग्राहक को हस्तांतरित कर दिया गया हो, जो प्रतिफल के रूप में हो और जिसका अधिकार कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले प्राप्त होने की अपेक्षा हो।

(ii) सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व को उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। राजस्व को या तो कुछ समय में या एक निश्चित समय पर पूरे किए जाने वाले दायित्व के आधार पर मान्य किया जाता है।

यदि कुछ समय के दौरान कार्य निष्पादन दायित्व को पूरा किया जाता है तो, राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रदान की जाने वाली वास्तविक सेवा के आधार पर प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के अनुपात के रूप में मान्यता दी जाती है। यह मान्यता भौतिक प्रगति, प्रयासों, लेन-देन की कुल अनुमानित लागत की तुलना में अद्यतन तारीख तक खर्च की गई लागत, लगाए गए समय, प्रदत्त सेवा या किसी अन्य विधि जिसे प्रबंधन उचित मानता है, के आधार पर निर्धारित की जाती है।

अन्य मामलों में जहां निष्पादन दायित्व, किसी समयावधि में पूरा नहीं किया जाता है, राजस्व को एक निश्चित समय पर मान्य किया जाता है।

अनुबंधों के मामले में, जहां ग्राहक भुगतान अनुसूची के आधार पर निश्चित राशि का भुगतान करता है, यदि कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भुगतान से अधिक हो जाती हैं, तो अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है। भुगतान यदि प्रदान की गई सेवाओं से अधिक होता है, तो अनुबंध दायित्व को मान्य किया जाता है।

मोबिलाइज़ेशन शुल्क को ग्राहक अग्रिम के रूप में तब तक मान्यता दी जाती है जब तक कि उसे अनुबंध/कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार गतिविधियों/लेनदेनों के पूरा होने के चरण के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दे दी जाती है।

प्रतिपूर्ति योग्य राशि और आपूर्ति का लेखा-जोखा उपार्जन के आधार पर किया जाता है।

निर्माण प्रबंधन/पर्यवेक्षण अनुबंधों में, राजस्व को प्रबंधन द्वारा, ग्राहक की स्वीकृति, यदि कोई हो, मिल जाने तक, निर्धारित किए गए प्रत्येक अनुबंध के किए गए कार्य/निर्मित लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में मान्य किया जाता है।

(ख) अन्य राजस्व मान्यकरण

i. ब्याज आय को, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ii. लाभांश को तब मान्य किया जाएगा जब कंपनी द्वारा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए, आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होने वाला हो और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

2.10 नियोजन हितलाभ

बाह्य सेवा अंशदान की मद में प्रावधान/देयता की व्यवस्था, प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के लिए मूल संगठन के नियमों एवं शर्तों के आधार पर की जाती है और इसका या तो भुगतान कर दिया जाता है या फिर उपार्जन आधार पर लेखा बहियों में इसकी प्रविष्टि की जाती है।

2.11 आय कर

(क) वर्तमान आयकर

आय पर कर का निर्धारण, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार परिगणित कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर किया जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और वर्तमान कर देयताएं तब बराबर हो जाती हैं जब मान्य की गई राशियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो और शुद्ध आधार पर परिसंपत्ति एवं देयता का निपटान करने का इरादा हो।

ख) आस्थगित कर

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक- 12) "आय कर" के अनुसार -

i. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उन अस्थायी अंतरों के लिए किया जाता है जिनकी गणना कर दरों के आधार पर और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है।

ii. आस्थगित आयकर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्य किया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना बनती हो कि ऐसा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके बदले में कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट एवं अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं तब ऑफसेट हो जाती हैं जब वर्तमान कर का निरूपण करने वाली देयताओं के लिए परिसंपत्तियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जहां आस्थगित कर परिसंपत्तियां एवं आस्थगित कर देयताएं, आय पर समान नियामक कराधान कानूनों द्वारा लगाए गए करों से संबंधित होती हैं।

iv. आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन, उन कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके किया जाता है जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियमित कर दिया गया हो या काफी हद तक अधिनियमित कर दिया गया हो। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर, समूह द्वारा, गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्ति, यदि कोई हो, का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

v. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और उसे उस सीमा तक घटा दिया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना न रह जाए कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों का उपयोग करने की गुंजाइश के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

2.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) उन देयताओं के संबंध में प्रावधान मान्य किया जाता है जिन्हें केवल पर्याप्त सीमा तक आकलनों का उपयोग करके मापा जा सकता हो, जब:

i. पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कंपनी की देयता बनती हो।

ii. दायित्वों के निपटान के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्गमन की आवश्यकता हो; तथा

iii. दायित्व की राशि का विश्वसनीय तौर पर अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों में छूट

जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव काफी अधिक हो, वहां प्रावधान की राशि, दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य के बराबर होगी।

ख) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, निम्नलिखित में से किसी भी मामले में किया जाता है:

i. पूर्व घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब यह संभावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी; या

ii. वर्तमान दायित्व का विश्वसनीय आकलन न किया जा सकता हो; या

iii. संभावित दायित्व बनता हो, जब तक कि संसाधन के बहिर्गमन की संभावना क्षीण न हो।

आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियों के लिए आवश्यक आकस्मिक दायित्व एवं प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ की आमद संभावित होती है।

2.13 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों पर संगत अवधि के लिए आरोप्य शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डाइल्यूटिड आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों पर संगत अवधि के लिए आरोप्य शुद्ध लाभ या हानि और संगत अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन, समस्त डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए किया जाता है।

2.14 उचित मूल्य मापन

i. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कुछ वित्तीय लिखतों का मापन, उचित मूल्य पर करती है।

ii. उचित मूल्य वह मूल्य है जो, किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त किया जाएगा या मापन तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच किसी व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य मापन इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयता को हस्तांतरित करने के लिए लेनदेन या तो:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में होगा, या
- किसी मुख्य बाजार के अभाव में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में होगा।

मुख्य या सर्वाधिक लाभप्रद बाजार, कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन, बाजार प्रतिभागियों द्वारा परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय संभावित रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले पूर्वानुमानों का प्रयोग करके किया जाता है, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी, अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित के अनुरूप कार्य करेंगे।

कंपनी, ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो संगत परिस्थितियों में उपयुक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध होता है, और ऐसा करते समय प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग तथा अवलोकन के अयोग्य इनपुट का कम से कम उपयोग किया जाता है।

2.15 वित्तीय लिखतें :-

(i) प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब कंपनी, किसी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन आरंभ में उचित मूल्य पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) के

अधिग्रहण या निर्गम के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी लेनदेन लागतों को, वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गये उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

(ii) परवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क. परिशोधित लागत पर

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित की जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखने का होता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों से ऐसे नकदी प्रवाह का सृजन विनिर्दिष्ट तिथियों पर होता हो, जो पूरी तरह से मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हो।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित की जाती हैं जिसके उद्देश्य की पूर्ति, संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री - दोनों से होती हो और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों से ऐसे नकदी प्रवाह का सृजन विनिर्दिष्ट तिथियों पर होता हो, जो पूरी तरह से मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हो।

मेट्रो स्टेशनों के लिए सिविल कार्य तेजी से जारी, स्टेशन लेने लगे आकार

ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है जब तक कि इसे परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता पर न मापा गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य लेनदेन लागतों को लाभ या हानि में तुरंत मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को निम्नलिखित विधि से वर्गीकृत किया जाता है:

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य देयों, प्रतिभूति जमाओं और प्रतिधारण राशि आदि द्वारा दर्शाई गई परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं का मापन शुरू में उचित मूल्य पर किया जाता है, और बाद में, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

ख. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

कंपनी ने लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर कोई वित्तीय देयता निर्दिष्ट नहीं की है।

(iii) **अमान्यकरण**

वित्तीय परिसंपत्ति

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति के एक हिस्से या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह का भाग) को केवल तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाएं या कंपनी, वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित कर दे और काफी हद तक सभी जोखिम और संपत्ति के स्वामित्व के लाभ भी हस्तांतरित कर दे।

वित्तीय देयता

किसी वित्तीय देयता को तब अमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन हो जाए या वह रद्द या समाप्त हो जाए। जब किसी मौजूदा वित्तीय देयता का प्रतिस्थापन, उसी ऋणदाता से दूसरी देयता द्वारा, काफी हद तक भिन्न शर्तों पर कर दिया जाए, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित कर दिया जाए, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण के रूप में तथा एक नई देयता के मान्यकरण के रूप में मान्य किया जाता है; और संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

2.16 तुलन-पत्र की तिथि के बाद घटित होने वाली घटनाएं

तुलन-पत्र की तिथि के बाद घटित होने वाली घटनाओं को भारतीय लेखांकन मानक 10 (तुलन-पत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताओं और घटनाओं) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने में मान्य जाता है।

2.17 नकदी एवं नकदी समतुल्य

तुलन-पत्र में नकदी और नकदी समतुल्य के अंतर्गत बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमाएं शामिल हैं, जो आसानी से नकदी की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

2.18 उन लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो वर्तमान में कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। जब ऐसी लेखांकन नीतियां प्रासंगिक हो जाएंगी, तो उनका प्रकटीकरण किया जाएगा।

टिप्पणी 3: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (रुपये लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहन मूल्य
	01 अप्रैल, 2023 के अनुसार	बढ़ोत्तरी	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 के अनुसार	बढ़ोत्तरी	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	
कार्यालय उपकरण	-	0.48	-	0.48	-	0.08	-	0.08	0.40
जोड़	**-**	**0.48**	**-**	**0.48**	**-**	**0.08**	**-**	**0.08**	**0.40**

टिप्पणी 4: आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
क. आस्थगित कर देयताएं	-	-
	-	-
ख. आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रारंभिक व्यय	0.18	0.36
अप्रयुक्त कर हानियां	-	0.50
मूल्यह्रास	0.01	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का जोड़	**0.19**	**0.86**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं) निवल	**0.19**	**0.86**

4.1 आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) में उतार-चढ़ाव (रुपये लाख में)

विवरण	अप्रयुक्त कर हानियां	प्रारंभिक व्यय	मूल्यह्रास	जोड़
01 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	**0.40**	**0.89**		**1.29**
2021-22 के दौरान (प्रभारित)/जमा				
लाभ और हानि के लिए	-	0.35		0.35
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-		-
31 मार्च, 2022 को अंतिम शेष	**0.40**	**0.54**		**0.94**
लाभ और हानि के लिए	(0.10)	0.18		0.08
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-		-
31 मार्च, 2023 को अंतिम शेष	**0.50**	**0.36**		**0.86**
लाभ और हानि के लिए	0.50	0.18	(0.01)	0.67
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-		-
31 मार्च, 2024 को अंतिम शेष	**-**	**0.18**	**(0.01)**	**0.19**

4.2 आय कर व्यय (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्तमान आय कर:		
वर्तमान आय कर प्रभार	8.78	-
पूर्व वर्ष कर	-	-
आस्थगित कर:		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	0.67	0.08
जोड़	**9.45**	**0.08**

सीसीटीवी से 24x7 निगरानी | सार्वजनिक परिवहन का एक सुरक्षित और विश्वसनीय साधन आरआरटीएस

4.3 कर व्यय और लेखाकरण लाभ के बीच समाधान: (रुपये लाख में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 को**	**31 मार्च, 2023 को**
जारी प्रचालनों से कर पूर्व लेखांकन लाभ/(हानि)	9.61	0.31
आय कर पूर्व लेखांकन लाभ	**9.61**	**0.31**
भारत की 25.17% की वैधानिक आय कर दर पर,		
उन धनराशियों पर कर प्रभाव जो करयोग्य आय की गणना करते समय कटौतीयोग्य (करयोग्य) नहीं हैं	8.78	0.08
जोड़ें: पिछले वर्ष के संबंध में आरंभिक व्यय के लिए समायोजन	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में संसूचित आयकर व्यय (जारी प्रचालनों से संबंधित)	8.78	8.78

प्रभावी आय कर दर पर **91.34 प्रतिशत** **25.17 प्रतिशत**

टिप्पणी 5: वित्तीय परिसंपत्तियां-चालू

टिप्पणी 5.1: नकद और नकद समतुल्य (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
हाथ में नकदी	-	-
हस्तगत चैक/ड्राफ्ट	-	-
बैंकों में जमा शेष: – चालू खाते में	0.37	3.61
अधिग्रहण की तारीख से 3 महीने या उससे कम परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	16.27	68.00
स्टाफ इम्प्रेस्ट	0.50	-
जोड़	**17.14**	**71.61**

टिप्पणी 5.2 नकद और नकद समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
3 महीने से अधिक परन्तु 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	150.20	25.50
जोड़	**150.20**	**25.50**

टिप्पणी 5.3: व्यापार प्राप्य (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
व्यापार प्राप्य	44.31	-
जोड़	**44.31**	**-**

टिप्पणी 5.3.1: व्यापार प्राप्यों की एजिंग (रुपये लाख में)

	31.03.2024 को							
विवरण	**अनबिल्ड**	**देय नहीं**	**6 महीने से कम**	**6 महीने से 1 वर्ष**	**1 से 2 वर्ष**	**2 से 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**जोड़**
i. अविवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य समझे गए	-	-	44.31	-	-	-	-	44.31
ii. अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध समझे गए	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य समझे गए	-	-	-	-	-	-	-	-
iv. विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध समझे गए	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	**-**	**-**	**44.31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.31**

	31.03.2023 को							
विवरण	**अनबिल्ड**	**देय नहीं**	**6 महीने से कम**	**6 महीने से 1 वर्ष**	**1 से 2 वर्ष**	**2 से 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**जोड़**
i. अविवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य समझे गए	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध समझे गए	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य समझे गए	-	-	-	-	-	-	-	-
iv. विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध समझे गए	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी 5.4: अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज	2.84	0.77
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (संबंधित पक्ष) से अनबिल्ड राजस्व	37.07	-
जोड़	39.91	0.77

टिप्पणी 6: चालू कर परिसंपत्तियां

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्राप्य टीडीएस (निर्धारण वर्ष 2023-24)	-	0.08
प्राप्य टीडीएस (निर्धारण वर्ष 2024-25)	59.18	-
चालू कर के लिए प्रावधान	(8.78)	-
जोड़	50.40	0.08

टिप्पणी 7: अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट	0.09	0.23
पूर्व भुगतान व्यय	0.29	0.13
अन्य अग्रिम	-	-
जोड़	**0.38**	**0.36**

टिप्पणी 8: इक्विटी शेयर पूंजी (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
100 ₹ प्रत्येक के 1,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,00,000)	100.00	100.00
जोड़	**100.00**	**100.00**
जारी/अभिदत्त तथा चुकता पूंजी		
100 ₹ प्रत्येक के 1,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,00,000)	100.00	100.00
जोड़	**100.00**	**100.00**

टिप्पणी 8.1: इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समाशोधन

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	शेयरों की संख्या (लाख रुपए में)	राशि (लाख रुपए में)	शेयरों की संख्या (लाख रुपए में)	राशि (लाख रुपए में)
जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी जो वर्ष के आरंभ में बकाया थी	1.00	100.00	1.00	100.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी जो वर्ष के अंत में बकाया थी	1.00	100.00	1.00	100.00

टिप्पणी 8.2: शेयरों से जुड़े अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: कंपनी के पास एकल श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका सम मूल्य ₹100 प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक, उसके द्वारा धारित प्रति शेयर एक वोट का पात्र है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के पात्र हैं।

कंपनी के कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयरों के शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	1,00,000	100.00%	1,00,000	100.00%
जोड़	**1,00,000**	**100.00%**	**1,00,000**	**100.00%**

प्रवर्तकों की शेयरधारिता

प्रवर्तक का नाम	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड और इसके 6 नामिती	1,00,000	100.00%	1,00,000	100.00%
जोड़	**1,00,000**	**100.00%**	**1,00,000**	**100.00%**

टिप्पणी 8.3: कंपनी की शुरुआत के बाद से बोनस के रूप में पूर्णतः चुकता के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या - शून्य

टिप्पणी 9: अन्य इक्विटी

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्रतिधारित अर्जन	(1.19)	(1.35)
जोड़	**(1.19)**	**(1.35)**

प्रतिधारित अर्जनों से तात्पर्य कंपनी के अवितरित लाभों और संचित हानियों से है।

टिप्पणी 9.1: प्रतिधारित अर्जन

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्रारंभिक शेष	(1.35)	(1.58)
जोड़ें: संगत अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण से हस्तांतरित लाभ/(हानि)	0.16	0.23
अंतिम शेष	**(1.19)**	**(1.35)**

टिप्पणी 10: वित्तीय देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ग्राहकों से अग्रिम	150.00	-
जोड़	**150.00**	**-**

टिप्पणी 11: व्यापार देय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
व्यापार देय	26.43	-
जोड़	**26.43**	**-**

टिप्पणी 11.1 व्यापार देयों की एजिंग (रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2024 को						
	अनबिल्ड	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
i. एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
ii. अन्य	-	-	26.43	-	-	-	26.43
iii. विवादित देय- एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
iv. विवादित देय- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	**-**	**-**	**26.43**	**-**	**-**	**-**	**26.43**

विवरण	31.03.2023 को						
	अनबिल्ड	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
i. एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
ii. अन्य	-	-	-	-	-	-	-
iii. विवादित देय- एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
iv. विवादित देय- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी 12: वित्तीय देयताएं - अन्य

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
फुटकर लेनदार	-	0.38
व्यय देय	0.56	0.15
जोड़	**0.56**	**0.53**

टिप्पणी 13: अन्य चालू देयताएं

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
टीडीएस देय	2.94	-
जीएसटी देय	12.53	-
स्टॉफ को देय	11.43	-
अन्य देय	0.23	-
जोड़	**27.13**	**-**

टिप्पणी 14; प्रचालन से राजस्व

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवाओं की बिक्री	439.20	-
जोड़	**439.20**	**-**

टिप्पणी 15: ब्याज से आय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
एफडीआर पर ब्याज आय	8.76	4.33
आय कर के रिफंड पर ब्याज	-	0.07
अन्य आय	-	0.01
जोड़	**8.76**	**4.41**

टिप्पणी 16: कर्मचारी अनुलाभ व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	322.25	-
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	27.15	-
सेवानिवृत्ति हितलाभ	26.43	-
जोड़	**375.83**	**-**

टिप्पणी 17: मूल्यह्रास एवं आशोधन व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	0.08	-
जोड़	**0.08**	**-**

टिप्पणी 18: अन्य व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मानदेय व्यय	3.36	2.10
संचार व्यय	0.16	-
बिजली एवं ईंधन	0.19	-
बैंक प्रभार एवं कमीशन	0.11	0.01
परामर्श प्रभार	-	0.20
सॉफ्टवेयर व्यय	0.52	0.30
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	-	0.06
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (सांविधिक लेखापरीक्षक)	0.22	0.15
विविध व्यय	3.50	0.34
आवागमन/वाहन व्यय	52.43	-
आय कर वयय	-	0.01
कार्यालय किराया	1.95	0.93
जोड़	**62.44**	**4.10**

टिप्पणी 19: प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल ईपीएस जारी प्रचालनों से (रुपए में) बंद प्रचालनों से विलयित ईपीएस जारी प्रचालनों से (रुपए में) बंद प्रचालनों से	 0.16 - 0.16 -	 0.23 - 0.23 -

19.1 प्रति शेयर मूल अर्जन

मूल ईपीएस राशि की गणना, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाले, वर्ष के लाभ को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या:-

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समापत वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाला लाभ:		
जारी प्रचालनों से	0.16	0.23
बंद प्रचालनों से	-	-
प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में प्रयुक्त अर्जन	0.16	0.23
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन से शेयरों की भारित औसत संख्या (आंकड़े लाख में)	1.00	1.00

19.2 प्रति शेयर विलयित अर्जन

प्रति शेयर विलयित अर्जन की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों का अर्जन और भारित औसत संख्या:- (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाला लाभ:		
जारी प्रचालनों से	0.16	0.23
बंद प्रचालनों से	-	-
जारी प्रचालनों से प्रति शेयर विलयित अर्जन की गणना में प्रयुक्त अर्जन	0.16	0.23

प्रति शेयर विलयित आय के प्रयोजन के लिए इक्विटी शेयरों की भारित संख्या, प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ इस प्रकार मेल खाती है:

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन से शेयरों की भारित औसत संख्या (आंकड़े लाख में)	1.00	1.00
विलयन का प्रभाव:	-	-
प्रति शेयर विलयित अर्जन के प्रयोजन से शेयरों की भारित औसत संख्या (आंकड़े लाख में)	1.00	1.00

टिप्पणी 19.3

चूंकि कोई बंद प्रचालन नहीं है इसलिए बंद किए गए प्रचालनों के लिए प्रति शेयर अर्जन और विलयित अर्जन की गणना नहीं की गई है।

टिप्पणी 20: पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य, अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह से करना है कि एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की उसकी क्षमता को सुनिश्चित और सुरक्षित किया जा सके ताकि कंपनी, शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिलाभ और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सके।

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की अपेक्षाओं के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी 21: अनुपात विश्लेषण

क्रम संख्या	विवरण	न्यूमिरेटर	डिनॉमिनेटर	वर्तमान अवधि	पूर्व अवधि	% अंतर	अंतर का कारण
1.	वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान परिसंपत्तियां	व्रर्तमान देयताएं	5.59	186.69	18666.51%	अंतर तुलनीय नहीं है क्योंकि कंपनी अभी प्रचालन के आरंभिक वर्षों में है जहां प्रचालन आधार, पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक बढ़ा है।
2.	व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	निवल उधार बिक्री= सकल उधार बिक्री-बिक्री प्रतिफल	औसत व्यापार प्राप्य	19.82	-	लागू नहीं	
3.	निवल पूंजी टर्नओवर औसत	राजस्व	कार्यशील पूंजी	180%	5%	-3997.40%	
4.	इक्विटी अनुपात पर लाभ (% में)	कर पश्चात लाभ	औसत कुल पूंजी	0.17%	0.24%	-68.74%	
5.	निवल लाभ अनुपात	ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (ईबीआईटी)	कुल परिसंपत्तियां-चालू देयताएं	3.86%	0.31%	-1228.67%	
6.	नियोजित पूंजी पर लाभ (% में)	ब्याज एवं करों से पूर्व अर्जन	नियोजित पूंजी	9.72%	0.31%	-3136.62%	

इस वर्ष, निम्नलिखित अनुपात लागू नहीं हैं, इसलिए इनका प्रकटीकरण नहीं किया गया

क. ऋण-इक्विटी अनुपात
ख. ऋण सेवा कवरेज अनुपात
ग. माल सूची टर्नओवर अनुपात
घ. निवेश पर लाभ
ङ. व्यापार देय टर्नओवर अनुपात

टिप्पणी 22 उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणीवार वित्तीय लिखत (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	एफवीटीपीएल*/ एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल*/ एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(□) प्रतिभूति जमा	-	-	-	-
(□□) नकद और नकद समतुल्य	-	17.14	-	71.61
(□□□) नकद और नकद समतुल्य से इतर बैंक शेष	-	150.20	-	25.50
(□□) अन्य	-	39.91	-	0.77
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**207.25**	**-**	**97.88**
वित्तीय देयताएं				
(□) उधारी	-	-	-	-
(□□) अन्य वित्तीय देयताएं - गैर-तात्कालिक	-	150.00	-	-
(□□□) अन्य वित्तीय देयता - चालू	-	54.12	-	-
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**204.12**	**-**	**-**

*लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

क. नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य अल्पावधि प्राप्यों एवं अन्य देयों को, अल्पावधि प्रकृति का होने के कारण, उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

टिप्पणी 23: आकलन और पूर्वानुमान

भविष्य के संबंध में प्रमुख पूर्वानुमान, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं जिनको लेकर, अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि में वस्तुगत समायोजन कराने में बड़ा जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों का मापन, डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन विधियों के लिए इनपुट जहां संभव हो, अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह व्यावहारिक न हो, वहां उचित मूल्यों पर पहुंचने के लिए कुछ हद तक विवेकपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता होती है। इन विनिर्णयों में ऋणशोधन क्षमता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट को ध्यान में रखा जाना शामिल होता है। इन कारकों के बारे में पूर्वानुमान में परिवर्तन से, वित्तीय लिखत के संसूचित उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

ख) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य किया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना बनती हो कि ऐसा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके बदले में हानियों का उपयोग किया जा सकता है। मान्य किए जाने योग्य आस्थगित कर परिसंपत्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन विनिर्णय की आवश्यकता होती है जो कि भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ-साथ भावी कर योग्य लाभ के समय एवं स्तर पर आधारित होता है।

टिप्पणी 24: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अन्य देयताएं शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्तपोषण करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी शामिल है। कंपनी की गतिविधियों की प्रकृति के कारण इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों – बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और परिसमापन जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी ने अपने वित्तीय जोखिमों को सुरक्षित नहीं किया है। सभी जोखिम, अरक्षित जोखिम हैं।

ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम का आशय, कंपनी को होने वाले उस वित्तीय नुकसान के जोखिम से है जब कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। क्रेडिट जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास रखी नकदी से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव, वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर होता है। प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य, वित्तीय परिसंपत्तियों में होने वाली हानि को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्षकारों की क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन उनकी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए करती है।

परिसमापन जोखिम

परिसमापन जोखिम का आशय उस जोखिम से है कि कंपनी, देय होने पर अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। कंपनी, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करके अपने परिसमापन जोखिम का प्रबंधन करती है कि देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए उसके पास हमेशा पर्याप्त ऋणशोधन क्षमता होगी।

कंपनी ऋणशोधन क्षमता, वित्तपोषण के साथ-साथ निपटान प्रबंधन का भी ध्यान रखती है। इसके अलावा, ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाओं और नीतियों की देखरेख वरिष्ठ प्रबंधन करता है।

टिप्पणी 25 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयता
कंपनी के समक्ष आज की तारीख में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

आकस्मिक परिसंपत्ति
कंपनी के पास आज की तारीख में कोई आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है।

टिप्पणी 26 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

26.1 संबंधित संस्थाएं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड - होल्डिंग कंपनी

26.2 संस्था के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद
श्री कुलदीप नारायण	अध्यक्ष (08.04.2024 से)
श्री विनय कुमार सिंह	अध्यक्ष (27.03.2024 तक)
श्री महेन्द्र कुमार	निदेशक
श्री अनिल कुमार श्रंगार्या	निदेशक
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक
सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं संबंधित पक्ष के साथ किया गया लेनदेन (रुपये लाख में)

विवरण	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
परामर्श आय	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	439.20	-
व्यय/भुगतान				
संपत्ति को किराये पर देना	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	1.95	1.10
जोड़				

विवरण	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
परिसंपत्तियां/वसूलीयोग्य				
परामर्श सेवा की मद में वसूली योग्य राशि	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	37.07	-
व्यय/भुगतान				
मोबिलाइजेशन अग्रिम की मद में दी गई राशि	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	169.92	-
जोड़				

26.3 (i) कंपनी के कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के परिसर के उपयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है और इस आशय के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ii) एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड द्वारा होल्डिंग कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन वाले लेखांकन के लिए सॉफ्टवेयर/आईटी सिस्टम यानी एसएपी एस4/एचएएनए का उपयोग किया जा रहा है।

(iii) कंपनी के कार्मिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी से अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं तथा उनका वेतन कंपनी को व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

टिप्पणी 27

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमई अधिनियम) में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि का विवरण निम्नानुसार है: - (रुपये लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त मूल राशि और उस पर देय ब्याज:		
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय मूलधन की राशि	-	-
	उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	-
2	प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान, नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान तो किया गया है लेकिन नियत दिन से परे) लेकिन इसमें एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज जोड़ा नहीं गया है	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित और अप्रदत्त रही ब्याज राशि	-	-
5	अनुवर्ती वर्षों में भी देय और ऐसी तारीख तक भुगतानयोग्य बनी रही परवर्ती ब्याज की राशि, जिस तारीख तक एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट के उद्देश्य हेतु उपर्युक्त ब्याज देय राशि का लघु उद्यम को भुगतान वास्तव में किया गया हो	-	-

टिप्पणी 28: शेष राशि की अभिपुष्टि

कंपनी ने शेष राशि की अभिपुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र भेजे हैं। देनदारों और लेनदारों के अंतर्गत दर्शाई गई समस्त शेष राशियों की पुष्टि की जाती है।

टिप्पणी 29: संविदात्मक प्रतिबद्धता

परियोजना के संबंध में संविदात्मक प्रतिबद्धताओं का विवरण शून्य ₹ है।

टिप्पणी 30: खंड रिपोर्टिंग भारतीय लेखांकन मानक 108

"कंपनी का प्रमुख व्यवसाय, ट्रांजिट प्रणालियों और उप-प्रणालियों के किसी भी या सभी या किसी संयोजन के नियोजन, अभिकल्पन, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और अनुरक्षण का है। कंपनी भारत के भीतर काम करती है और भिन्न-भिन्न जोखिमों एवं प्रतिफलों के आर्थिक वातावरण में प्रचालन नहीं करती है। इसलिए, इसे एकल भौगोलिक खंड में प्रचालनरत माना गया है।

खंड रिपोर्ट

कंपनी के पास रिपोर्ट करने योग्य केवल एक प्रचालन खंड अर्थात् ट्रांजिट प्रणालियों और उप-प्रणालियों के किसी भी या सभी या किसी संयोजन के नियोजन, अभिकल्पन, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रबंधकन, प्रचालन तथा अनुरक्षण है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम एवं प्रतिफल, संगठन संरचना तथा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर कंपनी एकल प्रचालन खंड में प्रचालित है। तदनुसार, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियाँ, कंपनी के एकल प्रचालन खंड से संबंधित हैं।

टिप्पणी 31

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

1. **राजस्व मान्यता पर महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय:**
   अनुबंध राजस्व और संबंधित प्राप्तियों की मान्य राशि में, प्रत्येक अनुबंध के परिणाम और पूरा होने के चरण के संबंध में, प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाया गया है जो वास्तविक प्रगति, प्रयासों, लेनदेन की कुल अनुमानित लागत की तुलना में अद्यतन तारीख तक व्यय की गई लागत, लगाए गए समय, निष्पादित सेवा या प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके के आधार पर निर्धारित की जाती है।

2. कंपनी ने, ग्राहकों को माल या सेवाओं का नियंत्रण स्थानांतरित करने पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर या तो समयोपरिता या किसी निश्चित समय के आधार पर राजस्व को मान्यता दी है। कंपनी द्वारा समय के आधार पर राजस्व को उस स्थिति में मान्य किया गया है यदि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी होती है:

- ग्राहक द्वारा लाभ प्राप्त करने और उपभोग करने का काम साथ-साथ हो
- कंपनी के कार्य-निष्पादन से ऐसी संपत्ति का सृजन या बढ़ोतरी होती है, जिसे ग्राहक द्वारा, संपत्ति के सृजन या बढ़ोतरी के समय ही नियंत्रित किया जाता है
- कंपनी का कार्य-निष्पादन वैकल्पिक उपयोग से सृजित नहीं होता है और कंपनी के पास आज तक पूर्ण किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

यदि उपर्युक्त में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो कंपनी द्वारा किसी निश्चित समय के आधार पर राजस्व को मान्य किया गया है।

3. प्राप्य राशियों/संविदा आस्तियों/संविदा देयताओं का शेष निम्नानुसार है: (रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
संविदा परिसंपत्तियां (बिल न की गई प्राप्य राशियां)	37.07	-

4. कंपनी ने अनुबंध प्राप्त करने के लिए कोई लागत वहन नहीं की है।

कृते **वी पी बत्रा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095एन

हस्ता/-
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या – 507807

यूडीआईएन: 24507807बीकेईएसटीपी9866
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2024

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/-
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता/-
अनिल कुमार श्रृंगार्या
निदेशक
डीआईएन: 08507367

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

संख्या / No. PDA/Infra/IHQ-T/27-B6/Annual A/c 2023-24/NETRA/206

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक / Dated 05-08-2024

सेवा में,

महानिदेशक (वाणिज्यिक-II)
कार्यालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक,
9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110124

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए "NCRTC Express Transit Limited" के वार्षिक लेखों पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की 'शून्य टिप्पणियाँ'

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के "NCRTC Express Transit Limited" के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की **'टिप्पणियाँ'** की एक प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रही हूँ।

भवदीया,

(हस्ताक्षर)

(विनीता मिश्रा)
महानिदेशक

संलग्न: 'टिप्पणियाँ'

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूप-रेखा के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना प्रबंधन या कंपनी की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा के तहत निर्धारित अंकेक्षण पर मानकों के अनुसार राय अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह कार्य, उनके द्वारा 24 मई 2024 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(a) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से की गई पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरण और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

क. बैलेंस शीट पर टिप्पणी करें

देयताएं

गैर मौजूदा देनदारियां - वित्तीय देनदारियाँ (नोट 10) - ₹150.00 लाख

उपरोक्त राशि एनसीआरटीसी लिमिटेड द्वारा मासिक किस्तों में चुकाए जाने वाले मोबिलाइजेशन एडवांस से संबंधित है, जिसमें से ₹72 लाख वर्ष 2023-24 के दौरान देय थे। इंड एएस 1 के पैरा 69 में कहा गया है कि एक इकाई किसी देनदारी को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत करेगी जब रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर देनदारी का निपटान किया जाना है। चूंकि ₹72 लाख का पुनर्भुगतान 12 महीनों के भीतर देय है, इसलिए इसे वर्तमान देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसे गैर-वर्तमान देयता के अंतर्गत शामिल करने के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता को ₹72 लाख से अधिक और कम बताया गया है।

भारत के महानियंत्रक एवं लेखापरीक्षक
के लिए या उनकी ओर से

हस्ता/-
(विनीता मिश्रा)
लेखा परीक्षा महानिदेशक (इंफ्रास्ट्रक्चर)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05.08.2024

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुपूरक/परिशिष्ट - एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब वित्तीय वर्ष 2023-24.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	**प्रबंधन का जवाब** **C&AG की टिप्पणियाँ**
क. बैलेंस शीट पर टिप्पणी करें **देयताएं** **गैर मौजूदा देनदारियां - वित्तीय देनदारियाँ (नोट 10) - ₹150.00 लाख** उपरोक्त राशि एनसीआरटीसी लिमिटेड द्वारा मासिक किस्तों में चुकाए जाने वाले मोबिलाइजेशन एडवांस से संबंधित है, जिसमें से ₹72 लाख वर्ष 2023-24 के दौरान देय थे। इंड एएस 1 के पैरा 69 में कहा गया है कि एक इकाई किसी देनदारी को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत करेगी जब रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर देनदारी का निपटान किया जाना है। चूंकि ₹ 72 लाख का पुनर्भुगतान 12 महीनों के भीतर देय है, इसलिए इसे वर्तमान देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसे गैर-वर्तमान देयता के अंतर्गत शामिल करने के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता को ₹ 72 लाख से अधिक और कम बताया गया है।	भविष्य के अनुपालन के लिए विख्यात।

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

अनिल कुमार श्रंगार्या
निदेशक
डीआईएन: 08507367

दिनांक: 06.09.2024
स्थान: नई दिल्ली

ncrtc

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली - 110023
फोनः +91 11 24666700, फैक्सः +91 11 24666723
सीआईएनः U60200DL2013GOI256716
ईमेलः contactus@ncrtc.in
www.ncrtc.in

Follow us: www.ncrtc.in/

www.silentpartners.com